दशम माला,

15 जुलाई, 1992, 1914
(शक)

लोक सभा वाद विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

64
26/11/93

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 6, बुधवार, 15 जुलाई, 1992/24 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:		
*तारांकित प्रश्न संख्या:	101 से 105	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर:		21—29
तारांकित प्रश्न संख्या:	106 से 112 और 114 से 121	
अतारांकित प्रश्न संख्या:	1064 से 1081, 1083 से 1117, 1119 से 1151, 1153 से 1200, 1202 से 1212, 1214, 1215, 1217 से 1254 और 1256 से 1295	29—209
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		209
मंत्री द्वारा वक्तव्य		209—213
(एक) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन श्री कमल नाथ		209—212
(दो) 1 जुलाई, 1992 को भिलाई में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना श्री एम० एम० जैकब		212—213
समितियों के लिए निर्वाचन		213—214
(एक) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम		213—214
(दो) लोक लेखा समिति		214
कार्य-मंत्रणा समिति		214
सोलहवां प्रतिवेदन — स्वीकृत		
नियम 377 के अधीन मामले		215—217
(एक) पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और मुम्बई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण		215

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(दो) रेनीगुंटा विद्युत परियोजना, आन्ध्र प्रदेश को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता
श्री एम० वी० रेड्डी 215

(तीन) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में 66 हजार के० वी० लाइन को 33 हजार के० वी० लाइन में बदलने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री जनार्दन मिश्र 215—216

(चार) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के मीरगंज तथा नवाबगंज में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता
श्री संतोष कुमार गंगवार 216

(पांच) केरल के मालाबार क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री ई० अहमद 216

(छः) असम में लीला बाडी तक बोइंग विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता
श्री प्रबीन डेका 217

(सात) देश में अपर्याप्त वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्री चन्द्रजीत यादव 217

सभा पटल पर रखे गए पत्र 218—221

मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव 222—275

श्री जसवन्त सिंह 222—236

श्री अर्जुन सिंह 236—241

श्री राम विलास पासवान 241—250

श्री पी० चिदम्बरम 251—262

श्री सोमनाथ चटर्जी 262—272

श्री संतोष मोहन देव 272—275

लोक सभा

बुधवार, 15 जुलाई, 1992/24 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अपहरण के बारे में अमरीकी उच्च न्यायालय का निर्णय

*101. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**

श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय के हाल के उस निर्णय की जानकारी है जिसमें उसने अमरीकी सरकार के इस अधिकार को वैध ठहराया है कि वह विदेशों से अपने अपराधियों का अपहरण करा सकती है और उन पर अमरीकी न्यायालय में मुकदमा चला सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) सरकार की मान्यता यह है कि इस फैसले के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है। अमेरिका आज इस निर्णय के माध्यम से पूरे विश्व पर अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उससे लगता है कि भारत सरकार को इस से कोई चिन्ता नहीं है। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज कराई है? यदि नहीं, तो क्यों?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो: महोदय, हम यह स्वीकार करेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देश के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में दिया है। माननीय सदस्य को मैं इस निर्णय के बारे में यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का निर्णय इस तरीके से पहली बार नहीं किया गया है, तरीके का मतलब यह है कि जब एक बार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के विशिष्ट अपराध की जांच उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे उसे अपहृत कर या किसी भी तरीके से पेश किया गया है। यह अधिकार अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र में विगत एक शताब्दी से सम्मिलित है। जहां तक मुझे याद है, सबसे

महत्वपूर्ण केस बनाम इलिनोइस सन् 1886 ई० का मुकदमा है। सन् 1886 से अब तक यानि एक शताब्दी से अधिक समय से संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह उचित ठहराया है कि यह अपहरण चाहे जितना भी निंदनीय क्यों न हो किंतु देश के कानून के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रेनक्विस्ट ने डा० हम्बेंटो अलवरेज मशीन बनाम संयुक्त राज्य अमरीका के मुकदमा विशेष में यह निर्णय दिया गया कि हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के नितांत प्रतिकूल है फिर भी जहां तक देश के कानून का संबंध है यह उसके पूरी तरह से अनुरूप है। इस प्रकार इस संदर्भ में यहीं कार्यवाही समाप्त हो जाती है। माननीय सदस्य की चिंता को दूर करने के लिये यह मैं और बता दूं कि इस निर्णय के तुरंत बाद वाशिंगटन पोस्ट में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि राष्ट्रपति बुश ने मेक्सिको के राष्ट्रपति से संपर्क किया और कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार किसी भी तरह ऐसे अपहरणों में सांठ-गांठ नहीं करेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जुलाई के शुरू में अमरीका के विदेश मंत्री श्री बेकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री से संपर्क किया और अब वे संयुक्त राज्य अमरीका मेक्सिको प्रत्यर्पण संधि में संशोधन के लिये कार्य कर रहे हैं ताकि ऐसे अपहरण स्वतः ही प्रत्यर्पण सिद्ध हो जाएं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर इस प्रकार के निर्णयों के विरुद्ध अपनी कोई शिकायत या आपत्ति प्रकट की है? यदि नहीं की है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से कानून 1986 से चला आ रहा है और अब वह भारत से भी किसी का अपहरण करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कोई आपत्ति व्यक्त की है, और नहीं की है तो अब तक क्यों नहीं की है?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो: हमारी स्थिति स्पष्ट है क्योंकि जहां तक हमारे कानून की दृष्टि में यह निर्णय मेक्सिको की क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन करता है यह अभियुक्त अल्वरेज के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के भी अनुरूप नहीं है क्योंकि उसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी एक देश से दूसरे देश में कानूनी कार्रवाई के लिये तत्कालीन प्रत्यर्पण कानून के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ले जाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि: (क) भारत सरकार के ध्यान में ऐसे और कितने देश हैं जिन देशों में इस तरह का कानून बना है?

(ख) क्या भारत सरकार की अमेरिकी सरकार से कोई प्रत्यावर्तन संधि है? यदि हां तो अमेरिकी उच्च न्यायालय के इस निर्णय से उस पर क्या असर पड़ता है?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो: हमारे देश और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है। वास्तव में यह संधि 1931 की उस ब्रिटिश संधि की ही पुनरावृत्ति है जो उस समय युनाइटिड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सम्पन्न हुई थी भारत की आजादी से पूर्व इसे भारत पर भी लागू किया गया था जिसमें हमने आजादी के बाद संशोधन किए थे।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया: अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी उन्हें उसकी जांच करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष जी, यह साधारण प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आज की दुनिया में जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका व्यवहार कर रहा है, उसका क्या असर होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पनामा के राष्ट्रपति को वहां से किडनैप करके ले जाया गया, लड़ाई करके, अपहरण करके ले जाया गया और ले जाने के बाद वहां उनको 40 साल की सजा दे दी गयी। इस तरह की जो दुनिया बन रही है या न्यू वर्ल्ड आर्डर बन रहा है, क्या अमेरिका के इस न्यू वर्ल्ड आर्डर के कन्सैप्ट को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर चुनौती देने का प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

श्री एड्वुआर्डो फैलीरो: इस प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में हमने पहले ही अपहरण के संबंध में जानकारी दी थी। माननीय सदस्य उसका अपनी इच्छानुसार तात्पर्य निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे विचार में अपहरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह: क्या आप यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे?

श्री एड्वुआर्डो फैलीरो: यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो हम भी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री ई॰ अहमद: अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपमानजनक है क्योंकि वह दूसरे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि की है जिसके अंतर्गत . . . .

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। संयुक्त राज्य वैसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करता है जो उस देश में कोई अपराध करता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भी ऐसे किसी अमरीकी नागरिक का प्रत्यर्पण कर सकता है जो भारत में अपराध करता है। भोपाल गैस कांड में क्या हुआ जबकि भारतीय न्यायालय ने पहले ही सम्मन जारी कर दिया है और प्रत्यर्पण संबंधी कार्यवाही भी की है जिससे इस संबंध में दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मद्दे नजर रखते हुए भारत सरकार की क्या स्थिति है।

श्री एड्वुआर्डो फैलीरो: मैं सविनय यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उससे कोई संबंध नहीं है। हम एक विशेष मामले की चर्चा कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री ने यह सुझाव दिया कि यह संयुक्त राज्य अमरीका का घरेलु मामला है क्योंकि यह उस देश के न्याय शास्त्र या दर्शन का स्पष्ट प्रतिपादन है। यह ठीक है कि यह उनका घरेलु मामला है। लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं यह उनके देश तक ही सीमित नहीं है वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न मामलों, पहलुओं आदि को प्रभावित करता है। क्या माननीय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इस मामले को घरेलु मामला कैसे मानते है जबकि स्वयं अपहरण का मामला अंतर्राष्ट्रीय

है? दूसरी, बात यह है कि प्रत्यर्पण संधि के बारे में प्रश्न पूछा गया है क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच विशेष रूप से उग्रवाद के संदर्भ में कोई प्रत्यर्पण संधि की गई है, संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय के क्या परिणाम होंगे?

श्री एबुआर्डो फैलीरो: मैंने इस प्रश्न या किसी अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कर चुका हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में हमारा दृढ़ विचार है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है तथा भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है। अतः यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री सुधीर गिरि: महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय विधि पर होगा, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि वह इस मुद्दे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन या संयुक्त राष्ट्र संगठन के समक्ष उठाएंगे या नहीं ताकि वहां इस मुद्दे पर पूरी तरह विचार-विमर्श हो सके?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि युनाइटिड नेशन्स के चार्टर में जो सिविल राइट्स हैं, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय का यह निर्णय, उसका वायोलेशन नहीं है। यदि यह वायोलेशन है तो क्या ....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम मंत्री जी कोई निर्णय अथवा विचार व्यक्त करने के लिए विवश नहीं कर सकते।

.....(व्यवधान).....

श्री गुमान मल लोढा: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयोजन से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठाना चाहती है....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसके बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री गुमान माल लोढा: एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भोपाल गैस कांड के मामले में श्री एंडरसन को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से उसे पकड़ कर लाने के लिये क्या हम भी अपने कमांडो दल को अमरीका भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय: सभा का ऐसा कोई विचार नहीं है।

उर्वरक राजसहायता

*102. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री गया प्रसाद कोरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार की उर्वरक राजसहायता सम्बन्धी नीति क्या रही;

(ख) विभिन्न श्रेणी के किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत एक वर्ष के दौरान नियंत्रित उर्वरक, किसानों को रियायती मूल्यों पर बेचे जाने जारी रहे। तथापि, उर्वरकों, के उपभोक्ता मूल्य 25.7.1991 से औसत रूप से 40 प्रतिशत बढ़ाए गए थे, परन्तु वृद्धि को 14.8.1991 से औसत रू० से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया। कुछ निम्न विश्लेषण उर्वरक भी 25.7.1991 से नियंत्रणमुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रतिटन सिंगल सुपरफास्फेट (एस०एस०पी०) उर्वरक पर देय राजसहायता पर 25.7.1991 से अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी।

(ख) यद्यपि किसान उर्वरकों (निम्न विश्लेषण उर्वरकों को छोड़कर) को लागत से कम मूल्य पर पाते रहे, उन्हें गत वर्ष की तुलना में 1991-92 में उच्चतर मूल्यों का भुगतान करना पड़ा। तथापि, लघु और सीमान्त किसानों के लिए एक अलग राजसहायता योजना वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यान्वित की गयी थी ताकि मूल्य वृद्धि के लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके।

मूल्य में वृद्धि के बावजूद 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में उर्वरकों की खपत ने वृद्धि दर्शायी।

(ग) चालू वर्ष (1992-93) में राजसहायता नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस समय एक संसदीय समिति उर्वरक मूल्य निर्धारण और राजसहायता के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है, वह पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश नहीं करता। प्रश्न में यह पूछा गया था कि किसानों के जो अलग-अलग वर्ग हैं, उदाहरण के लिए स्माल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके लिए हमने पिछले बजट में सबसिडी में थोड़ी रियायत दी थी, उस पर क्या असर हुआ है?

यह कहना काफी नहीं है कि फर्टीलाइजर की खपत बढ़ गई है, यह बताना भी जरूरी है कि उत्पादन पर क्या असर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार सरकार केस तैयार कर रही है सबसिडी को और घटाने के बारे में, तो जब तक उत्पादन के आंकड़े नहीं आते और स्माल फारमर और मार्जिनल फारमर पर क्या असर हुआ, इसके बारे में जब तक विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता, तब तक सदन के लिए कोई नतीजा निकालना मुश्किल है?

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, उर्वरक उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ गया है और खपत में 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमने छोटे और सीमान्त किसानों को पिछले वर्ष लगभग 405 करोड़ रुपये दिये थे इसे विभिन्न राज्यों में वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटे और सीमान्त किसानों को प्रति व्यक्ति 200/- रुपये की दर से यह राशि वितरित की गई है और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत ही उचित रूप से वितरित की गई है और कहा कि भारत सरकार ने यह राशि छोटे और सीमान्त किसानों को दी है क्योंकि पिछले बजट में उर्वरकों के

मूल्य में वृद्धि की गई है। जब यह राशि बांटी गई तो सीमान्त किसान आमतौर पर बहुत खुश थे। यद्यपि उर्वरक के मूल्य बढ़े हैं और खपत भी बढ़ी है और हमें किसी राज्य से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कहा गया हो कि किसान मूल्य वृद्धि से बहुत नाराज है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, फर्टीलाइजर पर सबसिडी की नीति केवल हमारे देश में ही नहीं है, अन्य देशों में भी यह नीति अपनाई जा रही है। यूरोपियन इकनौमिक कम्युनिटी में इसके लिए बहुत विवाद हो रहा है। प्रधान मंत्री प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन हैं। क्या यह सच है कि प्लानिंग कमीशन फर्टीलाइजर को डी-कंट्रोल करने के पक्ष में है? क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है?

एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जो इस सम्बन्ध में निर्णय करेगी। क्या प्रधान मंत्री यह आश्वासन देंगे कि उस कमेटी का निर्णय सरकार के लिए प्रमुख होगा, प्लानिंग कमीशन द्वारा की गई सिफारिश गौण स्थान पर होगी?

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, यह भी नहीं है, वह भी हमारे सामने नहीं है। गौण कौन होगा, प्रमुख कौन होगा, मैं अभी क्या बता सकता हूं। हमारी कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसका जो भी महत्व है, वह मैं जानता हूं। वह महत्व रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री तो बहुत कुछ जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, मुश्किल यह है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, तो वह आपके सामने भी आएगी, फिर आप भी जानेंगे कि कितना महत्व है।

श्री गया प्रसाद कोरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छोटे-बड़े किसानों को उत्तर प्रदेश में उर्वरक के ऊपर जो राहत दी थी वह क्या और बढ़ाई जा रही है?

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, यह राशि बहुत पहले वितरित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह राशि छोटे और सीमान्त किसानों को वितरित की थी।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख: मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1980-81 में फूड पर 650 करोड़ रुपए सबसिडी दी थी और फर्टीलाइजर पर 505 करोड़ रुपए सबसिडी दी थी और यह सबसिडी का सिलसिला उस समय से चल रहा है। वर्ष 1991-92 में फूड पर 1800 करोड़ रुपए और फर्टीलाइजर पर 4500 करोड़ रुपए की सबसिडी आपने दी, लेकिन आपने एक हाथ से सबसिडी दी और दूसरे हाथ से ले ली, तो मैं पूछना चाहूंगा कि उस टाइम ग्राफथा की एक्साइज ड्यूटी क्या थी और 1980 के बाद, फ्रेट प्राइसेस, पॉवर प्राइसेस, सेल्सटैक्स आदि इतने बढ़ गए कि जो सबसिडी बढ़ी हुई थी वह सब उसमें चली गई, तो 1980 में और 1991 में क्या चार्जेज अन्य कमोडिटीज के थे यह बताएं और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो सबसिडी बांटी जाती है उसका जिलावाइज ब्यौरा दें और जिन किसानों ने खाद महंगे भाव पर खरीद ली है, क्या उनको डिफरेंस आप देने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: उर्वरक को छोड़ कर सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। राज सहायता योजना 25 करोड़

की राशि से नवम्बर माह, 1977 में शुरू की गई थी। आज यह बढ़कर लगभग 7500 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार राज सहायता योजना के माध्यम से किसानों के लिए रोजाना लगभग 25 करोड़ रुपये दे रही है। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की लागत और अनेक वस्तुओं की लागत बढ़ गई है, यह सच है। संसदीय समिति इसकी जांच कर रही है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद शीघ्र ही सरकार उनकी सिफारिशों पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार की वर्तमान फर्टिलाईजर से संबंधित पालिसी से मारजिनल फार्मर्स में बहुत खुशी हुई है। पिछले वर्ष इन्होंने बताया कि छोटे और मझले किसानों को बतौर सबसिडी के लिए 405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और इसके चलते फार्मर्स में खुशी हुई। इस साल के बजट में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और छोटे और मझले किसानों को सबसिडी के लिए एक पाई राशि का भी प्रावधान नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी ऐसा महसूस करते हैं कि इससे किसानों को और ज्यादा खुशी होगी? स्माल और मारजिनल फार्मर्स के लिए सबसिडी का जो प्रावधान पिछली बार रखा था, जिसके बारे में इन्होंने संतोष जताया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है, क्या उसको हटाने से छोटे और मझले किसान उर्वरक का इस्तेमाल कर पाएंगे और क्या उस स्थिति में खाद्यान्न के उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसी स्थिति में फर्टिलाईजर की सबसिडी के लिए नई नीति पर सरकार क्या रुख रखती है?

[अनुवाद]

डा॰ चिन्ता मोहन: हमने बजट में पहले ही 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने राज सहायता की राशि में कमी नहीं की है। गत वर्ष के बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में यह राशि बढ़ गई है। मैं भविष्य की नीतियों पर नहीं बोल सकता क्योंकि वह तो संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: स्माल और मारजिनल फार्मर्स के लिए सबसिडी खत्म की है इस पर क्या रीएक्शन है, यह बताएं?

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: चालू वर्ष में राज सहायता नीति में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। एक संसदीय समिति इस समय उर्वरक मूल्य और राज सहायता के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इसका मतलब यह है कि गत वर्ष की राज सहायता जारी है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव: मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सबसिडी में जो कटौती की गई और बाद में जो संशोधन सीमान्त किसान और गरीब किसान के लिए किया गया, उनके आंकड़े के हिसाब से यह है कि उसकी खपत में बढ़ोतरी हुई है। मैं मंत्री जी से पाइटेड जवाब चाहूंगा कि आप किसान की खपत के बारे में ऐज ए होल आंकड़े बताते हैं। आपने सबसिडी में जो कमी की वह सीमान्त और गरीब किसान के लिए की। जहां तक हमको जानकारी है इसका फायदा बड़े किसानों ने उठाया। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि सीमान्त और गरीब किसान के बीच जो फर्टिलाईजर की खपत हुई सबसिडी की नई नीति बनाने के बाद, उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं और यदि नहीं हुई है तो क्या सरकार उस नीति को बदलेगी और सबसिडी पूरी तरह पूर्व की भांति लागू करेगी।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक उर्वरक खपत में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन छोटे और सीमान्त किसानों के बारे में, विस्तृत विवरण देना इस समय कठिन है। मैं विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री शोधनाद्रीश्वर राव वाड्डे: माननीय मंत्री ने कहा है कि मूल्य वृद्धि के बावजूद खपत में कमी नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गत वर्ष की तुलना में 1991-92 में उर्वरकों की खपत के वृद्धि दर के प्रतिशत में कमी आई है या नहीं। माननीय प्रधान मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री दोनों ही आन्ध्र प्रदेश से हैं, वे जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसानों ने भी उर्वरकों के पूर्व मूल्य के उपयोग संबंधी सुविधा का उपयोग नहीं किया अर्थात् पिछले वर्ष के बजट में दिए 400 करोड़ रुपये की राज सहायता का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। चूंकि छोटे और सीमान्त किसानों ने भी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य के छोटे और सीमान्त किसानों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें और मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार यह तथ्य ध्यान में रखकर कि पहले ही हमारी प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत सबसे कम है, उर्वरकों के मूल्य में और वृद्धि के लोभ का संवरण करेगी, हालाकि हमारे पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान और बांग्ला देश की तुलना में उर्वरक की खपत बहुत ज्यादा है, फिर भी वर्ष 2000 ईसवी तक के लिए निर्धारित खाद्यान्न संबंधी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या सरकार मूल्यों में और वृद्धि के अपने आग्रह पर अंकुश रखेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: यदि किसी छोटे और सीमान्त किसान को गत वर्ष किसी राज्य के भाग में राज सहायता की राशि मिलनी चाहिए थी और उसे यह नहीं मिली है और यह सच है तो हम इसकी जांच करेंगे। अन्य मुद्दों के बारे में जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं होगा। मेरे विचार से संसदीय समिति को पहले अपना प्रतिवेदन पेश करने देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी: महोदय, किसान भी बार-बार राज सहायता की इच्छा नहीं करते। संसद और सरकार विगत अनेक वर्षों से कृषि को उद्योग के बराबर रखने की बात करते रहे है। सभी निवेशों की लागत अर्थात् भूमि की लागत, उर्वरक की लागत, किसानों के बैलों, बैलगाड़ियों इत्यादि की लागत को ध्यान में रखकर और कृषि उत्पाद की लागत तय करके अगर तर्क संगत ढंग से लागत को आंका जाए और कृषि उत्पाद की लागत भी तय हो जाए तो किसान को कृषि राज सहायता या उर्वरक राज सहायता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। क्या सरकार कृषि उत्पाद के लाभप्रद मूल्य तय करने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: यह समिति के कार्य क्षेत्र के तहत है। प्रश्न संख्या 103, श्री रामबदन।

[हिन्दी] **(व्यवधान)**

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे नोटिस दें, मैं उस पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चाहें तो इस पर आधे घंटे की चर्चा ले लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आपको इतना इंटरस्ट है तो नौटिस दीजिये। हम आधे घंटे की चर्चा करवाएंगे, इस प्रकार से नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जरा समझने की कोशिश करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। अब यदि आपकी रूचि है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे घंटे के लिए एक प्रश्न पर ही चर्चा नहीं कर सकते।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि नोटिस दीजिए। मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जरा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे और यू ही शोर मचाएंगे तो इससे आपको मदद नहीं मिलेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं यदि आप चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो रूल्स हैं, आप उनका फायदा ले सकते हैं लेकिन मेरे बताने के बाद भी आप बार-बार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*103. **श्री राम बदन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में अब तक कितना निवेश किया जा चुका है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन उपक्रमों को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) 31.3.91 को उत्तर प्रदेश में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नामों, उनकी अवस्थिति तथा चुकता सामान्य शेयर पूंजी और ऋणों (सहायक कम्पनियों को छोड़ कर) के रूप में किया गया पूंजीनिवेश तथा वर्ष 1990-91, 1989-90 तथा 1988-89 के दौरान उनके द्वारा कमाये गये शुद्ध लाभ/उठाई गई हानि का ब्यौरा नीचे दिया है:—

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पूंजी निवेश (लाख रुपयों में)	शुद्ध लाभ/हानि			अवस्थिति
			1990-91	1989-90	1988-89	
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	1480	-233	-166	-193	कानपुर
2.	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कारपो•	1071	-20	0	0	बुलंदशहर
3.	भारत लैदर कारपो•	806	-141	-82	-51	आगरा
4.	भारत पम्प्स एंड कंप्रैशर्स लि•	5912	-259	-919	-2616	इलाहाबाद
5.	भारत यंत्र निगम लि•	683	0	1	1	इलाहाबाद
6.	ब्रिटिश इंडिया कारपो•	11937	-1566	-1566	-180	कानपुर
7.	ब्रुशवेयर लिमिटेड	3	-2	-2	0	कानपुर
8.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि•	1681	-452	-362	-505	कानपुर
9.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि•	8889	-3537	-3062	-3107	कानपुर
10.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मा• कारपो• लि•	85	14	10	17	मोहन (जिला: अल्मोड़ा)
11.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि•	781	137	129	23	लखनऊ
12.	ने•टे•का• (उत्तर प्रदेश) लि•	25221	-3287	-2948	-3048	कानपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद और रायबरेली
13.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	701925	104830	162384	160158	देहरादून
14.	स्कूटर्स (इण्डिया) लि•	11665	-4825	-4289	-3721	लखनऊ
15.	टेनरी एंड फुटवीयर कारपो• ऑफ इंडिया लि•	6595	-1870	-1610	-1404	कानपुर
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि•	2965	-361	-442	-282	नैनी (इलाहाबाद)
17.	यू•पी•ड्रग्स एंड फार्मा• कंपनी लि•	99	-129	-128	-47	लखनऊ

[हिन्दी]

श्री राम सजन: माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में 17 उपक्रम खोले गये हैं, जिनमें से दो को छोड़कर बाकी सारे उपक्रम घाटे में हैं। कच्चे माल और सस्ते श्रम की सुविधा को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो साधन उपलब्ध हैं, वहां एक भी उपक्रम नहीं खोला गया है। मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वांचल में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा कहा जाता है, उसमें कोई उपक्रम लगाएंगे?

(ख) बनारसी साड़ियों का उद्योग क्षेत्र जो आजमगढ़ और मऊ है, जिसमें बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, क्या उनके लिए कोई कदम उठाया जायेगा?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन: महोदय जहां तक लाभ अर्जित कर रही इकाईयों का संबंध है, यह दो नहीं तीन हैं।

जहां तक नई इकाईयों को स्थापित करने का संबंध है, जब सरकारी क्षेत्र की इकाइयां पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र को तकनीकी-आर्थिक-व्यावहार्यता भी देखनी पड़ती है। सरकार सदैव इन दो पहलुओं को ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

श्री राम सजन: माननीय अध्यक्ष जी, बनारसी साड़ियों के हथकरघा उद्योग का जो क्षेत्र है, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, क्या इसको अछूता समझा गया, इसमें कोई उपक्रम नहीं लगाया गया, जबकि यहां सस्ते माल और सस्ते श्रम की सुविधा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि लखनऊ से पूर्व पूरा पूर्वांचल छोड़ दिया गया है और 7 या 8 जिलों में केवल उत्तर प्रदेश के पूरे उपक्रम लगाये गये हैं और 7 उपक्रम केवल कानपुर में हैं जबकि सारे के सारे उपक्रम घाटे में हैं, केवल तीन को छोड़कर, तो क्या पूर्वांचल को इसमें कोई सुविधा दी जायेगी? वहां के बुनकर, वहां के हथकरघा के जो शिल्पी हैं, जो बनारसी साड़ियों को बनाते हैं, क्या उनके लिए कोई कदम उठाया जायेगा?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन: महोदय, जहां तक कुछ क्षेत्रों के हितों का प्रश्न है, मैंने सरकारी नीति के बारे में पहले ही बताया है। अब माननीय सदस्य विशिष्ट इकाइयों अथवा विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए मुझे लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: सर, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बॉयोलॉजिकल्स कारपोरेशन, बुशवेयर लिमिटेड, टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इन चार इकाइयों ने जो ब्यौरा दिया है, इस ब्यौरे में इन कम्पनियों ने 1990-91 में 20 लाख रुपये का लाभ प्राप्त किया है लेकिन 1988-89 में इन कम्पनियों ने जीरो इसमें दर्शाया है कि कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा ही बुशवीयर में दो लाख रुपये का लाभ हुआ और 1988-89 में एक पैसे का भी लाभ नहीं हुआ। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम में 137 लाख रुपए का 91 में, 129 लाख रुपए का 90 में 23 लाख रुपए का केवल इसमें लाभ हुआ। ऐसे ही और कम्पनियों का इसमें इन्होंने ब्यौरा दिया है। लगातार 1989-90 में और 91 में ये लाभ कम होते जा रहे हैं, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार लाभ कम होने का इन कम्पनियों का क्या कारण है? क्या इसकी वजह प्रबंधकीय अकुशलता, कर्मचारियों का उत्पीड़न और इन उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति सरकार की ओर से होने में असुविधा है? मैं इसी सवाल के ब भाग में यह पूछना चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो कम्पनियां आपने दिखाई हैं बुलन्दशहर, इलाहाबाद, कानपुर में दिखाई हैं, अलमोड़ा में, जो पूर्वांचल में 24-25 जिले हैं जैसे वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ आते हैं इधर इनकी कोई भी कम्पनी

नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कम्पनी वहां के विकास के लिए इधर भी कोई खोलने पर आप विचार कर रहे हैं अथवा नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन: महोदय, घाटे वाली, लाभ अर्जित करने वाली या रुग्ण इकाइयों का संबंध है तत्संबंधी सूची में वित्त वर्ष विशेष में विभिन्न कम्पनियों के कार्य-निष्पादन के मुताबिक प्रत्येक वर्ष फेर-बदल होता रहता है। यहां मैंने जो आंकड़े दर्शाये हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे 17 सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं जिनमें से तीन उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं, तेरह उद्यम घाटा उठा रहे हैं और एक उद्यम लाभ नहीं अर्जित कर रहा है किन्तु घाटा भी नहीं उठा रहा है। 13 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से नौ उद्यम रुग्ण हैं और इन नौ में से हमने सात के संबंधित कागज़ात बी०आई०एफ०आर० के विचारार्थ भेजे हैं और दो के बारे में अभी कागज़ात भेजने हैं। हमने इन्हें बी०आई०एफ०आर० के विचारार्थ इसीलिए प्रस्तुत किया है ताकि यह उनसे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर इन इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकें और उनको पुनः चालू किया जा सके। महोदय, हम इनके बारे में और भी कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार ने श्रम मंत्री के नेतृत्व में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की है और यह त्रिपक्षीय समिति इन इकाइयों की रुग्णता के कारणों की जांच कर रही है। हम इस मामले में सर्वसम्मति चाहते हैं अर्थात् इस बारे में आम राय जानना चाहते हैं कि इन रुग्ण इकाइयों को किस प्रकार पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं निश्चयतः पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: इनके घाटे का क्या कारण है? इनमें आए दिन लॉस हो रहा है, इसका क्या कारण है? **(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, हम लोगों का प्रश्न का जवाब तो आपने रोक दिया। हम यह जानना चाहते हैं कि मैंने जो सवाल किया, जो आपने हमको अधिकार दिया और हमने अपने सवाल में दो प्रश्न पूछे हैं। हमारे एक प्रश्न का उत्तर तो इन्होंने आधा-अधूरा दे दिया और दूसरे भाग का उत्तर क्या हुआ?

श्री पी० के० थुंगन: आपके दूसरे भाग का उत्तर मैं दे चुका हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं पुनः इसे दुहराना चाहूंगा। कुछ क्षेत्रों में नई इकाइयां स्थापित करने की सरकारी नीति तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता पर आधारित है। इसके साथ ही सरकार कतिपय क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को निश्चित रूप से ध्यान में रखती है जहां कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्कूटर्स इण्डिया लि०, जो टू व्हिलर्स और थ्री व्हिलर्स बनाती है वह निरन्तर घाटे में जा रही है, जहां दूसरी स्कूटर बनाने वाली कम्पनियां निरन्तर लाभ में जा रही हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण इसको निरन्तर घाटा हो रहा है तथा क्या यह भी सही है कि इस कम्पनी को आप निजी उद्यमी को या व्यवसायी को सौंपने जा रहे हैं? यह उद्योग लाभ में चले इस दृष्टि से क्या कोई विचार है?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन: माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष के कार्य-निष्पादन स्तर की तुलना में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने अपना कार्य-निष्पादन दो क्षेत्रों में सुधारा है। इसका मतलब है कि गत वर्ष

की तुलना में इस वर्ष उत्पादन और बिक्री दोनों ही दुगुनी हो गई हैं। निजीकरण के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने बी०आई०एफ०आर० से विचार-विमर्श किया है। बी०आई०एफ०आर० इन सभी पहलुओं की विस्तार से जांच कर रही है। निस्सन्देह हम देश द्वारा वहां पर स्थापित बुनियादी सुविधाओं को खोना नहीं चाहेंगे। बी०आई०एफ०आर० इस बात की जांच कर रहा है कि इनका बेहतर उपयोग इनके निजीकरण द्वारा सम्भव है अथवा इन्हें सरकारी क्षेत्र में कायम रहने देने से सम्भव है।

अनिवासी भारतीयों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रस्ताव

*104. **श्री प्रकाश वी० पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जापानी उद्योगपतियों को ऐसे अलग नगर स्थापित करने की अनुमति देने का है जहां वे अपने उद्योगों के साथ-साथ शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों को भी बढ़ावा दे सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों से भी इसी तरह के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु जापान से पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतः प्रवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे पृथक औद्योगिक नगर (औद्योगिक आदर्श नगर) स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन करने का विचार है, जिनमें जापानी सहायता से कार्यात्मक कंपनी कार्यालय भवन और अस्पताल, शापिंग सेंटर आदि जैसी कई सहायक सुविधाएं होंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: हम सब आपको बधाई देना चाहते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही: बहुत-बहुत धन्यवाद। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: आप तो हिन्दी में बोलिए।

श्रीमती कृष्णा साही: थोड़ा धीरज रखिए, मैं हिन्दी में ही उत्तर दूंगी।

श्री प्रकाश वी० पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप का प्रस्ताव कहां-कहां से आया है और इस पर क्या कार्यवाही हुई है। जापान के साथ सहकार करने जैसे कौन-कौन से उद्योग हैं और जापान द्वारा कौन-कौन से क्षेत्रों का चुनाव किया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि क्या सरकार इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप की स्थापना जापान के साथ करने जा रही है, प्रश्न इनका माडल टाउनशिप से है और दूसरा प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वह है सांस्कृतिक, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप का प्रस्ताव जापान

भारत-जापान स्टडी कमेटी के समक्ष रखा गया है। भारत-जापान स्टडी कमेटी ने इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप की स्थापना के विभिन्न बिंदुओं पर विचार हेतु एक इंडस्ट्रियल माडल टाउन कांस्ट्रक्शन कमेटी का गठन किया है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश वी० पाटील: प्रधान मंत्री की हाल ही की जापान यात्रा का क्या परिणाम रहा?

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव): क्योंकि चूंकि मामला मेरी यात्रा से सम्बन्धित है, इसलिए मुझे उत्तर देने दीजिए। जापानी निवेश तथा सहयोग का सम्बन्ध है, विशेष कर जहां तक विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नहीं, मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में, मेरी यात्रा काफी उत्साहजनक रही। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई थी, फिर भी कई महत्वपूर्ण कम्पनियों के अधयक्षों तथा अन्य अधिकारियों ने अपने आप आ कर मुझ से मुलाकात की तथा अनेक वैज्ञानिकों ने भी विश्वविद्यालयों तथा सी० एस० आई० आर० जैसी संस्थाओं के साथ मिल कर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की विभिन्न संभावनाओं और सहयोग पर चर्चा की यह भी काफी उत्साहवर्धक थी। इस सम्बन्ध में और विवरण हम बाद में देंगे जब बातचीत के बाद करारों को अंतिम रूप दिया जायेगा। एक अच्छी शुरूआत हो चुकी है।

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी: स्पीकर साहब, मैं वजीरेआजम से जानना चाहता हूं कि आज जो मल्टी नेशनल को हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यादा तरजीह दी जा रही है, उसकी जगह पर एन०आर०आई०, जो बाहर है और बड़े बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको क्या बुलाया जाएगा? खास तौर से मैं जानना चाहता हूं कि क्या एन०आर०आई० की तरफ से कोई एग्रीकल्चर इण्डस्ट्री में या टूरिज्म इण्डस्ट्री में या हाई-वे प्रोजेक्ट का ऑफर हुआ है? अभी प्रधान मंत्री जी ने जापान का दौरा किया, क्या उसमें इस तरह का प्रोजेक्ट, जिसमें हिन्दुस्तान के हाई-वे को इनक्लूड किया जा सके, जिससे काफी धन की बचत हो सकती है, इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में प्रधान मंत्री ने जापान के साथ कोई बातचीत की है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैंने इन सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित लोगों से बातचीत की है। अब शुरूआत हो चुकी है। अब सम्बन्धित अधिकारियों के बीच बातचीत होनी है। इस देश में सड़कों तथा राजमार्गों के सम्बन्ध में हमारी 20 वर्ष की अवधि की एक योजना है। कुछ अनिवासी भारतीयों ने भी प्रस्ताव किए हैं। इन सब का अध्ययन किया जा रहा है।

डा० बी० जी० जावाली: अध्यक्ष महोदय, शहरों में टाउनशिप स्थापित करना एक तरह से नव औपनिवेशक व्यवस्था की तरह ही है। जैसा कि समाचार पत्रों में आप पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह टाउनशिप केवल जापानी लोगों के लिए होंगे तथा वहां पर सभी [illegible] उसी देश के लोगों की देखरेख में होंगी। ऐसी काफी संभावना है कि विश्व के अन्य देश भी भारतीय भूमि पर उद्यम लगाना चाहें।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन टाउनशिप में भारतीय लोगों को भी काम करने की अनुमति होगी या कि यह भारत की भूमि पर ही एक दूसरा देश बन जायेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: महोदय, मैं सपने में भी ऐसे किसी टाउनशिप की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकता जो कि भारतीय लोगों की पहुंच से बाहर हों। महोदय, इस बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूं। इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत ब्यौरा अभी नहीं बना है। कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी कोई अन्तिम तस्वीर सामने नहीं आई है जिस पर कि हम अपनी राय दे सकें। यह विचार है कि ऐसी टाउनशिप स्थापित की जाये जहां से दोनों देशों के उद्यम, कला, हस्तशिल्प इत्यादि के केन्द्र स्थापित किये जा सकें और मिल कर प्रगति

कर सकें। परन्तु इस प्रस्ताव को कार्यरूप कैसे दिया जायेगा, इस पर अभी विचार होना है। परन्तु इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय नागरिकों के लिए इस सम्बन्ध में कोई पाबंदी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, जो जैपनीज इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाया जा रहा है उसमें भारत की ओर से कौन से उद्योग आने चाहिए, ऐसे उद्योगों को आइडैंटीफाई किया है क्या? साथ ही साथ ये उद्योग कौन से प्रदेश में आने की सम्भावना है, इसका भी कुछ विचार किया है क्या?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंहराव: मैंने बताया है कि इन सब बातों पर गौर किया जा रहा है तथा कुछ प्रगति होने पर ही इस सम्बन्ध में जानकारी दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जापान को न्यौता देकर हिन्दुस्तान में टाउनशिप बनाने का फैसला जो सरकार का है वह देश के सम्मान और गरिमा के खिलाफ है, क्या प्रधान मंत्री इसको महसूस करते हैं? यदि महसूस करते हैं तो क्या ये दूसरे जी-7 देशों को भी निमंत्रण दे कर लायेंगे हिन्दुस्तान में टाउनशिप बसाने के लिए 9 "ख" भाग क्या इस शहर का जो म्यूनिसिपेल्टी कानून है और हिन्दुस्तान का कारपोरेशन का कानून है वह इसमें लागू होगा या नहीं?

श्री पी० वी० नरसिंहराव: अध्यक्ष महोदय, नहीं करता। "ख" भाग इससे उद्भव नहीं है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को मुआवजा

*105. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य:**
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) मुआवजे का मामला इस समय किस चरण में है तथा उसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी,

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार जारी किये गये दिशानिर्देशों के विरुद्ध आपत्तियां मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 के पैरा 11 (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक श्रेणी के दावों के लिए दी जाने वाली मुआवजे की कुल राशि और प्रत्येक प्रकार की चोट या हानि के संबंध में साधारण तौर पर देय मुआवजे की मात्रा केन्द्रीय सरकार निर्धारित कर सकती है।

भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना संबंधी सभी मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री सहित मंत्रियों का एक दल गठित किया था। मंत्रियों के दल ने निर्णय लिया था कि व्यापक सांकेतिक मार्गदर्शी सिद्धान्त, तैयार करके जारी किए जाने चाहिए। तदनुसार कल्याण आयुक्त को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए थे।

मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ श्रेणियों के लिए मुआवजे की मात्रा इस प्रकार बताई गई है:—

श्रेणी	मात्रा/अधिकतम सीमा (रुपए)
मौतें	1—3 लाख रुपए
स्थायी	
पूर्ण या आंशिक विकलांगता	50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक
अस्थाई पूर्ण या आंशिक विकलांगता	25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक
अत्यधिक गंभीर चोटें	4 लाख रुपए तक
मामूली चोटों के लिए दावे	20,000 रुपए तक
सामान की हानि	15,000 रुपए तक
पशुधन की हानि	10,000 तक

इन मार्गदर्शी सिद्धन्तों में सम्मिलित न हुई श्रेणियों के संबंध में कल्याण आयुक्त से यह अनुरोध किया गया है कि योजना के विभिन्न उपबन्धों को मद्देनजर रखते हुए मुआवजे की मात्रा निर्धारित करे।

कल्याण आयुक्त को योजना के पैरा 11 (4) के उपबन्धों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिसमें दावेदारों को देय मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में गणना में ली जाने वाली विभिन्न बातों को बताया गया है।

(ग) कल्याण आयुक्त जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यरत जज है, की नियुक्ति कर दी गई है। 17 उपायुक्तों और 5 अतिरिक्त आयुक्तों ने कार्य आरंभ कर दिया है। मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अधिनिर्णय की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने की आवश्यकता से कल्याण आयुक्त अवगत है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर विचार व्यक्त करते हुए प्रेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। जारी करने से पहले मार्गदर्शी रूपरेखाओं की विस्तार से जांच की गई थी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: महोदय, फरवरी, 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अन्तिम राहत के रूप में 47 करोड़ डॉलर की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय दिया। भारत सरकार ने इस राहत राशि को स्वीकार कर लिया यद्यपि इसने एक याचिकादाता के रूप में इससे बहुत अधिक राहत राशि की मांग की थी परन्तु बाद में उसका केवल 15 प्रतिशत स्वीकार कर लिया। इस राशि को स्वीकार करने के पीछे क्या तर्क था; इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

फिर भी अब दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि सात श्रेणियों के लिए 1992 में राहत राशि वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के अनुसार ही उसके प्रत्यक्ष मूल्य के अनुसार अदा किया जाये। परन्तु इन तीन चार वर्षों के दौरान डॉलर के मुकाबले जो रुपया का अवमूल्यन हुआ है, इस सम्बन्ध में उस पर गौर

नहीं किया गया है। महोदय इसे अवमूल्यन के कारण प्रत्यक्ष मूल्य एक भ्रांतिपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, मौत के मामलों में राहत की दर 1 लाख से तीन लाख तक है। डालरों में इसकी कीमत वर्ष 1989 में 6666 डॉलर से 20,000 डॉलर तक थी। वर्ष 1992 में यह राशि 3333 डॉलर से ले कर 10,000 डॉलर ही रह जाती है। इसका वास्तविक मूल्य आधा रह गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्हें पूछने दीजिए। आपको विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: दिशा निर्देशों में रुपए के अवमूल्यन पर गौर नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप हम यह देख रहे हैं कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ही उल्लंघन नहीं हो रहा है बल्कि इस त्रासदी के शिकार लोगों के साथ जान बूझ कर धोखाधड़ी की जा रही है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक में जमा धन पर इकट्ठे हुए ब्याज के सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है? क्या सरकार यह ब्याज भी पीड़ितों को दे रही है?

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न बड़ा सुसंगत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। मार्च महीने में हमने भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त को दिशा निर्देश जारी किये हैं। कल्याण आयुक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश हैं। हम दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। यह सब कल्याण आयुक्त पर निर्भर करता है। वह कोई भी निर्णय ले सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: इस मामले में सरकार एक मात्र याचिकादाता है। महोदय, क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकती हूं?

अध्यक्ष महोदय: जी, हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: नहीं, मैं उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: अवमूल्यन के पश्चात् आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, अभी नए-नए मंत्री हैं इसलिए प्रधान मंत्री जी द्वारा एसिस्ट करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: मैं एक और प्रश्न पूछ रही हूं तथा यह आशा करती हूं कि इसका उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर की तरह असंतोषजनक नहीं होगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गये हैं, उनमें केवल सात श्रेणियों को राहत प्रदान करने के लिए कहा गया है जबकि भोपाल गैस रिसाव योजना, 1985 में 15 श्रेणियां बनाई गई थीं। क्या इसका यह तात्पर्य है कि कुछ संभावित दावों को बिलकुल ही अस्वीकार कर दिया गया है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 47 करोड़ डॉलर की राहत उपलब्ध कराने का निर्णय कब दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप संक्षेप में अपनी बात कहेंगी तो आपको अधिक स्पष्ट उत्तर मिलेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: महोदय, 47 करोड़ डॉलर 2,05,000 पीड़ितों को दीये जाने थे। फिर भी यह संख्या ठीक नहीं थी क्योंकि वास्तव में पीड़ितों की संख्या बहुत अधिक अर्थात पांच लाख के लगभग है।

क्या आप एक बड़ी संख्या में पीड़ितों को राहत से वंचित करना चाहते हैं या कि दूसरी ओर आप 2,05,000 गैस पीड़ितों के लिए दी गई 47 करोड़ डॉलर की राशि को 5,00,000 लोगों में बांटना चाहते हैं। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं।

डा० चिन्ता मोहन: यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही व्यापक और अच्छा प्रश्न है।

डा० चिन्ता मोहन: 1400 करोड़ रुपये रिजार्व बैंक में जमा है। अपना निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश जारी किए थे कि भोपाल में 36 बार्ड लिए जायें। तत्पश्चात् कुछ आपत्तियां उठाई गईं तथा वह चाहते हैं कि राहत उपलब्ध करवाने के लिए 56 बार्ड लिए जायें।

कल भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश जारी किए है कि इन 5,00,000 पीड़ितों के अतिरिक्त एक लाख और पीड़ितों को भी इस सूची में शामिल किया जाये, तथा हम इस दिशा निर्देश पर गौर कर रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: प्रत्येक पीड़ित को उपलब्ध होने वाली राशि कम होती जा रही है।

डा० चिन्ता मोहन: इन पीडितों के प्रति हम काफी चिन्तित हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त को और अधिकार देने के लिए कहा है। हम एक विधेयक लाने जा रहे हैं। आज या सोमवार तक इसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा जब सदन यह विधेयक पारित कर देगा। तो समस्त अधिकार स्वतः कल्याण आयुक्त के हाथों में चले जायेंगे। यह कल्याण आयुक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीक हैं। उन्हें सभी अधिकार प्राप्त है तथा वह ही सभी निर्णय लेंगे। हमने कल्याण आयुक्त को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, तथा उन्होंने ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: यह कोई उत्तर नहीं है। मैं अध्यक्षपीठ से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वे इस सम्बन्ध में सदन के बाहर आपके साथ चर्चा करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: नहीं, महोदय, यह कोई मेरे और उनके बीच का व्यक्तिगत मामला नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है। परन्तु शायद इस सम्बन्ध में कुछ विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: इस त्रासदी को हुए आठ वर्ष बीत चुके हैं। सरकार द्वारा अब दिशानिर्देश जारी किए गये हैं तथा यद्यपि दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। फिर भी वे इतने त्रुटिपूर्ण है कि भोपाल गैस पीड़ितों में काफी आक्रोश है। एक है मैडीकल जांच के आधार पर श्रेणी बद्ध करना जिस के बारे में भी 6,39,000 दावे दाखिल किए गये हैं परन्तु अभी तक केवल 3,58,712 लोगों की मैडिकल जांच हो पाई है तथा 2,78,000 लोगों की मैडीकल जांच अभी तक नहीं हो पाई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को सरकार दिशा निर्देशों को संशोधित करके मैडीकल आधार पर पीड़ितों को श्रेणीबद्ध करके मुआवजा देने के मानदण्ड को समाप्त करेगी; क्योंकि त्रासदी होने के आठ वर्ष पश्चात् इस सम्बन्ध में साक्ष्य देना बडा कठिन है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति कब तक करेगी?

डा० चिन्ता मोहन: हम दिशा निर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर रहे हैं, परन्तु अभी वह हमने उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया है।

जहां तक राहत उपलब्ध कराने की समय सीमा का सम्बन्ध है मैं यह आश्वासन देता हूं कि यह यथाशीघ्र राहत उपलब्ध करवायेंगे।

श्री जन्नजीत यादव: यह एक बहुत ही गंभीर मानवीय समस्या है। उन्होंने दिशा निदेशों का अध्ययन करने पर बहुत समय ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय: दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है। कि वे उन पर विचार कर रहे हैं। जहां तक अध्ययन का सम्बन्ध है। उन्होंने कहा है कि यह एक कानूनी मामला है तथा इस सम्बन्ध में निर्णय न्यायालय को लेना है।

श्री सत्य नारायण जटिया: अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सबको पता है कि यह घटना 3 दिसम्बर 1984 की है और अब 1992 का मध्य गुज़र चुका है। इस प्रकार 8 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। उस समय के लोगों को जो मुआवज़ा देना चाहिये, उन लोगों के बारे में बताया गया है, वह स्थिति ठीक नहीं है। उसके दायरे में जो डेढ़ लाख लोग बच गये हैं उनको शामिल करने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। जो लोग मर गये हैं, उनकी संख्या 2850 है और उनमें से भी दो हज़ार लोगों के दावों का निपटारा हो चुका है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के दावों का निपटारा हो चुका है या जिनको आइडेंटीफाइ कर लिया गया है, ऐसे लोगों के मुआवज़े का भुगतान किस प्रकार से और कब तक किया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: स्वीकृत दावों में, भुगतान कितनी जल्दी होगा?

डा० चिन्ता मोहन: बहुत जल्दी, उन्होंने अधिनिर्णयन प्रक्रिया शुरू कर दी।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, वह किस प्रकार से और किस माध्यम से या किस एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा, वह बताया जाये।

श्री राम विलास पासवान: मंत्री महोदय, होम वर्क नहीं करके आये हैं।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: वास्तव में कल्याण आयुक्त इन चीज़ों को देख रहे हैं। हमने उन्हें पर्याप्त मात्रा में दिशा निर्देश दिए हैं। हम उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उन्हें पुनर्जीवित इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कल अपनी राय दी है। राशि वहां उपलब्ध है। हमने सारी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। मध्य प्रदेश की सरकार हमारा सहयोग कर रही है। कल्याण प्राधिकारी ने एक हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्ति की है, ताकि जल्दी से जल्दी काम को शुरू किया जाए। हम चेष्टा करेंगे की जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री वासनिक ने बहुत ही गंभीर मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि दो लाख से ज्यादा पीड़ित व्यक्तियों की अभी तक चिकित्सा परीक्षा नहीं हुई है और सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं आया है। क्या यह सत्य है कि दो लाख से ज्यादा पीड़ितों की अभी तक चिकित्सा परीक्षा नहीं हुई है? अगर यह सत्य है तो, यह गंभीर मामला है, और अधयक्ष महोदय, आपको इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए। ऐसे मामलों में सदन को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि अगर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो

और बात थी। अगर यह प्रश्न पूछा जाता है, और माननीय मंत्री यह कहते—"हम उसकी जांच कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं।" क्या यह कहना मुमकिन होगा कि वह नहीं जानते कि दो लाख से ज्यादा लोगों की चिकित्सा परीक्षा नहीं ली गयी है और अगर ऐसा है तो क्या भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठायेगी कि कम से कम उन लोगों की चिकित्सा परीक्षा एक या दो महीने में हो जाए?

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अकेली समस्या नहीं है, एक के बाद कई समस्याएं उठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पांच लाख या चार लाख या तीन लाख एक वक्त ही आए थे, और उनकी जांच की गयी है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि चालू है। मुझे यकीन है कि अगर ऐसे भी लोग हैं जिनकी जांच नहीं की गयी, तो उनकी जांच की जाएगी, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। मेरे पास इस समय ठीक संख्या नहीं है। मैं उस संख्या के बारे में पता कर सकता हूं। परन्तु मैं यह गारंटी नहीं ले सकता कि और नहीं आएंगे। यह एक सतत चीज़ है। यह संभव है कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अचानक उन्हें पता चला है कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, और फिर वह आ जाते हैं। यह सब चीजे संभव हैं। पहले एक जगह प्रभावित हुई थी। अब और भी जगह प्रभावित हुई हैं। इस वजह से, यह एक अंतिम संख्या नहीं, परन्तु यह प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से, किसी भी वक्त कोई अंतिम निर्णयात्मक उत्तर देना संभव नहीं है। आयुक्त वहां पर है। उनके पास सामर्थ्य है। इसमें कुछ नम्यता है। मैंने इस बात को विशेष महत्व दिया है कि दिशा निर्देश केवल दिशा निर्देश ही रहें। दिशा निर्देश इतने अनम्य नहीं है कि वह उन्हें कुछ बदल न सकें। दिशा निर्देश सामान्य प्रकार के हैं। इन दिशा निर्देशों को मन में रखते हुए, अगर वह सोचे कि कुछ मामलों में, तीन लाख की बजाए चार लाख दिए जाने चाहिए, तो उनके पास ऐसा करने की शक्ति है। किसी को मौके पर स्वविवेक की शक्ति दी जानी चाहिए और यह किया गया है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब के द्वारा बताया है कि जो गाईडलाइन्स तय की गयी उसमें ग्रुप आॅफ मिनिस्टर्स थे अर्थात मध्य प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य थे और उनके माध्यम से ये गाईडलाइन्स तय की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस ग्रुप आॅफ मिनिस्टर्स में जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री भी शामिल थे, क्या यह गाइडलाइन उनके द्वारा तय की गई और दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश के शासन ने अखबारों के माध्यम से इन गाइडलाइन्स पर आपत्ति की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन गाइडलाइन्स के बारे में आपत्ति लिखित रूप में पेश की है (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार सहयोग दे रही है (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने यह प्रश्न मंत्री जी से किया है, श्री नाईक से नहीं (व्यवधान)

डा॰ चिन्ता मोहन: वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री भी सदस्य हैं। दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे।

इन दिशा-निर्देशों की तैयारी में हमने भोपाल गैस स्कीम की धारा 11, खण्ड 4 पर गौर किया है। इसमें पढ़ने की बहुत सी चीजें हैं। मैं इसे माननीय सदस्य को भेज सकता हूं इनके आधार पर हमने दिशा-निर्देश तैयार किए थे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: क्या उन्होंने लिखित में दिया है।

(व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन: हमें मध्य प्रदेश सरकार से कुछ नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राकेट प्रौद्योगिकी

1 *106. प्रो० रासा सिंह रावत:
श्री प्रतापराव बी० भोंसले:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस का राकेट प्रौद्योगिकी की सप्लाई के संबंध में भारत के साथ हुए समझौते का कार्यान्वयन रोकने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य-मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) रूस से क्रॉयाजेनिक इन्जिन प्रौद्योगिकी अन्तरण के संबंध में, भारत को अपना सहयोग जारी रखने का पुनः आश्वासन दिया है। यह कार्य सन्तोषप्रद रूप से प्रगति में है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) परियोजना पूर्व प्रयासों और अपने अध्ययन की पराकाष्ठा के रूप में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 1988-89 में द्रव ऑक्सीजन और गैसीय हाइड्रोजन का प्रयोग करके एक टन प्रणोद के एक क्रॉयोजेनिक इंजिन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तद्नुपरान्त 12-टन प्रणोद के क्रॉयोचरण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गयी। रूस के साथ किया गया प्रौद्योगिकी अन्तरण करार इस जटिल प्रौद्योगिकी को शीघ्र प्राप्त करने तथा विकासात्मक जोखिमों को कम करने की एक प्रक्रिया है। इस करार में रूस से दो फ्लाइट इंजिनों की आपूर्ति के अतिरिक्त भारत में तृतीय यूनिट से आगे क्रायो-चरण की प्राप्ति की व्यवस्था है। तद्नुसार, अवसंरचनाओं को तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा

107. श्री ई० अहमद: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति 18—20 अप्रैल, 1992 तक भारत आए।

(ख) से (घ) इन यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई और निम्नलिखित छह करार सम्पन्न किए गए:

1. सहयोग के सिद्धान्तों तथा निर्देशों से संबद्ध घोषणा;
2. संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेलकूद तथा समाचार जगत के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध करार;
3. व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध करार;
4. विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन आर्थिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार;
5. राजनयिक संबंधों की स्थापना से संबद्ध प्रोतोकोल; और
6. कोंसली संबंधों की स्थापना से संबद्ध प्रोतोकोल।

भारत-इजरायली सम्बन्ध

108. **श्री जन्नजीत यादव:**
श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के पश्चात दोनों देशों के संबंधों में, विशेषतः आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ है; और

(ख) दोनों देशों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के पक्षों को समझने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डोफैलीरो): (क) और (ख) 29 जनवरी 1992 को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध - स्थापित होने के बाद दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूतावासों की स्थापना कर दी है और आशा है कि राजदूत जल्दी ही अपना कार्यभार सम्भाल लेंगे। पर्यटन में दोनों देशों के बीच पर्यटक यातायात का स्तर बढ़ जाने से तथा नागर विमानन में जहां भारत और इजराइल को जोड़ने वाली वाणिज्यिक उड़ानों की सम्भावना है, संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। यह भी आशा की जाती है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर बेहतर होगा। अभी ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि क्या ठोस परिणाम निकलेंगे या क्या-क्या हासिल होगा।

राजनयिक कार्यकलाप चल रहा है जो इस बात से और उजागर होता है कि भारत मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया के बहु-पक्षीय दौर में भाग ले रहा है।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

*109. श्री रवि राय:
श्री एन० डेनिस:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों का नई दिल्ली में 1 जून, 1992 को सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गयी;

(ग) उसमें लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) 6-2-1992 को आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक संबंध विधान संबंधी द्विपक्षीय समिति, जिसके अध्यक्ष, श्री जी० रामानुजन थे, की सिफारिशों पर और आगे विचार करने के लिए केन्द्रीय कोयला तथा श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया जाए। श्रम मंत्रियों के इस दल ने 1 जून, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संशोधन से संबंधित कुछ विषयों पर विचार किया था। अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए श्रम मंत्रियों के इस दल की बैठक शीघ्र होगी।

परमाणु रिएक्टरों की स्थापना

*110. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितने परमाणु रिएक्टर अधिष्ठापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन नये रिएक्टरों से कितनी विद्युत का उत्पादन होने की आशा है?

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): (क) और (ख) आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परमाणु विद्युत रिएक्टरों के पांच नए यूनिट; ककरापार-I तथा II, कैगा-I तथा II और राजस्थान-III जिनकी प्रत्येक की विद्युत क्षमता 220 मेगावाट और कुल स्थापित क्षमता 1100 मेगावाट है, काम करने लगेंगे।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की डीलरशिप अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को देना

*111. श्री मृत्युन्जय नायक:
श्री बारे लाल जाटव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूशनशिप के मामले में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की संभावना है और ऐसा आरक्षण कब तक दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क), (ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र में अब तक खाना पकाने की गैस सहित उर्वरक तथा पैट्रोलियम उत्पादों में 25 प्रतिशत डीलरशिप तथा डिस्ट्रीब्यूशनशिप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित हैं। भारी उदयोग विभाग इस समय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई अन्य डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूशनशिप के आरक्षण की जांच करने की कार्रवाई कर रहा है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

*112. **प्रो० रीता वर्मा:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान एक राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोग का गठन कब तक किये जाने की सम्भावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

*114. **श्री प्रबीन डेका:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से असम के चाय बागानों के मजदूरों के मामले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) असम के चाय बागान श्रमिकों पर असम चाय बागान भविष्य निधि (और पैंशन निधि) तथा जमा संबद्ध बीमा निधि) योजना अधिनियम, 1955, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति असुविधा अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू होते हैं। असम

चाय बागान भविष्य निधि (और पैंशन निधि) (तथा जमा संबद्ध बीमा निधि) योजना अधिनियम में और आगे संशोधन करने का असम सरकार का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत आने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 1600 /- रु० से बढ़ाकर 3500 /- रु० प्रति माह करना तथा अधिनियम के उपबंधों को चाय निर्माण करने वाले उस प्रत्येक चाय कारखाने पर लागू करना है जिसमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

[हिन्दी]

बेरोज़गार व्यक्ति

*115. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री रतिलाल वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) क्या 1991-92 में, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने के लिए नयी योजनाएं शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोज़गार देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (च) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोज़गार हों, की संख्या 363 लाख थी। 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में व्यक्तियों की संख्या में 31 दिसम्बर, 1990 के तत्संबंधी आंकड़ों की तुलना में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि मुख्यतः इस कारण से है कि पंजीकरण नियुक्तियों से अधिक है।

10 वर्ष की अवधि में लगभग पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास प्रक्रिया के माध्यम से रोज़गार अवसरों के तीव्र विस्तार की नीति की परिकल्पना की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष औसतन 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय भंडार

*116. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भंडारों की स्थापना के उद्देश्यों एवम् इनके माध्यम से बेचे जाने वाली प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार में अनेक वस्तुओं के मूल्य उनके बाजार मूल्य से अधिक हैं;

(ग) क्या अनेक संसद सदस्यों ने केन्द्रीय भंडारों में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): (क) से (घ) केन्द्रीय भंडार की स्थापना अपने ग्राहकों यानि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को उचित दामों पर जरूरी सामान व अन्य उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय भंडार ग्राहकों को जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं राशन, किराना सामान, उपभोक्ता वस्तुएं लेखन सामग्री तथा कार्यालय उपयोग में आने वाली सामग्री की बिक्री करता है।

2. जरूरी सामान की तुलनात्मक कीमतों को प्रति सप्ताह दिल्ली के प्रमुख हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है और जिनसे यह जाहिर होता है कि केन्द्रीय भंडार द्वारा बेचे गये सामान की कीमतें निरपवाद के रूप से बाजार मूल्यों से कम होती है।

3. संसद सदस्यों से समय समय पर संसदीय प्रश्न तथा अन्य पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनमें भंडारों की कार्य विधि तथा अन्य अनियमितताओं का जिक्र रहता है। ऐसी शिकायतों की उपयुक्त स्तर पर जांच की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसी शिकायतों की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:—

(i) भंडारों में प्रमुख स्थल पर मूल्य सूचियां प्रदर्शित की जाती हैं। जरूरी सामान की कीमतों को भी भंडार के बाहरी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय भंडार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भंडार की सभी शाखाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जांच का एक बिन्दु भंडारों द्वारा कीमतों की सूचियां प्रदर्शित करना भी है।

(iii) जरूरी सामान की कीमतें प्रति सप्ताह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही हैं।

(iv) सभी भंडारों में भंडार के कार्यकरण से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है।

(v) चरणबद्ध तरीके से ऐसी आल्फा न्यूमेरिक कैश रजिस्ट्रैक्स मशीनें लगायी जा रही हैं जो कैश-मीमो पर बेची गई सामग्री का पूरा ब्यौरा अर्थात् वस्तुओं का नाम, वजन/मात्रा कीमत तथा कुल राशि दर्शाएगीं।

हाल ही में किए गए अन्य मुख्य सुधारों में क्रय क्रियाविधियों का कारगर बनाया जाना, सामान की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण, भंडारों का क्रमबद्ध निरीक्षण तथा पैकट बंद सामान पर उचित लेबल लगाया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग को देय राजसहायता की बकाया राशि

117. श्री मंजय लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 के अंत में तथा मार्च, 1992 के अन्त में, अलग-अलग, उर्वरक उद्योग को देय राजसहायता की संचित बकाया राशि कितनी-कितनी है;

(ख) इस बकाया राशि के संचित होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसका उर्वरक उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (घ) उर्वरक एककों द्वारा

प्रस्तुत दावों के अनुसार दिसम्बर, 1991 के अन्त में संचित बकाया राजसहायता की देय राशि 461.50 करोड़ रु० और मार्च, 1992 के अन्त में 124.18 करोड़ रुपये थी।

निधियों की बाधाओं तथा एककों द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण दिसम्बर, 1991 के अन्त में बकाया राशियां देय थी। निधियों की बाधाओं के कारण मार्च, 1992 के अन्त में बकाया राशियां देय थी।

राजसहायता जारी करने में विलम्ब से सम्बन्धित एककों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई।

उपलब्ध बजटीय आवंटनों के अन्तर्गत राजसहायता के देय राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

निर्यात से प्राप्त आय से अपने लाभांश निर्गम को संतुलित करना

118. **श्री रवि राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी इस शर्त को तुरन्त वापस लेने की घोषणा की है कि विदेशी निवेशकों को निर्यात से प्राप्त आय द्वारा अपने लाभांश निर्गम को संतुलित करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने उपभोक्ता सामान क्षेत्र में विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर सभी विदेशी पूंजी निवेश अनुमोदनों में लाभांश संतुलन की शर्त को तुरन्त समाप्त करने का निर्णय किया है।

(ग) यह सरकार की निरन्तर आर्थिक उदारता के एक भाग के रूप में और देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयरों की सुजुकी को बिक्री

*119. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के कुछ शेयर हाल ही में जापान की सुजुकी कम्पनी को बेचे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये शेयर सुजुकी को किन मूल्यों पर बेचे गये हैं; और

(घ) मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयरों के मूल्य कैसे और किस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) और (ख) सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान को 20 जून, 1992 को 100 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 22,04,860 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे।

(ग) इन शेयरों को 269 रुपये प्रति शेयर की दर से सुजुकी मोटर कारपोरेशन को आवंटित किया गया था।

(घ) शेयरों का मूल्य मारुति उद्योग लिमिटेड (मा०उ०लि०) के निदेशक मंडल की बैठक में निर्धारित किया गया था और कम्पनी के शेयर धारकों की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था। इन बैठकों से पूर्व, सरकार ने पूंजी निर्गमों के नियंत्रक के दिशा निर्देशों के आधार पर, इस मूल्य को अनुमोदित कर दिया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण

*120. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "स्टैंडिंग कांफ्रेंस आॅफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज" ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी की बिक्री से प्राप्त धन से एक विशेष निधि बनाई जाये, जिससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में यदि कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है तो वह क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (घ) सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने 19.8.91 को आयोजित अपने निदेशक मण्डल की एक बैठक में सुझाया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, के बेचे गये सामान्य शेयरों से जुटाये गये धन का उपयोग, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्नवीयन, समुन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिये किया जाना चाहिये और बजटगत घाटे को पूरा करने के लिये उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। सरकार ने स्कोप का सुझाव नोट कर लिया है। वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 1992-93 के अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिये प्रस्तावित अंशदान हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की और बिक्री करके 1,000 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं जिनका उपयोग आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रभावित हुये कामगारों के पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन तथा पुनर्वास आदि के लिये किया जायेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के आबंटन हेतु मानदण्ड

*121. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम":**
श्री फूलचन्द् वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिल्ली में उचित दर की दुकानों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुकानों के आबंटन के लिए क्या-क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या दिल्ली में इनका आबंटन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ङ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 3546 उचित दर की दुकानें हैं (30.6.92 की स्थिति)। इन्हें पर्याप्त समझा जाता है, लेकिन जब कभी किसी क्षेत्र के लिए जरूरी समझा जाता है तो वहां नई दुकान खोल दी जाती है।

2. नई/रिक्त दुकानों के आबंटन के लिए एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है। आवेदकों के लिए पात्रता के निम्नांकित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:—

(1) जिस क्षेत्र में रिक्त अधिसूचित की गई है वहां एक उपयुक्त परिसर आवेदक के वैध कब्जे में होना चाहिए;

(2) उक्त परिसर केन्द्रीय स्थान में होना चाहिए, वहां तक भारी वाहनों के आने-जाने का मार्ग होना चाहिए, वह एक निश्चित न्यूनतम क्षेत्र का होना चाहिए, उसका केवल एक दरवाजा होना चाहिए तथा उसके बगल में कोई आटा चक्की नहीं होनी चाहिए;

(3) आवेदक की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वह उचित तौर पर शिक्षित होना चाहिए तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडित नहीं होना चाहिए। उसके पास अपने नाम पर खाद्यान्न/खाद्य तेल बेचने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही वह किसी रद्द की गई उचित दर की दुकान/मिट्टी के तेल के डिपो का अथवा किसी अन्य उचित दर की दुकान/कोयले/मिट्टी के तेल के डिपो का हिस्सेदार/मालिक नहीं होना चाहिए;

(4) बाकी बातें समान रहते हुए शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, सरकारी समितियों तथा बेरोजगार स्नातकों को तरजीह दी जाती है।

3. दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में इन मानदण्डों के अनुसार उचित दर की दुकानें आवंटित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

1064. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से जून, 1992 के दौरान कितना औद्योगिक विकास और निर्यात रिकार्ड किया गया और पिछले वर्ष की जुलाई से दिसम्बर, 1991 तथा जनवरी, 1991 से जून, 1991 में यह कितना-कितना था;

(ख) किन-किन उद्योग क्षेत्रों में विकास नकारात्मक रहा और किन-किन में सकारात्मक;

(ग) औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में यदि नकारात्मक विकास हुआ हो तो उसके क्षेत्रवार मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं (मार्च, 1992 तक नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं)।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारणों में कड़े आयात प्रतिबंध, महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी तथा ऋण दबाव शामिल है।

(घ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

1. 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति का कार्यान्वयन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के पर्याप्त विनियमनों को समाप्त करने तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

2. जुलाई, 1991 में लागू की गई व्यापार नीति में परिवर्तनों का कार्यान्वयन। नयी निर्यात और आयात नीति, 1992—97 में मदों की एक छोटी नकारात्मक सूची के अतिरिक्त आयात लाइसेंसीकरण समाप्त करने का प्रावधान है।

3. केन्द्रीय बजट, 1992-93 में करों में कमी, सांविधिक रोकड़ अनुपात, ब्याज दरों में कमी इत्यादि जैसी पहल की गई है।

विवरण 1

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की विकास दरें

(आधार: 1980-81=100)

कोड ग्रुप	औद्योगिक समूह	भार	% परिवर्तन		
			अप्रै०-जून 1991/ 1990	जुलाई-दिस० 1991/ 1990	अप्रै०-मार्च 1991-92/ 1990-91
20.21	खाद्य उत्पाद	5.327	5.1	1.8	2.0
22.	बिवरेज, तम्बाकू और उत्पाद	1.571	8.3	8.0	-12.9
23.	सूती कपड़ा	12.309	6.9	1.2	-0.2
25.	जूट, हैम्प और मेस्टा कपड़ा	1.999	-4.1	2.9	-3.2
26.	कपड़ा उत्पाद	0.817	-18.3	-6.4	-12.6
27.	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर तथा फिक्सचर	0.448	6.9	-4.4	-19.7
28.	कागज और कागज उत्पाद	3.235	9.8	4.2	-0.3
29.	चमड़ा और फर उत्पाद	0.489	-1.1	-6.6	-11.0
30.	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला	4.000	-4.3	1.8	0.0
31.	रसायन और रसायन उत्पाद	12.513	-0.7	0.8	6.0
32.	गैर धात्विक खनिज	2.999	1.5	8.7	3.5
33.	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	9.802	11.5	5.2	-0.5
34.	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे	2.288	-7.7	-7.2	-6.1
35.	मशीनरी, मशीनी औजार और हिस्से पुर्जे	6.240	2.0	-6.7	-5.8
36.	वैद्युत मशीनरी	5.779	-2.2	-13.0	2.6
37.	परिवहन उपकरण और हिस्से पुर्जे	6.386	-4.1	-4.2	-2.8
38.	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	0.905	-15.5	-15.9	-10.5
प्रभाग 2-3	विनिर्माणकारी	77.107	1.0	-2.3	0.6
प्रभाग 1	खनन और उत्खनन	11.464	3.8	2.2	2.5
प्रभाग 4	बिजली	11.429	8.2	10.1	6.9
	कुल सूचकांक	100.000	2.2	-0.2	1.6

विवरण 2

भारत से प्रमुख वस्तुओं के निर्यात की प्रतिशत विकास दर

		जनवरी से जून 1991/1990	जुलाई से दिसम्बर 1991/1992	जनवरी से मार्च 1992/1991
1.	वृक्षारोपण फसलें	-11.87	-9.40	53.86
2.	कृषि तथा संबंधित उत्पाद	29.85	58.64	65.01
3.	समुद्री उत्पाद	30.44	48.03	26.10

		जनवरी से जून 1991/1990	जुलाई से दिसम्बर 1991/1992	जनवरी से मार्च 1992/1991
4.	अयस्क तथा खनिज	24.17	39.59	23.87
5.	चमड़ा तथा विनिर्माण	8.78	29.25	17.73
6.	मणि तथा जवाहरात	6.37	47.04	20.89
7.	खेल का सामान	13.21	9.58	27.16
8.	रसायन तथा संबंधित उत्पाद	23.25	61.51	53.34
9.	इंजीनियरी सामान	4.85	33.85	54.37
10.	इलैक्ट्रानिक तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर	-25.91	92.34	150.69
11.	परियोजना वस्तुएं	-3.18	-77.91	-55.93
12.	कपड़ा	22.57	39.17	32.76
13.	हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं	-13.88	26.18	76.10
14.	कालीन	21.02	60.52	89.79
15.	पेट्रोलियम, क्रूड तथा उत्पाद	7.06	-9.81	58.03
16.	अन्य निर्यात वस्तुएं	-30.59	11.07	15.23
17.	कुल योग	11.95	38.04	39.88

[हिन्दी]

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का भारत दौरा

1065. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को भारत आने का निमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आमंत्रण पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी भारत कब तक आने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया): (क) और (ख) पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को भारत आने के लिए आमन्त्रित किए जाने का प्रस्ताव पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को दे दिया गया था तथापि, पाकिस्तान की सरकार से कोई अधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कथित लापरवाही बरतना

1066. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 1985 में दिल्ली में "ओलियम गैस" के रिसाव के लिए लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति देने का मामला और प्रबन्धन के विरुद्ध कार्यवाही किस चरण में है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी हां,

(ख) दिसम्बर, 1985 में मै॰ श्रीराम फूड एण्ड फर्टिजाइजर्स इण्डस्ट्रीज (एसएफएफआई) में ओलियम के

रिसाव से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन दावों की सुनवाई और निर्णय के लिए विशेष न्यायालय के रूप में श्री आर० सी० चोपड़ा, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली को सौंपा गया था।

6.7.92 को एकत्र की गई जानकारी के अनुसार अदालत को 4741 दावे प्राप्त हुए हैं जिन में से 3897 दावे निपटा दिए गए हैं और मे० एसएफएफआई, नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय बीमा कंपनी द्वारा लगभग 50 लाख रुपए की राशि अदा की गई है।

शेष 644 दावों पर उक्त अदालत कार्रवाई कर रही है और 31.12.1992 तक इन दावों पर निर्णय ले लिये जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाएं

1067. श्री सनत कुमार मंडल: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिये विकास परियोजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यांवयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई परियोजना योजना आयोग में निवेश मंजूरी के लिये लंबित नहीं है।

दिल्ली में राशन कार्ड

1068. श्री मदन लाल खुराना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की जनसंख्या से अधिक लोग राशन ले रहे हैं;

(2) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रसोई गैस कनेक्शन, पासपोर्ट, टेलीफोन इत्यादि के संबंध में पहचान के प्रयोजनार्थ राशन कार्ड की आवश्यकता होती है;

(घ) यदि हां, तो राशन कार्यालयों द्वारा एक ही परिसर में रहने वाले पुत्रों/पुत्रियों के नामों से अलग-अलग राशन कार्ड न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की आबादी 93,70,475 थी और 31.5.92 को राशन कार्डों में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या लगभग 126 लाख थी।

(ग) रसोई गैस कनैक्शन, पासपोर्ट, टेलीफोन प्राप्त करने के लिये संबंधित एजेंसियों द्वारा निवास का सबूत मांगा जाता है। पासपोर्ट जारी करने के लिये किये जाने वाले आवेदनों के मामले में, आवेदक को अपने निवास का सबूत देने के लिये राशन कार्ड की एक प्रतिसंलग्न करनी होती है।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन, राशन कार्ड मूलतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विनिर्दिष्ट खाद्य

वस्तुएं तथा अन्य वस्तुयें प्राप्त करने के लिये जारी करता है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पुत्रों/पुत्रियों के नाम से कार्डों के विभाजन की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि उनकी रसोइयां अलग हों।

गोवा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1069. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा के सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कितने-कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम का उत्पादन, कारोबार तथा निर्यात कितना रहा; और

(घ) इन उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम के भावी विकास / विस्तार की योजनायें क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (ग) 31.3.1991 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल एक उपक्रम नामशः गोवा शिपयार्ड लि० गोवा में अवस्थित था। गत तीन वर्षों के दौरान इस उपक्रम द्वारा कमाये गये शुद्ध लाभ, उठाई गई हानि, उत्पादन का मूल्य, कुल बिक्री, निर्यात तथा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

	1990-91	1989-90	1988-89
शुद्ध लाभ/हानि	757	542	304
उत्पादन का मूल्य	6882	5343	3931
कुल बिक्री	4763	1263	2303
सेवाओं का निर्यात	4	—	—
कर्मचारियों की संख्या (अनियत कर्मचारियों को छोड़कर)	2287	2242	2237

(घ) मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार / आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा साधनों की उपलब्धता पर आधारित होते हैं।

लघु एककों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण

1070. **श्रीमती दिल्ल कुमारी भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लघु औद्योगिक एककों की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु कुछ निवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लघु औद्योगिक एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु कोई सुझाव भी प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन निवेदनों/सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ग) सरकार को कार्यविधि सरल बनाने, लघु उद्योग एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने सहित लघु उद्योगों से संबंधित मामलों पर विभिन्न वाणिज्य मंडलों, लघु उद्योग ऐसोसियएशनों तथा अन्य से समय-समय पर सुझाव/अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) और (घ) सुझावों में पंजीकरण कार्यविधि, श्रमिक कानूनों, ऋण सुविधाओं, नीति संबंधी उपायों आदि को सरल बनाना शामिल है।

(ङ) निर्णय लेते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिंदी]

बिहार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश

1071. **श्री लाल बाबू राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अप्रैल, 1992 तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया था;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम का वार्षिक उत्पादन/घाटा/मुनाफा कितना-कितना है और प्रत्येक में कार्यरत कामगारों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) बिहार में उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार अपना निवेश बढ़ाना चाहती है तथा कौन-कौन सी केन्द्रीय परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन हैं और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) केवल 31.3.91 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 15 उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित हैं। 31.3.1991 तक इन उद्यमों में सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में किया गया पूंजीनिवेश, उत्पादन मूल्य, शुद्ध लाभ/हानि तथा कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

(ग) नई परियोजनाओं में पूंजीनिवेश अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार आधुनिकीकरण उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अधीन निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खंड-I (पृष्ठ संख्या 55) में दिया गया है जिसे 5.3.1992 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31.3.1991 तक सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में पूंजी निवेश	उत्पादन मूल्य	शुद्ध लाभ/हानि	कर्मचारियों की संख्या
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	206454	139373	(-) 9627	167423
2.	भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	9850	4268	(-) 1159	3195
3.	भारत वैगन एंड इंजी॰ कं॰ लिमिटेड	1519	2171	79	2037
4.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	136982	118383	526	98789
5.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन अनुसंधान संस्थान	1904	6620	147	4284
6.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	23612	10537	(-) 5387	991
7.	फैरो क्रोम निगम लिमिटेड	539	3006	569	845
8.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	46253	24875	(-) 9951	18824
9.	इंडियन फायर ब्रिक्स एंड इंसुलेशन कं॰ लिमिटेड	1436	2026	(-) 87	1235
10.	मैटलर्जिकल एंड इर्जी॰ कंसट्रक्शन (इंडिया) लि॰	202	10451	37	3817
11.	माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन	2036	1838	(-) 492	1407
12.	प्रोजक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	6587	4633	(-) 1786	3274
13.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	10222	27965	20	2703
14.	रांची अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड	170	49	(-) 5	58
15.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6989	2881	143	3810

[अनुवाद]

उड़ीसा में रुग्ण एकक

1072. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में कितने बड़े, माझौले और छोटे औद्योगिक एकक रूग्ण हो गये हैं;

(ख) इनकी रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कार्यक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक इकट्ठे करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा राज्य में सितम्बर, 1990 के अन्त में लघु क्षेत्र में 6,505 और गैर-लघु क्षेत्र में 33 रूग्ण एकक थे।

(ख) बैंकों द्वारा बताये गये रुग्णता के प्रमुख कारण ये हैं: विपणन, तकनीकी, श्रमिक तथा उत्पादन समस्याएं, प्रबंधकीय कमियां, बिजली की कमी, मांग में गिरावट और प्राकृतिक विपत्तियां।

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिये सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देशय रुग्ण औद्योगिक कंपनियां की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरु कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिये एक पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिये संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य-स्तरीय अंतर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत् 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/- रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यंत छोटे लघु उद्योगों के लिये शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

दिनांक 15 जुलाई, 1992 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर स्वीकृति हेतु परियोजनायें

1073. श्री मोहन रावले: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं की क्षेत्रवार तथा राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कार हैं;

(ग) इन परियोजनाओं, विशेषतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के संबंध में, को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना आयोग के पास लंबित परियोजनाओं की सूची

क्र॰ सं॰	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	विलम्ब के कारण
(क)	विद्युत		
1.	माहेश्वर जल परियोजनाएं	मध्य प्रदेश	इसमें कोई देरी नहीं है। योजना आयोग को परियोजना 30-6-1992 को प्राप्त हुई है।
(ख)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		
1.	8 से 13 कि॰ मी॰ तक रिटायरमेंट का निर्माण/ब्रह्मपुत्र नहर के भूरागाम रिटायरमेंट का विस्तार	असम	कोई देरी नहीं। राज्य सरकार से और जानकारी मांगी गई है।
2.	ब्रह्मपुत्र नहर ने रिटायरमेंट का निर्माण भोजाई खाती से सोनरीगांव रिटायरमेंट तक, ब्रह्मपुत्र नहर के 2.99 कि॰ मी॰ से सोनरीगांव रिटायरमेंट के 1.16 कि॰ मी॰ तक	-तदेव-	-तदेव-
3.	भोजाखाटी रिटायरमेंट के 5.70 कि॰ मी॰ से धींग से जैतियाबाड़ी के 12 कि॰ मी॰ तक रिटायरमेंट का निर्माण	-तदेव-	-तदेव-
4.	मुक्तेश्वर सिंचाई परियोजना	गुजरात	राज्य सरकार के परामर्श से प्रगति की जांच
5.	करंजा	कर्नाटक	-तदेव-
6.	देवगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	-तदेव-
7.	अनाईमदयू जलाशय परियोजना	तमिलनाडु	-तदेव-
8.	ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण परियोजना	उत्तर प्रदेश	कोई विलंब नहीं
9.	पठराई	-तदेव-	-तदेव-

परियोजनाओं का अनुमोदन टीका-टिप्पणियों का अनुपालन कर रही राज्य सरकारों पर निर्भर है।

[हिंदी]

पासपोर्ट बनाना

1074. श्री यशवन्तराव पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारसी पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई में बिना एजेंटों की सहायता के पासपोर्ट नहीं बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्राम्य उद्योग की समस्याएं

1075. **श्रीमती वसुन्धरा राजे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम्य उद्योगों के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं है;

(ख) क्या सरकार ग्राम्य उद्योगों के विकास हेतु उत्तरदायी अवरोधों को दूर करने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्राम्य उद्योगों के विकास के लिए अब तक क्या योजनाएं प्रायोजित की गई हैं अथवा क्या प्रोत्साहन दिये गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। किन्तु केन्द्र सरकार कम ब्याज दर और आसानी से वित्त उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने, दुर्लभ और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रावधान में सहायता करने तथा अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने जैसे उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मुदद करती है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का छितराव करने और लघु उद्यमियों को सभी सेवाओं तथा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं देने हेतु 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गये हैं। जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण विकास में संलग्न अधिकरणों के साथ निकट सम्पर्क सुनिश्चित करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार का विचार, ग्रामीण उद्योगों के विकास पर अधिक से अधिक जोर देना है। ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बढ़ा हुआ बैंक वित्त उपलब्ध कराने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में संशोधन करना

1076. **श्री राम टहल चौधरी:**

श्री अर्जुन सिंह यादव:

श्री एन० डेनिस:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित नीति तथा पूर्व नीति के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकायें मार्च, 1991 में संशोधित की गई थीं।

(ख) संशोधित मार्गदर्शिकाओं में स्वास्थ्य शिक्षा, जन-जागरूकता शिविरों के आयोजन, उत्प्रेरकों राजगीरों आदि के प्रशिक्षण के जरिये व्यक्तिगत परिवारिक स्वच्छ शौचालयों के लिये आवश्यकता सृजित करने की व्यवस्था है। इस प्रयोजनार्थ कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के 10% को ऐसी गतिविधियों के लिये इस्तेमाल किए जाने की अनुमति है जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार घटकों पर होने वाला खर्च भी शामिल है। 5 प्रतिशत निधियों को प्रशासनिक लागत, स्वच्छता सैल आदि पर इस्तेमाल करने की अनुमति है। स्थानीय लोगों/लाभार्थियों/पंचायतों की भागीदारी पर बल दिया गया है। योजना में लाभार्थी के अंशदान की भी व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में अंशदान नकद, अथवा वस्तु अथवा मजदूरी के रूप में हो सकता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मैचिंग अंशदान को भी कम कर दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित राज्यवार तथा वर्षवार निधियां तथा लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-1 तथा 2 में दर्शाया गया है।

विवरण-1

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए आवंटन		
		1989-90	1990-91 (लाख रुपये में)	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	102.60	102.60	205.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.09	3.09	6.15
3.	असम	37.20	37.20	71.13
4.	बिहार	181.35	181.35	362.73
5.	गोआ	1.47	1.47	5.00
6.	गुजरात	49.80	49.80	99.54
7.	हरियाणा	16.95	16.95	33.99
8.	हिमाचल प्रदेश	16.35	16.35	33.03
9.	जम्मू व कश्मीर	20.10	20.10	40.41
10.	कर्नाटक	81.90	81.90	164.13
11.	केरल	73.95	73.95	148.44
12.	मध्य प्रदेश	121.20	121.20	242.64
13.	महाराष्ट्र	131.85	131.85	264.18
14.	मणिपुर	4.20	4.20	8.49
15.	मेघालय	5.40	5.40	10.80
16.	मिजोरम	1.95	1.95	5.00
17.	नागालैंड	3.90	3.90	7.74
18.	उड़ीसा	63.00	63.00	126.06

विवरण-1

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए आबंटन		
		1989-90	1990-91 (लाख रुपये में)	1991-92
19.	पंजाब	18.45	18.45	36.90
20.	राजस्थान	66.60	66.60	133.02
21.	सिक्किम	1.65	1.65	5.00
22.	तमिलनाडु	111.15	111.15	222.90
23.	त्रिपुरा	8.25	8.25	16.56
24.	उत्तर प्रदेश	265.05	265.05	530.40
25.	पश्चिम बंगाल	109.35	109.35	218.67
26.	अंडमान व निकोबार	0.30	0.30	5.00
27.	चंडीगढ़	0.03	0.03	5.00
28.	दादरा व नागर हवेली	0.75	0.75	5.00
29.	दिल्ली	0.63	0.63	5.00
30.	लक्षद्वीप	0.30	0.30	5.00
31.	पांडिचेरी	1.20	1.20	5.00
32.	दमन व द्वीव	0.03	0.03	5.00
	कुल:	1500.00	1500.00*	3033.05**

* आर्थिक कटौती की वजह से कम करके 5 करोड़ रुपये कर दिये गये।

**आर्थिक कटौती की वजह से कम करके 3.99 करोड़ रुपये कर दिये गये।

विवरण-2

स्वच्छ शौचालयों की संख्या

क्र॰सं॰	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि 1989-90	लक्ष्य	उपलब्धि 1990-91	लक्ष्य	उपलब्धि 1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	1176	1590	2565	58	10257	असूचित
2.	अरूणाचल प्रदेश	43	40	78	असूचित	308	असूचित
3.	असम	1557	असूचित	930	असूचित	3557	असूचित
4.	बिहार	2509	48	4534	1355	18137	असूचित
5.	गोआ	21	असूचित	37	366	250	असूचित
6.	गुजरात	502	असूचित	1245	असूचित	4977	असूचित
7.	हरियाणा	173	889	[illegible]	300	1700	असूचित
8.	हिमाचल प्रदेश	23[illegible]	658	409	41	1652	असूचित
9.	जम्मू व कश्मीर	278	असूचित	503	असूचित	2021	असूचित
10.	कर्नाटक	1133	807	2048	106	8207	152
11.	केरल	1023	73	1849	असूचित	7422	असूचित
12.	मध्य प्रदेश	882	असूचित	3030	असूचित	12132	असूचित
13.	महाराष्ट्र	1730	असूचित	3296	0	13209	असूचित
14.	मणिपुर	43	727	105	55	425	32
15.	मेघालय	75	1140	135	0	540	0
16.	मिजोरम	27	0	49	0	250	0
17.	नागालैंड	54	असूचित	98	असूचित	387	असूचित

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि 1989-90	लक्ष्य	उपलब्धि 1990-91	लक्ष्य	उपलब्धि 1991-92
18.	उड़ीसा	872	966	1575	1532	6303	1169
19.	पंजाब	213	0	461	असूचित	1845	660
20.	राजस्थान	1453	5659	1665	असूचित	6651	असूचित
21.	सिक्किम	274	1000	41	0	250	1205
22.	तमिलनाडु	1211	7456	2779	11409	11145	असूचित
23.	त्रिपुरा	329	0	206	0	828	0
24.	उत्तर प्रदेश	3526	6058	6626	5411	26520	2678
25.	पश्चिम बंगाल	1513	0	2734	1237	10934	असूचित
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4	0	8	असूचित	250	असूचित
27.	चंडीगढ़	0	असूचित	1	असूचित	250	असूचित
28.	दादरा व नागर हवेली	10	0	19	असूचित	250	125
29.	दिल्ली	9	0	16	असूचित	250	असूचित
30.	लक्षद्वीप	86	64	8	असूचित	250	असूचित
31.	पांडिचेरी	121	759	30	असूचित	250	असूचित
32.	दमन और द्वीव	0	असूचित	1	असूचित	250	असूचित
	योग:	21082	27934	37500	21870	151657	6021

उपलब्धि में कमी मुख्यतः निधियां रिलीज न किए जाने/कम निधियां रिलीज करने (अर्थात् 1989-90 में "शुन्य", 1990-91 में 5 करोड़ और 1991-92 में "शुन्य" की वजह से हुई है। 1989-90 में उपलब्धि पिछले वर्षों की शेष बची निधियों से हो सकी थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1077. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में राजभाषा नीति के अनुपालन में सभी समझौतों, ठेकों और निविदाओं आदि में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति के उपचार के लिए इस संबंध में क्या प्रयास किये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) एन० एफ० एल० में निविदा सूचनाओं और खरीद आदेशों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तथापि संविदाओं और करारों के लिए सामान्यतया हिन्दी का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश करार/संविदाएं तकनीकी किस्म के तथा वृहदाकार होते हैं तथा उन्हें अक्सर तत्काल पूर्ण करना होता है। मानक संविदा प्रपत्रों तथा करारों/संविदाओं के मानक शर्तों/अनुच्छेदों के हिन्दी अनुवाद के माध्यम से स्थिति में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सभी करारों/संविदाओं की देख-रेख करने के लिए कम्पनी द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं। कम्पनी ने अपने सभी कार्यालयों/एककों को संविदा तथा करार सम्पन्न करते समय हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में राजभाषा नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए भी लिखा है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उद्योग लगाना

1078. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित/संचालित उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन जिलों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) उत्तर परदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में के० वी० आई० सी० के तहत निम्नलिखित उद्योग कार्यान्वित किये गये हैं:—

1. खादी (ऊनी)

ग्रामोद्योग

1. अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण
2. कुटीर चमड़ा उद्योग
3. कुटीर साबुन उद्योग
4. मधुमक्खी पालन
5. कुटीर मिट्टी बर्तन उद्योग
6. फाइबर—नारियल जटा को छोड़कर
7. बढ़ईगिरी तथा लुहारगिरी
8. चूना पत्थर चूना और अन्य चूना उत्पाद उद्योग
9. गोंद तथा राल विनिर्माण
10. बॉस तथा बेंत कार्य

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन जिलों में उत्तर प्रदेश राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और सीधे सहायता प्राप्त पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के विकास में सक्रिय रूप से लगा है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चमोली जिले में विभागीय कार्य कलाप भी हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पर्वतीय सीमाग्रस्त क्षेत्रों, जनजाति तथा कमजोर वर्ग के क्षेत्रों के लिए निर्धारित उदार सहायता पैटर्न के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की आवश्यतकाओं को पूरा करने के लिए के० वी० आई० सी०, के हल्द्वानी और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पिथोरागढ़ और ऋषिकेश में उप कार्यालय हैं। के० वी० आई० सी० का पौड़ी में मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी में मधुमक्खी पालन का क्षेत्रीय कार्यालय है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग जिलेवार उत्पादन और रोजगार से संबंधित आंकड़े नहीं रखता।

गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1079. **डा० खुशीराम हूंगरोमल जेस्वाणी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) आज तक प्रत्येक उपक्रम में कितना निवेश किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम द्वारा प्रतिवर्ष कितना लाभ कमाया गया तथा घाटा उठाया गया?

(उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (ग) केवल 31.3.1991 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थित है। 31.3.1991 तक सामान्य शेयरों और ऋणों के रुप में किया गया कुल पूंजीनिवेश तथा गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक उपक्रम का शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रुप में किया गया पूंजीनिवेश	शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपयों में)		
			1990-91	1989-90	1988-90
1.	इंडियन पैट्रो-केमिकल्स लि०	140168	5725	8124	8956
2.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०	20980	(-)2195	(-)2788	(-)3950

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय संगठन

1080. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कितने राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है; और

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की महासभा के कितने सदस्य होते हैं और सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करने और परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान" की स्थापना की है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की कोई महासभा नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की सामान्य परिषद के 47 सदस्य हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की सामान्य परिषद के सदस्यों का नामांकन/नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के नियमों के अनुसार मंत्रालय द्वारा की जाती है।

सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किये गये बीड़ी मजदूर

1081. **श्री विजय कुमार यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान सामूहिक बीमा योजना और भविष्य निधि योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितने बीड़ी मजदूर शामिल किये गये हैं;

(ख) सभी बीड़ी मजदूरों को यह लाभ प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) तत्संबंधी कानून के उपबंधों का पालन न करने वाले बीड़ी कारखानों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) गत दो वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किए गये बीड़ी कर्मकारों की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गयी है।

बीड़ी कर्मकारों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना 1.4.1992 से आरम्भ की गयी है। इस योजना में उन बीड़ी कर्मकारों को शामिल किया जायेगा, जिनके पास पहचान पत्र हैं तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाता नहीं हैं।

(ग) उन नियोक्ताओं के विरुद्ध कठोर दण्डित कार्रवाई की जाती है, जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत लाभ देने में असफल रहते हैं अथवा अन्य कोई उल्लंघन करते हैं।

विवरण

क्षेत्र	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	223044	236932
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	628	642
बिहार	2849	2849
दिल्ली	—	—
गुजरात	418	418
हरियाणा	—	—
कर्नाटक	260629	253171
केरल	95435	99397
मध्य प्रदेश	80688	71618
महाराष्ट्र	94598	115896
उड़ीसा	5160	5160
पंजाब	—	—
राजस्थान	6273	7109
तमिलनाडु	237979	254925
उत्तर प्रदेश	1450	1450
पश्चिम बंगाल	30833	31833
जोड़	1044236	1086652

[अनुवाद]

केरल में विकास केन्द्र

1083. **श्री थाइल जॉन अजलोज:** क्या प्रधान मंत्री 28 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4754 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में, अल्लेपी और वायालार जिलों सहित, औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में इनमें से प्रत्येक केन्द्र को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में प्रत्येक केन्द्र के विकास हेतु कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) केरल सरकार से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तथा राज्य में भूमि अधिग्रहण करने की कठिनाइयों को देखते हुए उक्त राज्य को आबंटित दो विकास केन्द्रों का स्थान बदल कर अल्लेपी-पथनामिथिट्टा और कन्नूरकोझीकोड-मल्लपुरम् कर दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार कर रही है। केरल सरकार ने दो विकास केन्द्रों के लिए प्राथमिक रिपोर्ट भेजी थी जिसके आधार पर वर्ष 1991-92 के दौरान दोनों विकास केन्द्रों में से प्रत्येक के लिए 50 लाख रुपये दे दिये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दिये जाने के बाद ही विकास केन्द्रों में काम शुरू किया जाता है।

अन्तरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान

1084. **श्री वी० देवराजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग द्वारा किये गये वित्त पोषण से देश में अनेक विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संगठनों में अन्तरिक्ष विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) अपनी यूनिटों में अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदान करने के अतिरिक्त, अन्तरिक्ष विभाग (अ०वि०) रिस्पोंड (इसरो द्वारा प्रायोजित अनुसंधान) नामक कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में अन्तरिक्ष अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रिस्पोंड के अन्तर्गत प्रदत्त इस वित्तीय सहायता का लगभग एक तिहाई भाग अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में अन्वेषण से संबंधित परियोजनाओं के लिए होता है। शेष दो तिहाई भाग अन्तरिक्ष / प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। गत 10 वर्षों के दौरान अन्तरिक्ष विज्ञान के विविध क्षेत्रों में लगभग 80 परियोजनाओं को, सारे भारत में फैले 50

विश्वविद्यालयों/शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इन परियोजनाओं पर लगभग 3 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च की गई है।

रिस्पॉड के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी अनुसंधान गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

— मौसम पूर्वानुमान को महत्व देते हुए मौसमविज्ञानीय और क्षोभमंडलीय परिघटना।
— गतिकीय विकिरणी, रासायनिक और विद्युत गतिकीय विशिष्टीकरण सहित वायुमंडीलय प्रक्रियाएं।
— वायुमंडीलय प्रदूषण और सौर पराबैंगनी विकिरण सहित पृथ्वी के निकट का पर्यावरण।
— स्पेड-एफ, विषुवतीय इलेक्ट्रोजेट, प्लैज्मा अस्थिरता, आयनमंडल—चुम्बकमंडलीय अन्योन्यक्रियाओं इत्यादि सहित आयनमंडलीय परिघटना से सम्बद्ध अध्ययन।
— चुम्बकमंडीलय प्रक्रिया और भूचुम्बकीय क्षेत्र के परिवर्तन।
— आयन-आण्विक प्रतिक्रिया और संघट्टन भौतिकी पर सैद्धांतिक अन्वेषण।
— एयरोसोल संदूषण के कारण होने वाले प्रभावों सहित पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण और इसके परिवर्तन।
— सौर और तारकीय प्रकाशिकी खगोलविज्ञान।
— ऊटी रेडियो दूरबीन का प्रयोग करते हुए रेडियो खगोलविज्ञान।
— समन्वित प्रकाशिकी पर्यवेक्षणों के माध्यम से हेली के धूमकेतु का अध्ययन।
— खगोल भौतिकीय प्लेज्मा और कास्मिक विकास का अध्ययन।

अन्तरिक्ष विभाग के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालय और सरकारी विभाग भी अन्तरिक्ष अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं। इन एजेन्सियों के माध्यम से जिन प्रमुख संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वे इस प्रकार हैं—रमण अनुसंधान संस्थान (आर०आर०आई०), टाटा मूल अनुसंधान संस्थान (टी०आई०एफ०आर०) भारतीय भूचुम्बकीय संस्थान (आई०आई०जी०एम०), भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आई०आई०ए०), पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी०इ०एस०एस०) तथा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एन०पी०एल०) इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) भी, कलकत्ता, आंध्रा, कोचीन, ऊस्मानिया और अन्य विश्वविद्यालयों के उच्च अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अन्तरिक्ष अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करता है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को सहयोग

1085. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं, भारतीय उद्योगों और केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के अन्य विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया है; और

(ख) उन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (एजेंसियों) के नाम क्या हैं जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है तथा दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग देने में गहरी रूचि दिखाई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राजयमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) भारतीय अन्तरिक्ष

कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय उद्योगों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के नाम निम्न प्रकार हैं:

(I) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अन्य विभाग:

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई
3. भारतीय विज्ञान संस्थान
4. जादवपुर विश्वविद्यालय
5. एस०वी० विश्वविद्यालय
6. आन्ध्र विश्वविद्यालय
7. रूड़की विश्वविद्यालय
8. अन्ना विश्वविद्यालय
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
10. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान
11. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला
12. राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला
13. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
14. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
15. भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान
16. भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान
17. रमण अनुसंधान संस्थान
18. कृषि तथा सहकारिता विभाग, भारत सरकार
19. मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग आयोजना का राष्ट्रीय ब्यूरो
20. अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन
21. पूर्वोत्तर परिषद्
22. पर्यावरण तथा वन विभाग, भारत सरकार
23. भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग
24. केन्द्रीय जल आयोग
25. खान विभाग
26. भारतीय भूविज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग
27. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग
28. परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग
29. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
30. कोयला, खान, आयोजना तथा विकास संस्थान
31. राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान
32. महासागर विकास विभाग
33. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान
34. केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान
35. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
36. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
37. सर्वे ऑफ इण्डिया
38. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

39. केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
40. गुजरात इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
41. आन्ध्र प्रदेश राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
42. आसाम सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
43. बिहार सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
44. हरियाणा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
45. हिमाचल प्रदेश राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र
46. सुदूर संवेदन पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विकास विभाग, जम्मू तथा काश्मीर सरकार
47. कर्नाटक राज्य सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र
48. मध्य प्रदेश राय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद्
49. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
50. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य परिषद्, मणिपुर
51. मिज़ोरम राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
52. पंजाब सुदूर संवेदन केन्द्र
53. सिक्किम राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
54. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए त्रिपुरा राज्य परिषद्
55. उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
56. उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
57. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान
58. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
59. केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान
60. केन्द्रीय वैद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान
61. रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला
62. गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान
63. राजकीय टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कर्नाटक
64. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान के लिए सोसाइटी
65. दूरसंचार विभाग
66. भारत मौसम विज्ञानीय विभाग
67. आकाशवाणी
68. दूरदर्शन
69. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
70. विदेश संचार निगम लिमिटेड
71. जहाजरानी महानिदेशालय
72. राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण
73. नागर विमानन महानिदेशालय
74. भूतल परिवहन मंत्रालय
75. रेल मंत्रालय
76. शिक्षा विभाग
77. ग्रामीण विकास विभाग

78. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

(ii) भारतीय उद्योग:

1. ए०के० स्टील इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
2. एजेक्स इंजीनियरिंग, बेंगलूर
3. अलवर मेटल इंडस्ट्रीज, त्रिवेन्द्रम
4. एम्बियन्ट इलेक्ट्रोनिक्स, अहमदाबाद
5. एम्बिट्रोनिक्स, अहमदाबाद
6. एपलेब, ठाणे
7. अम्बिका इंजीनियरी वर्क्स, अहमदाबाद
8. आन्ध्र शूगर्स, तमाकू
9. एशियाटिक आक्सीजन, मद्रास
10. अतिशा इंजीनियर्स, बम्बई
11. आरो इंजीनियरिंग, पांडेचेरी
12. आटोमेटिक इलेक्ट्रीकल्स, ठाणे
13. आटोमेशन एण्ड प्रोसेस कंट्रोल, बम्बई
14. भारत फोर्ज, पूणे
15. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, हरिद्वार/हैदराबाद/बेंगलूर
16. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स, विशाखापतनम
17. भारत इलेक्ट्रोनिक्स, बेंगलूर
18. चारडा उद्योग, मद्रास
19. व्यावसायीकरण केन्द्र, हैदराबाद
20. डिलाईट इंजीनियरी प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
21. धातु निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर
22. डिजिट्रोनिक्स, पुणे
23. एचजेय इण्डस्ट्रीज, राजकोट
24. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद
25. इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण तथा विकास केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम
26. एलमैक इण्डस्ट्रीज, बड़ौदा
27. इलेक्ट्रीकल संविरचन वर्क्स, अहमदाबाद
28. इलेक्ट्रोक्विप (भारत), अहमदाबाद
29. इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, बम्बई
30. फैरोडाई, बम्बई
31. गांधी एण्ड एसोसिएट, बड़ौदा
32. गुजरात नर्मदा फर्टीलाइज़र कारपोरेशन, भड़ोच
33. गोदरेज एण्ड बॉयस, बम्बई
34. घनश्याम इंजीनियरी वर्क्स, अहमदाबाद
35. गोल्डन आयरन स्टील वर्क्स, नई दिल्ली
36. गुरूराजा इंजीनियरिंग वर्क्स, मेढ़क

37. हीटेक्स प्रोडेक्टस, ठाणे
38. हेरीज कंट्रोल्स, अहमदाबाद
39. हरीश इंजीनियरिंग वर्क्स, अहमदाबाद
40. हिन्द हाइवेक्यूम, बेंगलूर
41. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, लखनऊ
42. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, नासिक
43. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, एयरक्राफ्ट डिविजन, बेंगलूर
44. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, हैदराबाद
45. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बेंगलूर/कालामेसरी
46. आई॰वी॰पी॰ कम्पनी लिमिटेड, नासिक
47. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बेंगलूर
48. इंडोथर्म, ठाणे
49. इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, बम्बई
50. इन्टेल माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद
51. ज्योति, बड़ौदा
52. केरल आटो मोबाइल लिमिटेड, तिरूवन्तपुरम
53. कानन इण्डस्ट्रीज, क्यूलोन
54. केसको इण्डस्ट्रीज, पुणे
55. केल्ट्रोन, तिरूअनन्तपुरम
56. केरल हाईटिक इण्डस्ट्रीज, तिरूअनन्तपुरम
57. कृष्णा टेक्सटाइल अहमदाबाद
58. क्रिस्टील, बम्बई
59. लारसन एण्ड टूर्बो, बम्बई
60. लियोस मर्कनटाइल्स कारपोरेशन, मद्रास
61. मिश्र धातु निगम, हैदराबाद
62. एम॰सी॰वी॰ प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
63. मशीन टूल्स, एड्स एण्ड टींकडीशनर, हैदराबाद
64. मद्रास इण्डस्ट्रीयल लाइनिंग्स, मद्रास
65. मेघना एन्टरप्राइजेज़, अहमदाबाद
66. मैथर प्लेस्ट्ट इण्डिया, मद्रास
67. माडुलर सिस्टमस, पुणे
68. माइक्रोपैक, बेंगलूर
69. मार्डन एनप्रेवरस, बम्बई
70. मुकुन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बम्बई
71. नेशनल आर्गनिक एण्ड कैमीकल इण्डस्ट्रीज़, बम्बई
72. नवभारत मैटल इण्डस्ट्रीज़, कोचीन
73. ओ॰आर॰जी॰ सिस्टम, बड़ौदा
74. पदमाट्रोनिक्स, अहमदाबाद
75. पेटरनर्स, मद्रास

76. परमेली वालेव लिमिटेड, भोपाल
77. प्रभाकर प्रोडक्टस, मद्रास
78. प्रवीण रिइन्फोर्सड प्लास्टिक्स, नई दिल्ली
79. प्रयाग इलेक्ट्रीकल्स, बम्बई
80. प्रोसिक्विप इंजीनियर्स, अहमदाबाद
81. पी०वाई०एन० प्रिसिजन कम्पोनन्ट्स, फरीदाबाद
82. पाइरोमास्टर्स, मद्रास
83. रामाकृणा इंजीनियरिंग वर्क्स, श्री पैराम्बुर, तमिलनाडु
84. राइट्स, नई दिल्ली
85. रेडियोटेक, अहमदाबाद
86. रूपक एन्टरप्राइजिज, अहमदाबाद
87. रॉयल इंजीनियरिंग वर्क्स, गुजरात
88. सरस्वती डायनामिक्स, रूड़की
89. शक्ति इण्डस्ट्रीज़, गुजरात
90. शिवांग एन्टरप्राईजिज, अहमदाबाद
91. सीता इलेक्ट्रोनिक्स, हैदराबाद
92. सिडको टूल्स, क्यूलोन
93. शिवा वासु इलेक्टोनिक्स वर्क्स, तिरूअनन्तपुरम
94. एस०एम०पी० एन्टरप्राईजिज, पुणे
95. श्रीराम इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज़, हैदराबाद
96. श्रीवेंकटेश्वरा इण्डस्ट्रीज, कोयम्बटूर
97. सुपर इण्डक्टो कांस्टिंग्स, हैदराबाद
98. सूरज मैटल, मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, अहमदाबाद
99. टेनसी टूलरूम
100. यूनाइटेड सिस्टमस इंजीनियर्स, होसुर
101. वैक्यूम इन्सटुमेन्टस, नई दिल्ली
102. विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, बेंगलूर
103. वी०पी० पोलिगन
104. वलकान लेबल, बम्बई
105. वालचन्द नगर इण्डस्ट्रीज़, वालचन्द नगर
106. वेडको प्रोडक्टस, अहमदाबाद
107. वेलवोर इण्डस्ट्रीज़, अहमदाबाद

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (एजेंसियों), जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है तथा दीर्घकालीन तकनीकी सहयोग देने में गहरी रूचि दिखाई है, उनके नाम निम्न प्रकार हैः

1. अरबसैट संगठन
2. सेंटर नेशनल डी "एप्यूड्स स्पेशियल्स" (फ्रांस)
3. कास्पॉस-सारसैट सिस्टम
4. यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी

5. जर्मन अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन
6. अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
7. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन
8. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती उपग्रह (इन्मारसैट)
9. राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा)
10. अन्तरिक्ष आवृति समन्वय ग्रुप
11. राष्ट्रमण्डल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन, आस्ट्रेलिया
12. अन्तर्राष्ट्रीय खगोलिकी फेडरेशन
13. अन्तरिक्ष क्रियाकलापों का स्वीडिश बोर्ड
14. रूसी विज्ञान अकादमी
15. वैज्ञानिक संघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् (आई०सी०एस०यू०) की अन्तरिक्ष अनुसंधान पर समिति (कोस्पार)
16. संयुक्त राष्ट्र संघ

भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र बनाने की परियोजना

1086. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग योजना आयोग के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु भूमि उपयोग/भूमि क्षेत्र मानचित्रण संबंधी राष्ट्रव्यापी परियोजना शुरू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग (अ०वि०) ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों, आई०आर०एस०-1ए और आई०आर०एस० 1बी से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भूमिउपयोग/भूआवरण मानचित्रण पर एक प्रमुख परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश के लिए भूमि उपयोग की श्रेणियों के स्थानिक वितरण तथा क्षेत्रीय विस्तार की वर्तमान स्थिति पर सूचना प्रदान करना है। यह परियोजना परिवर्तनात्मक भूमि उपयोगों जैसे प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम में पैदावार वाले क्षेत्रों के मामले में होने वाले परिवर्तनों की दर और पद्धति के आंकलन पर भी विचार करेगी। यह सूचना देश के सभी 15 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए जोनल रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करेगी। इस परियोजना का संचालन भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एस०ओ०आई०) राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन (एन०ए०टी०एम०ओ०), मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजना का राष्ट्रीय ब्यूरो (एन०बी०एस०एस० एण्ड एल०यू०पी०), अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (ए०आई०एस० एण्ड एल०यू०एस०), राज्य सरकारों के राज्य राजस्व विभागों और भूमि उपयोग बोर्डों तथा राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्रों (आर०एस०ए०सी०एस०) के सहयोग से किया जा रहा है। अन्तरिक्ष विभाग के राटरीय सुदूर संवेदन एजेन्सी (एन०आर०एस०ए०), अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (एस०ए०सी०) और क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र (आर०आर०एस०एस०सी०) आंकड़ा विश्लेषण, अर्थ-निर्वचन और समन्वय के लिए अग्रणी केन्द्र हैं।

अब तक 407 जिलों के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण मानचित्रों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष जिलों के लिए मानचित्र तैयार करने का कार्य जारी है। इस परियोजना के माध्यम से तैयार किए गए आंकड़ों और मानचित्रों को, विविध-कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रचालनात्मक योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय तथा योजना आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा को अनुदान

1087. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उड़ीसा को दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए अन्य अनुदान की धनराशि में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को देश में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान देती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भिन्न-भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों एवं कुछ प्रत्यक्ष सहायता पाने वाले संस्थानों को खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि प्रदान करता है। उड़ीसा राज्य को 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दी गई राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	दी गई राशि	(रु० लाख में)
	अनुदान	ऋण
1988-89	49.40	267.41
1989-90	88.92	391.40
1990-91	43.99	348.10

संस्थान की कठिन स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार का यह प्रस्ताव है कि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के बराबर रखी जाए।

[अनुवाद]

गाडगिल फार्मूले में संशोधन

1088. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने संशोधित गाडगिल फार्मूले में पुनः संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) केन्द्रीय सहायता हेतु संशोधित गाडगिल फार्मूला में संशोधन हेतु राज्यों तथा इनके सुझावों को संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 23 व 24 दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में राज्यों के सुझावों तथा विभिन्न

विकल्पों पर विचार किया तथा फार्मूले में संशोधन किया। संशोधित गाडगिल फार्मूला के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) संशोधित गाडगिल फार्मूला जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति आय मानदंड, जो 85 प्रतिशत बैठता है, को पर्याप्त अधिभार देता है। यह पिछड़े राज्यों के पक्ष में है तथा इससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी। 7.5 प्रतिशत अधिभार वाला विशेष समस्या मानदंड भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।

विवरण-1

संशोधित गाडगिल फार्मूला में संशोधन हेतु राज्यों के सुझाव

	राज्य	सुझाव
1.	आन्ध्र प्रदेश	चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों का विशेष आवंटन किया जाना चाहिए।
2.	असम	सभी विशेष श्रेणी राज्यों, अर्थात् 10 प्रतिशत ऋण एवं 90 प्रतिशत अनुदान के संदर्भ में सहायता के पैटर्न को समान बनाया जाना चाहिए।
3.	बिहार	संशोधित गाडगिल फार्मूला के प्रति व्यक्ति आय मानदंड के तहत आर्थिक पिछड़ेपन को दिए गए अधिभार में वृद्धि की जानी चाहिए।
4.	गुजरात	राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में अधिभार दिया जाएगा।
5.	हरियाणा	ऐसे राज्यों का विशेष सहायता दे जानी चाहिए जो सामाजिक सेवाएं या मानव संसाधन विकास क्षेत्रों में पिछड़े हैं।
6.	जम्मू व कश्मीर	सभी विशेष श्रेणी राज्यों, अर्थात् 10 प्रतिशत ऋण एवं 90 प्रतिशत अनुदान के संदर्भ में सहायता के पैटर्न को समान बनाया जाना चाहिए।
7.	केरल	ऐसे राज्यों को विशेष अधिभार दिया जाना चाहिए जिनका प्रतिव्यक्ति राज्य योजना परिव्यय तथा प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
8.	महाराष्ट्र	संशोधित गाडगिल फार्मूला के प्रति व्यक्ति आय मानदंड के तहत राज्यों के शेयरों की गणना प्रति-व्यक्ति अंतर पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए। आगे "प्रति व्यक्ति कर प्रयास" मानदंड के तहत "कर अनुपात" को राज्य की जनसंख्या के आकार के साथ अधिभार दिया जाना चाहिए।
9.	उड़ीसा	"प्रति व्यक्ति आय" मानदंड को दिए गये अधिभार में वृद्धि की जानी चाहिए। आगे "प्रति व्यक्ति कर प्रयास" मानदंड के तहत "कर प्रयास" की गणना, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की कुल खपत को कम करने के उपरांत राज्य द्वारा उपार्जित आय के संबंध में की जानी चाहिए।

	राज्य	सुझाव
10.	राजस्थान	केन्द्रीय सहायता फार्मूला में "क्षेत्र" घटक को अधिभार दिया जाना चाहिए।
11.	उत्तर प्रदेश	संशोधित गाडगिल फार्मूला के "प्रति व्यक्ति आय" मानदंड के तहत आर्थिक पिछड़ापन को दिए गये अधिभार में वृद्धि की जानी चाहिए।
12.	तमिलनाडु	"जनसंख्या" तथा "कर प्रयास" घटकों के अलावा केन्द्रीय सहायता में प्राकृतिक संसाधनों के अभाव तथा पिछड़ापन के आधार पर यथा परिलक्षित राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विवरण-2

केन्द्रीय सहायता के विवरण हेतु दिसम्बर 1991 में हुई बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित फार्मूला

1. कुल केन्द्रीय सहायता से विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखते हुए, जैसा कि अब किया जा रहा है,
2. शेष से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त राशि मुहैय्या कराना, जैसे:
   (क) पहाड़ी क्षेत्र
   (ख) जनजातीय क्षेत्र
   (ग) सीमांत क्षेत्र, और
   (घ) एन० ई० सी०
3. शेष में से 30 प्रतिशत 10 विशेष श्रेणी राज्यों के लिए अलग रखना, और
4. शेष का 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच निम्नलिखित मानदंड के अनुसार आवंटन करना,

	मानदंड	अधिभार (प्रतिशत)
1.	जनसंख्या (1971)	60 प्रतिशत
2.	प्रतिव्यक्ति आय जिसमें से	25 प्रतिशत
(क)	"विचलन" पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय औसत से प्रतिव्यक्ति कम एसडीपी वाले राज्यों को शामिल करते हुए	20 प्रतिशत
(ख)	"अंतर" पद्धति के अनुसार सभी 15 राज्यों को शामिल करते हुए।	5 प्रतिशत
3.	निष्पादन जिसमें से	7.5 प्रतिशत
(क)	पूर्व गाडगिल फार्मूले के यथा निर्दिष्ट "कर प्रयास" के अनुसार	2.5 प्रतिशत
(ख)	पूर्व संशोधित फार्मूले में यथा निर्दिष्ट वित्तीय प्रबंधन के अनुसार, और	2.5 प्रतिशत
(ग)	राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में प्रगति के अनुसार	2.5 प्रतिशत
4.	विशेष समस्याएं	7.5 प्रतिशत

टिप्पणी

1. वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय राज्यों के अनुमानित निजी कुल योजनाओं संसाधनों के बीच भिन्नता के अनुसार तथा नवीनतम पांच वर्षों के उनके वास्तविक निष्पादन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन किया जाता है।

2. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कतिपय कार्यक्रमों के संबंध में निष्पादन के मानदंड के तहत संशोधित फार्मूला 4 लक्ष्यों को कवर करता है, अर्थात (1) जनसंख्या नियंत्रण (2) निरक्षरता उन्मूलन (3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय से पूरा करना, तथा (4) भूमि सुधारों में सफलता।

मारुति उद्योग लिमिटेड में पूंजी निवेश

1089. **डा० आर० मल्लू:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड अब एक प्राइवेट कम्पनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अब तक कुल कितनी पूंजी का निवेश किया है; और मारुति उद्योग लिमिटेड को अब तक यदि कोई घाटा हुआ है, तो वह कुल कितना है;

(ग) सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड को अपने सुरक्षित मुद्रा भंडार से अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार मारुति उद्योग लिमिटेड को विदेशी मुद्रा देना बन्द करने का है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) कम्पनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड अब सरकारी कम्पनी नहीं है।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड में भारत सरकार की वर्तमान इक्विटी सहभागिता 65,80,18,100 रुपये है। मारुति उद्योग लिमिटेड को अभी तक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान घाटा नहीं हुआ है।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 31-3-1992 तक 721.18 करोड़ रुपये की मुक्त विदेशी मुद्रा (निवल विदेशी मुद्रा अर्जन से) पुर्जों के आयात पर खर्च की है।

(घ) उदारीकृत मुद्रा विनिमय दर प्रबंधन पद्धति की शर्तों के अनुरूप मारुति उद्योग लिमिटेड को, किसी भी अन्य भारतीय कम्पनी की तरह, बाजार से विदेशी मुद्रा की खरीद करनी होगी।

राज्यों की पेयजल परियोजनाएं

1090. **श्री अन्ना जोशी:** क्या प्रधान मंत्री अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5685 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत पेयजल परियोजनाओं के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल):

(क) 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में पेयजल परियोजनाओं के बारे में सूचना एकत्र की गई है।

(ख) उपर्युक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 14 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। सूचना शीघ्र भेजने के लिए इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मामला उठाया जा रहा है।

परियोजनाओं की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य/संघशासित सरकार से प्राप्त			कुल	केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/अनुमोदित			कुल	टिप्पणियां
		1989-90	1990-91	1991-92		1989-90	1990-91	1991-92		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	10	—	2	12	9	1	2	12	
2.	बिहार	6	—	—	6	6	—	—	6	
3.	हरियाणा	2	4	—	6	2	4(2)	—	6(2)	
4.	गुजरात	3	—	—	3	—	3	—	3	
5.	केरल	11	7	12	30	7(3)	11(5)	—	18(8)	शेष 12 परियोजनाओं की तकनीकी संवीक्षा की जा रही है।
6.	मध्य प्रदेश	—	3	2	5	—	3	2	5	
7.	मेघालय	258	82	118	458	249	91	92	432	शेष 26 योजनाओं के संबंध में स्थिति राज्य सरकार के साथ तय की जा रही है।
8.	मिजोरम	3	1	1	5	3	1	1	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	पंजाब	—	1	—	1	—	1	—	1	परियोजनाओं को 1990-91 में कुछेक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को वापिस लौटा दिया गया था। ये परियोजनाएं प्राप्त हो गई हैं और मामला विचाराधीन है।
10.	तमिलनाडु	1	2	1	4	1	2	—	3	शेष एक परियोजना की तकनीकी संवीक्षा की जा रही है।
11.	पश्चिम बंगाल	33	24	8	65	2	34(5)	6	42	शेष 23 परियोजनाओं को 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।
12.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.	दमन और दीव	2	—	—	2	1	—	—	1	शेष एक परियोजना अर्थात् चरण-2 के बारे में चरण-1 के पूरा होने के बाद विचार किया जाएगा।
14.	लक्षद्वीप	1	—	—	1	1	—	—	1	

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु वापिस लौटाई गई परियोजनाओं की संख्या को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में श्रमिकों की छंटनी

1091. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89 से मार्च, 1992 के बीच ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने खान-वार कितने श्रमिकों की छंटनी की थी;

(ख) उनमें से हरिजन तथा आदिवासी कितने थे;

(ग) क्या वे श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन हरिजन/आदिवासी श्रमिकों को पुनः काम पर लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने श्रमिकों को पुनः काम पर ले लिया गया है और शेष श्रमिक किस परिस्थिति में हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰बी॰ न्यामगौड): (क) वर्ष 1988-89 से मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ द्वारा श्रमिकों की कोई छंटनी नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत से श्रमिकों का आप्रवासन

1092. **श्री विजय एन॰ पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय श्रमिकों को मध्य पूर्व और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में आप्रवासन का क्या रुख रहा;

(ख) क्या उन देशों में भारतीय श्रमिकों का आप्रवासन कठिन हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, भारतीय कर्मकारों के मध्य पूर्व के देशों में परिनियोजन में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। रोजगार के लिए यूरोपीय देशों को जाने वाले व्यक्तियों को 22/7/1991 से उत्प्रवास-अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है और इसलिए इन देशों में भारतीय कर्मकारों द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार के आंकड़े तत्काल, उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कुओं की खुदाई

1093. **डॉ० डी० वेंकटेश्वर राव:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कुएं खोदने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में नए कुओं के सूखने के कारणों का पता लगाने हेतु विस्तृत जांच करने के लिये विशेषज्ञों के दलों ने सूखा पीड़ित राज्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया है और उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) देश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करने के लिये सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल सप्लाई के लिए अथवा सूखा राहत उपायों के रूप में आमतौर पर खुले कुएं नहीं खोदे जाते हैं। तथापि, ऐसे कुओं की खुदाई सूखा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के निर्धन, छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए लागू जवाहर रोजगार की एक उप-योजना-दस लाख कुओं की योजना दोनों के अन्तर्गत सिंचाई प्रयोजनाओं के लिए की जाती है।

(ख) कुओं के सूख जाने के बारे में विस्तृत जांच करने के लिए किसी विशेषज्ञ दल ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न उपाय ये हैं:— हैंड/पावर पम्पों के साथ 100 मि०मी०/150मि०मी० की ड्रिलिंग, टैंकरों द्वारा जल सप्लाई, पाइपों द्वारा जल सप्लाई योजनाओं का नवीकरण, ट्यूबवैल, कुओं को गहरा करना, रिगों और उपकरणों की खरीद, जलाशयों में वाष्पीकरण की गति को धीमा करने वाले रसायनिक पदार्थों का छिड़काव, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की अग्रिम तिमाही रिलीज, 1992-93 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की अग्रिम रिलीज, खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन, राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गति के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की निधियों की किश्त की अग्रिम रिलीज।

गुजरात से पेय जल संबंधी प्रस्ताव

1094. **श्री जनेश्वर पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार से गुजरात के जामनगर जिले और अन्य जिलों के अनेक गांवों में पेयजल की सप्लाई के लिए 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1992 के दौरान मिले प्रस्तावों, योजनाओं और अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर अब तक अलग-अलग क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों के गांवों में उक्त अवधि के दौरान पेयजल की सप्लाई के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (ग) सूचना 1, 2 और 3 में दी गई है।

विवरण 1

गुजरात सरकार से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे

(राशि लाख रुपए में)

अवधि	जामनगर जिला		गुजरात के अन्य जिले	
	गांव	राशि	गांव	राशि
1.1.89 से 31.3.89	27	76.91	425	981.26
1989-90	169	310.00	332	1318.47
1990-91	—	—	28	296.18
1991-92	—	—	248	560.11
1.4.92 से 30.6.92	—	—	—	—
	196	386.91	1033	3156.02

विवरण 2

भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

अवधि	जामनगर जिला		गुजरात के अन्य जिले	
	गांव	राशि	गांव	राशि
1.1.89 से 31.3.89	27	75.35	166	290.96
1989-90	169	308.23	310	1216.45
1990-91	—	—	178	396.19
1991-92	—	—	49	64.32
1.4.92 से 30.6.92	—	—	—	—
	196	383.58	703	1967.92

247 गावों की योजनाओं को लौटा दिया गया था क्योंकि या तो ये दोहराए गए गांवों की योजनाएं थीं अथवा ये राज्य सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर थीं। डांग और धरमपुर तालुकों के 69 गांवों की योजनाएं विचाराधीन हैं। कच्छ जिले के 14 गांवों की योजनाओं को तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए लौटा दिया गया है।

विवरण 3

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा

किया गया खर्च (राशि लाख रुपए में)

अवधि	जामनगर जिला	अन्य जिले
1.1.89 से 31.3.89	179.74	193.26
1989-90	685.51	4755.76

अवधि	जामनगर जिला	अन्य जिले
1990-91	760.46	4654.54
1991.92	756.43	4915.81
1.4.92 से 30.6.92	×	×

×लेखाओं का मिलान किया जा रहा है।

दवाओं की कमी

1995. **कुमारी विमला वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बहुत सी दवाओं की कमी है और पिछले कुछ दिनों से कुछ दवाओं के मूल्य बढ़ गए हैं;

(ख) क्या बजट प्रस्तुत होने के पश्चात कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कई दवाएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी बाजार में कमी है; और

(घ) लोगों को यह दवाएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (घ) कुछ औषधियों की कमी ध्यान में आई है यह कमी स्थानीय है और कुछ मामलों में वही औषधि अन्य ब्रांडों में उपलब्ध है। कई मामलों में जिनमें कमी की ओर ध्यान दिलाया वहां उनके दूसरे थिरेपेटिक उपलब्ध थे/आयात निर्यात नीति में आए परिवर्तनों से बनी अनिश्चितता के कारण भी कमी आई। जब बाजार दर पर तय विदेशी विनिमय दर पर औषधि के क्षेत्र में आयात करना पड़ा। सरकार ने औषधियों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कई औषधियों पर शुल्क में कटौती की है। अन्य उपायों के साथ-साथ उस उपाय से स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र

1096. **श्री सूर्यनारायण यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कोई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र को बिहार में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) पूर्वी विद्युत क्षेत्र में जिसका एक हिस्सा बिहार भी है, कोयले का भंडार उपलब्ध होने की वजह से वहां पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की प्राथमिकता अपेक्षाकृत निम्न है।

[अनुवाद]

पंजाब में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1097. **श्री कमल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक उपक्रम की सकल लाभ तथा हानि कितनी थी?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) सेमी कण्डक्टर कॉम्पलेक्स लि० केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का केवल एक ही ऐसा उपक्रम है जिसका पंजीकृत कार्यालय पंजाब राज्य में अवस्थित है। 31.3.1991 तक इसमें सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में 6208 लाख रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। इसने वर्ष 1990-91 तथा 1989-90 के दौरान क्रमशः 212 लाख रुपये और 176 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है तथा इसने वर्ष 1988-89 के दौरान 235 लाख रुपये की हानि उठाई थी।

दिल्ली में औद्योगिक विवाद

1098. **श्री के० पी० रेड्डया यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों से दिल्ली के न्यायाधिकरणों में कितने औद्योगिक विवाद लम्बित पड़े हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, उनके द्वारा स्थापित किए गए औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में 30/4/1992 के अनुसार 426 औद्योगिक विवाद 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित थे। इसी तारीख के अनुसार, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, दिल्ली में एक औद्योगिक विवाद 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित था।

(ख) औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से लम्बे समय से लम्बित पड़े मामलों के निपटान को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस से कार चलाना

1099. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस से स्कूटरें, कारें और बसें सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को बड़ी संख्या में अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) वाणिज्यिक रूप से रसोई गैस को आटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग करने की तकनीकी आर्थिक औचित्य अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन परियोजनाएं

1100. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन माह के दौरान पेट्रो-रसायन क्षेत्र की किन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) सरकार ने पिछले 3 महीनों में सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिए निवेश की स्वीकृतियां प्रदान की हैं:—

(i) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आईपीसीएल) के नागोथाणे स्थित महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलैक्स में 177.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इथाइलीन की क्षमता प्रतिवर्ष 3 लाख टन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4 लाख टन करना।

(ii) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० के नागोथाणे स्थित महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलैक्स में 158.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उच्च घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन प्लांट स्थापित करना।

(iii) उच्च इंजीनियरी प्लास्टिक के निर्माण के लिए 125.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जी० ई० प्लास्टिक्स, नीदरलैंड के साथ आईपीसीएल द्वारा एक संयुक्त उद्यम की स्थापना।

(iv) नेशनल एरोमेटिक्स एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा मद्रास के निकट मनाली में 1725 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पैराजाइलोन, ऑरथोजाइलीन, बैन्जीन और परिशोधित टेरेफथेलिक एसिड (पीटीए) के निर्माण के लिए एक एरोमेटिक काम्पलैक्स की स्थापना।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संघों को मान्यता

1101. **श्री राम विलास पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के कितने संघों को मान्यता दी गई;

(ग) क्या सरकार को 1991 और 1992 के दौरान किसी सरकारी विभाग/संघ से ऐसे संघों को मान्यता देने के लिए कोई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): (क) और (ख) नीति के रूप में जाति, मत, धर्म आदि के आधार पर कर्मचारियों के किसी संघ को मान्यता नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) ऐसे संघों को मान्यता देने संबंधी अनुरोध की जांच संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जानी होती है और इसे केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में शीत भंडार

1102. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में शीत भंडार स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

न्यायाधिकरणों में मामलों को शीघ्र निपटाना

1103. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर जहां पर उन विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, के कार्यकरण के मूल्यांकन कराने की वांछनीयता पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की तत्संबंधी भावी योजना क्या है;

(ग) क्या ऐसे न्यायाधिकरणों में अनेक मामले लम्बित होने शुरू हो गए हैं; और

(घ) इन न्यायाधिकरणों में मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा): (क) और (ख) विभिन्न न्यायाधिकरणों के संयुक्त कार्यकरण का किसी भी प्रकार का मूल्यांकन किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये न्यायाधिकरण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के तहत कार्य कर रहे हैं।

(ग) इस मंत्रालय में विभिन्न न्यायाधिकरणों के बकाया मामलों के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जिसकी निगरानी इस मंत्रालय द्वारा की जाती है, गत तीन वर्षों के दौरान संस्थित किए गए, निपटाए गए तथा लम्बित मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:—

	संस्थित मामले	निपटाए गए मामले	लम्बित मामले
31.12.1989 तक	83170	51586	31584
31.12.1990 तक	101120	65663	35457
31.12.1991 तक	122971	83241	39730

(घ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है जिनमें मामलों के लम्बन की निगरानी करने वाली अधिकरण की न्यायपीठों को बढ़ाना तथा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरना शामिल है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का पुनर्गठन

1104. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) का शुल्क आयोग (टेरिफ कमीशन) में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों, जहां भारतीय उद्योग को अभी भी विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण तथा विशेषरूप से सरकारी उपयोगिता के क्षेत्र में नियंत्रित मूल्यों के निर्धारण की जरूरत हो सकती है, में शुल्क तथा घरेलू मूल्य निर्धारित करने के लिए और अधिक स्पष्ट संस्थागत तंत्र विकसित करना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन

1105. **श्री धर्मण्णा मोंड्डयया सादुल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन देने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ उपक्रमों के प्रस्तावों पर सरकार ने विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इनमें से कुछ उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों से पहले ही धनराशि वसूल कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के क्या नाम हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के बारे में अंशदायी भविष्य निधि योजना जारी रखनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र का उद्यम विशेष, यदि चाहे तो, सरकारी क्षेत्र के उद्यम से पृथक किसी निधि के माध्यम से, सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सरकार के किसी दायित्व के बिना, कर्मचारियों द्वारा विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उपयुक्त वार्षिक योजना तैयार कर सकता है।

(ग) और (घ) कुछ कम्पनियों, यथा-भारतीय तेल निगम, भारतीय गैस प्राधिकरण, कोचीन रिफाइनरीज लि०, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन, भारतीय धातु एवं व्यापार निगम, भारत अर्थ मूवर्स लि०, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि० आदि ने अपने कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना लागू कर दी है।

ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना

1106. **श्री बलराज पासी:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):
श्री महेश कनोडिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये न्यायालय किन-किन राज्यों में स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) इन न्यायालयों को स्थापित करने का मामला इस समय किस स्थिति में है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) देश में ग्रामीण न्यायालय स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी

1107. **श्री गोविन्द राव निकाम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषाओं में हिन्दी को शामिल कराने के संबंध में कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (ग) सरकार ने इस मामले पर विगत में अनेक अवसरों पर विचार किया है। किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं के नियम 51 में संशोधन करना होता है जिसके लिए आम सभा का अनुमोदन अपेक्षित है। ऐसे प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बहुमत द्वारा अनुमोदन करना होता है। सरकार द्वारा विगत में किए गए अनौपचारिक परामर्शों और संयुक्त राष्ट्र में आए वित्तीय संकट जैसे अनेक संगत कारकों से यह संकेत मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव रखना ठीक नहीं है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र आम सभा अथवा उसकी समितियों में हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते संबद्ध प्रतिनिधिमण्डल व्याख्या के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दे। हमने आवश्यकता पड़ने पर खुद पर खुद इस सुविधा का उपयोग किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

1108. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने संबंधी फार्मूले को पुनः लागू करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा रिपोर्ट देने में विलम्ब के क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति, जिसका कार्यकाल 31 जुलाई, 1992 तक है, इस मामले पर विचार कर रही है।

रोजगार हेतु आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग

1109. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों और विधायकों के राष्ट्रीय अधिवेशन में रोजगार हेतु जनसंख्या के अनुसार आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ख) क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार हेतु आरक्षण कोटा, देश की कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता के साथ जुड़ा हुआ है। अतः आरक्षण कोटे की आवधिक पुनरीक्षा प्रत्येक दशक में की गई जनगणना में यथा प्रतिबिम्बित जनसंख्या के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान के अकालप्रवण क्षेत्रों के लिए योजनाएं

1110. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अकाल प्रवण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 194 करोड़ रुपए की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी केन्द्रीय दल ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत और चीन के बीच वाणिज्य दूतावास संधि

1111. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने मुम्बई और संघाई में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने पर दोनों देशों के बीच वाणिज्य दौत्य संधि का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इस संबंध में चीन से कोई सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) और (ख) बम्बई में तथा शंघाई में प्रधान कोंसलावासों की पुनःस्थापना के बारे में भारत की सरकार तथा चीन की सरकार के बीच सम्पन्न करार, उस पर हस्ताक्षर की तारीख अर्थात 13 दिसम्बर 1991 को, प्रवृत हो गया और इस पर कोई अनुसमर्थन प्रक्रिया लागू नहीं होती। कोंसली अभिसमय, जो 13 दिसम्बर 1991 को दोनों सरकारों के बीच सम्पन्न एक अलग करार है, अनुसमर्थन के अधीन है। भारतीय पक्ष की ओर से अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय लोक कांग्रेस की स्थाई समिति की हाल ही की एक बैठक में चीनी पक्ष की ओर से इस कोंसली अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बायो-गैस संयंत्र

1112. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:
श्री ललित उरावं:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र और धुआं रहित चूल्हे लगाने के लिए विभिन्न राज्यों तथा विशेषरूप से गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, हां। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के तहत उन्नत चूल्हों के वास्तविक लक्ष्य राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ परामर्श करके वार्षिक आधार पर नियत किए जाते हैं। एक अलग कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों से स्थल विशेष के परियोजना प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) 1989-90 से 1991-92 के वर्षों के दौरान स्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1989-90 से 1991-92 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः कुल 173.06 करोड़ रुपए, 7.87 करोड़ रुपए और 34.26 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्य सरकारों तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन अभिकरणों को स्वीकृत की गई है।

विवरण

1989-90 से 1991-92 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए उन्नत चूल्हों और सामुदायिक/संस्थागत/बिट्ठा आधारित संयंत्रों (सी० बी० पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी०) की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए पारिवारिक आकार के बायो-गैस संयंत्रों की संख्या	स्वीकृत किए गए सी०बी०पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी० की संख्या	लगाए गए उन्नत चूल्हों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25,541	11	3,33,542
2.	अरुणाचल प्रदेश	65	—	6,060

1	2	3	4	5
3.	असम	3,985	—	1,16,586
4.	बिहार	14,400	8	3,88,081
5.	गोआ, दमन एवं दीव	697	—	32,297
6.	गुजरात	75,928	41	2,69,010
7.	हरियाणा	5,976	6	2,15,734
8.	हिमाचल प्रदेश	12,264	—	1,52,194
9.	जम्मू और कश्मीर	304	1	98,753
10.	कर्नाटक	23,061	7	3,30,758
11.	केरल	11,861	—	2,11,719
12.	मध्य प्रदेश	12,203	110	6,04,470
13.	महाराष्ट्र	1,51,533	—	4,68,551
14.	मणिपुर	383	—	18,394
15.	मेघालय	162	—	—
16.	मिजोरम	304	—	7,585
17.	नागालैण्ड	—	—	2,500
18.	उड़ीसा	38,592	6	2,55,098
19.	पंजाब	6,667	44	3,26,184
20.	राजस्थान	11,430	33	5,41,308
21.	सिक्किम	613	—	11,931
22.	तमिलनाडु	33,974	25	3,43,022
23.	त्रिपुरा	235	—	4,732
24.	उत्तर प्रदेश	43,030	114	7,95,470
25.	पश्चिम बंगाल	26,220	—	2,06,292
26.	अंडमान एवं निकोबार	11	—	13,060
27.	चंडीगढ़	10	—	2,216
28.	दादर एवं नगर हवेली	26	—	3,028
29.	दिल्ली	74	—	74,055
30.	पांडिचेरी	64	—	4,760
31.	लक्ष्यदीप	—	—	2,967
32.	अन्य एजेन्सियां	—	—	5,00,014

सौर ऊर्जा का अनुसंधान और विकास

1113. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा के अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) सौर ऊर्जा पर अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 1992-93 हेतु 8.98

करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विभिन्न प्रकार के नए तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोत प्रणालियों और युक्तियों के अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और क्षेत्र मूल्यांकन के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों/विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन संस्थाओं में 13 क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र, 20 उन्नत चूल्हों की तकनीकी बैक अप यूनिटें, 11 बायोमास अनुसंधान केन्द्र, बायोमास गैसीफायर प्रौद्योगिकी के लिए 4 अनुसंधान केन्द्र, सौर तापीय प्रणालियों के लिए 6 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और मिनी-माइक्रो जल-विद्युत के लिए वैकल्पिक जल विद्युत ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए गए हैं इसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव जिले में ग्वालपहाड़ी पर सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त देश की विभिन्न संस्थाओं में विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को भी सहायता दी जा रही है।

तमिलनाडु में पवन ऊर्जा परियोजनाएं

1114. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**
श्री एम० डेनिस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में कयाट्टार कन्याकुमारी पवन ऊर्जा परियोजना के अलावा अन्य किसी पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कयाट्टार परियोजना की पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री तरंगों से पवन ऊर्जा पैदा करना कितना व्यवहार्य है; ऐसे ऊर्जा केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी हां, तमिलनाडु में कयातर और कन्याकुमारी के अतिरिक्त मंजूरी की गई नई पवन विद्युत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र०सं०	स्थान (जिले)	जिस वर्ष मंजूर	क्षमता (मे०वा०)	चालू की गई
1.	पुलीयानकुलम (तिरूनेलवेलि कट्टाबोमान)	1989-90	1.50	1991-92
2.	कोविलपट्टी और तिरूनेलवेलि के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर प्रकीर्ण रूप में (चिदम्बरनार और तिरूनेलवेलि-कट्टावोमान)	1989-90	0.22	चालू किया जाना है।
3	कथानूर	1991-92	2.00	चालू किया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। कयातर की पवन फार्म परियोजना की क्षमता को तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा 1.35 मे०वा० के संयोजन के साथ बढ़ाया जा रहा है।

(ङ) महासागर विकास विभाग द्वारा प्रयोजित एक परियोजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा केरल में विझीनजम में 150 कि० वा० की स्टैड-एलोन लहर विद्युत प्रणाली के निर्माण के द्वारा लहर से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता स्थापित हुई है। यह संयंत्र अक्तूबर, 1991 से चल रहा है और इस प्रौद्योगिकी को परिष्कृत किया जा रहा है। इस सफलता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के थंगेसरी फिशिंग हार्बर में ब्रेकवाटर के साथ लहर ऊर्जा कार्यों को जोड़ने के दो प्रस्ताव और कार-निकोबार द्वीप समूह में मसपाइन्ट पर एक वार्फ शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इन दो परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता पर अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

1115. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी, हां, उड़ीसा राज्य में बायो गैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, मिनी-माईक्रो जल विद्युत संयंत्र, बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों आदि जैसे विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों का राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों और अनुसंधान सस्थाओं द्वारा विकास और प्रसार किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य में विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण "क" में दी गई है।

उड़ीसा राज्य में अब तक 9.75 मे० वा० समग्र क्षमता की 8 लघु जल विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा संसाधनों पर आधारित कई नए तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के अलावा 11,000 बायोगैस संयंत्र और 75,000 उन्नत चूल्हे लगाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण "क"

उड़ीसा राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की उपलब्धियों की स्थिति

क्र० सं०	कार्यक्रम/प्रणाली और युक्ति	समग्र उपलब्धि (31.3.92 तक)
1	2	3
1.	बायोगैस संयंत्र	69,815
2.	उन्नत चूल्हे	4,39,418
3.	सौर जल तापन प्रणालियां	95
4.	सौर वायु तापन प्रणालियां	2
5.	सौर भभके	398 एम^2
6.	सौर कुकर	769
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/टी०वी० प्रणालियां	61

1	2	3
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां	50
9.	गांव/झुरमुट जिन्हें सड़क रोशनी उपलब्ध कराई गई	329
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय लघु विद्युत संयंत्र	4 (30.115 के डब्ल्यू पी)
11.	जल पंपन पवन चक्कियां	322
12.	पवन मानचित्रण केन्द्र	41
13.	पवन मानिटरिंग केन्द्र	9
14.	पवन फार्म	1.1 मे०वा०
15.	पवन विद्युत जनित्र (ग्रिड से जुड़े हुए)	1
16.	पवन बैटरी चार्जिर	2
17.	ऊर्जा ग्राम	7
18.	बायोमास गैसीफायर स्टर्लिंग इंजिन	15

पवन ऊर्जा कार्यक्रम के लिये स्वदेशी तकनीक का उपयोग

1116. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान पवन ऊर्जा कार्यक्रम हेतु स्वदेशी तकनीक के उपयोग पर और बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम को किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जायेगा?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में पवन विद्युत जनित्रों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। पवन विद्युत जनित्रों के विनिर्माण के लिये निजी क्षेत्र की तीन भारतीय कम्पनियों ने डेनमार्क की कम्पनियों के साथ सहयोग किया है। इन कम्पनियों के अलावा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमि० ने स्वदेशी रूप से पवन विद्युत जनित्रों का उत्पादन शुरू किया है और उसने पहले ही 55 कि०वा० की मशीनों का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है और 200 कि० वा० की मशीन के प्रोटोटाइपों का विकास किया गया और इनमें से एक मशीन हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित की गई है। जल पंपन पवन चक्कियां पहले से पूर्ण रूपेण देश में ही तैयार की जा रही हैं।

पवन विद्युत परियोनाओं के विपणन विकास और इनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कई संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। पवन विद्युत जनित्रों को उनकी स्थापना के पहले वर्ष में 100% की दर से बढ़ी हुई ह्रास राशि प्राप्त हो सकती है और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के माध्यम से रियायती वित्त भी उपलब्ध है। गुजरात, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में ऊर्जा भंडारण और चालन की अनुमति दी गई है और राज्य विद्युत बोर्डों ने तर्क संगत खरीद-वापसी दरें निर्धारित की हैं; इसी प्रकार के उपायों पर अन्य राज्यों द्वारा भी विचार किया जा रहा है। कई राज्यों में बिक्री कर में छूट दी गई है और तमिलनाडु में पूंजीगत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा कार्यक्रम पर कुल परिव्यय को अंतिम रूप दिया जाना है। पवन ऊर्जा कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पवन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। 9 राज्यों में पवन फार्म स्थापित किए गए हैं। उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पवन विद्युत विकास का कार्यक्रम अनय राज्यों में शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लिग्नाइट-आधारित बिजली संयंत्र

1117. श्री दाऊ दयाल जोशी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित एक बिजली संयंत्र आरम्भ करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) से (घ) जी, हां। 1.7 मि॰ टन प्रति वर्ष की क्षमता की लिग्नाइट खान और 2×120 मे॰वा॰ की क्षमता के एक संयोजित विद्युत गृह को 11/90 के आधार पर क्रमश 242.31 करोड़ रु॰ और 585.73 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से अप्रैल, 91 में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले में बारसिंगसर के स्थान पर स्वीकृति दी गई। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इस खान के मई, 1995 तक और विद्युत गृह के दिसम्बर, 1995/जून, 1996 तक चालू हो जाने की संभावना है।

वर्तमान में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस परियोजना का निष्पादन कर रही है, जो कि कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। किंतु इस परियोजना को निजी क्षेत्र को स्थानान्तरित किए जाने के संबंध में संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पोलियो वैक्सीन इन्जेक्शन का उत्पादन

1119. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत फ्रांस परियोजना के अन्तर्गत पोलियो वैक्सीन के उत्पादन पर अब तक हुये खर्च का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस वैक्सीन उत्पादन के लिये निर्धारित अवधि क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) भारत फ्रांस परियोजना द्वारा मार्च, 1992 तक किया गया कुल खर्च 20.87 करोड़ रुपये था। इसमें सिविल निर्माण कार्य के 7.70 करोड़ रुपये, अचल परिसम्पत्तियों के 1.85 करोड़ रुपये, उपस्कर तथा मशीनों के 4.61 करोड़ रुपये, स्थापना प्रभार, कर, तकनीकी शुल्क इत्यादि के 6.71 करोड़ रुपये शामिल हैं।

गुड़गांव में संयंत्र स्थल पर सिविल निर्माण कार्य चालू है। कार्मिकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण तथा उपस्करों, मशीनों व अन्य सामग्री की खरीद का कार्य भी आरम्भ हो चुका है।

(ख) चरणबद्ध रूप में लक्ष्यगत उत्पादन का निर्धारित समय 1993 का प्रारंभिक काल है, तथापि सरकार इसकी समीक्षा कर रही है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास

1120. श्री विलास राव नागनाथ राव गुंडेवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण विकास पर कितनी राशि खर्च की गई और वर्ष 1992-93 में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1991-92 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है और इस पर 1992-93 में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विगत वर्ष के लिए निर्धारित समस्त राशि खर्च कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण (विकास विभाग में) राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि तथा 1992-93 के दौरान खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि को नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रमुख कार्यक्रम	किया गया खर्च (लाख रु॰ में) 1991-92	प्रस्तावित आवंटन (लाख रुपये में) 1992-93
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰)	5,633,70	5, 228.00
2.	ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	345.02	218.96
3.	ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा)	39,43	कोई आवंटन नहीं किया गया।
4.	जवाहर रोजगार योजना (जे॰आर॰वाई॰)	18,124,11	19, 920.80
5.	भूमि सुधार		
	(1) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	42.17	1992-93 के लिए महाराष्ट्र राज्य से अब तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।
	(2) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	10.75	
6.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	3,390,00	3, 390.00
7.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰पी॰ए॰पी॰)	1,222,63	1, 343.00

(ख) (1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को शिक्षा क्षेत्र के लिए 1991-92 के दौरान 3,364.00 लाख रुपये तथा 1992-93 के दौरान 4,243.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था।

(2) स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत 1991-92 के दौरान 3,584.00 लाख

रुपये तथा 1992-93 के दौरान 4,218.35 लाख रुपये आवंटित किये गये। 1991-92 में किये गये वास्तविक खर्च का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने अधिकांश योजनाओं के तहत आवंटित निधियां इस्तेमाल कर ली हैं तथा कुछ मामलों में तो ये निधियां आवंटित निधियों से अधिक हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पिछड़ापन और बेरोजगारी

1121. **श्री राजवीर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गांवों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस सम्बन्ध में कराये गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूल रूप से गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं। इन सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार के अवसर जुटाना और स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां जैसे सड़कों, कमजोर वर्गों के लिए मकानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आधारभूत ढांचों का सृजन करना है और इसलिए ये कार्यक्रम अन्य बातों के साथ-साथ बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या को हल करने में मदद करते हैं। अतः इन उपायों का ग्रामीण क्षेत्रों में बसर कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने से सीधा संबंध है। उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे रोजगार सृजन के प्रमुख कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जिन्हें इनकी उप-योजनाओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रमों अर्थात जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

जवाहर रोजगार योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विलय करने के बाद 1989 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्वरूप का आधारभूत ढांचा सृजित करके बेरोजगार तथा अल्परोजगार वाले लोगों के लिए मजदूरी रोजगार सृजित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बसर कर रहे लोगों के समग्र जीवन स्तर में सुधार होगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि 1980 में शुरू किया गया एक अन्य कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। आठवीं योजना में ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा दक्षता और प्रौद्योगिकी का विकास करके रोजगार के अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक घटक है। ग्रामीण महिला और शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक घटक है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर आधार पर आय सृजित करने वाली गतिविधियों में काम के अवसर जुटा कर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार लाना है।

मुद्रा स्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में गरीबी की रेखा के

निर्धारण हेतु आय सीमा को संशोधित करके 11060/- रुपये कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों का चयन करने के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी यह सर्वेक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं का विस्तार और उसकी शाखाओं में घाटा

1122. **श्री जीवन शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या केन्द्रीय भण्डार ने राजधानी और भारत के अन्य स्थानों पर अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए सरकार से 1.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर भण्डार की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भण्डार के अधिकांश शाखा स्टोरों को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है;

(ङ) घाटे में चल रहे शाखा स्टोरों को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): (क) से (च) केन्द्रीय भण्डार ने दिल्ली तथा उससे बाहर 10 नये स्टारों को खोलने के लिए सरकार से प्रति स्टोर 4.22 लाख रुपये की दर पर 42.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। प्रत्येक स्टोर के लिए सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

		रुपए
(क)	फर्नीचर, रैक्स, तुला-मशीन, कैश रजिस्टैक्स, मशीन आदि	1,10,000
(ख)	खरीदी जाने वाली औसत सामग्री	3,00,000
(ग)	प्रारम्भिक माप के लिए कर्मचारियों का वेतन	7,500
(घ)	विविध खर्चे	5,000
	एक स्टोर के लिए कुल वित्तीय मांग	4,22,500

केन्द्रीय भण्डार के कुल 88 शाखा स्टोर हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i)	दिल्ली/नई दिल्ली	68 स्टोर जिनमें चार चलते-फिरते वाहन भी शामिल हैं।
(ii)	बम्बई	2 स्टोर
(iii)	मद्रास	9 "
(iv)	हैदराबाद	2 "

(v)	बंगलौर	2 स्टोर
(vi)	तिरुपति	1 "
(vii)	मंसूरी	1 "
(viii)	चण्डीगढ़	2 "
(ix)	मानेसर (हरियाणा)	1 "

केन्द्रीय भण्डार 88 शाखा स्टोर चला रहा है। चूंकि प्रत्येक स्टोर की अपनी कोई अलग लेखा शाखा नहीं है, अतः प्रत्येक शाखा स्टोर के लाभ का मूल्यांकन अलग से करना सम्भव नहीं है। किन्तु, वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय भण्डार ने कुल मिलाकर 72.01 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया था।

चूंकि केन्द्रीय भण्डार को चलाने में कुल मिलाकर कोई हानि नहीं हुई है अतः किसी एक शाखा स्टोर को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय भण्डार का उद्देश्य अपने ग्राहकों को जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, सामग्री तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं जहां तक सम्भव हो सके उनके निवास स्थान के नजदीक उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है।

रक्षा के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का योगदान

1123. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा के क्षेत्र में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का क्या योगदान है;

(ख) क्या अमेरिका ने इस बारे में कोई चिन्ता दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अन्तरिक्ष कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाड़ी देशों के साथ आर्थिक समझौते

1124. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बहरीन, ओमान और कतार जैसे खाड़ी देशों के साथ आर्थिक समझौतों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त रूप से संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और ओमान एक व्यापारिक संगोष्ठी आयोजित करने पर सहमत हो गए थे जिसमें सम्पूर्ण खाड़ी क्षेत्र के संभावित उद्यमी भाग लें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय चैम्बर आफ कामर्स का एक प्रतिनिधि मंडल बहरीन भेजने का विचार है। भारत से भी आर्थिक मामलों को देखने वाला एक मंत्री वहां के मंत्री की यात्रा के

जवाब में बहरीन की यात्रा करने वहां जायेगा। जहां तक ओमान का सवाल है हमने आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए एक आयोग की स्थापना करना स्वीकार किया है; ओमान में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है; भारतीय निवेश कार्यक्रमों की मंडी के लिए/उनके संवर्धन के लिए ओमान में बैंकों के लिए अनुमति ली है तथा व्यापार विकास एवं पूंजी निवेश पर मस्कट में एक गोष्ठी के आयोजन पर अपनी सहमति दी है। जहां तक कतार का प्रश्न है हमने भारत-कतारी संयुक्त आर्थिक आयोग की तीसरी बैठक पर अपनी सहमति दे दी है।

(ग) जी हां।

(घ) इस सेमिनार के आयोजन के सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों/विभागों से, वित्तीय संस्थाओं और कामर्स चैम्बरों से सलाह मशिवरा शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

ईरान के विदेश मंत्री का दौरा

1125. श्री अरविन्द त्रिवेदी:
श्री एन० जे० राठवा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विषयों पर बातचीत की;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) ईरान के विदेश मंत्री 18 से 19 मई, 1992 तक सरकारी यात्रा पर भारत आये थे।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बात चीत हुई। आपसी हित के सार्वभौमिक मसलों, क्षेत्रीय घटनाओं और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर भी विचार-विनिमय हुआ। इस बात पर सहमति हुई कि भारत से बहु-विध प्रतिनिधिमंडल जुलाई 1992 में ईरान जाएगा जो भारत द्वारा हाथ में ली जा सकने वाली विशिष्ट परियोजनाओं पर बातचीत करेगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि भारत-ईरान संयुक्त आयोग की अगली बैठक नवम्बर 1992 में बुलाई जाए और गुट-निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक से पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन से सम्बद्ध मसलों पर परामर्श किया जाए।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों ने व्यापार और आपसी सम्बन्धों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और उसे विस्तार प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में जल आपूर्ति और स्वच्छता

1126. **श्री जी॰ माडेगोड़ा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति ओर पर्यावरण स्वच्छता परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) उक्त परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(घ) विभिन्न चरणों में कितने-कितने गांवों में यह परियोजना शुरू की जायेगी; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) जी हां।

(ख) 10 जिलों अर्थात बंगलौर देहात, मैसूर, दक्षिण कन्नड़, शिमोगा, बेलगाम, गुलबर्गा, माण्डया, रायचूर, बीदर और बेल्लारी में 1000 गांवों को शामिल करने की एक परियोजना प्रस्तावित है।

(ग) परियोजना की कुल लागत को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु इस पर लगभग 143.46 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(घ) पहले चरण में 280 गांवों ओर दूसरे चरण में 720 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ङ) परियोजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि 1993 से लेकर 7 वर्ष होगी।

[हिन्दी]

कृषि विपणन संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट

1127. **श्री छेदी पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि विपणन के संबंध में श्री शंकर लाल गुरू से अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गयी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) जी हां।

(ख) समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं:—

(1) आठवीं योजना अवधि के दौरान अनुमानित 30,000 प्राथमिक ग्रामीण मंडियों (जिनमें हाट, सैंडी व सैट्टी शामिल हैं) में से कम से कम 50 प्रतिशत मंडियों को अलग-अलग राज्यों के मंडी विनियमन कानून के अन्तर्गत लाने के लिए एक भावी योजना तैयार की जानी चाहिए।

(2) मंडियों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को राज्यों को हस्तांतरित करने के सरकार के निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि राज्य क्षेत्र में इस योजना को अपेक्षित महत्व और तरजीह नहीं मिलेगी।

(3) एक अलग राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हों। बैंक की शाखाओं को कृषक समुदाय की बचतों को जमा करने, किसानों को फौरन भुगतान करने

के लिए कमीशन एजेन्टों को ऋण सीमाएं देने और घाटे की बिक्री को रोकने के लिए घरोहर ऋण योजनाओं हेतु संस्थागत वित्त को सुकर बनाने के लिए नियमित मंडियों में चल रही मंडी समितियों के घनिष्ट सहयोग से काम करना चाहिए।

(4) मंडी समितियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों के प्रतिनिधिक स्वरूप को बनाएं रखने के लिए उनके चुनाव नियमित रूप से कराए जाने चाहिए। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इन निकायों के कार्यकाल, गठन और इनके गठन हेतु प्रक्रियाओं को राज्यों द्वारा अपने राज्य मण्डी कानूनों में अपनाने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

(5) सभी फसलों और फसल कटाई से लेकर उनकी आखिरी खपत तक के सभी कार्यों को शामिल करने के लिए राज्य मंडी कानून में "कृषि विपणन" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कुछेक वस्तुओं को राज्य मंडी कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने और उनके विपणन के कार्य को वस्तु बोर्डों को सौंपने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ग) चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है इसलिए कार्रवाई मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जानी है। कुछ सिफारिशों में केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य संबंधित एजेन्सियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना शामिल है। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यमुना पार क्षेत्र का औद्योगिक विकास

1128. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम":**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किसी पृथक योजना डिवीजन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना डिविजन कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा; और

(घ) यमुना पार क्षेत्र में वर्ष 1992-93 के दौरान स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

"क्रे" सुपर कम्प्यूटर

1129. **श्री सुधीर राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका निर्मित "क्रे" सुपर कम्प्यूटर खरीदने में कोई शर्त लगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उक्त उपकरण का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ) दिल्ली स्थित नेशनल सेन्टर फार मीडियम रेंज फोरकास्टिंग के लिए "क्रे" एक्स एम पी-14 सुपर कम्प्यूटर का उपयोग एक भारत—अमरीकी द्विपक्षीय करार द्वारा संचालित है जिसमें इस सुपर कम्प्यूटर का इस्तेमाल अनुसंधान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। इस करार के अन्तर्गत अनुसंधान के जिन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं है उन पर दोनों सरकारों की आपसी सहमति से ही काम किया जा सकता है।

इस सुपर कम्प्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से मौसम अनुसंधान के लिए ही किया जाता है। जो भारतीय वैज्ञानिक इस सुपर कम्प्यूटर का इस्तेमाल करना चाहते हों उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है।

औद्योगिक विवाद संबंधी मामले

1130. **श्री विश्वनाथ शास्त्री**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 तथा 1991-92 में श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद से संबंधित वर्षवार तथा राज्यवार कितने मामले लम्बित थे;

(ख) क्या 1992 की प्रथम छमाही में औद्योगिक विवाद संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) 30/6/90 तथा 30/6/91 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 30/6/92 के अनुसार लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों के पास लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या में सामान्यतया वृद्धि हुई है तथा श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करने के लिए यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

30 जून, 1990 तथा 30 जून, 1991 के अनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित श्रम न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों तथा औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ के०स०औ०अ० एवं श्रम न्यायालय के नाम	लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या	
		30/6/90 के अनुसार	30/6/91 के अनुसार
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	7	14
2.	आन्ध्र प्रदेश	6018	6918
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
4.	असम	317	380
5.	बिहार	686	768
6.	चंडीगढ़	826	793
7.	दादर और नगर हवेली	0	0
8.	दमन और दीव	0	0
9.	दिल्ली	18815	21297
10.	गोवा	174	214
11.	गुजरात	39571	40784
12.	हिमाचल प्रदेश	217	253
13.	हरियाणा	4400	4636
14.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	केरल	1358	1497
16.	कर्नाटक	9716	9217
17.	लक्षद्वीप	0	0
18.	मेघालय	0	7
19.	महाराष्ट्र	10438	11834
20.	मणीपुर	0	3
21.	मध्य प्रदेश	1985	2067
22.	मिजोरम	0	0
23.	नागालैंड	0	0
24.	उड़ीसा	734	936
25.	पंजाब	7039	8152
26.	पाण्डिचेरी	41	25
27.	राजस्थान	6834	7608
28.	सिक्किम	0	0
29.	तमिलनाडु	5977	7173
30.	त्रिपुरा	0	2
31.	उत्तर प्रदेश	10449	12076
32.	पश्चिम बंगाल	2278	2245
	योग	127880	138899
1.	के०स०औ०अ०, आसनसोल	83	72
2.	के०स०औ०अ०, बंगलौर	175	234
3.	के०स०औ०अ०, सं०-1, बम्बई	121	177

1	2	3	4
4.	के०स०औ०अ०, सं०-2, बम्बई	167	188
5.	के०स०औ०अ०, कलकत्ता	284	284
6.	के०स०औ०अ०, चण्डीगढ़	431	579
7.	के०स०औ०अ०, सं०-1, धनबाद	432	481
8.	के०स०औ०अ०, सं०-2, धनबाद	433	495
9.	के०स०औ०अ०, जबलपुर	782	812
10.	के०स०औ०अ०, कानपुर	636	741
11.	के०स०औ०अ०, नई दिल्ली	369	460
	योग	3913	4523
	कुल योग	131793	143422

जापान के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं

1131. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए जापान के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री ((श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) नवम्बर 1985 में जापान के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें दोनों पक्षों के सामान्य हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें विनाश भविष्यवाणी/रोकथाम, मौसम भविष्यवाणी, ऊतक संवर्धन, वैक्सीन, पुनः चक्रण प्रौद्योगिकियां, भौतिक अनुसंधान इत्यादि शामिल हैं।

2. इस अंतर सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त जापान विज्ञान संवर्धन सोसायटी की पहल पर दोनों देशों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के बीच अभी हाल ही में मंत्रणात्मक चर्चाएं/बैठकें हुई। आशा की जाती है कि इनकी सिफारिशें उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान के नए क्षेत्रों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए मजबूत द्विपक्षीय प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

गुजरात में उद्योगों हेतु आवंटन

1132. **श्री काशीराम राणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में मध्यम तथा बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए चालू वित्त वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में लघु उद्योग लगाने हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992—97) और वार्षिक योजना (1992-93) के दौरान गुजरात राज्य में बड़े, मझौले और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित परिव्ययों को स्वीकृति दे दी है:—

(रु० करोड़ में)

क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	वार्षिक योजना (1992-93)
बड़े और मझौले उद्योग	195.00	38.00
ग्राम्य और लघु उद्योग	435.00	83.20

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

1133. **डा० वसन्त पवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए इन एककों को किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रम की स्थापना, परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, साधनों की उपलब्धता तथा देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

इंजीनियरी सामान का उत्पादन

1134. **श्री रूपचन्द मुरमु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान इंजीनियर सामान के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्व बाजार को इंजीनियरी सामान के निर्यात के बारे में भारत की स्थिति क्या है; और

(घ) देश में इंजीनियरी सामान का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) इंजीनियरी उद्योग ने अप्रैल से जनवरी (1990-91) की तुलना में अप्रैल से जनवरी (1991-92) की अवधि के दौरान 6.3% की गिरावट दर्ज की है। उत्पादन में गिरावट, बुनियादी उद्योगों का खराब निष्पादन, कच्चे माल की कमी, भुगतान स्थिति संतुलित करने के लिए लगाए गये कठोर आयात प्रतिबंध, ऋण दबाव, बाजार में मांग में मंदी इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों के कारण है।

(ग) भारतीय इंजीनियरी निर्यात विश्व को इंजीनियरी निर्यात का एक बहुत छोटा हिस्सा (लगभग 0.10%) पूरा करता है।

(घ) इंजीनियरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये उपाय इस प्रकार हैं—औद्योगिक क्षेत्र के पर्याप्त विनियमनों को समाप्त करना तथा नयी औद्योगिक नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, पूंजीगत वस्तुओं पर करों में कमी, रुपये की परिवर्तनीयता, सांविधिक रोकड़ अनुपात में कमी, ब्याज दरों में कमी इत्यादि जैसे उपाय केन्द्रीय बजट, 1992-93 में किये गये और नयी निर्यात-आयात नीति (1992-97) में मद की एक छोटी नकारात्मक सूची के अतिरिक्त आयात लाइसेंस समाप्त करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग एककः

1135. **श्री सत्यदेव सिंह:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने लघु उद्योग लगाए गये और ये उद्योग कहां-कहां लगाये गये;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में लघु उद्योग लगाने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 1992-93 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 30246 और 33046 (अनंतिम) लघु एकक राज्य उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के पास अस्थायी आधार पर पंजीकृत थे। इन पंजीकृत एककों के स्थापना-स्थलवार (जिलेवार) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योग लगाने के लिए दी गई सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में

अवसंरचनात्मक सहायता तथा केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये मदों के आरक्षण के जरिये रियायती वित्त, उत्पाद-शुल्क लाभ, विपणन सहायता, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद पर मशीनों की सप्लाई तकनीकी/प्रबंधकीय/आर्थिक परामर्शी सेवायें, औद्योगिक आवास की व्यवस्था परीक्षण सुविधायें, सामान्य सुविधा सेवाएं जैसी आयतें शामिल है।

(घ). लघु अति लघु और ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ करने के लिये 6 अगस्त, 1991 को संसद के समक्ष रखे गये नीतिगत उपायों का प्राथमिक उद्देश्य लघु क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाना और उसका तेजी से विकास करना है ताकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा-पूरा योगदान दे सकें।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित लघु उद्योगों के विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	निम्न वर्षों में स्थापित लघु उद्योगों की संख्या	
		1990-91	1991-92
1	2	3	4
1.	हरिद्वार	314	337
2.	सहारनपुर	700	745
3.	मुजफ्फरनगर	965	1129
4.	मेरठ	1235	1488
5.	गाजियाबाद	980	1224
6.	बुलंदशहर.	908	1118
7.	आगरा	598	733
8.	अलीगढ़	694	684
9.	मथुरा	528	553
10.	मैनपुरी	260	348
11.	ऐटा	383	369
12.	फिरोजाबाद	334	477
13.	बरेली	719	805
14.	बदायूं	579	629
15.	पीलीभीत	442	484
16.	शाहजहांपुर	594	616
17.	मुरादाबाद	884	969
18.	रामपुर	457	498
19.	बिजनौर	460	504

1	2	3	4
20.	झांसी	552	555
21.	ललीतपुर	377	372
22.	जालौन	365	370
23.	बांदा	301	311
24.	हमीरपुर	288	327
25.	लखनऊ	775	830
26.	राय बरेली	418	445
27.	लखीमपुर खेरी	293	334
28.	सीतापुर	389	337
29.	उन्नाव	577	613
30.	हरदोई	433	472
31.	इलाहाबाद	915	981
32.	फतेहपुर	471	514
33.	प्रतापगढ़	314	302
34.	कानपुर सिटी	500	568
35.	कानपुर देहात	532	510
36.	इटावा	454	497
37.	फरूखाबाद	459	511
38.	वाराणसी	985	997
39.	मिरजापुर	292	483
40.	सोनभद्रा	253	304
41.	जौनपुर	377	378
42.	गाजीपुर	465	446
43.	बलिया	450	415
44.	गोरखपुर	350	450
45.	बस्ती	250	280
46.	देवरिया	415	416
47.	आजमगढ़	281	311
48.	सिद्धार नगर	218	219
49.	मउ	162	166
50.	महाराज गंज	200	221
51.	भहराइच	316	362
52.	गोंडा	341	365
53.	फैजाबाद	585	655
54.	बाराबंकी	476	543
55	सुल्तानपुर	470	489
56.	देहरादून	483	489
57	पौड़ी	228	254
58.	टिहरी गढ़वाल	219	237

1	2	3	4
59.	चमोली	225	218
60.	उत्तर काशी	226	191
61.	नैनीताल	565	694
62.	अलमोड़ा	428	355
63.	पिथौरागढ़	278	281
64.	नौएडा	261	268
	योग	30246	33046

[अनुवाद]

केरल में रुग्ण औद्योगिक एकक

1136. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केरल में कुल कितने रुग्ण औद्योगिक एकक हैं;

(ख) ऐसे कितने एककों को बन्द कर दिया गया है और बन्द एककों में कुल कितने श्रमिक हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों को पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सितंबर, 1990 के अंत में केरल राज्य में लघु क्षेत्र में 16,115 औद्योगिक एकक तथा गैर-लघु क्षेत्र में 32 औद्योगिक एकक रुग्ण थे। गैर लघु क्षेत्र में 10 औद्योगिक एककों के बंद होने की सूचना सितंबर, 1990 के अंत में दी गयी थी। लघु औद्योगिक एककों के संबंध में इसी प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

बंद रुग्ण एककों के कामगारों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुजीवन/पुनर्वास के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुन:स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार

करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों को पुनरूज्जीवन के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां स्थापित की गयी हैं।

(6) जिन संभावित जीव्यक्षम रुग्ण एककों की परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है उन्हें अगस्त, 1987 में स्थापित की गयी राष्ट्रीय इक्विटी निधि से नाम मात्र के एक प्रतिशत वार्षिक सेवा शुल्क पर दीर्घकालीन इक्विटी के रूप में 1,50,000/-रु०, की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धन योजना चला रहा है जिसके अधीन प्रत्येक एकक को 50,000 रुपये तक सहायता दी जाती है।

(8) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस०आई०डी०बी०आई०) अति लघु तथा लघु उद्योगों हेतु एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है।

संभावित रूप से जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन हेतु एस०आई०डी०बी०आई० पुनर्वास हेतु एक पुनः वित्त योजना का अलग से प्रबन्ध कर रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

1137. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन छठी पंचवर्षीय योजना से गिरना शुरू हुआ था और सातवीं योजना में वह चरम सीमा तक पहुंच गया; और

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक समय तक इस कार्य निष्पादन की गिरावट को जारी रहने देने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

छंटनी किये गये कर्मचारियों को मुआवजा

1138. **श्री देवी बक्स सिंह:**
श्री रतिलाल वर्मा:
श्री दत्तात्रेय बंडारु:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक संबंध अधिनियम समिति ने छंटनी किये गये कर्मचारियों को दिये जा रहे मुआवजे की राशि में वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) राज्यों के श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ नए औद्योगिक संबंध कानून के बारे में रामानुजम समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया था। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, कोयला और श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया है जिनका उद्देश्य मतैक्य पर पहुंचने के लिए रामानुजम समिति की रिपर्ट के असहमति वाले क्षेत्रों पर विचार करना है। दल ने 1 जून, 1992 को हुई अपनी दूसरी बैठक में भारतीय श्रम सम्मेलन के विचार के लिए यह सिफारिश करने का निर्णय लिया था कि सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा, चाहे उनमें कितने ही कर्मचारी काम करते हों और उनका कितना भी टर्न ओवर हो, प्रत्येक कर्मकार को छंटनी प्रतिपूर्ति के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान में 15 दिन के वेतन के स्थान पर 45 दिन का वेतन दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

दुर्गापुर की माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन यूनिट को बंद करना

1139. **डा० असीम बाला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर की माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन यूनिट को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों को कोई काम नहीं मिल रहा है; और

(घ) इस यूनिट की आयातित मशीनरी का उपयोग न किये जाने के क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दुर्गापुर संयंत्र में कोई भी आयातित मशीन औजार निष्क्रिय नहीं है। तथापि, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ई०सी०एल०) की जे०के० नगर परियोजना हेतु लांगवाल फेस उपकरण के लिए आयातित सी०के०डी० यूनिट एम०ए०एम०सी० के नियंत्रण में है क्योंकि ग्राहक द्वारा परियोजना में देरी की गई है। ई०सी०एल० ने अब निर्णय लिया है कि जे०के० नगर परियोजना के कुछ उपकरणों को झांजरा ले जाया जाएगा जिसके लिए आपूर्ति अगस्त, 1992 तक पूरी की जानी है।

कर्मचारी भविष्यनिधि को पेंशन योजना में बदलना

1140. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि को पेंशन योजना में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस समय यह प्रस्ताव किस चरण पर है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक उपयुक्त पैंशन योजना आरम्भ करने के लिए सर्वसम्मति से सिफारिश की है। इस योजना में, अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, स्थायी रूप से संपूर्ण विकलांगता आदि जैसे मामले में मासिक पेंशन अदायगी की व्यवस्था की गयी है। बोर्ड की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

अखबारी कागज का मूल्य

1141. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:
श्री गोविन्दराव निकाम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने स्वेदशी अखबारी कागज के मूल्य बढ़ाये हैं;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने इसमें प्रति टन कितने मूल्य की वृद्धि की है;

(ग) क्या भारतीय समाचार पत्र संघ ने मूल्य वृद्धि की आलोचना की है;

(घ) अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में अखबारी कागज के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) और (ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने मानक अखबारी कागज का मूल्य 20-5-1992 से 1,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन बढ़ाया है।

(ग) भारतीय समाचार पत्र संघ ने इस मूल्य वृद्धि के विरुद्ध सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है;

(घ) अंतर्वस्तुओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई थी;

(ङ) स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। अखबारी कागज के आयात को भी 1-4-92 से गैर-सरणीबद्ध कर दिया गया है। समाचार-पत्र उद्योग, स्वयंद्वारा खरीदे गये प्रत्येक 2 किलोग्राम स्वदेश-निर्मित अखबारी कागज के लिए 1 किलोग्राम मानक अखबारी कागज का आयात कर सकते है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

1142. **श्री राम पूजन पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों के उन्नयन के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सरकारीतंत्र की वर्तमान प्रणाली के माध्यम से देने के बजाए सीधे लाभार्थियों को दे रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने विकास खण्ड हैं जहां यह सहायता सीधे लाभार्थियों को दी जा रही है;

(ग) क्या सीधे लाभार्थियों और मध्यस्थों के माध्यम से दी गयी धनराशि का बेहतर ढंग से उपयोग किया गया है और इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) यदि सीधे लाभार्थियों को दी गयी धनराशि के बेहतर उपयोग की प्रतिशतता अधिक है तो इस प्रणाली का पालन न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी, नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सभी वित्तीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत दी जाती है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिक कार्यक्रम की पुनरीक्षा

1143. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "साइंटिस्टस टू प्रॉब लिंक हिटवीन वैक्सीन एड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है।

(ख) क्या सरकार का विचार टीका कार्य योजना तथा अन्य इसी प्रकार की परियोजनाओं सहित समस्त जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने हेतु गैर सरकारी वैज्ञानिकों के उच्च शक्ति प्राप्त कार्य बल का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) सरकार को पोलियो वैक्सीन को एड्स से जोड़ने वाली रिपोर्टों की जानकारी है, तथा ये धारणाएं काल्पनिक हैं।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ सलाहकार समितियों तथा कार्यदलों की सलाह पर देश में तैयार किये गये जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। देश के भीतर तथा देश के बाहर के वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया गया है। विशिष्ट कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के लिये विशेषज्ञ सलाहकार समितियां गहन एवं विस्तृत जांच तथा परिवीक्षण करती हैं। भारत-अमरीका वैक्सीन एक्शन कार्यक्रम का उच्चाधिकार प्राप्त शीर्ष समिति के माध्यम से परिवीक्षण किया जाता है। सुरक्षा मार्ग-निर्देश तैयार किये गये हैं जिनका किसी भी पुनर्योगज डी० एन० ए० प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना को चलाने के लिये कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की आनुवंशि इंजीनियरी अनुमोदन समिति नामक शीर्ष समिति को देश में आनुवंशिक रूप से निर्मित उत्पादों के किसी भी परीक्षण अथवा प्रचलन को अनुमोदित करना होता है।

औद्योगिक विवाद

1144. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों से अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम-कर्मचारी संघ और औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध मंडल के बीच कितने औद्योगिक विवाद केन्द्रीय श्रम आयुक्त/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उक्त अवधि में अब तक कितने मामले निपटाए गए?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	लम्बित विवादों की संख्या
1989	5
1990	9
1991	11

(ख) इसी अवधि के दौरान, दो मामलों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और अन्य 17 मामलों में सहमति हो गई थी।

भारत-अमरीका संबंध

1145. **डा० सी० सिल्वेरा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): सरकार भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संबंधों को निरन्तर विस्तृत करने और उन्हें विविधता प्रदान करने को बहुत महत्व देती है। परस्पर सहमत क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए एक फैसला किया गया है कि दोनों सरकारों के बीच ज्यादा जल्दी-जल्दी सलाह-मशविरा होगा। सरकार का बराबर यही विश्वास रहा है कि भारत और अमरीका के बीच संबंध अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए मत-भेदों को कम करने के प्रयत्न करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से ही बेहतर किए जा सकते हैं।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

1146. **श्री हाराधन राय:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के अनुसार जिन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीयकरण की तिथि को प्रत्येक कोयला खान के अधिकार क्षेत्र में कितनी भूमि थी?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण जो

कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के अधीन था का विवरण भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 1 में दी गई अनुसूची जो दिनांक 30 मई, 1973 में छपी थी में उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीयकरण की तिथि पर किस कोयला खान के पास कितनी भूमि थी। इस संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं है। यह महसूस किया गया है कि इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह इस जानकारी से मिलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विदेशी सहयोग से उद्योगों की स्थापना

1147. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में कितने नये उद्योग पंजीकृत किये गये है;

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद राज्य में विदेशी सहयोग से कितने उद्योग स्थापित किये गये है;

(ग) क्या नई उदार औद्योगिक नीति को देखते हुए विदेशी सहयोग से और उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद जून, 1992 के अंत तक उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 835 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन फाइल किये गये थे।

(ख) विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में प्रायः सहयोग के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थापनास्थल का उल्लेख नहीं किया जाता है और इसलिए किसी राज्य विशेष से संबंधित विदेशी सहयोग अनुमोदनों के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि औद्योगिक नीति वक्तव्य में बताया गया है, विदेशी पूंजी निवेश जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है, का स्वागत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों, जिनमें निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपेक्षित है, में विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी की अनुमति स्वतः दी जाती है। इसी प्रकार निर्धारित धन एवं रायल्टी सीमाओं के भीतर आने वाले प्रौद्योगिकी समझौतों की भी स्वतः अनुमति दी जाती है। स्वतः अनुमोदन के मानदण्डों में न आने वाले विदेशी पूंजी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी दोनों प्रस्तावों पर सरकार विचार करती है और गुणदोष के आधार पर इनका अनुमोदन करती है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी

1148. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय सहित देश में अन्य विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) और (ख) 1990 और 92 के बीच पासपोर्ट आवेदनों में 50% से अधिक की वृद्धि होने के कारण कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की अस्थायी कमी हो गई है। तथापि, इस समय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में पासपोर्ट पुस्तकाओं की कोई कमी नहीं है।

(ग) नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस को यह सलाह दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पासपोर्टों की मांग में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सभी पासपोर्ट कार्यालयों को पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएं।

अमोनिया/यूरिया संयंत्रों के लिए तकनीकी सलाह प्रबंध

1149. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोम्बे हाई गैस आधारित अमोनिया/यूरिया संयंत्रों के तकनीकी सलाह प्रबन्ध की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विदेशी सलाहकारों को रखने हेतु मानदंड क्या है; और

(घ) सलाहकार फर्म की तकनीकी क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय परिस्थितियों में इसकी कितनी उपयोगिता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) बाम्बे हाई गैस पर आधारित अमोनिया/यूरिया संयंत्र के लिए कोई तकनीकी परामर्शी करार अभी हाल में सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटानागपुर, बिहार का विकास

1150. **श्री कडिया मुन्डा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में फैक्टरी लगाने के इच्छुक विभिन्न संगठनों और कंपनियों/उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र को आवंटित धनराशि

1151. **श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र को आवंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सहकारी-क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार को 25883 लाख रु० की राशि आवंटित की गई।

[अनुवाद]

"सार्क" देशों के बीच व्यापार को उदार बनाने के लिये संस्थागत ढांचा तैयार करना

1153. **श्री सुधीर गिरि:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सार्क" देशों ने आपस में व्यापार को उदार बनाने के लिये कोई संस्थागत ढांचा तैयार करने हेतु एक पैनल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सितम्बर 1991 में सम्पन्न आर्थिक सहयोग समिति की पहली बैठक की एक सिफारिश के अनुसरण में एक अंतरसरकारी ग्रुप का गठन किया गया जिसका काम एक ऐसा संस्थागत ढांचा जिसमें नियमों की संरचना भी शामिल है तैयार करनी और उस पर सहमति जुटाना है जिसके तहत सार्क देशों के बीच व्यापार को उदार बनाने के लिये विशिष्ट उपायों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस अन्तरसरकारी ग्रुप को यह भी कहा गया था कि वह एक सार्क तरजीह व्यापार व्यवस्था कायम करने से सम्बद्ध प्रस्ताव की जांच करे इस अंरतरसरकारी ग्रुप ने 4-5 मई, 1992 को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक की।

सौन्दर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में विदेशी निवेश

1154. **श्री रूपचन्द्र पाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सौन्दर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में विदेशी निवेश हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु सरकार ने डॉ० दादी बलसारा, 173-ए, गोल्ड हिल सेन्टर, सिंगापुर-1130 के पक्ष में एन आर आई/विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी तकनोलोजी समझौते का एक प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर कर दिया है:—

(1) विदेशी सहयोगी का नाम	मैसर्स पूपा, इटली
(2) प्रवासी भारतीय/उसके स्वामित्वाधीन विदेशी निगमित निकाय की इक्विटी भागीदारी	51% (इक्यावन प्रतिशत) जो लगभग 13.26 करोड़ रुपये बैठता है।

(3) विदेशी इक्विटी भागीदारी : 20% (बीस प्रतिशत) जो लगभग 5.2 करोड़ रुपये बैठता है।

(4) रॉयल्टी : समझौते की तारीख से 10 वर्ष तक के लिए या उत्पादन होने की तारीख से 7 वर्ष तक करों की शर्त के साथ आन्तरिक बिक्री पर 5% (पांच प्रतिशत) और निर्यात पर 8% (आठ प्रतिशत)।

(5) एकमुश्त भुगतान तकनीकी ज्ञान शुल्क : 400000 अमेरिकी डालर (केवल चार लाख अमेरिकी डालर)।

(6) पूंजीगत वस्तुओं, हिस्से पुर्जों और कच्चे माल के आयात, तकनीकी जानकारी हेतु भुगतान, रॉयल्टी इत्यादि के कारण होने वाले विदेशी मुद्रा के निर्गम का संतुलन विदेशी ईक्विटी तथा परियोजना की विदेशी मुद्रा संबंधी आमद के जरिये विदेशी मुद्रा के अंतःप्रवाह से किया जायेगा।

(7) लाभांश भुगतानों के कारण विदेशी मुद्रा के निर्गम को निर्यात से प्राप्त आय से संतुलित किया जायेगा।

(8) करार की अवधि : करार की तारीख से 10 वर्ष अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 7 वर्ष।

(9) अनुमोदन की वैधता : जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योगों हेतु आवंटन

1115. **श्री रामलखन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु अपर्याप्त धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु प्रतिवर्ष राज्यवार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) जी, नहीं। ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को राशि के आवंटन में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को राशि का आवंटन (रुपये लाखों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	275.52	760.22	1487.88
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

1	2	3	4
3. असम	104.95	151.18	87.04
4. बिहार	810.91	840.83	932.13
5. गोवा	91.28	89.19	30.49
6. गुजरात	1167.73	895.44	986.10
7. हरियाणा	424.73	648.35	568.10
8. हिमाचल प्रदेश	290.28	321.78	338.61
9. जम्मू और कश्मीर	168.19	190.41	146.95
10. कर्नाटक	595.62	603.00	920.97
11. केरल	643.71	864.56	925.85
12. मध्य प्रदेश	393.16	425.97	250.27
13. महाराष्ट्र	590.27	894.01	1122,29
14. मणिपुर	110.92	—	233.78
15. मेघालय	10.48	38.27	54.11
16. मिजोरम	64.81	132.18	144.42
17. नागालैंड	32.08	37.06	54,12
18. उड़ीसा	316.81	480.32	392.09
19. पंजाब	309.06	391.70	622.93
20. राजस्थान	1380.49	1189.34	850.64
21. सिक्किम	42.51	25.43	52.42
22. तमिलनाडु	2091.58	1766.07	2227.34
23. त्रिपुरा	17.14	9.65	9.28
24. उत्तर प्रदेश	2946.19	3591.66	3809.22
25. पश्चिमी बंगाल	703.68	559.66	627.32
संघ शासित क्षेत्र			
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	2.84	23.94
27. चंडीगढ़	1.40	0.80	11.82
28. दादर व नगर हवेली	—	—	—
29. दिल्ली	225.51	258.78	197.59
30. दमन और दीव	—	—	—
31. पांडिचेरी	28.72	24.90	15.08
विविध			
32. विभागीय	254.06	1175.61	1393.99
33. अन्य योजनाएं	459.48	624.03	673.54
	14551.27	16993.24	19190.31

[अनुवाद]

रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

1156. **श्री मनोरंजन भक्तः**
श्री जार्ज फर्नांडीजः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 12 जून, 1992 को जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में रुग्ण एककों को पुनः चालू करने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कार्यक्षम बनाने के संबंध में चर्चा की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) जेनेवा में 3 से 23 जून 1992 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 79वें सत्र में रुग्ण इकाइयों को पुनरूज्जीवित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः जीवनक्षम बनाने के मुद्दे पर मूलरूप से विचार विमर्श नहीं किया गया था। तथापि, सम्मेलन की कार्यसूची में समायोजन और मानव संसाधन विकास पर एक मद थी और सम्मेलन में एक संकल्प स्वीकार किया गया था, जिसका संबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, समायोजन के सामाजिक मूल्यों, प्रशिक्षण में समानता और सामाजिक सहभागियों की भूमिका सहित संरचनात्मक समायोजन, मानव संसाधन और विकास नीतियों के संबंध में शिक्षण और प्रशिक्षण से था।

किण्वकों के उत्पादन की संभावना

1157. **श्री नवल किशोर रायः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औद्योगिक किण्वकों की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में इसका वर्तमान उत्पादन कितना है और इनके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है; और

(ग) क्या सरकार को सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की ओर से इस विषय पर कोई सर्वेक्षण कराने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) जी हां। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् (टी०आई०एफ०ए०सी०), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली द्वारा एक परामर्शी संगठन के माध्यम से अध्ययन किया गया है। भारत में इस समय लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की खपत होने का अनुमान है।

(ख) एन्जाइमों के अनुप्रयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं:— 6-एमिनो पेनीसिलेनिक अम्ल, डेक्सट्रॉस मोनोहाईड्रेट, डेक्सट्रॉस एन्हाईड्रस, चिकित्सीय पाचक एन्जाइम, लेदर बेटिंग, वस्त्र डिजाइनिंग, पनीर तैयार करना, बीयर का द्रुतशीत प्रमाणन और अपमार्जक उद्योग। फिलहाल, 7.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष खर्च किये जाने

का अनुमान है और स्वदेशी उत्पादन लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य का है।

(ग) सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात और महाराष्ट्र में बेरोजगार व्यक्ति

1158. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:**
श्री जन्द्रेश पटेल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में वर्ष 1990 से प्रत्येक वर्ष रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये; और

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं की वे सभी बेरोजगार हों, तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:—

[अनुवाद]

छोटे उद्योगों के लिए धनराशि का आवंटन

1159. **श्री ललित उरांव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे उद्योगों के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पेंशनभोगियों की बढ़ती हुई शिकायतें

1160. **श्री जनार्दन मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाता है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थापनाओं के पेंशनभोगियों की शिकायतों पर शीघ्रता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता तथा पेंशन से संबंधित मामलों में उनके अभ्यावेदनों का शीघ्र निपटान करने के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित संस्थापनाओं/विभागों के पेंशनभोगियों की शिकायतों तथा अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी निर्दिष्ट करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेरोजगारी दूर करने संबंधी समिति

1161. **श्री संदीवान भगवान थोरात:**
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० सेनगुप्ता, सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के शिक्षित युवकों और अन्य व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने के लिए किन-किन योजनाओं का सुझाव दिया है;

(ग) रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य की वर्तमान केन्द्रीय योजनाओं में क्या संशोधन किए गये हैं/करने का विचार किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए कोई नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है और किस सीमा तक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ङ) शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी मंत्रियों की समिति ने डा० सेनगुप्ता सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अधिकारी दल का गठन किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रियों की समिति के विचारार्थ सौंप दी है। इस मामले में अगली कार्रवाई मंत्रियों की समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना है।

[हिन्दी]

नये पासपोर्ट कार्यालय

1162. **श्री मुमताज अन्सारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में नये क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उन्हें कहां-कहां पर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰एल॰ भाटिया): (क) से (ग) पासपोर्ट सेवा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार पासपोर्ट कार्यालयों के समस्त तंत्र की समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा में अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालयों की आवश्यकता पर, उनके स्थान, प्राथमिकता पर तथा आवश्यक अतिरिक्त वितत्तीय एवं जनशक्ति संसाधनों के बारे में विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1163. **श्री अवतार सिंह भड़ाना**: क्या रथान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कुल कितनी पूंजी निवेश की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक उपक्रम को हुई हानि/लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार घाटे में चल रहे उपक्रमों को प्रोत्साहन/सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे इन उपक्रमों के बंद होने पर कर्मचारियों की छटनी न करनी पड़े?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) से (ग) 31.3.1991 तक की जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के ऐसे 17 उपक्रम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में और 1 उपक्रम का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा राज्य में स्थित है। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उक्त प्रत्येक उद्यम में ऋणों तथा सामान्य शेयरों के रूप में किया गया कुल पूंजीनिवेश, शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसे सरकारी उद्यमों को, जो लम्बी अवधि से रुग्ण चले आ रहे हैं और जिनके उद्धार की कोई सम्भावना नहीं है, उनके लिये पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल अथवा इस प्रयोजन के लिये गठित अन्य ऐसे उच्च स्तरीय संगठनों को सौंपा जाना अपेक्षित है। ऐसे पुनर्स्थापन योजनाओं (पैकेजों) से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में पूंजीनिवेश 1990-91	शुद्ध लाभ/हानि 1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश					
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	1480	(—) 233	(—) 166	(—) 193
2.	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल कारपो॰	1071	(—) 20	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	भारत लैदर कारपोरेशन	806	(—) 141	(—) 82	(—) 51
4.	भारत पम्प्स एंड कंप्रैशर्स लि०	5912	(—) 259	(—) 919	(—)2616
5.	भारत यंत्र निगम लि०	683	—	1	1
6.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	11937	(—)1566	(—)1566	(—) 180
7.	बुशवेयर लिमिटेड	3	(—) 2	(—) 2	—
8.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०	1681	(—) 452	(—) 362	(—) 505
9.	एल्गिन मिल्स कं० लि०	8889	(—)3537	(—)3062	(—)3107
10.	इंडियन मैडिसिन्स फार्मा० कारपो० लि०	85	14	10	17
11.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०	781	137	129	23
12.	नै०टे०का० (उत्तर प्रदेश) लि०	25221	(—) 3287	(—) 2948	(—) 3048
13.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	701925	104830	162384	160158
14.	स्कूटर्स इंडिया लि०	11665	(—)4825	(—)4289	(—)3721
15.	टेनरी एंड फुटवीयर कारपो० ऑफ इंडिया लि०	6595	(—)1870	(—)1610	(—)1404
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	2965	(—) 361	(—) 442	(—) 282
17.	यू०पी० ड्रग्स एंड फार्मा०कं० लि०	99	(—) 129	(—) 128	(—) 47
हरियाणा					
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा० लि०	28945	(—)8826	(—)4274	(—)4642

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन.

1164. **डा० जी० एल० कनोजिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पी०वी० गजेन्द्रगडकर के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कागज मिलों का आधुनिकीकरण

1165. **प्रो० उम्मारैड्डि वेंकटेश्वरलु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आरंभ किये गये विभिन्न कागज मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बड़ी कागज मिलों ने भी वर्ष 1991-92 के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए अनुमति मांगी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी कागज मिलों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान कागज मिलों द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण नं० 1 में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) कागज बनाने वाले जिन बड़े एककों ने 1991-92 के दौरान क्षमता बढ़ाने की अनुमति मांगी है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण नं० 2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

I. आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान निम्नलिखित कागज उत्पादक एककों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं:—

क्रमांक	कंपनी का नाम	पूंजीगत सामान/डिजाइनों और रेखाचित्रों के आयात की सी०आई०एफ० कीमत
1.	मै० दि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड	2,75,000 अमेरिकी डालर
2.	मै० श्री विंध्या पेपर मिल्स लिमिटेड	41.92 लाख रुपये
3.	मै० यश पेपर मिल्स	14.65 लाख रुपये
4.	मै० एफ० पदमजी एण्ड कंपनी लि०	1.06 करोड़ रुपये
5.	मै० उत्तर प्रदेश स्ट्रॉ एण्ड एग्रो प्रॉडक्ट्स लि०	32 लाख रुपये
6.	मै० हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि०	3.43 करोड़ रुपये
7.	मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिन्ट लि०	2.03 करोड़ रुपये

II. मैसर्स रुचिरा पेपर्स लिमिटेड और मैसर्स पंचशील पेपर मिल्स लिमिटेड ने क्षमता में क्रमशः 10,800 टी०पी०ए० और 15,000 टी०पी०ए० का पर्याप्त विस्तार किया है।

विवरण-2

क्रमांक	कागज एकक का नाम	उत्पादन की मद	क्षमता का प्रार्थित विस्तार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	मै० सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर	छपाई का सफेद कागज	9800 टी० पी० ए०	प्रस्ताव दिनांक 1.6.1992 को अनुमोदित हुआ।
2.	मै० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	सभी प्रकार की लुगदी व कागज	31000 टी० पी० ए०	सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव दिनांक 11.5.1992 को अनुमोदित हो गया बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हो जाएं।

1	2	3	4	5
3.	मै॰ स्टार पेपर मिल्स लि॰	लुगदी व कागज	5000 टी॰ पी॰ ए॰	कंपनी का प्रस्ताव और उसके बाद कंपनी ने जो अभ्यावेदन दिया था वह सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। इस कंपनी के दिनांक 7.4.1992 के अगले अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा

1166. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने परमाणु अप्रसार संधि के भेदभाव को समाप्त करने के लिए इसकी समीक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता का आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) टोक्यो में हाल ही में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि 1995 में होने वाले नाभिकीय अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन में नाभिकीय अप्रसार संधि की समीक्षा की जाएगी। नाभिकीय अप्रसार संधि अपने वर्तमान रूप में एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है जिसमें नाभिकीय हथियार रखने वाले देशों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। यह कहना अभी मुश्किल है कि नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार देश, जो नाभिकीय अप्रसार संधि समीक्षा कार्य में भाग लेंगे, क्या रुख अपनाएंगे।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं के लिए नियत धनराशि का अन्यत्र उपयोग

1167. **श्री दिलीप भाई संघानी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य विकास परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) राज्य सरकार ने अब तक वास्तविक रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सिंचाई क्षेत्रक के लिए 1992-93 वर्ष हेतु गुजरात राज्य की वार्षिक योजना में अनुमोदित परिव्यय 473 करोड़ रुपये है।

(ङ) निधियों की उपयोगिता प्रगति पर है।

विक्रांत टायर्स की विस्तार योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

1168. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विक्रांत टायर्स, मैसूर की विस्तार योजना हेतु केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार ने कितनी सहायता का अनुरोध किया था; और

(ग) वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

''लिट्टे'' पर प्रतिबंध

1169. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''लिट्टे'' पर प्रतिबंध लगाने के सम्बंध में श्रीलंका ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस देश के साथ यह मामला उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) और (ख) 14 मई को भारत सरकार ने गैर-कानूनी कार्यवाही (रोकथाम) अधिनियम 1967 के अंतर्गत लिट्टे को एक गैर-कानूनी एसोसिएशन करार दे दिया। इस सिलसिले में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने 21 मई को श्रीलंका की संसद में बोलते हुए कहा था कि श्रीलंका की सरकार ''न तो इन मामलों के बारे में पहले से कोई फैसला करना चाहती है और न कोई ऐसी एकतरफा कार्रवाई करना चाहती है जिससे बात और बिगड़े''

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के लिए योजना परिव्यय

1170. **श्री धनंजय कुमार:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93 हेतु कर्नाटक के लिये कुल कितना वार्षिक योजना परिव्यय है;

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या वार्षिक योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कोई योजना सम्मिलित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) 1992-93 के लिए कर्नाटक का कुल अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 1915 करोड़ रु० का है। कुल अनुमोदित परिव्यय को मुख्य/लघु शीर्ष में विकासवार आवंटित किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्षिक योजना में केन्द्रीय सहायता वाली केवल वे ही परियोजनाएं शामिल हैं जो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं। 26 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं जिनके लिए 1992-93 में 639.39 करोड़ रु० का प्रावधान है।

[हिन्दी]

एच० एम० टी० के बंगलौर और तुमकूर स्थित एककों

1171. **श्रीमती सुमित्रा महाजन::** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच०एम०टी० के बंगलौर और तुमकूर स्थित एककों के मध्य कोई समुचित समन्वय नहीं होने के कारण सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यमविभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रंगीन टेलीविजन उद्योग

1172. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रंगीन टेलीविजन उद्योग की स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) 1991 के दौरान सभी रंगीन टेलीविजन निर्माताओं के उत्पादन आंकड़े और ब्रांड नाम क्या हैं तथा कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या देश में रंगीन टेलीविजन के निर्माण हेतु कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रवेश कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वदेशी रंगीन टेलीविजन उद्योग की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी

तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रंगीन टी वी रिसीवर का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाखनगों में)	
1989	—	12
1990	—	12
1991	—	8.8

(ख) टी वी उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान रंगीन टी वी (सी टी वी) का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के नाम तथा प्रयोग में लाए जाने वाले ब्रांड का नाम और प्रत्येक इकाई द्वारा विनिर्मित रंगीन टेलीविजन सेटों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) विदेशी सहयोग में रंगीन टी वी सेटों के विनिर्माण के लिए कुछ भारतीय कम्पनियों को अनुमोदित किया गया है।

(ङ) उदारीकरण संबंधी उपायों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय परासरण के माध्यम से स्वदेश में ही उत्पादित रंगीन टी वी रिसीवरों की गुणवत्ता में वृद्धि होने की संभावना है।

विवरण-1

टी० वी० उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए/शुरू किए गए उपाय

1. आर्थिक उपाय:

सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 72/92 दिनांक 19-6-92 तथा 73/92 दिनांक 19-6-92 के जरिए क्रमशः टी वी रिसीवरों तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर उत्पादन शुल्क में कुछ छूट की घोषणा की है।

2. सामान्य नीति तथा कार्य प्रणाली संबंधी उपाय

लाइसेंसिंग

(क) समूचे इलेक्ट्रोनिकी उद्योग को अन्य उद्योग के मामले में लगाए गए स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) श्याम तथा श्वेत टी वी सेटों के लिए सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में जिनमें एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियां शामिल हैं, लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है।

(ग) अलग-अलग मामले में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी एम पी) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमोदनों/पंजीकरणों का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब राज्य स्तरीय उद्योग निदेशों के स्तर पर यह कार्य

किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए पूंजीनिवेश की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है तथा सहयोगी इकाइयों के मामले में यह सीमा 75 लाख रुपये कर दी गई है।

(ङ) विद्यमान इकाइयों को एक ही लाइसेंस के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का उत्पाद करने की अनुमति के अंतर्गत किसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजीनिवेश के बिना ही किसी भी वस्तु का विनिर्माण करने की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है।

(च) एकाधिकार प्रतबंधनकारी व्यापार पद्धति (एम आर टी पी) अधिनियम में संशोधन होने के फलस्वरूप एम आर टी पी के अंतर्गत आने वाली कंम्पनियों की संपत्ति की आरम्भिक सीमा समाप्त हो गई है।

(छ) सरकार ने रंगीन टी वी उद्योग के मामले में आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस में अतिरिक्त शर्तें लगाना बंद करने का निर्णय किया है।

आयात तथा निर्यात नीतियां

(क) आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों तथा संघटक-पूर्जों के आयात के लिए 1991 के बजट में लागू की गयी आंशिक परिवर्तनशीलता प्रणाली के माध्यम से मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है।

(ख) औजार, सांचे, मोल्ड, खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत घटे हुए सीमा शुल्क पर उपलब्ध हैं।

(ग) नई आयात-निर्यात नीति, प्रतिबन्धित सूची में रखी गई कुछ वस्तुओं को कर उपादानों के मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है।

(घ) टी वी सेटों के निर्यातकर्ता अब सधन, भरे हुए या स्टफ्ड मुद्रित परिपथ बोर्डों तथा सामने से और ऊपर से भरे जा सकने वाले कैसेट मेकेनिज़म सहित वीडियो टे डेक मेकेनिज़म के आयात लाइसेंस के पात्र हैं।

इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी पार्क

सरकार द्वारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक कम्पनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकी से विश्वस्तरीय विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की जा सकें। इससे भारतीय उद्यमों को प्रचालन के विश्वव्यापी स्तर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उनके उत्पाद तथा प्रक्रिया की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

व्यापार की दिशा

इलेक्ट्रोनिक उद्योग में व्यापार की गति में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। उसका उद्देश्य इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास की गति में तेजी लाने के लिए लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क, मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि से संबंधित प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना है।

3. **मूल संरचनात्मक तथा अन्य सुविधाएं**

(क) गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ प्रयोगशालाएं गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हैं। इससे इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के निर्यात में अवश्य सहायता मिलेगी।

(ख) उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के उत्पादन का सुनिश्चय करने की दृष्टि से श्याम तथा श्वेत टी वी तथा रंगीन टी वी के लिए प्रमाणीकरण की योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(ग) 'वर्ष 1992 के उपरान्त एकल यूरोपीय बाजार' में निर्यात के प्रयोजन से आई एस ओ 9000 की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से उचित साधन जुटाने के लिए उद्योग की सहायता करने तथा उन्हें सहयोग प्रदान करने की पेशकश की जा रही है।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, राष्ट्रीय रेडार परिषद्, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी परिषद्, तथा इलैक्ट्रानिकी सामग्री विकास परिषद द्वारा उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो किसी भी इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास के मूलभूत तत्व हैं, कई परियोजनाएं शुरू की गई।

(ङ) चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के कार्य करने के लिए इलेक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की भी स्थापना की गई है जो आत्म निर्भर औद्योगिक आधार का विकास करने का उपाय है।

(च) देश के विभिन्न भागों में कई इलेक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों (सी ई डी टी) की स्थापना की गई है जिसका मूल उद्देश्य डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण, विश्वसनीयता, अनुरक्षण आदि का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए विनिर्माण प्रक्रिया जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना है।

(छ) आम उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की मरम्मत सेवा तथा रख-रखाव के लिए 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छः महीने की अवधि का मरम्मत-सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

विवरण-2

लिप्स सूचना प्रणाली वर्ष 1991 के दौरान रंगीन टी वी विनिर्माताओं की सूची

	विनिर्माता का नाम	ब्रांड नाम	माला (नगों में)
	1	2	3
1.	असम इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि॰ गुवाहाटी	अपट्रान	792
2.	अटारी (इण्डिया) इलेक्ट्रोनिक्स, कलकत्ता	अटारी	311
3.	बी पी एल (इण्डिया) लि॰ बंगलौर	बी पी एल इण्डिया	1,50,000
4.	बी पी एल इण्डिया लि॰ पालघाट	बी पी एल इण्डिया	20,320
5.	बी पी एल सैन्य यूटिलिटीज एण्ड एप्लाइन्सेज प्रा॰ लि॰ नई दिल्ली	बी पी एल इण्डिया	31,229
6.	बुश इण्डिया लि॰ बम्बई	बुश	16,587
7.	कैलकाम इलेक्ट्रानिक्स लि॰, दिल्ली	कैलकाम	30
8.	कैलकाम विजन लि॰, नई दिल्ली		1,486
9.	कैनन इलैक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	कैनन	1
10.	कावेरी इलेक्ट्रानिक्स लि॰ बम्बई	बुश	3171
11.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लि॰, साहिबाबाद	सी ई एल	586
12.	कार्नर स्टोन ब्रांडस लि॰ अहमदाबाद		1,796
13.	डालमिया इलेक्ट्रानिक्स निगम, वल्लभगढ़	डालमिया	268

	1	2	3
14.	डिक्को इलेक्ट्रानिक्स लि॰, नई दिल्ली	टेली	8
15.	डोमबेल निवेश प्रा॰ लि॰, नोएडा	विडियोकॉन	48,144
16	डायनामिक इलेक्ट्रानिकस लि॰, बम्बई	बी पी एल इण्डिया	6,230
17.	डायनाविजन लि॰ मद्रास	डायनोरा	8,168
18.	भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि॰ हैदराबाद	ई सी आई एल	17,590
19.	इयुथसन्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, त्रिचुर	टेलटॉनिक्स	303
20.	गोवा इलेक्ट्रानिक्स लि॰, मापूसा	जी ई एल/ई सी	679
21.	गुजहीन इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰ अहमदाबाद	गुजट्रान	25
22.	हेप्फ्रेज इलेक्ट्रानिक्स लि॰ पालघाट	हेप्फ्रेज	713
23.	इण्डियन टेक्नोलाटिस एण्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रो) प्रा॰ लि॰ हैदराबाद	आई टी ई	148
24.	इनफिनी इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, हैदराबाद	ई टी एण्ड टी	3
25.	इल्लविजन सिस्टम्स (आई) प्रा॰ लि॰, अहमदाबाद		18
26.	इपिट्रोन टाइम्स लि॰, भुवनेश्वर,	इपिट्रोन	10
27.	जे डी इलेक्ट्रोनिकी उद्योग प्रा॰ लि॰, गांधीनगर		4
28.	जोली टेलीविजन प्रा॰ लि॰, रामपुर	स्टार ट्रेक	2,215
29.	जुपिटर रेडियोज (रवि), नई दिल्ली	टेक्सला	9,565
30.	कल्याणी शार्प इण्डिया लि॰, पुणे	आरटोनिका	49,095
31.	केजरीवाल इलेक्ट्रोनिक्स लि॰, कलकत्ता	आस्कर	430
32.	केरल राज्य इलेक्ट्रोनिकी विकास निगम लि॰,	केलट्रोन	2,444
33.	केरल राज्य इलेक्ट्रोनिकी विकास निगम लि॰, त्रिवेन्द्रम	केल्ट्रोन	3,657
34.	कोणार्क टेलीविजन लि॰, भुवनेश्वर	कोणार्क	4,061
35.	कुमाऊं टेलीविजन प्रा॰ लि॰, भीमताल	अपट्रोन	1,056
36.	एम पी एस ई डी सी लि॰, (उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी दल), (भोपाल)	ओप्टेल	97
37.	मणिपुर इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि॰,	इम्फाल	421
38.	एम ई सी (इण्डिया) लि॰, नई दिल्ली	एम ई सी	911
39.	मीरा इलेक्ट्रानिक्स (नासिक) प्रा॰ लि॰, नासिक	मीराट्रोन	4
40.	मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि॰, बम्बई	ओनिडा	97,190
41.	मोनिका इलेक्ट्रोनिक्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	ओनिडा	39,453
42.	न्यु वीडियो लि॰, नई दिल्ली	एन वी एल	3
43.	ओनिडा साका लि॰, नई दिल्ली	ओनिडा	12,243
44.	ओनिडा सेवक लि॰, नोएडा	ओनिडा	11,240
45.	पैनोरमा इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, कलकत्ता	पेनोरमा.	571
46.	पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि॰, कलकत्ता	फिलिप्स	36,520
47.	पाइनेकल एक्सपोर्टर्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	विडियोकोन	2,175
48.	पालिमर इण्डिया, सेलम	पालिमर	20
49.	क्वासर इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, बम्बई	ब्लू डाएमो	620
50.	रा-वेस्टोनिक्स, मद्रास	शक्ति	856
51.	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स लि॰, जयपुर	रीको	202
52.	इलेक्ट्रानिक्स लि॰, बंगलौर	बुश	7,500

	1	2	3
53.	सलोरा इण्टरनेशनल लि॰, काशीपुर	सलोरा	3,289
54.	सलोरा इण्टरनेशनल लि॰, नई दिल्ली	सलोरा	9,908
55.	सीयर्स इलेक्ट्रानिक्स, लि॰, मद्रास	सीयर सेलकोट	211
56.	श्री रामकृष्ण इलेक्ट्रानिक्स, भोपाल	विडियोकोन	9,972
57.	सिदकल टेलीवीजन लि॰, मंजरी	केलटोन॰	88
58.	शिव गंगा इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, शिवगंगा	प्रियदर्शिनी	40
59.	स्कैट्रन्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	स्कैट्रान	13
60.	सालिडेयर इण्डिया लि॰ मद्रास	सालिडेयर	16,510
61.	सोनोडायन टेलीविजन कंपनी लि॰ कलकत्ता	*सोनाडायन	1,180
62.	सुपर कैसेट उद्योग लि॰, नोएडा	टी-सीरीज़	1,348
*63.	सिनसेन फेब्रिक्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	विडियोकोन	11,814
64.	टेलीरामा (इण्डिया) लि॰, कलकत्ता	टेलीरामा	15
65.	टेलीविजन एण्ड कम्पोनेन्ट्स लि॰, गांधी नगर	क्राउन	19,077
66.	टेलस्टार संचार प्रणाली प्रा॰ लि॰, कन्नानोर	टेलीस्टार	6
67.	टेक्सला इलेक्ट्रानिक्स, लुधियाना	टेक्सला	18,423
68.	अपट्रोन इण्डिया लि॰, जोनपुर	अपट्रोन	6,760
69.	अपट्रोन इण्डिया लि॰, लखनऊ	अपट्रोन	4,664
70.	वी जी इलेक्ट्रानिक्स नोएडा	टी सीरीज़	409
71.	वीडियो इलेक्ट्रानिक्स लि॰, साहिबाबाद	क्राऊन	4,559
72.	वीडियो टेक्निका प्रा॰ लि॰ बंगलौर	क्यूमेक्स	832
73.	वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि॰, औरंगाबाद	वीडियोकोन	1,10,00
*74.	वीडियोकोन इण्टरनेशनल लि॰, गांधी नगर	वीडियोकोन	22517
75.	वीडियोन, नई दिल्ली	क्राऊन	5
76.	ब्यूटोन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	ब्यूटोन	13
77.	वेबल निक्को इलेक्ट्रोनिक्स लि॰, कलकत्ता	वेबल निक्को	1,919
78.	वेस्टन कम्पोनेट्स लि॰, नई दिल्ली	वेस्टन	1,140
79.	वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स लि॰, नई दिल्ली	वेस्टन	21,818

*इन इकाइयों का उत्पादन नौ महीनों के उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर।

गांवों में सौर ऊर्जा का उपयोग

1173. **श्री सैयद शहाबुद्दीन**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संयंत्र के लिए केन्द्रीय परिव्यय तथा अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य के कितने गांवों में ऐसे संयंत्र स्थापित किये गये हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य के कितने गांवों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर लाइटों, सौर पम्पों, सौर विद्युत संयंत्रों, सौर जल तापकों, सौर कुकरों, इत्यादि संबंधी विभिन्न प्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु देशव्यापी कार्यक्रमों तथा विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। 1-20 कि०वा०की श्रृखला में छोटी क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र विदयुतरहित गांवों में लगाए जा रहे हैं। ये संयंत्र समान्यतः घरेलू लाइटों, स्ट्रीट लाइटों और टेलीविजन को बिजली देते हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे संयंत्रों में प्रयुक्त सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों की लागत वहन करती है जबकि शेष लागतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती हैं।

(ग) और (घ) राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

सौर विद्युत संयंत्रों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत संयंत्रों की सुविधा वाले गांवों की संख्या (31.3.92 की स्थिति)	1992-93 के दौरान सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	1	1
4.	बिहार	-	3
5.	गोआ	4	1
6.	गुजरात	3	2
7.	हरियाणा	1	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	2
9.	कर्नाटक	-	1
10.	केरल	1	2
11.	मध्य प्रदेश	-	1
12.	महाराष्ट्र	3	-
13.	मणिपुर	5	2
14.	मेघालय	1	8
15.	नागालैण्ड	1	-
16.	उड़ीसा	4	8
17.	राजस्थान	1	3
18.	त्रिपुरा	9	10
19.	उत्तर प्रदेश	24	15
20.	पश्चिम बंगाल	1	1
21.	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	3	17

1	2	3	4
22.	दिल्ली	1	-
23.	लक्ष्यदीप	1	4

दिल्ली वासियों को राशन कार्ड

1174. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने लोग उचित दर की दुकानों से आवयक वैस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) दिल्ली वासियों को कुल कितने स्थाई अथवा अस्थाई राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) कितने लोगों के पास अभी राशन कार्ड नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार के पास मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों तथा श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1.2 करोड़ से अधिक आबादी (31.5.92 की स्थिति) के लिए लगभग 25.46 लाख राशन कार्ड जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है और इसमें व्यवसाय, आय या भौगोलिक अवस्थितियों आदि के आधार पर लाभानुभोगियों के बीच भेद नहीं किया जाता है। जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं, उन्हें आवेदन करने पर आवश्यक यथोचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राशन कार्ड जारी कर दिए जाते हैं।

उड़ीसा में रसायन उद्योग

1175. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ रसायन उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) सरकार द्वारा उड़ीसा में किसी रसायन उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधि कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना

1176. **श्री मोहन रावले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को कतिपय औषधियों और विटामिनों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कतिपय औषधि निर्माता एकक जनता को अपने उत्पाद अधिक मूल्य पर बेच रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) अनुसूचित प्रपुंज औषधों का बीआईसीपी द्वारा लागत सह तकनीकी अध्ययन और इस मंत्रालय में इन रिपोर्टों की जांच का कार्य एक सतत क्रिया है। बीआईसीपी तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रपुंज औषधु के उचित मूल्य की सिफारिश करता है।

(ग) और (घ) जब कभी अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होती है तो उसे जांच के लिए संबंधित राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन को भेज दिया जाता है। जांच के पश्चात् यदि तथ्यों को सही पाया जाता है तो डीपीसीओ, 1987 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत आगे कार्रवाई शुरू की जाती है।

पासपोर्ट जारी करना

1177. **श्री यशवन्त राव पाटिल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक शुल्क देने पर तत्काल पासपोर्ट जारी करने हेतु कोई सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (ग) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पर सरकार बराबर निगाह रखती है ताकि पासपोर्ट आवेदनों पर की जाने वाली कार्यवाही शीघ्रता पूर्वक की जा सके।

सिविल सेवा परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय

1178. **श्री गुरुदास कामत**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षाओं में अतिरिक्त विषय ऐच्छिक विषयों के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा योजना की समीक्षा के लिए श्री सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल सेवा परीक्षा में डाक्टरी शिक्षा का ज्ञान रखने वाले काफी उम्मीदवार बैठते हैं, समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक तथा मुख्य दोनों परीक्षाओं में चिकित्सा विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

[हिन्दी]

औद्योगिक कानूनों में संशोधन

1179. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ औद्योगिक कानूनों में संशोधन करने संबंधी मामले पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इन निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) फरवरी, 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ नये औद्योगिक संबंध विधान संबंधी रामानुजम समिति, जिसे नये औद्योगिक संबंध विधेयक के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए गठित किया गया था, की रिपोर्ट पर विचार किया गया था। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि रिपोर्ट की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए तथा आम राय प्राप्त करने के उद्देश्य से असहमति के क्षेत्रों की जांच करने के लिए पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया जाए। तदनुसार, श्रम एवं कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया जाए। तदनुसार, श्रम एवं कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है। 25 अप्रैल और 1 जून, 1992 को दल की बैठकें हुई। इस दल को अपनी उन सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप देना है जिन पर अगस्त, 1992 में आयोजित होने वाली भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किया जायेगा।

जापान से आर्थिक शिष्टमंडल

1180. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के आर्थिक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या सरकार को जापान के उक्त शिष्टमंडल से कोई सुझाव और सिफारिशे मिली है;

(ग) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल ने भारत के आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत में पूंजी निवेश के संबंध में क्या सुझाव दिये है; और

(घ) उन सुझावों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) जी, हां, जापान के वाणिज्य और उद्योग मंडल के अध्यक्ष डा० राकुरोइशिकावा के नेतृत्व में 100 सदस्यों के एक शिष्टमण्डल ने जनवरी, 1992 में भारत का दौरा किया था। शिष्टमण्डल के अध्यक्ष ने पूंजी निवेश, व्यापार, वित्त और श्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर भारत सरकार को 21 मुद्दों/अनुरोधों की सूची प्रस्तुत की थी। शिष्टमण्डल द्वारा उठाये गए अनेक मुद्दों/अनुरोधों को 1992-93 के बजट, अप्रैल, 1992 को घोषित निर्यात-आयात नीति तथा समय-समय पर घोषित नीति संबंधी परिवर्तनों में शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग

1181. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में ग्रेनाइट का उत्पादन कहां-कहां होता है;

(ख) क्या राज्य में ग्रेनाइट पर आधारित उद्योग लगाने की भारी सम्भावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में ग्रेनाइट को काटने तथा पालिश करने के लिए एकक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) राजस्थान में जहां से ग्रेनाइट निकाला जाता है उनमें से प्रमुख क्षेत्र हैं जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, नागौर, नुआं क्षेत्र कालकाजी तथा जालौर जिला।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार ग्रेनाइट के उत्पाद अनिवार्य लाइसेंसीकरण की सूची में नहीं आते। कोई भी उद्यमी औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भेजकर राज्य में एक यूनिट की स्थापना कर सकता है। ग्रेनाइट के तराशे हुए और पॉलिश किये हुए उत्पाद बनाने के लिए सरकार भी 100% निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर

1182. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाए गए कार्मिक कम्पयूटरों के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) योजना आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) ने अपने कम्प्युटर संचार नेटवर्क, निकनेट के भाग के रूप में पर्सनल कम्प्युटरों की उपयोगिता के संबंध में अध्ययन किया है जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र यूनिटों में लगाए गए हैं। ये अध्ययन मुख्यतः विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए कम्प्युटर सहायता प्राप्त प्रबंध सूचना पद्धति के विकास से संबंधित हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय थर्मल पावर निगम जैसे अनेक सरकारी क्षेत्र यूनिटों के लिए निकनेट के सहयोग से कम्प्युटरों की उपयोगिता के संबंध में अध्ययन किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार नेटवर्क की उपयोगिता के लिए सरकारी कार्यालयों के 10,000 से भी अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। सरकारी कार्यालयों में निर्णय समर्थन के लिए 300 से भी अधिक डेटाबसों का विकास किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विभिन्न सचिवालय भवनों में राष्ट्रीय क्षेत्र नेटवर्क (एल० ए० एन०) की भी स्थापना की है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की सहज पहुंच के भीतर कम्प्युटर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

[अनुवाद]

पारादीप फास्फेट लिमिटेड को देय दावा रहित राजसहायता

1183. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "पी० पी० एस० स्पीज 60 करोड़ अनक्लेम्ड सब्सिडी हैंग्स इन बैलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पारादीप फास्फेट लिमिटेड से नारू सरकार द्वारा शेयरों के वापस लिए जाने तथा इन शेयरों को गुजरात के एस्सार समूह को कथित रूप से बेचे जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कम्पनी का कुल आर्थिक एवं वित्तीय क्षमता पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस कम्पनी की स्थापना के समय से इसमें जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसे किस प्रकार हल किया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ० आई० सी० सी०) को पी पी एल से रु० 60 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में कोई ऐसा दावा प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस समय 90.32 करोड़ रुपये के दावे एफ० आई० सी० सी० के पास लम्बित पड़े हैं जो कि एफ० आई० सी० सी० द्वारा उनकी 55वीं बैठक में अनुमोदित कीमतों में संशोधन के कारण मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित हैं।

(घ) फिलहाल संयुक्त उद्यम कम्पनी में नारू सरकार ने साझेदारी जारी रखी है। पी पी एल में नारू सरकार के शेयरों को इस्सार समूह को बेचने के सम्बन्ध में उनके अनुरोध पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) मुख्य समस्या जिसने पहले कम्पनी को प्रभावित किया था वह फास्फोरिक एसिड की थी, जिसमें महत्वपूर्ण सुधार हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 1991-92 के दौरान कम्पनी ने 16.38 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ दर्शाया है और 1992-93 के दौरान लगभग 20.0 करोड़ का लाभ दर्शाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने हाल ही में अपने फास्फोरिक एसिड संयंत्र का आरम्भण किया है जिसमें 50-60% की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

राज्यों के लिए महिला अधिकारियों की संख्या नियत करना

1184. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या प्रधान मंत्री 1 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5464 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य संवर्गों में महिला अधिकारियों की संख्या नियत करने के संबंध में अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): (क) और (ख) संवर्ग आवंटन के सिद्धांतों की पुनरीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

विदेशी सहयोग समझौतों को मंजूरी देने के मानदण्ड

1185. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहयोग समझौतों को मंजूरी देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है;

(ख) क्या इन समझौतों में अन्त्योत्पाद के निर्यात के बारे में कोई शर्त लगाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) जैसा 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में बताया गया है,

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक इस वक्तव्य के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सीधे विदेशी पूंजी निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन देता है बशर्ते इस विदेशी पूंजी निवेश में आयातित पूंजीगत माल हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता शामिल हो।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश कर पाने के लिए मुख्यरूप से निर्यात कार्यकलापों में लगी व्यापारिक कंपनियों के लिए 51% तक प्रमुख विदेशी इक्विटी धारिता की भी स्वतः अनुमति देता है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी तकनोलोजी संबंधी उन समझौता के लिए स्वतः ही अनुमति देता है जिसमें 1 करोड़ रु० तक का एकमुश्त भुगतान, स्वदेशी बिक्री के लिए 5% रायल्टी और निर्यात के लिए 8% रायल्टी निहित है बशर्ते कि बिक्री के 8% का कुल भुगतान समझौता होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में हो अथवा उत्पादन शुरू होने से 7 वर्षों के दौरान हो जाये।

सरकार निर्यात संभावना, रोज़गार संभावना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाले अन्य संभावित लाभों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वतः निपटान हेतु मानदण्डों के अतिरिक्त विदेशी सहयोग के अन्य प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार भी करती है तथा निपटान भी करती है। लघु उद्योग एककों के अतिरिक्त एककों द्वारा लघु क्षेत्र हेतु आरक्षित मदों का विनिर्माण शुरू करने के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव अलग-अलग हैं बशर्ते कि आवेदक उत्पादन का कम से कम 75% निर्यात करें।*इसी प्रकार 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के तहत विदेशी सहयोग हेतु प्रस्ताव भी इसी योजना के अन्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात वचनबद्धता के अधीन है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी

1186. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं तथा परिवार के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस संबंध में कितनी प्रगति की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़े कारखाने

1187. **श्री लाल बाबू राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में अनेक कारखाने/मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक कारखाना/मिल, कब से बन्द पड़ा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किये है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) उपलब्ध अद्यतन सूचना के आधार पर उत्पादों की मांग में कमी के कारण 1.7.1991 से एक मात्र दत्ता उद्योग, भगतदीह, झरिया, धनबाद (बिहार) नामक एक औद्योगिक इकाई को बंद किया गया था।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जीवनक्षम रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के बारे में संबद्ध बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों ने मामला-दर-मामला आधार पर पुनर्वास पैकेज तैयार किए हैं।

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी आई एफ आर) को रूग्ण इकाइयों के बारे में उपचारी उपाय निर्धारित करने और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। [अनुवाद]

मध्य प्रदेश में नई कोयला खानों की योजना

1188. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ कोयला खानों को खोलने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या कोयला खानों को खोलने से कई क्षेत्रों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो किन-किन कोयला खानों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (घ) कोयला परियोजनाओं पर निवेश संबंधी निर्णय अन्य बातों के साथ साथ प्रौद्योगिकी-आर्थिक सम्भाव्यता, कोयला का उत्पादन स्थापित करने की संभावनाओं, संसाधनों की उपलब्धता पर्यावरण और वानिकी संबंधी अनुमोदन, आदि पर निर्भर करता है। वर्तमान में, कोल इंडिया लि० का निदेशक बोर्ड 50 करोड़ रु० तक की लागत की कोयला परियोजनाओं के स्वीकृति दिए जाने के लिए सक्षम है। 50 करोड़ रु० से अधिक की लागत की परियोजनाओं पर सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण कोयला परियोजनाएं हैं, जो कि सरकार के मूल्यांकन अधीन हैं। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:—

क्र०सं०	नाम	कंपनी (कोयला क्षेत्र)	क्षमता	टिप्पणी
1.	ब्लाक "बी" ओ० का० प०	ना० को० लि० (सिंगरौली)	3 मि० ट० प्र० वर्ष	नई परियोजना
2.	दीपका विस्तार	सा०ई०को०लि० (कोरबा)	2 से 10 मि० टन प्रति वर्ष	क्षमता का विस्तार
3.	तवा घू० ग०	वे० को० लि० (पाथरखेरा)	0.8 मि०ट० प्र० वर्ष	नई खान
4.	दुधी चुआ विस्तार	ना०को०लि० (सिंगरौली)	5 से 10 मि० ट० प्र० वर्ष	क्षमता का विस्तार

ब्लाक "बी" ओपनकास्ट और तथा भूमिगत परियोजनाओं की अग्रिम कार्यवाही योजनाओं को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है ताकि कोयला कंपनी भूमि अधिग्रहण, वन तथा पर्यावरणीय अनुमोदन संबंधी कार्यवाही शुरू कर सके। दीपका ओपनकास्ट परियोजना (विस्तार) के संबंध में वार्निको और पर्यावरण संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जो कि निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने से पूर्व अपेक्षित हैं। दुधीचुआ चरण-1 चालू परियोजना है जिसकी क्षमता में विस्तार किया जायेगा।

नई कोयला परियोजनाओं को चलाए जाने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर अवश्य उत्पन्न होंगे।

आई०एस०आई० मार्क

1189. **श्री प्रबीन डेका:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्यूमिनियम के बर्तनों पर आई०एस०आई०/बी०आई०एस० (भारतीय मानक ब्यूरो) का मार्क अंकित लगाया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में आम आदमी के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) ऐलुमिनियम के बर्तनों पर भारतीय मानक ब्यौरो का प्रमाणन स्वैच्छिक है। ऐलुमिनियम के बर्तनों के वे विनिर्माता, जिनके उत्पाद संबंधित भारतीय मानक विशिष्ट, अर्थात आई एस : 1660 (भाग—1) के अनुरूप हैं, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन योजना के तहत बर्तनों पर भारतीय मानक ब्यौरो के मानक चिह्न का प्रयोग करने के हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

इस्पात क्षेत्र हेतु योजना परिव्यय

1190. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने इस्पात क्षेत्र की वार्षिक योजना में कुछ कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात क्षेत्र के योजना परिव्यय में कटौती करने से इस्पात उद्योग के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महिला सरकारी कर्मचारियों को अवकाश सुविधाएं

1191. **कुमारी विमला वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये अवकाश सुविधाओं को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र तथा अन्य सरकारी उपक्रमों को भी ऐसी ही सुविधाएं देने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा): (क) और (ख) हाल ही में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में किए गए संशोधनों के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर सभी प्रकार की देय तथा अनुज्ञेय छुट्टियां (अदेय छुट्टी तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना 60 दिन तक की परिवर्तित छुट्टी सहित) एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस समय तक जब तक कि बच्चा एक वर्ष का हो जाए, इसमें से जो भी पहले हो, मंजूर की जा सकती है। तथापि यह सुविधा उस महिला को अनुज्ञेय नहीं होगी जिसके पास गोद लेते समय पहले ही से दो जीवित बच्चे हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच कश्मीर संबंधी वार्ता

1192. **श्री रवि राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लंदन में ब्रिटेन और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में कश्मीर के मामले पर विशेषतः पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा अपनी गतिविधियां जारी रखने के बारे में चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) यूनाइटिड किंगडम ने कई बार पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय राज्य जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के विरुद्ध किए जाने वाले आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देना बंद कर दे।

उत्तर प्रदेश के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या

1193. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में विशेषकर भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु विशेष वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल: (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए 42.30 लाख रुपये की सहायता मांगी थी।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि नहीं दी गई है क्योंकि 42.30 लाख रुपये की उपरोक्त राशि को राज्य सरकार के पास उपलब्ध आपदा राहत कोष में से पूरा किया गया था।

सहकारी कानून हेतु समिति

1194. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने तथा अधिक लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने हेतु एक आदर्श सहकारी कानून सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचाराधीन विषयों एवं इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) संसद में इस संबंध में विधेयक कब तक पेश किया जायेगा?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा माडल सहकारिता समिति विधेयक की सिफारिश करने के लिए मार्च 1990 में एक समिति का गठन किया था तथा जनवरी 1991 में इसका पुनर्गठन किया गया। विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

(1) सहकारिता आन्दोलन की स्थिति की तेजी से व्यापक पुनरीक्षा करना तथा भावी दिशाओं के बारे में सुझाव देना, तथा

(2) विधेयक को अंतिम रूप देना तथा इसे 30 सितम्बर तक योजना आयोग को प्रस्तुत करना।

विवरण में समिति का गठन दिया गया है।

समिति ने मॉडल सहकारिता अधिनियम के रूप में अपनी सिफारिशें की है तथा इसमें सहकारिता समितियों में और अधिक किफायत बरतने और एक संघीय ढांचा बनाने संबंधी प्रावधान है ताकि सदस्य सहकारिता समितियों की पुनरीक्षा, विनियमन तथा अनुशासनात्मक पर्यवेक्षण अधिनियम के तहत स्थापित होने वाले संघीय निकाय द्वारा किया जा सके।

(ङ) और (च) सरकार ने सिद्धांत रूप में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने राज्यों के लिए माडल सहकारिता समिति अधिनियम का सुझाव दिया है। राज्य सरकारों से अपने सहकारिता समिति अधिनियम में समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

संख्या क्यू 16023/1/90-कृषि

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
16 जनवरी, 1991

आदेश

विषयः माडल राज्य सहकारिता समिति विधेयक समिति का पुनर्गठन

माडल राज्य सहकारिता समिति विधेयक पर विचार करने तथा अंतिम रूप देने के लिए एक समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है जो कुछ समय से प्रारूप स्तर पर है।

1.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश पूर्व सांसद, पूर्व महासचिव भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ तथा पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री शेर सिंह सदस्य, योजना आयोग	सदस्य
3.	श्री अशीम दास गुप्ता वित्त मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता	सदस्य
4.	श्री आर० वी० देशपांडे एम०एल०ए०, बंगलौर	सदस्य
5.	श्री अन्नासाहब शिंदे उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
6.	श्री आई० एस० गुलाटी उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, केरल	सदस्य
7.	डा० वी० कुरियन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात	सदस्य
8.	श्री एस० एस० पुरी पूर्व सचिव, योजना आयोग तथा पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	सदस्य

9.	सुश्री शशि राजगोपालन "समाख्या" हैदराबाद	सदस्य
10.	श्री आर॰ सी॰ कपिला सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग	सदस्य
11.	श्री बी॰ बी॰ एल॰ माथुर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
12.	श्री एस॰ कानूनगो विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
13.	डा॰ एस॰ के॰ मिश्रा संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार विधि तथा न्याय मंत्रालय	सदस्य
14.	डा॰ आर॰ सी॰ द्विवेदी मुख्य कार्यपालक, एनसीयूआई, जी-64, साकेत, नई दिल्ली-110064	सदस्य

श्री एम॰बी॰ पावटे, परामर्शदाता, योजना आयोग संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1195. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय को गत छः माह के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र / अभ्यावेदन / ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) पन्द्रह दिन के अन्दर कितने पत्रों की पावती भेजी गई अब तक कितने पत्रों का अन्तिम उत्तर भेज दिया गया है; और

(ग) पन्द्रह दिन के अन्दर पावती तथा तीन माह के अन्दर अन्तिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा के नये पुनः प्रयोज्य स्रोतों के लिए विदेशी सहायता

1196. **श्री वी॰ देवराजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान विकासशील देशों से ऊर्जा के नये पुनः प्रयोज्य स्रोतों के क्षेत्र में उन्हें सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी हां।

कुछ विकासशील देशों से अनुरोध प्राप्त होने पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में इन देशों को सहायता प्रदान की।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

नए तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए विदेशी सहायता

क्र.सं.	देश का नाम	दी गई सहायता का स्वरूप	अवधि
1.	वियतनाम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा 5 वियतनामी अधिकारियों के लिए उन्नत कुकस्टोव विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण का आयोजन (इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय दौरों का भी आयोजन किया गया)	20-2-91 से 14-6-91
2.	भूटान	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और प्रौद्योगिकी एवं कृषि इंजीनियरिंग कालेज उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से अधिकारियों / उन्नत चूल्हा तकनीशियनों के लिए अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया।	29-4-91 से 15-5-92
3.	नामीबिया	बायोगैस की संभाव्यता का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के एक अधिकारी को उस देश की सहायता के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।	5—20 जून, 1991
4.	वियतनाम	सैंटर फॉर एनर्जी स्टडीज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में वियतनाम के दो विशेषज्ञों को अक्षय ऊर्जा के बारे में छः माह तक प्रशिक्षण दिया गया।	अगस्त, 91 से जनवरी, 92
5.	अफगानिस्तान	प्रौद्योगिकी और कृषि इंजीनियरिंग कालेज, उदयपुर में अफगानिस्तान का एक क्षेत्र इंजीनियर नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।	7 माह तक 26 मार्च, 92 से प्रशिक्षण आरंभ हुआ।

महाराष्ट्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा केन्द्र

1197. **श्री अन्ना जोशी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कितने गैर-परम्परागत ऊर्जा केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड और आवश्यकताएं हैं;

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए अब भी लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) विभिन्न प्रकार के नए तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों का अनुसंधान विकास, प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चार केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र बायोगैस विकास और प्रशिक्षण के लिए ग्राम विज्ञान केन्द्र, वर्धा में, उन्नत चूल्हा संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए कास्टफोर्ड, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे में, बायोमास अनुसंधान के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में, गैसीफायर प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में और सपाटप्लेट वाले और संग्राहक और सौर कुकर के परीक्षण के लिए पूना विश्वविद्यालय, पुणे में स्थापित किए गए हैं।

ये केन्द्र विभिन्न कार्यक्रमों की तकनीकी तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं, कृषि-मौसम क्षेत्रों, प्रचालन क्षेत्र, संस्थाओं की इच्छा, इत्यादि के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। ये विभिन्न राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी निर्भर करते हैं। इसके अलावा, देश की विभिन्न अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों स्वायत्य संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य किए जाते हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्य के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है जो अनुमोदन के लिए अब भी लम्बित पड़ा है।

ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य नोडल अभिकरण द्वारा महाराष्ट्र में 81 परियोजनाएं (कार्यान्वयनाधीन 33 परियोजनाओं सहित) शुरू की गई है। तथापि सभी संसदीय क्षेत्रों में लागू की गई इस योजना तथा वित्तीय कठिनाई के कारण 54 अतिरिक्त ऊर्जाग्राम प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जा सके।

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

1198. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार चूल्हा लगाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किस हद तक उसे प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) राज्य स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं / किये जा रहे हैं और इसके लिए कितनी राजसहायता देने का प्रस्ताव है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) वर्ष 1991-92 के लिए नियत 19,27,000 चूल्हों के वार्षिक लक्ष्य

की तुलना में सम्पूर्ण देश की उपलब्धि 21,52,830 चूल्हे हैं। 1991-92 का राज्यवार और उपलब्धियां विवरण-''क'' में दी गई हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के उद्भासन प्रशिक्षण, प्रयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों, प्रादेशिक भाषाओं में पोस्टरों / परचों के प्रकाशन / दृश्य-श्रव्य कैसेटों, रेडियो तथा दूरदर्शन से व्यापक प्रचार, प्रदर्शनियों, कठपुतली के तमाशों के आयोजन, इत्यादि के जरिए राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। सफरी उन्नत चूल्हों के विनिर्माण में लगे छोटे उद्यमियों में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए आयकर, केन्द्रीय बिक्री कर, औद्योगिक लाइसेंसिंग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इत्यादि में छूट जैसे विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और इसका कार्यान्वयन राज्य / संघ राज्य सरकारों के क्षेत्रीय तंत्र के जरिए किया जाता है। 1992-93 के लिए आर्थिक सहायता की पद्धति विवरण-''ख'' में दी गई है।

विवरण ''क''

1991-92 के दौरान उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	1,20,000		1,47,982
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,000		3,018
3.	असम	55,000		41,386
	क. आर॰डी॰डी॰	50,000	36,386	
	ख. असम एम्रो	5,000	5,000	
4.	बिहार	1,20,000		1,63,317
5.	गुजरात	1,00,000		66,258
	क. आर॰डी॰डी॰	30,000	34,465	
	ख. जी॰ई॰डी॰ए॰	60,000	30,305	
	ग. गुजरात एम्रो	10,000	1,488	
6.	गोआ	10,000		11,017
7.	हरियाणा	60,000		54,008
8.	हिमाचल प्रदेश	40,000		46,560
	क. आर॰डी॰डी॰	20,000	24,731	
	ख. हिमऊर्जा	10,000	11,829	
	ग. एच॰पी॰एम्रो	10,000	10,000	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	40,000		16,223
10.	कर्नाटक	1,00,000		1,12,013
11.	केरल	50,000		77,650
12.	मध्य प्रदेश	1,60,000		1,60,066
13.	महाराष्ट्र	1,40,000		1,83,527
	क. आर॰डी॰डी॰	1,30,000	1,63,523	
	ख. एम॰ई॰डी॰ए॰	10,000	20,004	
14.	मणिपुर	6,000		6,362
15.	मेघालय	5,000		
16.	मिजोरम	2,500		3,500
17.	नागालैण्ड	3,000		2,500
				(नव॰ 91)
18.	उड़ीसा	60,000		99,890
19.	पंजाब	85,000		87,984
	क. आर॰डी॰डी॰	80,000	80,000	
	ख. पी॰ई॰डी॰ए॰	5,000	7,984	

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		लक्ष्य		उपलब्धि
20.	राजस्थान		1,45,000		1,92,785
21	सिक्किम		5,000		4,130
22.	तमिलनाडु		1,10,000		1,34,978
	क. आर॰डी॰डी॰	1,00,000		1,23,351	
	ख. टी॰ई॰डी॰ए॰	10,000		11,627	
23.	त्रिपुरा		2,000		1,617
24.	उत्तर प्रदेश		3,00,000		2,92,056
	क. आर॰डी॰डी॰	2,10,000		2,12,640	
	ख. एन॰ई॰डी॰ए॰	50,000		39,416	
	ग. यू॰पी॰ एग्रो	40,000		40,000	
25.	पश्चिम बंगाल		55,000		82,023
26.	अंडमान एवं निकोबार		5,000		5,000
27.	चंडीगढ़		500		2,016
28.	दादर एवं नागर हवेली		1,000		1,001
29.	दमन एवं दीव		500		—
30.	दिल्ली		25,000		29,495
31.	लक्षद्वीप		200		255
32.	पांडेचेरी		2,000		1,500
33	के वी आई सी		50,000		46,287
34.	एन डी डी बी		15,000		14,965
35.	ए आई डब्ल्यू सी		10,000		18,680
36.	अन्य		42,300		42,781
	योग		19,27,000		21,52,830

विवरण "ख"

वर्ष 1992-93 के लिए उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के वास्ते प्रस्तावित आर्थिक सहायता पद्धति को दर्शाने वाला विवरण

	केन्द्रीय सहायता/आर्थिक सहायता	पद्धति
1	स्थिर माडल के उन्नत चूल्हे	अनुमोदित यूनिट लागत घटा लाभभोगी का 5 रुपये न्यूनतम अंशदान परन्तु अधिकतम 50/-रुपए।
2.	सचल माडल के उन्नत चूल्हे	
	(क) साधारण श्रेणी	चूल्हे की 50% लागत परन्तु अधिकतम 50/-रुपए
	(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पहाड़ी क्षेत्र	चूल्हे की 75% लागत परन्तु अधिकतम 75/-रुपए
3.	सामुदायिक/वाणिज्यिक चूल्हे	-शून्य-

भारतीय उच्चायुक्त की लेसिस्टर-यात्रा

1190. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त ने हाल ही में लेसिस्टर की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन लोगों ने इस यात्रा का आयोजन किया था और किन-किन स्थानों पर उनकी सभाएं आयोजित की गई थीं;

(ग) क्या अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाक-अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी मुसलमानों से मुलाकात की थी;

(घ) क्या कुछ सभा स्थलों पर उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) हाई कमिश्नर ने हाल ही में 27 जून, 1992 को दो समारोहों के सिलसिले में यात्रा की थी। ये समारोह इस प्रकार हैं:— वीजा जारी करने और पासपोर्ट नवीकृत करने के संबंध में लीस्टर में दो दिवसीय शिविर का उद्घाटन जिसका आयोजन लीस्टर शर सिटी काउंसिल ने अपने परिसर में किया था तथा जैन-क्रिश्चियन एसोशियन द्वारा लीस्टर स्थित जैन सैंटर में आयोजित जैन-क्रिश्चियन एकता सम्मेलन।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जी हां। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 25 कश्मीरियों के एक दल ने, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे, एक छोटा सा प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने वीजा शिविर के उद्घाटन के समय सिटी काउंसिल के कार्यालयों के बाहर कुछ नारे लगाये और वे तख्तियां लिए हुए थे।

अमेरिकी सीनेटरों द्वारा भारत की आलोचना

1200. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री रूप चन्द पाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कुछ प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटरों द्वारा की जा रही भारत की आलोचना से निपटने का कोई प्रयास किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) हमारा मिशन महत्वपूर्ण अमरीकी विधायकों और उनके लोगों से बराबर संपर्क बनाए हुए है। हमारे राजदूत खुद भी अमरीकी कांग्रेस के बहुत से सदस्यों से और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जा सके। भारत-अमरीकी समुदाय को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अमरीकी विधायकों के समक्ष हमारी बात को सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें। इन प्रयासों के फलस्वरूप विदेशी सहायता बिल के विभिन्न संशोधनों में भारत के प्रति आलोचनात्मक उल्लेख निकाल दिए गए हैं तथा खासतौर पर भारत को लक्ष्य बनाकर कोई संशोधन नहीं किए गए।

"बाल अधिकारों" पर संयुक्त राष्ट्र समझौता

1202. **श्री सुधीर गिरि:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने मूलभूत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अंतर्गत बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से किन किन अधिकारों का सुनिश्चित करने की मांग की गई;

(ग) भारत में कितने प्रतिशत बच्चों को ये अधिकार अभी तक दिए जाते हैं और उन्हें इस समझौते के क्षेत्राधिकार में शामिल करने हेतु क्या योजना बनाई गई है; और

(घ) किन-किन देशों ने अब तक इस सम्मेलन का अनुसमर्थन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार किए जाने के पक्ष में हुई सर्व-सम्मति में अपनी स्वीकृति तो दी है परन्तु इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है।

(ख) और (ग) अभिसमय के अंतर्गत आने वाले अधिकार बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास से संबद्ध हैं और इन अधिकारों में सिविल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृति अधिकार शामिल हैं। राज्य पक्षकारों से यह अपेक्षा है कि वे इन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए सभी समुचित उपाय करें। जहां तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध है, राज्य पक्षकारों द्वारा अपने अधिकतम उपलब्ध संसाधनों तक अपेक्षित उपाय करने होंगे।

(घ) 1 जून, 1992 तक 117 राज्यों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा संबंधी रिपोर्ट

1203. **श्री मृत्युन्जय नायक:**
श्री चित्त बसु:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित "गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान करने संबंधी "विशेषज्ञ दल" की अंतिम बैठक 27 मार्च, 1992 को हुई थी। रिपोर्ट अंतिम चरण में है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन

1204. **श्री बारे लाल जाटव:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों की ओर से अभ्यावेदन

1205. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों की ओर से उनकी सुरक्षा और उनको हुए नुकसान के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) इस सिलसिले में सरकार अफगानिस्तान की सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि भारतीय मूल के अफगान राष्ट्रिकों की जान और माल की हिफाजत के लिए वह हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निवेश योजना

1206. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश कार्यक्रम को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग और परामर्शदात्री एककों के लिए तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निवेश में से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए कोई अंश देने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूंजीनिवेश संबंधी कार्यक्रमों के ब्यौरों को, संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद, अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विश्व निविदाओं की प्राप्ति

1207. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त विश्व निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए और इन्हें कार्यान्वित करने में हुए लाभ / घाटे का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के विविध उपक्रमों द्वारा स्वीकार की गई विश्व निविदाओं का ब्यौरा, निविदा के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि आदि सरकारी

क्षेत्र के उद्यमों के दिन-प्रति-दिन के प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसलिए ऐसी कोई केन्द्रीकृत परिवीक्षण प्रणाली प्रचलित नहीं है जिसके तहत जानकारी एकत्र करने अथवा सरकारी उद्यमों के लिए इन सभी पहलूओं के बारे में सरकार को सूचित करने की आवश्यकता हो।

संविदाओं के लाभ / हानि से संबंधित ब्यौरा सम्बद्ध लाभ एवं हानि के लेखे में शामिल किया जाता है तथा संबंधित वार्षिक लेखा वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

भारतीय उर्वरक निगम में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

1208. **श्री राम विलास पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में अनुसीचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने के लिए अब तक कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) फालतू जनशक्ति कर्मचारियों तथा वित्तीय अभाव की स्थिति के कारण फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ०सी०आई) में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया। निगम में यह निर्णय लिया गया था कि केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर बाहर से कोई भर्ती न की जाए।

[हिन्दी]

पेंशन भोगियों की शिकायतें

1209. **श्री अरविन्द त्रिवेदी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपनी पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ठोस कदम उठाने का विचार है ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) से (ग) पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की कार्य-प्रणाली एक विकेन्द्रीकृत आधार पर संचालित होती है। पेंशन की समय पर मंजूरी सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिकोण से जनवरी 1987 में निर्देश दिए गए थे जिनमें आधवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक पेंशन तथा उपदान-अस्थायी अथवा अंतिम का प्राधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन करने के लिए विभागाध्यक्षों / कार्यालय प्रमुखों को जिम्मेदार बनाया गया है। ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जिन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख तक अपने पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त नहीं होते उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों को इस मंत्रालय की जानकारी में लाएं। यह कार्य-प्रणाली संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

[अनुवाद]

कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र

1210. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री हाराधन राय:
श्री रूप चन्द पाल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डंकुनी, पश्चिम बंगाल में कोयला-गैस पर आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) डानकुनी में कोयला गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र द्वारा अर्जित लाभ

1211. **श्री छेदी पासवान:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कोयला क्षेत्र को कुल कितना लाभ हुआ है; और

(ख) 1991-92 के दौरान बिहार को कोयले पर कितनी रायल्टी दी गई है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोयला कंपनियों के वर्ष 1991-92 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप और लेखा-परीक्षित नहीं किया गया है, इसलिए उनकी स्थिति दर्शायी नहीं जा सकती है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार को दी गई रायल्टी की राशि 299.33 करोड़ रु० (अनन्तिम) की है।

[अनुवाद]

कोकिंग कोल का पता लगाने हेतु खोज कार्य

1212. **श्री विजय एन० पाटील:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झरिया खानों के बाहर कोकिंग कोल का तथा रानीगंज खानों के बाहर बढ़िया किस्म के गैर-कोकिंग कोल का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय खोज प्रयास कार्यों को तेज करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस खोज कार्य का ब्यौरा क्या है और इस खोज के क्या परिणाम निकले है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला आधारित घरेलू ईंधन को प्रोत्साहित करने हेतु भी कदम उठाए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) देश में कोयले और लिग्नाइट के नए भंडारों का पता लगाए जाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए जाने वाला क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य एक नियमित प्रक्रिया है। ईस्ट बोकारो, दक्षिणी कर्णपुरा कोलफील्ड (बिहार) का पतरातु क्षेत्र और सोहागपुर कोलफील्ड (मध्य प्रदेश) में कोकिंग कोयले के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य गहन रूप से किया जा रहा है। अकोकार कोयले की बेहतर किस्म के लिए रामकोला और मंड-रायगढ़ कोलफील्डस् (मध्य प्रदेश) में तथा उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड्स में भी अन्वेषण कार्य गहन रूप से किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। विशेष धुंआरहित ईंधन और ब्रिकेटस में, विशेषतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में घरेलू ईंधन के रूप में कोयले का उपभोग किए जाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर 20 एस०एस०एफ० संयंत्र पहले ही वाणिज्यिक रूप में प्रचलन में आ गए हैं और अन्य 18 स्थापनाधीन हैं। इस प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है और उद्यमियों को संपूर्ण देश में इस तरह के संयंत्र लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

1214. **श्री रूप चन्द मुरमु:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रुप-रेखा क्या है;

(ख) क्या योजना संबंधी दस्तावेज पर सभा में चर्चा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना दस्तावेज सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) दिशापरक प्रकृति की है। यह भावी दीर्घकालीन कार्यनीति का निर्माण करने पर केन्द्रित है और यह राष्ट्र की प्राथमिकताएं निश्चित करती है। योजना में विकल्पों पर विस्तृत विचार किया गया है और विभिन्न क्षेत्रकों में विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की गई है।

(2) योजना सभी विकास प्रयासों के केन्द्र के रूप में "मानव विकास" को स्वीकारती है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता तथा पेयजल, आवास तथा कमजोर वर्गों के कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित उनकी आधारभूत आवश्यकताओं के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान करती है।

(3) आधारभूत संरचना के विकास के लिए पता लगाए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र है विद्युत, परिवहन और संचार।

(4) यह योजना आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों से बचते हुए एक गैर-स्फीति ढंग से वित्त पोषण द्वारा वित्तीय असंतुलनों को दूर करने की कोशिश करती है।

(5) इस योजना में विकास और उपयुक्त कार्यान्वयन के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों/एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए सस्कार के पुनर्गठन पर, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, ऊर्जा और परिवहन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

(6) जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर तथा लोगों द्वारा चुनी हुई पंचायतों, पालिकाओं, जो अपने क्षेत्रकों में विकास परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें कायान्वित करने में एक बड़ी भूमिका अदा

करेंगी, का संस्थागत दृष्टिकोण अपना कर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहली बार एक नई दिशा दी जा रही है।

(7) यह योजना निष्पादन प्रधान है और निष्पादन सुधार, गुणवत्ता, जागरूकता, प्रतिस्पर्धा और प्रचालनों की दक्षता और परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर बल देती है।

(8) योजना में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(9) यह योजना एक लचीली योजना है जिसमें राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए परिव्यय में परिवर्तन और समायोजन के अवसर हैं।

(10) योजना में योजना अवधि के दौरान 798,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के 434,100 करोड़ रु० परिव्यय सहित औसतन 5.6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का प्रस्ताव है।

(11) संसाधनों की संभावित स्थिति पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना का आकार 186,235 करोड़ रुपए और केन्द्रीय योजना का 247,865 करोड़ रुपए अनुभानित है।

लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु चुने गए पिछड़े क्षेत्र

1215. **श्री पी० वी० वी० एस० मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु लघु विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए पूरे देश में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए पिछड़े क्षेत्रों की संख्या, राज्य-वार कितनी है;

(ग) इन विकास केन्द्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विकास केन्द्रों में परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऋण देने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ङ) लघु, अति लघु तथा ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए 6.8.1991 को घोषित नीतिगत उपायों के अनुसरण में, ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवस्थापनापरक विकास (तकनीकी सहायता सेवाओं सहित) योजना का एक मसौदा तैयार किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1217. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों में किये गये प्रमुख विकास कार्य क्या हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में नये एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (घ) उद्यम विशेष के विकास कार्य विभिन्न सरकारी उद्यमों द्वारा समय-समय पर किये जा रहे हैं। बहरहाल, गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में विस्तार, विकास तथा प्रतिस्थापन आदि पर खर्च किये गये पूंजीगत व्यय का ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाएं स्थापित करने अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करने का निर्णय परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और साधनों की उपलब्धता के साथ-साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5
1.	भारत डायनामिक्स लि०	8708	5182	411
2.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि०	192	285	34
3.	सी० एम० सी० लि०	708	881	99
4.	इलेक्ट्रानिक्स कारपो० ऑफ इंडिया लि०	1178	2276	164
5.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि०	138	222	11
6.	एच एम टी बियरिंग्स लि०	100	83	5
7.	मिश्र धातु व्यापार निगम लि०	76	145	7
8.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	3630	356	127
9.	प्राग टूल्स लि०	179	86	12
10.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	86632	120273	10497
11.	सदर्न पेस्टीसाईड्स कारपो० लि०	98	25	[illegible]
12.	स्पंज आयरन इंडिया लि०	612	197	3

संकट चेतावनी प्रणाली

1218. **श्री राधिका रंजन प्रामाणिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में किन स्थानों पर स्वीकृत किए गये इन्सेट पर आधारित संकट चेतावनी प्रणाली संग्राहक (डिसास्टर वार्निंग सिस्टम रीसीवर्स) स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ख) इसकी स्थापना पर कुल कितना धन खर्च होगा तथा उसके लिए कुल कितने श्रम शक्ति की आवश्यकता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) 1992-93 के दौरान पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में प्रत्येक में जिन 15 स्थानों पर इन्सेट पर आधारित संकट चेतावनी प्रणाली संग्राहक स्थापित करने का विचार है, उनकी सूची नीचे दी गयी है:—

पश्चिम बंगाल

डायमंड हारबर, काकदीप, हाउसनाबाद, हल्दिया, दिघा, कटई, कलकत्ता, (अलीपुर भारत मौसम विज्ञान विभाग), कलकत्ता (राइटर्स बिल्डिंग राज्य मुख्यालय) संदेशखाली, हिंगलगंज, पत्थरप्रतिमा, सागर आइलेंड, बसंती, गोसाला और आकाशवाणी कलकत्ता।

उड़ीसा

भोगराई, बासुदेवपुर, बलियापाल, चांदबाली, महाकालपारा, पारादीप, धरमा, राजनगर, कटक (राजस्व बोर्ड) अस्तारांग, पुरी, भुवनेश्वर, कृष्णप्रसाद, गोपालपुर तथा आकाशवाणी कटक।

(ख) (1) 30 संकट चेतावनी प्रणाली संग्राहकों (2) संकट चेतावनी प्रणाली उच्च सम्पर्क (अपलिंक) (3) संकट चेतावनी प्रणाली अनुरक्षण केन्द्र की कुल लागत 124 लाख रुपये है।

स्कीम के इस भाग, इन प्रणालियों के अनुरक्षण, के लिए कुल स्वीकृत श्रम शक्ति 12 है।

भारी उद्योगों की स्थापना

1219. **डा० असीम बाला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्थापित किए जाने वाले भारी उद्योगों के वित्त पोषण और उनके लिये स्थानों का चयन करने के लिये क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ख) भारी उद्योगों के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनका सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार अथवा योजना आयोग ने वित्त पोषण किया है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) सभी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एक अति महत्वपूर्ण कसौटी है। बहरहाल, संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता, साधनों की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय महत्व के अन्य कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इस्पात, कोयला तथा लिग्नाइट, विद्युत, पैट्रोलियम तथा भारी इंजीनियरी क्षेत्रों में क्रमशः 6348.36 करोड़ रुपये, 7255.43 करोड़ रुपये, 13442.68 करोड़ रुपये तथा 136.42 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था।

गुजरात में बड़े/मझौले/लघु/अत्यन्त लघु उद्योग

1220. **डा० अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में गैर-सरकारी और संयुक्त क्षेत्र में अलग-अलग कितने बड़े, मझौले, लघु और अत्यन्त लघु उदयोग स्थापित किए गए हैं;

(ख) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात के "आशय पत्र" के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ग) इनका कब तक निपटान कर दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 1990 और 1991 के दौरान गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए 166 आशय-पत्र और 68 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। इसी अवधि के दौरान संयुक्त क्षेत्र के लिए 4 आशय-पत्र और 4 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। अगस्त-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान गुजरात में उद्योग लगाने के लिए 292 ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे।

1989 और 1990 (नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं) के दौरान उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार के पास पंजीकृत अत्यन्त छोटे एककों सहित लघु क्षेत्र के एककों की संख्या 12888 थी।

(ख) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में उद्योग लगाने के लिए आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए 46 प्रस्ताव लम्बित थे।

(ग) औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी के लिए आवेदनों को निपटाने की एक निर्धारित समय-सीमा है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि आवेदन इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटा दिए जाएं।

लघु क्षेत्र के लिए कार्यकारी पूंजी तथा सावधि ऋण मांग संबंधी समिति

1221. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखरमूर्ती** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु क्षेत्र के लिए कार्यकारी पूंजी तथा सावधि ऋण मांगों की जांच करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (घ) लघु उद्योगों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रबन्धों और अन्य सम्बद्ध मामलों की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री पी० आर० नायक की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित लघु उद्योगों संबंधी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 के अंत तक प्रस्तुत कर देने की आशा है।

योजना आयोग के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

1222. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने गांवों की खराब दशाओं के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा एकीकृत विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट दिसंबर, 1991 में प्रस्तुत की गई थी। टास्क फोर्स द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें: (I) वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में अपेक्षित परिवर्तनों का अध्ययन; (II) जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सम्पूर्ण विकास संबंधी प्रशासन में और अधिक एकीकरण स्थापित करना; (III) सहकारिता समिति अधिनियम तथा समिति पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना; (IV) राजनैतिक निहितार्थों के बिना विकास उद्देश्य के लिए "ग्राम विकास संगम" नाम की ग्रामीण संस्था की स्थापना; (V) स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना; (VI) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैय्या कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली तथा; (VII) स्वैच्छिक संगठनों के प्रबंध के लिए सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण तथा निर्माण हेतु पैकेजों का विकास करने से संबंधित हैं।

(ग) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है तथा निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की गई है:

(I) टास्क फोर्स की रिपोर्ट की प्रतियां दिसम्बर, 1991 में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री तथा जनवरी, 1992 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजी गई थीं।

(II) टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए एक स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय एकक की स्थापना योजना आयोग में की गई है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित स्वैच्छिक संगठनों की स्कीमों की निर्देशिका स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय एकक द्वारा तैयार की गई है।

(III) विभिन्न संबंधित मंत्रालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों से निवेश प्राप्त करने के लिए तेजी से विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के सृजन के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन 29 अप्रैल 92 को योजना आयोग में किया गया।

(IV) टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार तीन स्कीमों अर्थात् (I) एकीकृत विकास के लिए ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा शहरी गरीबी के क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं के सृजन/रिप्लीकेशन/मल्टीप्लीकेशन; (II) स्वैच्छिक संगठनों में विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की तैनाती तथा; (III) स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

(V) एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क के सृजन के लिए तथा उपरोक्त तीन स्कीमों के लिए "सीड मनी" प्रदान करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वैच्छिक कार्रवाई सलाहकार परिषद् की स्थापना 28 मई, 1992 को की गई है।

परिषद् के अन्य सदस्यों में योजना आयोग के सदस्य डा॰ (श्रीमती) चित्रा नायक, डा॰ जयंत पाटिल तथा डा॰ एस॰ जेड॰ कासिम शामिल हैं।

(VI) टास्क फोर्स द्वारा सुझाए गए त्रिस्तरीय माडल के आधार पर निचले स्तर पर लोगों की पूर्ण भागीदारी के साथ माइक्रो स्तर की भागीदारी योजना का प्रयोग आठवीं योजना के प्रथम वर्ष में 150 ब्लाकों में आरंभ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं के लिए बिहार को सहायता

1223. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजना परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दी गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सरकार बिहार सहित राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लाक [illegible] सहायता प्रदान कर रही है और इस प्रकार केन्द्रीय सहायता का आवंटन [illegible] परियोज[illegible] किया जाता।

[अनुवाद]

फर्जी भर्ती

1224. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के पदों की भर्ती में अपनाये जाने वाले मानदंडों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये पद समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना अथवा रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थियों को बुलाये बिना खुली भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आये सरकारी कार्यालयों में फर्जी/गैर कानूनी रूप से की गयी भर्ती का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) कर्मचारी चयन आयोग मंत्रालयों/विभागों तथा इनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह "ग" गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करता है। ऐसे पद भर्ती के अन्य अनुमत्य स्रोतों, उदाहरणार्थ रोजगार कार्यालय अथवा समाचार पत्रों के विज्ञापनों आदि के आधार पर केवल तभी भरे जा सकते हैं जब आयोग के पास उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर वह ऐसी भर्ती करने की पूर्व अनुमति दे देता है।

जहां तक समूह "ग" के तकनीकी पदों का संबंध है ये पद केवल रोजगार कार्यालय द्वारा ही भरे जाने होते हैं और ये पद केवल रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अन्य अनुमत्य माध्यमों द्वारा भरे जा सकते हैं समूह "ग" तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों ही पद पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय (अधिशेष कर्मचारी) कक्ष को सूचित किए जाने होते हैं जो या तो अधिसूचित

रिक्तियों पर व्यक्तियों को नामित करेगा (यदि उनके रोस्टर पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध है) अथवा उपर्युक्त अन्य अनुमत्य माध्यमों द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में समूह घ पद पहले रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के विशेष कक्ष को सूचित किए जाते हैं तथा यदि उपर्युक्त विशेष कक्ष यह प्रमाणित कर दे कि उनके पास कोई अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरी जा सकती हैं। ऐसी समूह घ रिक्तियां अन्य अनुमत्य स्रोतों से केवल रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भरी जाती हैं।

(ग) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

गुजरात की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

1225. श्री गाभाजी भंगाजी ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1992 तथा गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) इन्हें स्वीकृति देने में यदि कोई कठिनाई सामने आ रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार ने पेयजल की तीन परियोजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की थीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1989-90 के दौरान अनुमोदित की गई तीन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत
		(लाख रुपये में)
1.	अतिरिक्त आठ क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना	336.79
2.	थरड़ क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना (दूसरा चरण)	252.24
3.	अतिरिक्त सन्तालपुर	153.51

1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य द्वारा भारत सरकार को कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मजदूरों द्वारा रुग्ण एककों को चलाया जाना

1226. श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण औद्योगिक एककों के मजदूरों द्वारा अपने एककों को चलाये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अनुसार, बी० आई० एल० आर० के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन में ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों की सहकारी समिति सहित रुग्ण औद्योगिक कंपनी के औद्योगिक उपक्रम को किसी व्यक्ति को पटटे पर देना और रुग्ण औद्योगिक कंपनी के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों सहित किसी व्यक्ति को शेयर हस्तांतरित करने अथवा जारी करने जैसे उपाय शामिल हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास भी एक स्कीम है अर्थात श्रमिक औद्योगिक सहकारिता के लिए इक्विटी फंड स्कीम—जो जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनरूज्जीवन में श्रमिकों की औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा ऐसे एककों का अधिग्रहण करके मदद करता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की रुग्णता

1227. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार लघु उद्योगों की रुग्णता का प्रतिशत कितना है;

(ख) इनकी रुग्णता के क्या कारण हैं, और

(ग) इनकी रुग्णता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) लघु क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता के लिए बाहरी व भीतरी दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदायी रहे हैं जो प्रायः साथ-साथ चलते हैं। लघु क्षेत्र में रुग्णता के ज्ञात कुछ प्रमुख कारण ये हैं:— पर्याप्त कच्चे माल व कार्यशील पूंजी की कमी, प्राप्य माल का खासतौर पर बड़े एककों से विलंब से प्राप्त होना, विपणन समस्याएं प्रबन्धकीय कमियां, प्रौद्योगिकी का अप्रचलित होना, बिजली की आपूर्ति में बार-बार कटौती/गिरावट, श्रमिक समस्याएं आदि।

(ग) इनकी रुग्णता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(I) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु एककों की परिभाषा, जीव्यता मानदण्डों, आरंभिक रूग्णता तथा संभावित रूप से जीव्यक्षम रूग्ण एककों के मामले में पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से दी जाने वाली राहतों व रियायतों का हवाला देते हुए लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों के पुनर्वास के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी-सिद्धांतों का जारी किया जाना।

(II) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां स्थापित की गयी हैं।

(III) जिन संभावित जीव्यक्षण रूग्ण एककों की परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है उन्हें अगस्त, 1987 में स्थापित की गयी राष्ट्रीय इक्विटी निधि से नाम मात्र के एक प्रतिशत वार्षिक सेवा शुल्क पर दीर्घकालीन इक्विटी के रूप में 1,50,000/-रु० की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(IV) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीव के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धन योजना चला रहा है जिसके अधीन प्रत्येक एकक को 50,000 रु० तक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 1983-84 से 1991-92 तक 243.59 लाख रु० मंजूर किए गए हैं।

लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी व सावधि ऋणों की जरूरतों को पूरा करने के प्रबंधों की समीक्षा करने तथा रूग्ण लघु उद्योगों का पुनर्वास करने और लघु उद्योगों से संबंधित अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तारीख 9.12.1991 के ज्ञापन द्वारा एक समिति नियुक्त की गयी है।

विवरण

(क) देश के लघु उद्योगों में रुग्णता का राज्यवार प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रुग्णता का प्रतिशत (30.9.1990 की स्थिति के अनुसार)
1.	असम	1.97
2.	आंध्र प्रदेश	0.03
3.	मिजोरम	—
4.	बिहार	2.37
5.	अरुणाचल प्रदेश	0.01
6.	पश्चिम बंगाल	15.92
7.	नागालैंड	0.02
8.	मणिपुर	0.68
9.	उड़ीसा	2.89
10.	सिक्किम	0.03
11.	त्रिपुरा	0.25
12.	अंडमान व निकोबार	0.01
13.	उत्तर प्रदेश	13.62
14.	दिल्ली	1.99
15.	पंजाब	2.26
16.	हरियाणा	1.56
17.	चंडीगढ़	0.12
18.	जम्मू और कश्मीर	0.80
19.	हिमाचल प्रदेश	0.53
20.	राजस्थान	5.11
21.	गुजरात	2.85
22.	महाराष्ट्र	8.82
23.	दमन और दियू	0.03
24.	गोवा	0.55
25.	दादरा व नागर हवेली	0.003
26.	मध्य प्रदेश	7.64
27.	आंध्र प्रदेश	13.30
28.	कर्नाटक	4.87
29.	लक्षद्वीप	—
30.	तमिलनाडु	4.65
31.	केरल	7.15
32.	पांडिचेरी	0.09
	योग:	100.00

नोट: सितम्बर, 1990 के अन्त (नवीनतम अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) में रुग्ण इकाइयों की कुल संख्या 2,25,324 थी।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों में संशोधन

1228. श्री कड़िया मुण्डा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में आए दिन श्रमिकों की हड़तालों और श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष को देखते हुए श्रम कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) श्रम कानूनों में हड़तालों या आंदोलनों के कारण नहीं बल्कि अन्य आधारों पर संशोधन किये जाते हैं, जैसा कि:—

(i) विद्यमान वातावरण में परिवर्तन की आवश्यकता।

(ii) त्रिपक्षीय मंचों या उच्चाधिकार-प्राप्त आयोगों द्वारा की गयी सिफारिशें।

(iii) कानूनों के वर्तमान प्रावधानों के कार्यकरण की समीक्षा।

(iv) कानून के अन्तर्गत कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता।

(v) कानून के अन्तर्गत कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

1229. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध अधिनियम की अवधि 22 अगस्त, 1992 तक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम को 22 अगस्त, 1992 को अथवा उसके पश्चात् करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अधिनियम के प्रावधानों को उसके समाप्त होने की तिथि से आगे की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की वैधता 31 अगस्त, 1992 को समाप्त हो जाएगी।

(ख) से (घ) यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी ब्राण्ड के नामों के टूथपेस्ट

1230. श्री रूप चन्द पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारतीय बाजार में टूथपेस्ट की विभिन्न किस्मों के लिए कितने ब्राण्ड नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश टूथपेस्टों का उत्पादन लघु-उद्योगों द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार टूथपेस्टों में विदेशी ब्राण्ड के नामों का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) देश में किसी ऐसे लघु उद्योग एकक की जानकारी नहीं है जो विदेशी ब्राण्ड के नाम से टूथपेस्ट का विनिर्माण कर रहा है। संगठित क्षेत्र में कुछ एकक ब्राण्ड नामों के अनतर्गत अपने उत्पादों का विपणन कर रहे हैं जिन्हें भारत के बाहर भी इस्तेमाल किया जाता है।। भारतीय बाजार में टूथपेस्ट की किस्मों के लिए उपयोग किये जाने वाले विदेशी ब्राण्ड के नामों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत में विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व के ब्राण्ड नामों/ट्रेड मार्कों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी लगाने का निर्णय नहीं लिया है बशर्ते ये इस देश में किसी विधि, नियमों अथवा विनियमनों का उल्लंघन नहीं करते हों।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों से भारतीयों को हटाने के लिये विदेशी सहायता

1231. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाड़ी युद्ध से पूर्व कुवैत से भारतीयों को वापस लाने के लिये सरकार को कोई विदेशी सहायता मिली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठाये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी, हां।

(ख) लगभग 20,000 भारतीय राष्ट्रिकों को अम्मान से निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण संगठन, जेनेवा ने 74 उड़ानों की व्यवस्था की।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में अनिवासी भारतीयों पर आधारित उद्योग

1232. **श्री थाइल जान अंजलोस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक नीति को उदार बनाने के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों ने केरल में उद्योगों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा से लेकर अब तक विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) को केरल में उद्योगों की स्थापना हेतु अनिवासी भारतीयों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए

है, अर्थात् (i) मै० हैंडेज इलैक्ट्रानिक्स लि० से कार्डलैस टेलीफोन के विनिर्माण के लिए केरल राज्य में पल्लाकक्ड स्थित एकक में कोरिया से 8.36 लाख रु० के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के पूंजीगत माल का आयात तथा (ii) पश्चिमी जर्मनी के अनिवासी भारतीय श्री मथाई जी० थेहिल से केरल राज्य के जिला कोट्टायम में एक आफसेट प्रिंटिंग एकक की स्थापना का कार्य आरंभ करने के लिए जर्मनी से 11,32 लाख रु० के लागत बीमा भाड़ा मूल्य की पुरानी प्रिंटिंग मशीनों का आयात।

मै० हैंडेज इलैक्ट्रानिक्स लि० ने प्रस्ताव का 25 सितम्बर, 1991 का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है। जहां तक दूसरे प्रस्ताव का संबंध है, चूंकि इसमें पुरानी प्रिंटिंग मशीनरी का आयात शामिल है, जो कि 7 साल से कम पुरानी है, इसलिए आवेदक को सलाह दी गई है कि 1992—97 की आयात-निर्यात नीति के अनुसार, उक्त मशीनरी के आयात के लिए, जो कि 7 साल से कम पुरानी है, किसी आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना

1233. श्री के० पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए नये प्रयास किये हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ 1700 ब्लाकों का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन ब्लाकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन ब्लाकों अथवा राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ङ) जी हां, दूरस्थ और सुविधारहित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं पहुंचाने के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, अर्थात् सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना और निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है।

इस संबंध में किए गए उपायों में ये शामिल हैं। अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलना, अब तक प्रणाली के अन्तर्गत न लाए गए लोगों को राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए कदम उठाना, अभिज्ञात क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता सृजित करना/भाड़े पर लेना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जाली कार्डों को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उपयुक्त वितरण की परिवीक्षा करने के लिए गांव/उचित दर दुकानों के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें और स्थानीय पसंद के अनुसार रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं का वितरण करने के लिए भी व्यवस्था करें। इन अभिज्ञान ब्लाकों के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त मासिक आवंटन भी किया गया है।

इन क्षेत्रों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को खाद्यान्नों की आपूर्ति विशेष राज-सहायता प्राप्त दरों (सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामान्य दरों से 50 रु० प्रति क्विंटल कम) पर की जाती है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का निर्यात

1234. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा उससे संबंधित सेवाओं का निर्यात करने के लिये एक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन में कितने सदस्य होंगे और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) उक्त संगठन की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) किन-किन देशों को इस प्रौद्योगिकी का निर्यात करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कम्पनी एक लघु इकाई के रूप में होगी, जोकि भारत तथा विश्व में इसरो की प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विपणन के लिए उत्तरदायी होगी।

(ग) लगभग तीन महीनों में (अक्टूबर 1992)।

(घ) विभिन्न इसरो प्रौद्योगिकियों, अन्तरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के लिए विविध देशों जैसे ब्राजील और इन्डोनेशिया तथा यूरोप इत्यादि से कुछ पूछताछ की जा रही है तथा इन पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में ब्राजील और इन्डोनेशिया को कुछ उत्पादों का निर्यात किया गया है।

[अनुवाद]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पर्यावरण संतुलन को क्षति

1235. श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पर्यावरण संतुलन को पहुंचाई जा रही क्षति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोयला प्राधिकरण का क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) कोयला खनन क्रियाकलापों, विशेषकर ओपेनकास्ट संबंधी-क्रियाकलाप, भूमि में गिरावट आ जाने के कारण वायु और जल प्रदूषण, आदि का पर्यावरण पर अनिवार्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय विकल्पों के अभाव में, वनीय क्षेत्रों में क्षति होने और खनन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थानान्तरित किया जाना भी अपरिहार्य है। कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध में बहुत अधिक चिंता और जागरूकता है। उड़ीसा के तलचर और ईब घाटी कोयला क्षेत्र में अग्रिम पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं, जोकि इन कोयला क्षेत्रों में प्रगामी रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन किए जाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगी। यह रिपोर्ट कोयला खानों में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा भूमि सुधार कार्य से संबंध है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं (ई० एम० पी०), परियोजना व्यवहार्य रिपोर्टों के रूप में प्रत्येक कोयला

परियोजना के संबंध में तैयार की जाती हैं और प्रत्येक कोयला परियोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू किए जाने के लिए पर्याप्त रूप में वित्त संबंधी व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार द्वारा सामान की खरीद एवं बिक्री

1236. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सामान की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कुल कितनी बिक्री की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट आल्वा): केन्द्रीय भण्डार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सामान की खरीद पर खर्च की गई कुल धनराशि तथा कुल बिक्री नीचे दर्शाए अनुसार है। चूंकि वर्ष 1991-92 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, वर्ष 1991-92 के संबंध में दिए गए आंकड़े अनन्तिम हैं।

(रुपए लाखों में)

	1990-91	1991-92
(i) खरीद	3906.52	4712.52
(ii) बिक्री	4125.77	4879.80

गुजरात में खादी और कुटीर उद्योग हेतु नई योजनायें

1237. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और कुटीर उद्योग हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा उद्योगों के अधीन नई योजनाओं सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य को निम्नलिखित राशि वितरित की गई:—

गुजरात को आवंटन

(रु० लाख में)

		1988-89	1989-90	1990-91
1.	खादी अनुदान	544.15	553.32	675.18
2.	खादी ऋण	541.12	123.31	168.96
3.	ग्रामोद्योग अनुदान	8.08	32.38	10.96
4.	ग्रामोद्योग ऋण	74.38	186.43	130.00

बंजर भूमि पर पेड़ लगाना

1238. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की बंजर भूमि पर पेड़ लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान, कितने भूमि-क्षेत्र में पेड़ लगाये जायेंगे; और

(ग) इन पेड़ों की देखभाल के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): (क) वनीकरण और वृक्षारोपण राज्य स्तर पर सतत् जारी रहने वाले कार्यकलाप हैं जिन्हें राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से निधि की उपलब्धता के आधार पर वर्षानुवर्ष आरंभ किया जाता है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अवक्रमित या बंजर भूमि पर वृक्षारोपण सहित वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों, जिसमें राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं के लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	कार्य के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
147.00 करोड़	10.78 लाख हैक्टेयर

(ग) रोपण की गई पौध के उपयुक्त रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों की बाड़, पशुओं द्वारा न लांघी जा सकने वाली खंदकें बनाने आदि पर विशेष बल दिया जाता है। पौधों के उपयुक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए निराई, गुड़ाई तथा अन्य देख रेख कार्य भी किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित किया जाता है और उन्हें कार्यों में शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी

1239. श्री सन्दीपान भगवान घोरात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी में पिछड़ रहा है जैसा कि 17 जून, 1992 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इलैक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, हां। सतह पर आरोहित संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रमुख अंन्तराल का पता लगा लिया गया है। भारत सरकार ने देश में सतह पर आरोहित प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1240. श्री चित्त बसु: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो लागत वृद्धि सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और कब तक इन परियोजनाओं के पूरी हो जाने की संभावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1992 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत वाली 172 केन्द्रीय परियोजनाएं उनकी नवीनतम स्वीकृत लागत के सन्दर्भ में लागत वृद्धि से प्रभावित थीं। इन परियोजनाओं की समग्र लागत वृद्धि 44.6% थी। प्रत्येक परियोजना का नाम, लागत वृद्धि तथा उसके पूरा होने की संभाव्य तिथि के संबंध में ब्यौरा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी की गई जनवरी—मार्च, 1992 की तिमाही की परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट में दिया गया है जोकि लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश को विशेष पर्वतीय सहायता

1241. **डा० जी० एल० कनौजिया:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल हेतु विशेष पर्वतीय सहायता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरांचल उप-योजना 1992-93 हेतु इस क्षेत्र की समस्याओं के उच्च परिमाण तथा इसके वित्तीय संकट के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता 182.01 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है।

(ग) संसाधनों की मात्रा पर केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1992-93 के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अधिक आवंटन के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका है।

संयुक्त सचिव के पदों को भरना

1242. **प्रो० डम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार, संयुक्त सचिव स्तर के कितने पद रिक्त पड़े थे;

(ख) इनमें से कितने पद इस वर्ष भरे जा चुके हैं; और

(ग) वर्ष 1992 में उपर्युक्त पदों पर कितने महिला अधिकारी नियुक्त किए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार, संयुक्त सचिव स्तर के आठ पद रिक्त पड़े थे।

(ख) 1.1.1992 से 30.6.1992 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त 8 पदों में से 4 पदों सहित संयुक्त सचिव के 39 पद भरे जा चुके हैं।

(ग) 1.1.1992 से 30.6.1992 तक की अवधि के दौरान चार महिला अधिकारियों को संयुक्त सचिव

स्तर के पदों पर नियुक्त किया गया है।

प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु स्वतः स्वीकृति

1243. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु स्वतः स्वीकृति के पात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा करने के बारे में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ववर्ती सूचियों में शामिल की गई मदों का ब्यौरा क्या है और इन सूचियों में या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन 34 उद्योग समूह विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के स्वतः अनुमोदन तथा 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के पात्र हैं। बाद में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को इस उद्योग सूची में शामिल कर लिया गया था। इस सूची में आने वाली विभिन्न मदों का विस्तृत विवरण भारतीय व्यापार वर्गीकरण (संगत प्रणाली) के अधीन जारी किया गया था। इन मदों का अब युक्तिकरण किया गया है और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रेस नोट सं॰ 10 (1992) द्वारा एक संशोधित सूची जारी की गई है। विदेशी तकनीकि सहयोग के स्वतः अनुमोदन और विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए पात्र उद्योग समूहों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट संसद पुस्तकालय को भेजे जाते हैं।

गुजरात को उचित दर की दुकानें खोलने के लिए अनुदान

1244. **श्री दिलीप भाई संघानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दुकानें खोलने हेतु उदार शर्तों पर ऋण और अन्य अनुदानों के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यों के लिए कितना धन खर्च किया गया और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जिलेवार कितनी उचित दर की दुकानें खोली गईं; और

(ग) सभी स्तरों पर विशेष रूप से राज्य के पिछड़े जिलों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर और अधिक बल देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) सरकार द्वारा सहकारी समितियों के जरिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दुकानें खोलने हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ग) चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, अतः उचित दर की दुकानों के आवंटन आदि के मानदंड के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकानें खोलने के मामले में सहकारी समितियों को तरजीह दें।

परमाणु ऊर्जा बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें

1245. **श्री राम नाईक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व परमाणु ऊर्जा बोर्ड के दस हजार कर्मचारियों को 17 अक्तूबर, 1987 से प्रतिनियुक्ति भत्ता

दिये बिना स्वगठित परमाणु ऊर्जा निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं की शर्तों को अंतिम रूप देने के संबंध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए 19 फरवरी, 1991 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों के लिए अंततः तैयार की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) पहले के न्यूक्लियर पावर बोर्ड और उसके यूनिटों को सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम में तबदील कर देने के फलस्वरूप, पहले के न्यूक्लियर पावर बोर्ड के कर्मचारियों को नए बनाए गए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में सामूहिक रूप से 17.9.1987 से बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के प्रतिनियुक्ति पर रख लिया गया था।

(ख) बम्बई स्थित मुख्यालय तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर, तारापुर परमाणु बिजलीघर और कैगा परियोजना जैसे कुछ यूनिटों के कर्मचारियों ने 19.12.91 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दी थी तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना, राजस्थान परमाणु बिजलीघर, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 से 8, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4 और ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने 19.12.1991 को हुई हड़ताल में भाग नहीं लिया था।

(ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें (तीन मुद्दों को छोड़कर), जैसी कि सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी, ज्वाइंट कन्सलटेटिव कमेटी में कर्मचारियों की तरफ के सचिव को सूचित कर दी गई थीं। ज्वाइंट कन्सलटेटिव कमेटी में कर्मचारियों की तरफ से 6 और मांगें रखी गई थीं और उन्हें उन सेवा-शर्तों के अतिरिक्त जो सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित हैं, स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने इन मांगों पर विचार किया था और बोर्ड ने एक पैकेज मंजूर किया था तथा बोर्ड का निर्णय कर्मचारियों के प्रतिनिधि को सूचित कर दिया गया था, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं था। मांगों पर पुनः विचार करने के बाद, बोर्ड ने पहले दिए गए पैकेज में संशोधन किया और उन मुद्दों में से एक मुद्दे पर निर्णय लेना अभी सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्ताव है कि शेष मुद्दों पर सरकार का निर्णय प्राप्त हो जाने पर, सरकार और निदेशक बोर्ड दोनों द्वारा अनुमोदित की गई सेवा-शर्तों का एक अन्तिम पैकेज शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा ताकि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में आमेलन के लिए अपना विकल्प दे सकें।

पंजाब में लघु उद्योगों का संवर्द्धन

1246. श्री कमल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनायी है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपकरण केन्द्र (टूल-रूम) स्थापित किये हैं अथवा स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान पंजाब में विदेशी सहायता से किन-किन स्थानों पर उपकरण केन्द्र (टूल-रूम) स्थापित किये गये हैं और वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित

किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ करने के लिए 6.8.91 को घोषित नीतिगत उपाय सारे देश के लिए हैं जिसमें पंजाब भी शामिल है।

(ख) घोषित नीतिगत उपायों में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:—

1. अति लघु क्षेत्र—निवेश सीमा में वृद्धि और विशेष पैकेज विनिर्माण।

2. वित्तीय सहायता।

3. अवस्थापनापरक सुविधाएं।

4. विपणन तथा निर्यात।

5. आधुनिकीकरण, तकनोलाजी तथा गुणवत्ता उन्नयन।

6. उद्यमिता को बढ़ावा देना।

7. प्रक्रिया सरलीकरण।

(ग) भारत सरकार ने 1980 में लुधियाना में एक औजार कक्ष-सह-प्रशिक्षण केन्द्र और 1985 में जालंधर में एक केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान पहले ही स्थापित कर दिये हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कोई औजार कक्ष स्थापित नहीं किया गया और 1992-93 में कोई औजार कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक संस्थाओं को अनुसंधान अनुदान

1247. **श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) उन वैज्ञानिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसंधान अनुदान दिए गए थे;

(ख) अनुदान का प्रयोजन, अनुदान राशि और अनुसंधान के लिए निर्धारित की गई अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्ष के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) विभाग द्वारा किस वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोन्नत करने पर विशेष बल दिया गया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराज कुमारमंगलम): (क) अनुसंधान के लिए जिन कुछेक चुने हुए संस्थानों को धन दिया गया वे हैं: भारतीय विज्ञान संस्थान, सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद विश्वविद्यालय (हैदराबाद), इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस (कलकता), दिल्ली विश्वविद्यालय (दिल्ली), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इन्दौर), जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकता), पुणे विश्वविद्यालय (पुणे), मद्रास विश्वविद्यालय (मद्रास), संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान (लखनऊ), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी), बम्बई विश्वविद्यालय (बम्बई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(अलीगढ़), उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद)।

(ख) जीवन, रसायन, भौतिकी, भूमि, वायुमंडलीय और इंजीनियरी विज्ञान के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए धन दिया गया।

एक अनुसंधान परियोजना की औसत लागत 7.23 लाख रुपये है और ये तीन वर्षों के लिए स्वीकृत किये जाते हैं।

(ग) वर्ष के दौरान शुरू किये गये नये अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 1556 लाख रुपये वितरित किये गये।

(घ) विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अत्याधुनिक यंत्रों, प्रशिक्षण आदि देकर विज्ञान और इंजीनियरी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और जहां जरूरत है वहां क्रोड समूह तथा राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना करने पर विशेष बल दिया जाता है

पैकेटों में शराब का विपणन

1248. **श्री गुरुदास कामत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुविधाजनक पैकेटों में पूर्व मिश्रित शराब की बिक्री शीघ्र ही किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) पूर्व-मिश्रित शराब के पैकेटों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नए औद्योगिक कानूनों को लागू किया जाना

1249. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नए औद्योगिक कानून लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों के श्रम मंत्रियों और श्रमिक संघों से परामर्श किया गया है; और

(घ) इन कानूनों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) अप्रैल 1990 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में, मई, 1990 को श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का विचारार्थ विषय नए औद्योगिक संबंध विधेयक के लिए " विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करना" था। समिति ने अक्तूबर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति की रिपोर्ट जो पूरी तरह सर्वसम्मत नहीं है, पर फरवरी, 1992 को आयोजित किए गए श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन की यह सर्वसम्मत राय थी कि समिति की जो सिफारिशें सर्वसम्मत हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाए और सहमति पर पहुंचने के उद्देश्य से असहमति वाले क्षेत्रों पर विचार करने के लिए पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की जाए। परिणामतय: कोयला एवं श्रम राज्य मंत्री, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के श्रम मंत्री शामिल हैं। समिति की बैठकें 25 अप्रैल, और 1 जून, 1992 को हुई, जिनमें रामानुजम समिति के विवादास्पद मुद्दों पर

विचार-विमर्श किया गया था। समिति को अगस्त, 1992 में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किए जाने के लिए अपनी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप देना है।

कोयला उत्पादन

1250. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० ने कुल कितने टन कोयले का उत्पादन किया;

(ख) उक्त अवधि के लिए कोल इंडिया लि० ने उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे थे और उन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया; और

(ग) कोल इंडिया लि० की देश में कहां-कहां उत्पादन करने की योजना है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) इस संबंध में सूचना नीचे दर्शायी गई है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लि० में कोयले का उत्पादन		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि
1989-90	183.50	178.62	97.3%
1990-91	194.00	189.64	97.8%
1991-92	203.00	204.15	100.6%

(ग) कोल इंडिया लि० असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोयले के उत्पादन के क्रियाकलापों को जारी रखेगी।

[अनुवाद]

पेरिस सम्मेलन

1251. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक ने 22 जनवरी, 1992 को दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान पेरिस सम्मेलन में भारत के भाग लेने पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत का पेरिस सम्मेलन में भाग लेने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के महानिदेशक डा० अरपद बोगुश ने जनवरी, 1992 के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सरकार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से भेंट की। सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके विचार-विमर्श में औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण पर पेरिस सम्मेलन का विषय सामने आया। 1883 का पेरिस सम्मेलन आविष्कारकों के औद्योगिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण संबंधी एक

बहुराष्ट्रीय संधि है। भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं है। सरकार द्वारा पेरिस सम्मेलन में भाग लेने का अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

गरीबी हटाओ कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

1252. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण निर्धनों के लिए गांव/प्रखंड स्तर पर स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या क्या है तथा इन केन्द्रों पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओं कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) सूचना संलग्न विवरण-1 दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

*1985-86 व 1986-87 के दौरान 'ट्राइसेम' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत किया गया खर्च तथा 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान आवंटन

(लाख रुपये में)

क्रम सं॰	राज्य/केन्द्र शासित का नाम	1985-86	1986-87	*1987-88		
				कुल आवंटन	आवंटन का केन्द्रीय अंश	रिलीज का केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.09	30.05	77.60	38.80	38.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	5.28	6.86	3.43	5.24
3.	असम	—	10.12	24.36	12.18	12.18
4.	बिहार		65.33	150.12	75.06	—
5.	गोआ		2.80	1.71	1.71	2.51
6.	गुजरात	4.25	14.28	37.90	18.95	29.04
7.	हरियाणा	2.52	6.50	12.02	6.01	7.03
8.	हिमाचल प्रदेश		4.32	6.88	3.44	—
9.	जम्मू व कश्मीर		5.08	10.0	5.41	—
10.	कर्नाटक	3.38	43.06	46.0	23.15	23.15
11.	केरल		10.64	29.20	14.60	14.60
12.	मध्य प्रदेश	2.35	56.24	104.46	52.23	24.695
13.	महाराष्ट्र	14.97	35.51	78.98	39.49	39.49

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर		1.12	2.30	1.15	—
15.	मेघालय		1.52	3.44	1.72	1.72
16.	मिजोरम		2.60	2.86	1.43	2.86
17.	नागालैंड		1.88	3.00	1.50	1.50
18.	उड़ीसा		21.44	57.92	28.96	28.96
19.	पंजाब	0.35	5.72	13.02	6.51	6.51
20.	राजस्थान	7.68	18.66	51.38	25.69	50.145
21.	सिक्किम		0.64	0.58	0.29	—
22.	तमिलनाडु	9.05	34.51	75.58	37.79	33.56
23.	त्रिपुरा		1.04	2.74	1.37	—
24.	उत्तर प्रदेश	9.10	76.47	207.96	103.98	103.98
25.	पश्चिम बंगाल	0.68	33.15	84.34	42,17	30.16
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		0.64	0.71	0.71	0.71
27.	चंडीगढ़	0.39	0.88	0.14	0.14	—
28.	दादरा व नगर हवेली		0.36	0.14	0.14	—
29.	दिल्ली		1.44	0.71	0.71	—
30.	दमन व द्वीप		**	**		
31.	लक्षद्वीप		0.44	0.71	0.71	0.71
32.	पांडिचेरी		1.48	0.57	0.57	0.34
	अखिल भारत:	62.04	493.20	1095.31	555.00	457.89

*खर्च का आशय राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों से है।

**गोआ सहित (क्रम संख्या 5 पर)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1988-89 कुल आवंटन	1988-89 आवंटन का केन्द्रीय अंश	1988-89 केन्द्रीय अंश की रिलीज	1989-90 कुल आवंटन	1989-90 आवंटन का केन्द्रीय अंश	1989-90 केन्द्रीय अंश की रिलीज
1	2	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	94.00	47.00	147.00	117.28	58.64	46.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.24	4.12	4.12	9.08	4.94	4.94
3.	असम	28.14	14.07	12.38	32.02	16.01	16.04
4.	बिहार	183.28	91.64	91.64	234.98	117.49	90.52
5.	गोआ	3.40	1.70	1.70	4.08	2.04	2.04
6.	गुजरात	44.60	22.30	126.11	48.30	24.15	24.15
7.	हरियाणा	12.60	6.30	14.037	11.56	5.78	9.57
8.	हिमाचल प्रदेश	6.14	3.07	8.00	4.14	2.07	2.07
9.	जम्मू व कश्मीर	11.00	5.50	—	5.78	2.89	—
10.	कर्नाटक	57.24	28.62	26.77	73.40	36.70	34.36
11,	केरल	33.96	16.98	16.98	39.88	19.94	19.94
12.	मध्य प्रदेश	126.82	63.41	63.41	155.52	77.76	32.06
13.	महाराष्ट्र	97.66	48.83	29.52	125.62	62.81	59.23
14.	मणिपुर	2.58	1.29	—	0.92	0.46	—

1	2	8	9	10	11	12	13
15.	मेघालय	3.88	1.94	—	2.78	1.39	—
16.	मिजोरम	3.44	1.72	1.72	4.12	2.06	2.06
17.	नागालैंड	3.60	1.80	1.80	4.32	2.16	2.16
18.	उड़ीसा	68.90	34.45	34.45	76.82	38.41	29.43
19.	पंजाब	13.26	6.63	6.63	9.98	4.89	4.89
20.	राजस्थान	61.76	30.88	30.22	74.90	37.45	33.58
21.	सिक्किम	0.70	0.35	—	0.84	0.42	—
22.	तमिलनाडु	89.58	44.79	44.79	105.30	52.65	29.08
23.	त्रिपुरा	2.90	1.45	—	3.28	1.64	1.64
24.	उत्तर प्रदेश	252.26	126.13	126.13	313.88	156.94	156.94
25.	पश्चिम बंगाल	102.18	51.09	10.66	131.18	65.59	52.08
26.	अंडमान व निकोबार	0.85	0.85	—	1.02	1.02	—
27.	चंडीगढ़	0.18	0.18	—	0.21	0.21	—
28.	दादरा व नगर हवेली	0.18	0.18	—	0.21	0.21	—
29.	दिल्ली	0.85	0.85	—	1.02	1.02	—
30.	दमन व द्वीव	0.35	0.35	—	0.42	0.42	—
31.	लक्षद्वीप	0.85	0.85	—	1.02	1.02	—
32.	पांडिचेरी	0.68	0.68	0.68	0.82	0.82	0.82
	अखिल भारत:	1316.06	660.00	688.747	1595.48	800.00	653.94

विभिन्न राज्यों में 13 कोशाकीट पालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर 79.54

कुल योग : 768.287

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने/सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों की वर्षवार तथा राज्यवार स्थिति को दर्शाने विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य का नाम	सातवीं योजना के दौरान सहायता किये गये विद्यमान और नये केन्द्रों की संख्या		निम्नलिखित वर्षों के दौरान गैर-आवर्ती तथा आवर्ती खर्च के लिये रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां					कुल
		विद्यमान	नये	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	—	2.00	22.00	—	—	16.00	40.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	5.00	2.00	—	—	7.00
3.	असम	3	—	—	—	—	—	30.00	30.00
4.	गुजरात	—	3	—	—	18.00	—	—	18.00
5.	हरियाणा	1	—	—	—	6.75	—	—	6.75
6.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	9.00	—	9.00
7.	जम्मू व कश्मीर	—	2	—	—	—	—	24.34	24.34
8.	कर्नाटक	5	—	—	6.00	—	—	36.00	42.00
9.	केरल	3	—	2.00	16.00	—	—	—	18.00
10.	मध्य प्रदेश	4	2	1.00	5.00	—	35.00	—	41.00
11.	महाराष्ट्र	8	—	—	—	—	—	24.28	24.28
12.	मेघालय	—	1	—	—	—	16.60	—	16.60
13.	मिजोरम	1	—	—	—	—	—	5.00	5.00
14.	उड़ीसा	—	1	—	—	—	16.60	—	16.60
15.	पंजाब	2	—	—	—	12.00	—	8.00	20.00
16.	राजस्थान	1	2	2.00	—	3.00	—	38.20	43.20
17.	तमिलनाडु	5	—	—	—	—	—	49.36	49.36
18.	उत्तर प्रदेश	21	—	—	35.00	56.49	67.92	6.90	166.31
19.	पश्चिम बंगाल	4	—	3.00	—	—	37.00	—	40.00
	कुल	64	11	10.00	89.00 +2.00*	98.24	182.12	238.08	617.44 +2.00*
					91.00		कुल योग		619.44

*केन्द्रीय सैल के लिए 2.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये।

विवरण-2

सातवीं योजनावधि के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रगति

अवधि	प्रशिक्षित किए जाने वाले युवा (लक्ष्य)	प्रशिक्षित	युवाओं की संख्या		
			प्रशिक्षित तथा स्वरोजगार में लगे	प्रशिक्षित तथा मजदूरी रोजगार में लगे	रोजगार में लगे (कालम 4+5)
क. सातवीं योजना					
1985-86	निर्धारण नहीं	177510	82028 (46%)	17355 (10%)	99383 (56%)
1986-87	निर्धारित नहीं	184598	88538 (48%)	17874 (9%)	106412 (57%)
1987-88	निर्धारित नहीं	196145	99868 (51%)	26042 (13%)	125910 (64%)
1988-89	निर्धारित नहीं	227050	97775 (43%)	34970 (15%)	132745 (58%)
1989-90	निर्धारित नहीं	212657	95827 (45%)	34855 (16%)	130682 (61%)
	योगः	997960	464036 (46.5%)	131096 (13.1%)	595132 (58.6%)

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वर्षवार भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

वर्ष	सहायता प्राप्त परिवार (मिलियन)	सबसिडी	वित्तीय ऋण (करोड़ रु० में)	कुल
1985-86	30.60	441.10	730.15	1171.25
1986-87	37.47	613.38	1014.88	1628.26
1987-88	42.47	727.44	1175.35	1902.79
1988-89	37.72	768.47	1231.62	2000.09
1989-90	33.51	765.43	1220.53	1985.96
योगः	181.77	3315.82	5372.53	8688.35

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के तहत उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं

	लक्ष्य (समूह)	उपलब्धि (समूह)	महिलाओं की संख्या	खर्च (लाख रुपए में)
सातवीं योजना				
1985-86	5,000	6,008	1,01,056	630.70
1986-87	7,500	5,545	96,132	786.33
1987-88	7,500	4,959	83,589	607.29
1988-89	7,500	5,968	98,636	738.21
1989-90	7,500	5,551	90,294	901.00

[अनुवाद]

आठवीं योजना के लक्ष्य

1253. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग ने आठवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को क्या सुझाव दिये हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं कि राज्य सरकारों ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आठवीं योजना के लिए उन्हें आवंटित की गयी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से अपनी प्रगति की रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाए जाने के संदर्भ में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों, प्राथमिकताओं तथा संबद्ध नीतियों संबंधी दिशा निर्देश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए थे।

(ख) राज्यों के लिए आवंटित निधि का उपयोग केन्द्रीय सहायता विधि के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है, जिसके जारी करने का संबंध स्वीकृत परिव्ययों की अनुरूपता में व्यय के विकास से है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन

1254. **श्री प्रबीन डेका:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने विश्व बैंक सहायता से गरीबी उन्मूलन संबंधी कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी सहायता मांगी गई है और इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूंजी को कम करना

1256. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से जो शेयर-पूंजी निकाली जाये, उसका अधिकांश भाग कामगारों, सामान्य लोगों तथा छोटे निवेशकों को प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) से (ग) जैसा कि वर्ष 1991-92 के बजट भाषण में पहले ही कहा गया है कि सरकार का सरकारी क्षेत्र के चुनींदा उपक्रमों में अपनी शेयरधारिता का एक भाग सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सांझा कोषों, कामगारों तथा आम जनता को बेचने का प्रस्ताव है। इसकी अनुपालना में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 30 उपरमों से 8% शेयर पहले ही सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सांझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों को बेच दिए हैं। जो धीरे-धीरे इन शेयरों को आम जनता तथा छोटे निवेशकों को बेच देंगे। कामगारों को शेयर बेचने के संबंध में अभी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

1257. **श्री प्रकाश वी० पाटील:**
श्री बापू हरि चौरे:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी, सब्जी, विभिन्न प्रकार की दालों और खाद्य तेलों, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया बीजों जैसी आवश्यक वस्तुओं के दिनांक 30 अप्रैल, 1992 को खुले बाजार में मूल्य क्या थे;

(ख) क्या ऐसी सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कीमतों को नियंत्रण में लाने और उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम सामने आए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) आवश्यक वस्तुओं, जिनमें चीनी, सब्जियां, विभिन्न प्रकार की दालें, प्याज, खाद्य तेल, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा शामिल हैं, के 30.4.1992 को खुले बाजार में खुदरा मूल्य अलग विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) गर्मी के मौसम के दौरान दालों, खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में अन्तर तथा प्याज, हल्दी, लाल मिर्च और जीरे की लगभग बेलोचदार आपूर्ति के कारण हाल ही में इन वस्तुओं के मूल्यों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए पामोलीन तेल का आयात करने का प्रस्ताव है। अन्य वस्तुओं के लिए, अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देकर देश में उनका उत्पादन बढ़ाने तथा साथ ही उनका उचित वितरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से इन वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार होगा।

विवरण

चुने केन्द्रों पर चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के 30.4.1992 को खुदरा मूल्य

(रु० प्रति कि०ग्रा०)

वस्तु	दिल्ली	बम्बई	लखनऊ	कलकत्ता	मद्रास
चावल	7.00	7.40	5.00	6.00	6.20
गेहूं	4.50	7.20	3.50		6.80
चना (दाल)	10.00	11.00	9.25	9.40	9.80

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वस्तु	दिल्ली	बम्बई	लखनऊ	कलकत्ता	मद्रास
तूर (दाल)	15.00	17.00	12.50	16.00	17.00
चीनी	9.50	9.80	9.00	9.60	9.20
वनस्पति	40.00	44.00	41.00	40.00	43.00
मूंगफली का तेल	44.00	38.00	50.00	45.00	34.00
सरसों का तेल	30.00	36.00	28.00	30.00	44.00
आलू	3.00	4.00	2.50	2.30	3.75
प्याज	3.00	2.00	2.00	4.00	3.50
जीरा	80.00	100.00	85.00	80.00	90.00
लाल मिर्च (100 ग्राम)	8.00	5.50	8.70	8.00	4.50
हल्दी (100 ग्राम)	4.00	4.00	5.90	7.00	3.50
चाय	55.00	55.00	52.00	40.00	34.00
नमक (पैक किया हुआ)	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00

स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

मारुति कारें

1258. **श्री चन्द्रजीत यादवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान मारुति कार की देश और विदेशों में बिक्री में आई अनुमानित कमी की प्रतिशतता क्या है;

(ख) मारुति कारों के निर्यात में आई कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) मारुति कारों की देश और विदेशों में बिक्री में आई कमी के कारण क्या हैं;

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान मारुति कारों के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) निर्यात में आई कमी को सरकार का किस प्रकार न्यूनतम करने पर विचार है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) से (ङ) वर्ष 1991-92 की तुलना में, वर्ष 1992-93 में मारुति वाहनों की घरेलू बिक्री में

कमी आने की संभावना नहीं है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, दिनांक 1-1-93 से यूरोपीय समुदाय के देशों में उत्सर्जन सम्बन्धी विनियम बदल रहे हैं और इन देशों में वर्तमान मारूति 800 कार की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके साथ-साथ, राजनैतिक कारणों से यूगोस्लाविया को निर्यात में कमी हो गई है। मारुति उद्योग लिमिटेड 1-1-93 से 1994 के अंत तक लागू होने वाले पारगमन विनियमों को पूरा करने के लिए इस कार के इंजन और निर्यात प्रणाली में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। अतः, वर्ष 1992-93 के दौरान, निर्यात मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगा कि मारूति उद्योग लिमिटेड उत्सर्जन परीक्षणों से गुजरने के लिए कार में सुधार करने में सफल होता है या नहीं। इन परीक्षणों के परिणामों का सितम्बर, 1992 तक पता चल जायेगा। यदि ये परीक्षण सफल हो जाते हैं तो मारूति उद्योग लिमिटेड का निर्यात वर्ष 1991-92 के स्तर तक पहुंच जायेगा।

लघु उद्योग बोर्ड

1259. **श्री रवि राय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य तथा इसकी रचना और इसके निदेश पद क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योग बोर्ड एक गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय है जो लघु उद्योगों के विकास से संबंधित नीति संबंधी विभिन्न मामलों पर सरकार को सलाह देता है। उद्योग मंत्री, राज्य मंत्री (उद्योग) तथा अपर-सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) क्रमशः बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव हैं। इस बोर्ड में केन्द्रीय मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार के कुछ सचिव, चार संसद सदस्य तथा वित्तीय संस्थाओं, राज्य स्तरीय उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी नामित किये जाते हैं। बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष है। सामान्यतया इस बोर्ड को कोई विशिष्ट विचारार्थ विषय नहीं दिये जाते हैं क्योंकि यह पूर्णतया एक सलाहकार निकाय है। बोर्ड का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	श्रेणी	प्रस्तावित लघु उद्योग बोर्ड में सं०
1.	उद्योग मंत्री (अध्यक्ष)	1
2.	उद्योग राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष)	1
3.	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सदस्य-सचिव)	1
4.	केन्द्रीय मंत्री	11
5.	केन्द्रीय सचिव	7
6.	अध्यक्ष-वित्तीय संस्थाएं	6
7.	अध्यक्ष अन्य संगठन	6
8.	लघु उद्योग मंत्री प्रभारी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	32
9.	संसद सदस्य	4
10.	राष्ट्रीय स्तर के उद्योग एसोसिएशन	10
11.	राज्य स्तर के उद्योग एसोसिएशन	25
12.	व्यक्तिगत सदस्य	25
	योग:	130

[हिन्दी]

अन्तर-विभागीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति

1260. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईश्वरी प्रसाद समिति की सिफारिशों पर गठित की गई अन्तर-विभागीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमेंट का मूल्य

1261. **श्री मोहन रावले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रण समाप्त करने के बाद सीमेंट के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्ण रूप से नियंत्रण समाप्त करने से पूर्व खुले बाजार में प्रति बोरी सीमेंट के मूल्य क्या थे और 30 जून, 1992 को बाजार में सीमेंट के मूल्य क्या थे;

(ग) सीमेंट उद्योग की मुनाफाखोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमेंट की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो बाजार में बढ़िया किस्म की सीमेंट उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) सीमेंट पर नियंत्रण हटाये जाने के बाद निविष्टि लागत, विद्युत प्रशुल्क, उत्पाद-कर, परिवहन तथा रख-रखाव इत्यादि जैसी लागतों में वृद्धि के कारण सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मार्च, 1989 (पूरी तरह नियंत्रणमुक्त करने से पूर्व) में 50 कि०ग्रा० के सीमेंट की बोरी का मूल्य लगभग 66 रु० था और जून, 1992 के अंत में प्रति बोरी औसत मूल्य लगभग 110 रु० से 115 रु० रहा।

सरकार उद्योगों को अवस्थापनापरक सहायता मुहैया करा रही है ताकि सीमेंट का उत्पादन बढ़ सके और जिससे सीमेंट बाजार में उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से सीमेंट की उपलब्धता की दशा में सीमेंट उद्योग की मुनाफाखोरी की संभावना कम हो जायेगी। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग अनुचित व्यापार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करता है।

(घ) और (ङ) सीमेंट की गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1983 के अधीन ऐसे सीमेंट के निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा वितरण पर रोक लगा दी गई है जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होता है और जिस पर बी०आई०एस० का प्रमाणचिन्ह लगा नहीं होता है।

उर्वरक निगम में 40-सूत्री कार्यक्रम सूची

1262. **श्री राम विलास पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड में 40-सूत्री कार्यक्रम सूची का श्रेणीवार/संवर्गवार उचित ढंग से पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 40-सूत्री कार्यक्रम सूची के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे गए आरक्षित पदों का श्रेणी/संवर्ग वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गयी है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों जिनके सम्बन्ध में निगम में 40-सूत्री रोस्टर का पालन किया जाता है के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

पद की श्रेणी	भरे गये पदों की कुल सं०	1989 भरे गये पदों की संख्या		भरे गये पदों की कुल सं०	1990 भरे गये पदों की संख्या		भरे गये पदों की कुल सं०	1991 भरे गये पदों की संख्या	
		अनु०जा०	अनु०ज०जा०		अनु०जा०	अनु०ज०जा०		अनु०जा०	अनु०ज०जा०
ग्रुप क	6+	—	—	1×	—	1	8‡	5	1
ग्रुप ख	—	—	—	1	—	—	—	—	—

+ चिकित्साधिकारी (स्त्री रोग) तथा लेखा अधिकारी ग्रेड II की श्रेणी में एक-एक पद तथा सहायक शल्य चिकित्सक ग्रेड-I की श्रेणी में 4 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षुओं को उनका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, नियमित करके सहायक अभियन्ता श्रेणी में 3 पद भरे गये।

× सहायक शल्य चिकित्सक ग्रेड I की श्रेणी में भरा गया पद। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता संवर्ग में 12 पद, कनिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पश्चात नियमित करके भरे गये जिसमें से 1 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा भरा गया।

‡ सहायक शल्य चिकित्सक के संवर्ग में भरे गये पद। इसके अतिरिक्त सहायक अभियांत्रिकी संवर्ग में 15 पद कनिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात नियमित करके भरे गये। इन 15 पदों में से 5 पद अनु०जाति के अभ्यर्थी द्वारा तथा 1 पद अनु०ज०जाति के अभ्यर्थी द्वारा भरे गये।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान प्रोन्नति द्वारा भरे गये पदों जिनके सम्बन्ध में कम्पनी में 40-सूत्री रोस्टर का पालन कि जा रहा है, के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

पद का वर्ग/ संवर्ग	भरे गये पदों की कुल सं०	1989 भरे गये पदों की संख्या		भरे गये पदों की कुल सं०	1990 भरे गये पदों की संख्या		भरे गये पदों की कुल सं०	1991 भरे गये पदों की संख्या	
		अनु०जा०	अनु०ज०जा०		अनु०जा०	अनु०ज०जा०		अनु०जा०	अनु०ज०जा०
श्रेणी क	178*	15	1	187*	12	1	191*	8	—
श्रेणी ख	109	22	10	151	27	4	254	34	16
श्रेणी ग	267	53	39	541	90	53	470	83	41
श्रेणी घ	10	3	—	8	—	—	—	—	—
योग	564	93	50	887	129	58	915	125	57

* इन आंकड़ों में रुपये 3100-5100 तथा उसके उपर (अर्थात श्रेणी "क" के तहत पद जिन्हें मेरिट के आधार पर भरा गया) के वेतनमान में की गयी प्रोन्नतियां भी शामिल हैं जिनके सम्बन्ध में आरक्षण आदेश लागू नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीति

1263. **श्री हन्नान मोल्लाहः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के लिए योजना परिव्यय

1264. **श्री छेदी पासवान:**
श्री ललित उरांव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार ने 1992-93 के लिए योजना परिव्यय के रूप में कितनी राशि का प्रस्ताव किया

(ख) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कितनी धन राशि मंजूर की है;

(ग) क्या इस धनराशि में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) बिहार सरकार ने 1992-93 के लिए 2,200 करोड़ रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया था, जबकि 2,202.73 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम प्रवण उद्योग

1265. **श्री लाल बाबू राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार श्रम प्रवण उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे उद्योगों के विकास हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (ग) रोजगार के व्यापक अवसर खासतौर पर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में लघु ग्रामीण, अति लघु तथा कुटीर उद्योगों की अदभुत क्षमता को ध्यान में रखते हुए इनके विकास को सरकार सदैव प्रोत्साहित करती रही है। औद्योगिकरण संबंधित राज्य सरकार का विशिष्ट उत्तरदायित्व है। तथापि केन्द्रीय सरकार सस्ते व सुलभ वित्त की व्यवस्था, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण, दुर्लभ व महत्वपूर्ण कच्चे माल की उलब्धता में सहायता तथा अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत अवसंरचना के सृजन जैसे उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। के०बी०आई०सी० की रोजगार नीति का उद्देश्य शिक्षित तथा अशिक्षित कारीगरों सहित सभी प्रकार के ग्रामीण कारीगरों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। के०वी०आई०सी० अधिनियम, 1987 में संशोधन के बाद के०वी०आई०सी० की अनुसूची में पहले 26 ग्रामोद्योगों के अलावा 70 नये ग्रामोद्योग और जोड़े गए है जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के कल्याण में तेजी लाना तथा ग्रामों में रोजगार के लाभप्रद अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य / कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने संबंधी सरकार की नीति के संदर्भ में खादी तथा ग्रामोद्योगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है। के०वी०आई० कार्यक्रम 2.1 लाख ग्रामों तक पहुंच चुके हैं। जिनसे 48.57 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 1978 से लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चलायी जा रही है। इस योजना को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय कौशल व संसाधनों का प्रयोग करके देश में लघु, अति लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास व संवर्धन करना है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और इनमें से अधिकांश श्रम प्रधान एकक होते हैं। जिला उद्योग केन्द्रीय देश के लगभग सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस समय अनुमोदित जिला उद्योग केन्द्रों की कुल संख्या 422 है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोयला निगम

1266. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर भागों के लिए कोई अलग कोयला निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित निगम उस क्षेत्र के उद्योगों/विद्युत परियोजनाओं को कुछ सुविधाएं देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰बी॰ न्यामगौड): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत-श्रीलंका संयुक्त उप-आयोग

1267. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक उप-आयोग स्थापित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति निश्चित कर ली गई है;

(ग) तथा (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसे कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां, दिनांक 5-7 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में हुई भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की पहली बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक उप-आयोग का गठन करने का निर्णय किया गया ताकि दोनों सरकारों और दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदायों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) सहयोग के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति अभी निश्चित की जानी है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नई कोयला परियोजनाओं में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना

1268. श्री वसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई कोयला परियोजनाओं में बेरोजगारों को 30 प्रतिशत तक रोजगार प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

आंध्र प्रदेश में चर्म परिष्करण केन्द्र

1269. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में सभी चर्म-परिष्करण केन्द्रों को अपने अधिकार में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के लिए प्रति व्यक्ति योजना व्यय

1270. श्री राम टहल चौधरी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के लिए वर्ष 1992-93 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय कितना है;

(ख) क्या यह औसत राष्ट्रीय व्यय के समतुल्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे राष्ट्रीय औसत के समतुल्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) वर्ष 1992-93 में 373 रु० की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले बिहार का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 255 रु० है।

(ग) किसी राज्य का प्रति व्यक्ति परिव्यय/व्यय राज्य संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता/केन्द्रीय समर्थन सहित कुल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के तहत संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से प्रति व्यक्ति परिव्यय/व्यय बढ़ाने में राज्य सरकार की मदद करती है। राज्य योजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता आवंटित करते समय (1) जनसंख्या (2) प्रति व्यक्ति आय (3) विशेष समस्याओं इत्यादि को अधिभार दिया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र विकास

1271. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए कोई नया अथवा विशेष प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका आधार वाक्य है कि विकेन्द्रित योजना और इन स्कीमों के कार्यान्वयन से

गरीबी की समस्या से बेहतर रूप से निपटा जा सकेगा। इस दृष्टिकोण के ब्यौरे आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति नहीं किया जाना और सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान

1272. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा सेवा संबंधी मामलों पर कर्मचारियों की शिकायतें दूर नहीं की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति के संबंध में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) और (ख) सेवा संबंधी मामलों में कर्मचारियों को तत्परता से न्याय दिलवाने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ तथा 16 अन्य न्यायपीठें उन स्थानों में कार्य कर रही हैं जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:—

1989	13986
1990	14077
1991	17578

अधिकरण में मामलों को तेजी से निपटाए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित मामले सरकार द्वारा आवधिक रिपोर्टों के जरिए से मानिटर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने पर पाबन्दी नहीं है। तथापि सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्तियों को हतोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

स्वीडन की कंपनियों द्वारा निवेश

1273. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीडन के एक बड़े कार निर्माता वॉल्व और स्वीडन के ही एक बड़े घरेलू विद्युत उपकरण निर्माता ने भारत में पूंजी निवेश करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीडन को अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में पूंजीनिवेश करने का प्रस्ताव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के 30 जून, 1992 तक की अवधि में स्वीडन की कंपनियों के साथ वित्तीय सहयोग के लिये तीन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। स्वीडन की इन कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(1) मर्करी इंटरनेशनल,

(2) एरिक्सन केबुल्स ए०बी०

(3) स्वीडिश बिजनेस डेवलपमेंट ए०बी०

[हिन्दी]

क्षेत्रीय असंतुलन

1274. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विकास के लिए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का है और यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या राजस्थान शिक्षा, सिंचाई, उद्योग आदि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य है। बहरहाल किसी क्षेत्र का पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचना की उपलब्धता आदि जैसे कई मानदंडों से आंका जाता है। राजस्थान राज्य और विशेष रूप से इसके कुछ भाग अपेक्षाकृत कम विकसित हैं।

किसी क्षेत्र विशेष के विकास की जिम्मेदारी मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार की है, इसमें केन्द्र सरकार संशोधित फार्मूला, जो पहले गाडगिल फार्मूला के नाम से जाना जाता था, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत संसाधनों के अन्तरण की कार्यविधि और नौवें वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों द्वारा राजस्थान सहित राज्यों की मदद करती है।

राजस्थान की आठवीं योजना के लिए 11.500 करोड़ रु० का परिव्यय मंजूर किया गया है जो सातवीं योजना के 3000 करोड़ रु० के परिव्यय से बहुत अधिक है। प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए आठवीं योजना उद्देश्य में राज्य द्वारा विभिन्न परियोजनाएं/स्कीमें तैयार की गई हैं जिनमें शिक्षा, सिंचाई, उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्रकों में विकास पर विशेष बल दिया गया है।

राज्यों में छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास

1275. **श्री श्रीकांत जेना:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री अर्जुन सिंह यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लघु और कुटीर उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और कुटीर उद्योगों द्वारा कितने माल का उत्पादन किया गया तथा उनमें राज्यवार कितने लोगों को रोजगार मिला; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए और उनके विकास के लिए कितनी धनराशि दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) देश में 31 दिसंबर, 1988, 1989 और 1990 को राज्य/संघ शासित क्षेत्र उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत और एसआईडीओ के कार्यक्षेत्र में आने वाले स्थायी रूप से पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की संचयी संख्या निम्न प्रकार है:

1988	1989	1990 (संख्या लाख में)
11.70	12.67	13.78

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों का विकास हो रहा है।

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में (राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं) लघु उद्योगों में विनिर्मित वस्तुओं की अनुमानित मात्रा का मूल्य तथा इनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी:—

वर्ष	वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित उत्पादन (करोड़ रु०)	रोजगार (लाख में)
1989-90	132320	119.60
1990-91*	155340	124.30

*अनंतिम

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान डीआईसी कार्यक्रम के अधीन राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार आबंटित की गयी केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान डी०आई०सी० कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान तथा ऋणों सहित केन्द्रीय सहायता

(लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	92.24	113.46	96.47
2.	असम	101.00	97.75	94.50
3.	अरूणाचल प्रदेश	28.50	23.76	25.00

1	2	3	4	5
4.	बिहार	191.95	186.25	199.50
5.	गुजरात	77.00	82.00	83.50
6.	गोवा	8.00	4.00	4.00
7.	हिमाचल प्रदेश	85.22	68.00	73.00
8.	हरियाणा	59.00	62.00	85.00
9.	जम्मू और कश्मीर	68.29	76.50	78.00
10.	केरल	88.00	82.09	79.50
11.	कर्नाटक	106.50	111.00	111.00
12.	मध्य प्रदेश	180.00	201.22	180.00
13.	महाराष्ट्र	133.07	150.00	135.50
14.	मणीपुर	44.11	48.00	42.10
15.	मिजोरम	21.00	14.25	14.50
16.	मेघालय	10.00	11.00	10.00
17.	नागालैंड	29.00	28.00	28.00
18.	उड़ीसा	58.00	55.50	67.00
19.	पंजाब	46.00	59.00	71.00
20.	राजस्थान	108.00	108.00	108.00
21.	सिक्किम	9.00	10.00	11.75
22.	तमिलनाडु	110.00	107.61	101.50
23.	त्रिपुरा	9.72	12.90	13.68
24.	उत्तर प्रदेश	276.35	290.60	277.00
25.	पश्चिम बंगाल	95.24	76.70	85.50
	कुल राज्य	2035.25	2079.59	2075.00
26.	पांडिचेरी	8.50	8.75	5.74
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.52	7.00	8.25
28.	चंडीगढ़	6.75	6.50	6.75
29.	दादरा और नागर हवेली	5.00	5.00	5.00
	कुल संघ शासित क्षेत्र	18.27	18.50	20.00
	कुल जोड़	2062.02	2106.84	2100.74

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग

1276. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गढ़वाल डिवीजन के पांच जिलों को "उद्योग विहीन" क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन अविकसित पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन/सहायता दी गई है;

(ग) इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के इस पर्वतीय जिलों के औद्योगिकीकरण की देखरेख के लिए इस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक पृथक बोर्ड का गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) केन्द्र सरकार ने गढ़वाल मंडल के चार जिले अर्थात् पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली तथा उत्तरकाशी को "उद्योग विहीन जिले" घोषित किया है।

(ख) किसी जिले/क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, जहां कहीं संभव होता है उनके प्रयासों में सहायता करती है। परिवहन राजसहायता योजना के तहत चुनिंदा रेल शीर्षों से कच्चे माल एवं तैयार माल को लाने ले जाने के लिए इन जिलों हेतु 75% की दर पर राजसहायता उपलब्ध है।

(ग) सरकार ने विकास केन्द्र योजना के तहत पौढ़ी गढ़वाल जिले में शिवराजपुर-पदमपुर में एक विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों का विकास

1277. **श्री के०पी० सिंह देव:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खानों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान इनमें से कितनी धनराशि तालचेर कोयला खानों के विकास के लिए नियत की गई है;

(घ) इसके लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना को अभी स्वीकृति दी जानी है। किन्तु कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रों के विकास के लिए अस्थायी आठवीं योजना परिव्यय की तुलना में नवम्बर, 1991 में कोयला मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपये)

कंपनी	आठवीं योजना के लिए कोयला मंत्रालय के निवेश प्रस्ताव	अस्थायी आठवीं योजना परिव्यय
कोल इंडिया लि॰	11,769	
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰	2,967	10,307
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि॰ (लिग्नाइट खनन क्षेत्र केवल)	1,701	
	16,437	10,307

(ग) उड़ीसा में तलचर कोलफील्ड्स के विकास के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत प्रस्तावों में लगभग 434 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव किया है। किन्तु कोलफील्डवार/परियोजनावार आवंटन आठवीं योजना की स्वीकृति के बाद निर्धारित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान/पूर्ण हुई कोयला खनन परियोजनाओं के अलावा निम्न कोयला खनन परियोजनाओं के आठवीं योजना के दौरान कोयला के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए तालचेर कोलफील्ड के अंतर्गत कोयला खान परियोजनाएं क्रियान्वयन अधीन है/विकसित किए जाने का कार्यक्रम है:—

परियोजना	क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
1. अनंता ओपेनकास्ट	4.00
2. कलिंगा ओपेनकास्ट	8.00
3. लिंगराज ओपेनकास्ट	5.00
4. जगन्नाथ ओपेनकास्ट फेस—III	1.00
5. नंदिरा भूमिगत विस्तार	0.15 (वृद्धिात्मक)

औद्योगिक और वित्तीय नीति की पुनरीक्षा

1278. **श्री संदीपान भगवान घोरात:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योगों के निर्बाध विकास के लिए वर्तमान औद्योगिक और वित्तीय नीतियों की पुनरीक्षा कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा श्रमिकों के हितों की अवहेलना किये बिना अधिक औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक और वित्तीय नीति कब घोषित की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) औद्योगिक और राजस्व नीतियों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं।

ग्रामीण पेय जल और पूर्ति योजना का मूल्यांकन

1279. **श्री विजय नवल पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पेयजल की भारी कमी से ग्रस्त राज्यों की चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकित स्थानों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों का बन्द किया जाना

1280. **श्री चित्त बसु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परामर्शदात्री समिति की त्रिपक्षीय समिति और उपसमिति इस मामले से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) किसी भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से उपक्रम को बन्द करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाल ही में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक है।

(ग) से (ङ): श्रम तथा अन्य संबंधित मामलों पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। समिति के निर्णय के अनुसार, ईकाई-वार रुग्णता के भार की जांच करने तथा समुचित निराकरण उपाए निर्धारित करने के लिए छः औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया गया है। इन समितियों के अलावा, श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप समिति विशिष्ट रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके पुनरूद्धार प्रस्तावों की जांच भी कर रही है।

सुपर बाजार में दवाओं की कमी

1281. **डा० जी० एल० कनोजिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, जी० बी० पंत अस्पताल और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के परिसरों में स्थित सुपर बाजर की शाखाओं में दवाओं का स्टाक अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी के मुख्य अस्पतालों में स्थित सुपर बाजार की शाखाओं में आवश्यक दवाओं के स्टॉक की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि दिल्ली में उसकी लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, जी॰ बी॰ पंत अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में स्थित शाखाओं में दवाइयों का पर्याप्त भंडार है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि इस समय देश में भिन्न-भिन्न पैकेज रूपों में दवाइयों के 50,000 से अधिक ब्रांड प्रचलन में हैं और हमेशा सभी उपलब्ध ब्रांडों को स्टाक में रखना न केवल आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद हो जाता है, बल्कि संचालन की दृष्टि से भी कठिनाई आती है। इस समय कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि विटामिन "सी", प्रडनीसोलोन और फेनिटोइन सोडियम आदि, जिनका उनके विनिर्माण के लिए मूल घटक के रुप में इस्तेमाल किया जाता है, विनिर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं। डाइलेटीन कैपसूल सक्सी, वाइसोलोन जैसी दवाइयों की भारी कमी है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि राजधानी में लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल तथा जी॰ बी॰ पंत अस्पताल और मुख्य अस्पतालों के परिसरों में स्थित अन्य सभी शाखाओं, जहां उनके दवाई एकक स्थित हैं, में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो के सदस्यों की नियुक्ति

1282. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या हाल ही में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के उच्च स्तरीय पदों पर नामांकन करते समय इन मानदंडों का उल्लंघन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जिस संकल्प के तहत 1970 में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की स्थापना की गई थी उसके अनुसार इसके सदस्य उन अर्थशास्त्रियों, लागत विशेषज्ञों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों में से लिये जाते हैं जिन्हें उद्योग के कार्य का अनुभव है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो में सदस्यों के पदों के लिए कोई भर्ती नियम नहीं है इन पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने से छूट है।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रभारी मंत्री की अनुमति से गठित चयन समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल की "नियुक्ति समिति" की स्वीकृति से औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों के सदस्यों की नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति/ठेके के आधार पर की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"जी-15" के अन्तर्गत "जीन बैंक" की स्थापना

1283. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "जी-15" में लिये गये निर्णय के अनुसार "जीन बैंक" स्थापित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) जनवरी, 1990 में कुआलालम्पुर में दक्षिण-दक्षिण परामर्श एवं सहयोग के विषय में जी-15 देशों की पहली शिखर स्तरीय बैठक में राज्यों/सरकारों के प्रमुखों द्वारा औषधिय एवं सुगंध वाले पौधों के जीन बैंकों की स्थापना की आवश्यकता सिद्धान्तः स्वीकार की गई थी। भारत द्वारा तैयार किये गये परियोजना-प्रलेख, जिस पर जी-15 देशों के विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया गया। को नवम्बर, 1991 में कारकास में आयोजित शिखर स्तरीय बैठक में अनुमोदित किया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वैज्ञानिक सलाहकार समिति (सैक) और क्षेत्रीय समन्वयकों की बैठक 24 से 26 जून, 1992 को आयोजित की गई। एशियाई क्षेत्र के लिये भारत, लैटिन अमरीका के लिये ब्राजील और अफ्रीका के लिये मिस्र क्षेत्रीय समन्वयकर्ता हैं। न्यासनिधि के सृजन एवं प्रचालन के लिये रूपात्मकताएं तैयार की गई हैं। प्रशिक्षण, जानकारी के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक कार्यशालाओं के आयोजन, प्रमुख औषधीय तथा सुगंध वाले पौधों की माल-सूची तैयार करने तथा जीन बैंक की स्थापना के लिये क्षेत्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। प्रत्येक देश ने इन सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला वृत्त पत्र तथा प्रमुख भारतीय औषधीय एवं सुगंध वाले पौधों की माल-सूची भारत द्वारा तैयार की गई है। [अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की उपलब्धता

1284. **कुमारी विमला वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग/संयंत्र स्थापित करके सीमेंट की उत्पादकता बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) सरकार अधिकाधिक सीमेंट उत्पादन करने की दिशा में उद्योगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है और सीमेंट बहुल क्षेत्रों से सीमेंट की कमी वाले क्षेत्रों को इसकी ढुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इस प्रकार देश के समस्त भागों में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, सीमेंट उपलब्ध करा रही है। सीमेंट उत्पादन तथा इसकी उपलब्धता के संबंध में मध्य प्रदेश में सीमेंट की बहुतायत है।

सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता और विपणन को ध्यान में रखते हुए सीमेंट क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया है ताकि उद्यमी सीमेंट एककों की स्थापना कर सकें।

पंजाब में वनस्पति संयंत्र

1285. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब में एक वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र को प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ग) इस प्रस्तावित संयंत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकेगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में फालतू भूमि का वितरण

1286. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कृषि भूमि अधिकतम सीमा विधान के लागू होने के पश्चात् कितनी भूमि को फालतू घोषित किया गया;

(ख) योग्य लाभभोगियों को वर्षवार अब तक कितनी भूमि वितरित की गई;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) इनमें से उसी राजस्व गांव में रहने वाले लाभभोगियों का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) उसी राजस्व गांव में रहने वाले अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लाभभोगियों का प्रतिशत कितना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) बिहार राज्य में 1991-92 तक अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत 4.75 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 61.12 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के और 11.81 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।

(घ) व (ङ) भूमि राज्य का विषय है इसलिये ये ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं, तथापि, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण और फालतू भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 27 में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की पद्धति निर्धारित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि उसी गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के भूमिहीन लोगों को भूमि का वितरण किया जाये।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1286 जिसका उत्तर 15.7.92 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पात्र लाभार्थियों को भूमि के वर्षवार वितरण (समग्र) को दर्शाने वाला विवरण

(लाख एकड़ में)

वर्ष	वितरित क्षेत्र
मार्च 1988 तक	2.32
1989	2.48
1990	2.54
1991	2.67
1992	2.74

प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में हड़तालों पर प्रतिबंध

1287. श्री गुरुदास कामत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख एककों में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

1288. श्री विश्वास मुतेमवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को फिर से संगठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक पुनर्गठित किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन): (क) से (ग) जैसा कि 24 जुलाई, 1991 को संसद में औद्योगिक नीति संबंधी दिए गए वक्तव्य में पहले ही घोषित किया जा चुका है, सरकार अपनी नीति के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का अनुसरण करती रहेगी। सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए भविष्य में सरकारी पूंजी निवेश हेतु आरक्षित क्षेत्रों में कमी लाकर; पुनर्नवीकरण/पुर्नस्थापना संबंधी उपयुक्त योजनाओं के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल (बी०आई०एफ०आर०) को सौंप कर; सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता के एक भाग को साझा कोषों (म्यूचूअल फंडों) वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा कामगारों को सौंप कर; सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली द्वारा उद्यमों की स्वायत्ता तथा उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि कर; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन किया जा रहा है। सरकार ने पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापना संबंधी योजनाओं से संभावी रूप से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष के माध्यम से एक सुरक्षा तंत्र का गठन किया है। क्षेत्र एवं एकक स्तरों पर पुर्नस्थापना संबंधी उपायों की रूपात्मकता को अंतिम रूप देने के लिए राज्य मंत्री (श्रम) की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन भी किया गया है। सरकारी क्षेत्र के एककों की शेयर पूंजी में जनता की व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित करने तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर अपने नियंत्रण में कोई कमी किए बिना उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए सरकार ने, सरकारी उपक्रमों के शेयरों से धन निकालने का भी कार्य किया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

सरकारी नियंत्रण में लिये गये एककों की उत्पादन रिपोर्ट

1289. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने नियंत्रण में लिये गये उद्योगों को प्रतिमाह उत्पादन रिपोर्ट देने के लिए कहा है और इस संबंध में इन उद्योगों को कुछ नये दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन-किन उद्योगों से प्रतिमाह उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो रही है;

(ग) किन उद्योगों से प्रति माह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है;

(घ) अधिग्रहण के बाद इनमें से प्रत्येक उद्योग के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई है; और

(ङ) जिन उद्योगों में उत्पादन घट गया हो उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

योजना प्रक्रिया में सहकारी समितियों की भूमिका

1290. **श्री रवि राय:**
श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग से आठवीं योजना के प्रलेख में सहकारी क्षेत्र के संबंध एक पृथक अध्याय जोड़ने तथा सहकारी समितियों को अर्थव्यवस्था के एक पृथक तीसरे घटक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है जैसा कि 30 मई, 1992 को आयोजित दो द्विसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजना के प्रलेख में योजना और विकास तथा कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका को उचित प्राथमिकता दी गई है;

(घ) इस सम्मेलन में दिये गये सुझावों पर योजना आयोग ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और?

(ङ) इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर योजना आयोग ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ङ) योजना आयोग को 30 मई, 1992 को हुए राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में योजना और विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना दस्तावेज के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक संबंधी अध्याय में सहकारिता और कृषि ऋण से संबंधित विषयों का समावेश किया गया है।

न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों का भरा जाना तथा न्यायाधिकरणों की कुल संख्या

1291. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कुल संख्या कितनी है, ये प्राधिकरण कब स्थापित किए गए और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन न्यायाधिकरणों में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पृथक-पृथक रूप से पदों की संख्या कितनी है और कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा): (क) और (ख) देश में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की 33 न्यायपीठें 17 स्थानों पर कार्य कर रही हैं। प्रत्येक न्यायपीठ को स्थापित किए जाने की तारीख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों की कुल संख्या तथा रिक्त पड़े पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र०सं०	न्यायपीठ का स्थान	स्थापित किए जाने की तारीख	निम्नलिखित पदों की संख्या					
			अध्यक्ष		उपाध्यक्ष		सदस्य	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1.	प्रधान न्यायपीठ (दिल्ली)	1.11.85	1	—	2	—	7	1
2.	अहमदाबाद	30.6.89	—	—	1	—	3	—
3.	इलाहाबाद	1.11.85	—	—	1	—	5	3
4.	लखनऊ	15.10.91	—	—	—	—	2	1
5.	बंगलौर	3.3.86	—	—	1	1	3	1
6.	बम्बई	1.11.85	—	—	1	—	3	1
7.	कलकत्ता	1.11.85	—	—	1	1	3	1
8.	चंडीगढ़	3.3.86	—	—	1	—	3	—
9.	गुवाहाटी	3.3.86	—	—	1	—	1	1
10.	कटक	30.6.86	—	—	1	—	1	1
11.	हैदराबाद	30.1.86	—	—	1	1	3	—
12.	जबलपुर	30.6.86	—	—	1	—	1	1
13.	पटना	30.6.86	—	—	1	—	3	1
14.	मद्रास	1.11.85	—	—	1	—	3	—
15.	एर्नाकुलम	1.9.88	—	—	1	—	3	—
16.	जोधपुर	30.6.86	—	—	1	—	3	—
17.	जयपुर	15.10.91	—	—	—	—	2	1

सी०आई०ए० की भारत पर निगरानी

1292. **श्री विजय कुमार यादव:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1992 के "पेट्रियट" में सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी की भारत पर निगरानी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) सरकार भारत के सुरक्षा पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है और भारत की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए आवहश्यक कदम उठाती है।

श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग

1293. **श्री याइमा सिंह युमनाम:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रीलंका सरकार द्वारा लिट्टे के विरुद्ध दमनकारी रवैया अपनाए जाने के परिणामस्वरूप वहां के भारतीय मूल के लोगों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस देश में भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार उन लोगों को कोई सहायता देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों पर जिनमें से अधिकांश देहाती बागान इलाकों में रहते हैं, उत्तर पूर्वी इलाकों में लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका की सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता कि सरकार ने भारतीय मूल के इन लोगों की दु:ख-तकलीफों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए है/उठाने का विचार रखती है। तथापि हम अपने इस सिद्धान्तगत वचन पर कायम हैं कि श्रीलंका की एकता, प्रादेशिक अखंडता और सम्प्रभुता के दायरे में श्रीलंका के तमिल समुदाय की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

राजीव गांधी पेयजल योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि का आवंटन

1294. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजीव गांधी पेयजल योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अनतर्गत 1992-93 के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौ विवरण में दिया गया है।

1992-93 के लिए आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम		मिनी मिशन परियोजना
		सामान्य	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	जिले
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.47	0.00	0.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.62	0.00	0.14
3.	असम	13.70	0.00	1.21
4.	बिहार	29.99	0.00	2.04
5.	गोआ	0.55	0.00	0.56
6.	गुजरात	14.93	1.40	1.93
7.	हरियाणा	5.59	4.40	0.42
8.	हिमाचल प्रदेश	6.30	0.12	0.93
9.	जम्मू व कश्मीर	19.00	0.16	1.46
10.	कर्नाटक	23.42	0.00	0.13
11.	केरल	11,91	0.00	0.39
12.	मध्य प्रदेश	28.19	0.00	0.36
13.	महाराष्ट्र	33.90	0.00	1.39
14.	मणिपुर	3.08	0.00	0.12
15.	मेघालय	4.20	0.00	1.01
16.	मिजोरम	1.29	0.00	0.03
17.	नागालैंड	4.22	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	13.35	0.00	1.71
19.	पंजाब	4.24	0.00	0.27
20.	राजस्थान	27.91	13.92	6.59
21.	सिक्किम	3.72	0.00	0.00

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	20.19	0.00	0.39
23.	त्रिपुरा	3.50	0.00	0.58
24.	उत्तर प्रदेश	47.24	0.00	0.21
25.	पश्चिम बंगाल	18.24	0.00	2.26
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.40	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.13	0.00	0.00
29.	दिल्ली	0.14	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.10	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.26	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.22	0.00	0.00
	कुल	370.00	20.00	24.98

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से अलेप्पी जिले में जल आपूर्ति योजनाएं

1295. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक अथवा किन्हीं अन्य विदेशी एजेंसियों की सहायता से केरल के अपेप्पी जिले में जल आपूर्ति के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं की प्रगति की क्या स्थिति है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) विश्व बैंक की सहायता से केरल के अलेप्पी जिले में जल सप्लाई की कोई योजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, नीदरलैंड सरकार की सहायता से दो योजनाएं अलेप्पी जिले में कार्यान्वित की जा रही हैं। 1985 में शुरू की गई पहली योजना तिरूकुनापूजा के 11 वार्डों की 10,297 जनसंख्या के लिए है जिसकी संशोधित लागत 34.45 लाख रुपये है। दूसरी योजना जोकि 1985 में ही शुरू की गई थी, चेरियान्दु की एक पंचायत की 33011 जनसंख्या के लिए है जिसकी संशोधित लागत 133.56 लाख रुपये है।

(ख) योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। 31.3.92 तक 20.25 लाख रुपये की राशि खर्च की चुकी है। दूसरी योजना के अंतर्गत 88.136 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जिससे 22586 जनसंख्या लाभान्वित हुई है। पहली योजना के दूसरे चरण और दूसरी योजना के मार्च, 1993 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) निकट भविष्य में अलेप्पी जिले के लिए एक नई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैं पिछले तीन-चार दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैंने होम मिनिस्टर को भी पत्र लिख कर आग्रह किया है और जैकब साहब अभी यहां बैठे भी हैं। दिल्ली में इन दिनों कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई है और रोज थानों में जिस तरह से गरीबों का टॉर्चर हो रहा है, उसी संदर्भ में 7 तारीख को एक इक्कीस वर्ष का नौजवान, राजकुमार जिसका नाम था, उसने दो सौ रुपया मांगने पर नहीं दिया तो उसके बाप को थाने बुलाया गया और कहा कि तुम्हारा लड़का चोरी में पकड़ा

[श्री रामविलास पासवान]

गया है, 200 रुपए दो। लेकिन उस लड़के ने यह कहकर रोक दिया कि जब मैंने चोरी नहीं की तो तुम पैसे क्यों दोगे। इस प्रकार रुपया न देने पर पीट-पीट कर उस लड़के को जान से मार दिया गया और मैं स्वयं वहां बख्तापुर गांव में गया था और वहां लोगों ने इस घटना के संबंध में बताया कि लड़का निर्दोष था और उसको सलीप थाना के थानेदार ने मार दिया है। मैं जैकब साहब से आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह की घटनाएं दिल्ली में घटेंगी जहां संसद है, जहां रधान मंत्री हैं तो देश के दूसरे भागों में क्या होगा? मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस लड़के की मृत्यु की जांच का आदेश दिया जाए और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार करने का काम किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): मैं इस संबंध में जांच करूंगा...**(व्यवधान)**...

डा० रमेश चंद तोमर (हापुड़): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक लोक महत्व का प्रश्न यहां पर उठाना चाहता हूं। पर्यटन मंत्रालय ने 1983 में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे पर्यटन के विद्यार्थियों को तैयार करना था। यह आंटोनिमस संस्था है। यह संस्था तब से अरूणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड़ पर स्थित थी और इसका प्रमिसेज़ 3 लाख रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया गया था। इसकी स्थायी व्यवस्था के लिए 1988 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्री जगदीश टाइटलर ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह लिखा था कि 5 एकड़ जगह संस्थान को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ जगह नौएडा में सैक्टर 16 डी में 90 लाख रुपए में सस्ती दरों पर उपलब्ध करा दी थी। उसका पूरा पैसा उस संस्थान के अधिकारियों ने 13 अगस्त, 1991 को अदा कर दिया था। संस्थान के बोर्ड आॅफ गवर्नर्स ने उसका नक्शा भी पास करा लिया था और प्लानिंग कमीशन ने इस संस्थान के बनने के लिए 1988-89 में एक करोड़ रुपए तथा 1989-90 में डेढ़ करोड़ रुपए देना स्वीकृत किया था, लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अब पर्यटन मंत्रालय ने मंत्री जी को खुश करने के लिए उस संस्थान को नौएडा से ग्वालियर में स्थानांतरित करने का फैसला किया है।.....**(व्यवधान)**.....

L 12.05 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष जी, पर्यटन मंत्रालय के मौजूदा मंत्री को खुश करने के लिये ऐसा किया जा रहा है। यह नहीं, मेरे जिले की जनता के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को यह आदेश दें कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध संस्थान को नोयडा से ग्वालियर स्थानान्तरित न किया जाए। यदि ऐसा किया जायेगा तो वह उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के साथ अन्याय होगा। इतना ही नहीं, एक पुरानी कहावत है—"अन्धा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपनो को दे" वह अब फिर से चरितार्थ नहीं होने दी जाये। इस संथान को जो करोड़ों रूपये की जापानी सहायता मिलती थी, अब यह प्रश्न-चिन्ह बन गया है कि वह मदद इस संस्थान को ग्वालियर स्थानान्तरित करने पर मिलेगी या नहीं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रदेश की जनता के साथ, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जो अन्याय कर रहे हैं, उसे तत्काल रोका जाये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि सरकार तत्काल सदन में घोषणा करे कि इस संस्थान को नोयडा से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): उपाध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारी व्यवस्था कर दी गयी

है, सरकार बताये कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनके कारण इस इंस्टीट्यूट को नोयडा से हटाकर ग्वालियर ले जाया जा रहा है (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला): उपाध्यक्ष जी, जमीन ले ली गयी है और 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक इस पर खर्च कर दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में, हित में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतने बड़े संस्थान को नोयडा से हटाकर ग्वालियर ले जाया जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ....(व्यवधान)....

महोदय, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। अब श्री सुदर्शन राय चौधरी बोलेंगे।....(व्यवधान)....

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो मुद्दा उठाया गया है, सत्ता पक्ष उस ओर ध्यान दे। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि नागरिक विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय के अन्तर्गत एक संस्थान अरुणाचल हाऊस में क्यों कार्य कर रहा है। इसे उचित रूप प्रदान करने के लिए नोयडा में इसके लिए पिछले वर्ष काफी जमीन खरीदी गई। फिर अचानक ही मंत्रालय ने इसे नोयडा की बजाय ग्वालियर में स्थापित करने का निर्णय ले लिया। संक्षेप में इतनी ही बात है। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए इस संस्थान के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों किया गया। इसलिए जो लोग नोयडा के रहने वाले हैं तथा जिन्हें यह आशा थी कि इस संस्थान की स्थापना से उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिल सकता था, वह इस निर्णय से काफी परेशान हैं। (व्यवधान) यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस तरह के मंत्रालय अथवा संस्थान उन व्यक्तियों की सुविधा के अनुसार स्थापित किए जा रहे हैं जो किसी समय विशेष पर मंत्री बन जाते हैं। यह एकदम गलत तरीका है। इसलिए इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि यह निर्णय क्यों लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह मामला नागरिक विमानन तथा पर्यटन मंत्री की जानकारी में लाया जायेगा। वह इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर): महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन, सरकार तथा विशेषकर गृह मंत्रालय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि ....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण से इसे ग्वालियर ले जाने का निर्णय लेना पड़ रहा है? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़): इसमें आपत्ति क्या है। मध्य प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुदर्शन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए....(व्यवधान)....

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। हमें सदन की कार्यवाही स्थापित सिद्धांतों के अनुसार चलानी है। इस मुद्दे पर आप सभी बहुत उद्वेलित हैं। नियमों सम्बन्धी पुस्तक में इसके लिए विशिष्ट प्रावधान है तथा आप उन्हीं प्रावधानों के अनुसार यह मुद्दा उठा सकते है। अगर आप हर मुद्दा शून्यकाल के दौरान सदन में उठायेंगे तो नोटिस दिए बगैर आप तुरंत सरकार से उत्तर की आशा कैसे कर सकते हैं? नियमों में इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान है तथा आप उनका उपयोग कर सकते हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी: महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन तथा गृह मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में राजनैतिक नेताओं पर विशेष रूप से विपक्षी दलों के नेताओं पर हमले की घटनाओं में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हो गई है पिछले शनिवार को भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नृपेन चक्रवर्ती, सी०पी०आई० (एम) के नेता तथा अन्य लोग जिनमें एक भूतपूर्व संसद सदस्य श्री नारायण कार भी सम्मिलित थे, जब बेलोनिया में एक आम सभा से वापस लौट रहे थे तो उन पर कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया। उनकी कार पर हमला किया गया। उनमें से बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी घटनाओं का होना त्रिपुरा में कोई नई बात नहीं है। विरोधी दलों के पार्टी कार्यदलों पर हमले किए जाते हैं। प्रैस की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता इत्यादि को सुनिश्चित करने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है। वहां पर कानून और व्यवस्था कायम रखना सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है; परन्तु वहां पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहां तक कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम जैसे काले कानून भी विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध लागू किए जा रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय का ध्यान मैं इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री जैकब यहां पर उपस्थित हैं। वहां के हालात पर उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

*__श्री सुभाष चन्द्र नायक__ (कालाहाण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, अपने जिले की कुछ गंभीर समस्याओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले में कोई कानून एवं व्यवस्था नहीं है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति हर रोज खराब होती जा रही है। सारा पुलिस विभाग राजनैतिक प्रभाव के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

यह बड़े खेद की बात है कि पुलिस विभाग बहुमूल्य पत्थरों के सौदों तथा चन्दा इकट्ठे करने में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त वे आम जनता तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। यहां तक कि संसद सदस्यों तथा उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा जाता है। मेरे तथा मेरे परिवार के साथ पुलिस के व्यवहार की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट नहीं करवाऊंगा तो यह मेरे लिए अपने कर्तव्य से विमुख होने वाली बात होगी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 11 जून, 1992 को जब मैं दिल्ली में था, तो पुलिस पार्टी ने दो बार मेरे घर की तलाशी ली। उस समय मेरे बूढ़े तथा बीमार माता-पिता घर पर थे। एक स्थानीय डाक्टर उनका इलाज कर रहा था। पुलिस ने इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं दी।

पिछले पंचायत चुनावों के दौरान पुलिस ने मेरे समर्थकों को तंग किया। मतों की दोबारा गिनती के दौरान जिन युवा नेताओं ने मेरा समर्थन किया, उन्हें भी तंग किया गया। परन्तु मेरे विचार में वे किसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। तत्पश्चात पुलिस मेरे भाई को झूठे मामले में फंसाने के लिए उसे मेरे घर पर ढूंढ रही थी, फिर उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की तालाशी यह कह कर ली कि उन्हें मेरे भाई की कुछ मामलों में तलाश है।

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इस घटना से पहले मैंने माननीय गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण को अपने दिनांक 30.3.92 के पत्र द्वारा कालाहाण्डी पुलिस की गतिविधियों से अवगत करा दिया था। मैंने कालाहाण्डी में पुनः कानून तथा व्यवस्था कायम करने की मांग की थी। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। शायद स्थानीय पुलिस को मेरे द्वारा लिखे गये पत्र की जानकारी मिल गई थी। उसके पश्चात उन्होंने मुझे तथा मेरे समर्थकों को तंग करने की योजना बनाई।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसा अन्याय किसी भी सदस्य, उसके परिवार के सदस्यों अथवा समर्थकों के साथ नहीं होना चाहिये। पुलिस का यह व्यवहार और कार्यवाही गैरकानूनी और संविधान के विरुद्ध है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसी प्रतिशोधपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मैं माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से सुरक्षा की मांग करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उड़ीसा सरकार से बातचीत की जाये।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के सिलसिले में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यहां जेकब साहब और श्री शरद पवार बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ये ध्यान से सुने। मिजोरम में बर्मा से आर्मी ने आकर हिन्दुस्तान के नागरिकों पर हमला किया है और यह बात दिल्ली के सिर्फ एक अखबार में निकली थी। मैं यह जानकारी आपके जरिए सदन को देता हूं और मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले प्रो-डैमोक्रेसी विद्यार्थी नेता, जो हिन्दुस्तान के मिजोरम प्रान्त के एक बार्डर से लगे शहर में रहते हैं, उनका पीछा करते हुए बर्मा की आर्मी हिन्दुस्तान में घुस आई। यह मिजोरम के मुख्यमंत्री का बयान है कि हिन्दुस्तान में जो विद्यार्थी रहते हैं और जो आग सान सू ची के समर्थक हैं, उनका पीछा करते हुए वहां की आर्मी हिन्दुस्तान की टैरीटरी में आकर उनकी पिटाई करके लौट गई। यह बात लगातार आई है लेकिन अभी तक अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है कि श्री जेकब के साथ भी मुख्यमंत्री की बात हुई है। मैं श्री जैकब और श्री शरद पवार से जानना चाहता हूं कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री चिल्लाकर कह रहे हैं कि बर्मा की आर्मी हिन्दुस्तान की टैरीटरी में घुसकर हिन्दुस्तान के नागरिकों पर हमला कर रही है।

यह बहुत गंभीर सवाल है, क्या सरकार इस पर यान देगी? श्री जेकब और श्री शरद पवार सदन को और देश को विश्वास में लेकर इस पर बयान दे। यह एक ऐसा सवाल है जिसपर रिसपौंड करना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): महोदय, क्या आपने बोफोर्स के बारे में नवीनतम रिपोर्ट को देखा है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए नोटिस दिया है। कृपया, मुझे अनुमति दें। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ श्री रवि राय ने कहा है उसकी जानकारी माननीय रक्षा मंत्री को है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनयिक तौर पर कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): महोदय, श्री रवि राय ने यह मुद्दा उठाया है। सरकार को इस मुद्दे पर कुछ

[श्री चन्द्रशेखर]

कहना चाहिए। सभी मामलों को टकराया नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान) आपको इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ कहना चाहिए। आप सभी मुद्दों पर चुप्पी नहीं साधे रह सकते हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, जो मामला माननीय श्री रवि राय ने यहां उठाया है वह मेरे ध्यान में लाया गया है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब चीजें पुनः नहीं घटें, तुरंत कदम उठाये हैं। हो सकता है कि सेना ने प्रवेश किया हो और तुरंत वापस चली गयी हो। (व्यवधान)

श्री रवि राय: कृपया हमें बतायें कि उन्होंने कितनी बार हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है। कृपया हमें बतायें कि कितनी बार म्यांमार की सेना ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया और भारतीय नागरिकों को मारा।

श्री एम० एम० जैकब: यदि आप इन घटनाओं पर पूर्ण वक्तव्य चाहते हैं और मिजोरम और म्यांमार की सीमाओं पर हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य चाहते हैं तो मैं इन सब चीजों के बारे में जोकि वहां घटित हो रही हैं सभा में एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं। यह ठीक नहीं होगा कि मैं अधूरी जानकारी दूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें पूर्ण जानकारी क्यों नहीं है?

श्री चन्द्रशेखर: महोदय, हमें यह बताया जाना चाहिए कि भारत सरकार को इस मामले के बारे में कब बताया गया। इसे लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। जैसे कि रवि राय जी ने कहा है। एक विदेशी सेना हमारे क्षेत्र में प्रवेश करती है, हमारे नागरिकों को पीटती है, वह भी एक बार नहीं दो बार या तीन बार नहीं बल्कि कई बार पीटा है और माननीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि वह इसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जानकारी एकत्र करने में उन्हें कितना समय लगेगा? यह मामला तो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण का है और इस मामले को सरकार द्वारा स्वयं सभा और देश के समक्ष लाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं जानता, फिर भी मंत्री महोदय को कम से कम सभा को तो बताना चाहिए था कि उन्हें मिजोरम के मुख्य मंत्री ने कब जानकारी दी थी और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, क्या हमारी सेना को सतर्क किया गया है या कम से कम सीमा सुरक्षा बल को वहां सतर्क किया गया है इस मामले में विदेश कार्यालय क्या कर रहा है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि गृह मंत्री पुनः सभा में आयेंगे लेकिन विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा इतने गंभीर विषय पर क्या किया जा रहा है और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह मामला उनके ध्यान में कब लाया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें पता होना चाहिए कि क्या ऐसी कोई घटना हुई या नहीं। उन्होंने कहा है कि वह जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री एम० एम० जैकब: मैंने यह नहीं कहा कि मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूं। मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में मुझसे बात की थी। मैंने सुरक्षा बलों को सीमा पर सतर्क किया था और सीमा सुरक्षा बल ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और हमने देखा कि फिर ऐसा कुछ नहीं घटा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या राजनयिक स्तर पर इस मामले को उठाया गया है?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): प्रश्न यह नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल को सतर्क कर दिया गया। हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने इस मामले को म्यांमार की सरकार के साथ उठाया है। क्या इस पर म्यांमार की सरकार से बातचीत हुई है या नहीं, यही हम जानना चाहेंगे बजाय इसके कि हमने सीमा सुरक्षा बल को सतर्क कर दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, इनको किसी और ने नहीं बताया बल्कि

इनको मुख्यमंत्री ने बता दिया कि विदेशी लोग आ करके हमारे नागरिकों को भगा कर ले गये। हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद में क्या कार्यवाही की गई?

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, इन मामलों में कुछ जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं विदेश मंत्रालय ने इस मामले में क्या किया क्योंकि विदेशी मंत्रालय से ही तत्काल यह पूछा जा सकता है कि क्या बर्मा के राजदूत को बुलाया गया और कया उनसे इस संबंध में विरोध जताया गया था और यदि कुछ गंभीर बात थी तो क्या रक्षा मंत्रालय को इस मामले के बारे में जानकारी दी गयी थी क्योंकि इसके बाद रक्षा मंत्रालय की बारी आती है। गृह मंत्रालय द्वारा जानकारी देने के बाद क्या विदेश मंत्री या ..... मैं नहीं जानता कि इन दिनों विदेशी मंत्री कौन है, श्री फैलीरो या कोई और—क्या प्रधान मंत्री ने इस मामले को उठाया है तो किस स्तर पर उठाया है और यदि उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया है तो इसकी कोई सीमा होनी चाहिए क्योंकि उन्हें प्रत्येक गंभीर मामले का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अभी अभी श्री रबि राय यह प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या आपने जापानियों को इस देश में टाउनशिप बनाने के लिए आमंत्रित किया है। क्या यह इस देश के विरुद्ध नहीं है? प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी की और सारा सदन उस पर हंस दिया है। इस सभा में यह प्रस्ताव भी किया गया कि पांडिचेरी में ओरोविल बनाया जाय और सभा में इस मामले पर लम्बे समय तक वाद विवाद किया गया कि इस तरह की बात कैसे हो सकती है। आप विदेश जाते हैं और कहते हैं कि आइए, इस देश में एक नगर क्षेत्र स्थापित कीजिए। इस सरकार ने राष्ट्र के सम्मान और गरिमा की अनूठी परिभाषा दी है। और इस मामले में भी मुझे श्री जैकब से सहानुभूति है? वह इस संबंध में क्या कर सकते हैं? यदि विदेश मंत्री ने इस मामले पर बात नहीं की है तो विदेश मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि म्यांमार अर्थात बर्मा में तानाशाही है वे वहां लोकतन्त्र को पनपने नहीं दे रहे हैं, सारा विश्व चुप्पी साधे हुए है। वे न केवल बर्मा में इस निरंकुश शासन से ही संतुष्ट है बल्कि वे मिजोरम और भारत में अपना शासन थोपना चाहते हैं और भारत सरकार इस मामले में चुप है।

श्री चन्द्रजीत यादव: सरकार का प्रत्युत्तर क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। मुझे पूरी तरह से याद है कि भारत सरकार ने एक घोषणा की थी और म्यांमार में चल रहे लोकतन्त्रोन्मुख आन्दोलन के साथ उनकी सहानुभूति है उन्होंने इस आन्दोलन का समर्थन किया है तथ्य जो युवा इसमें भाग ले रहे हैं उन्हें हमारे क्षेत्र में पीटा जा रहा है हमारे नागरिकों को पीटा जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार ने इस मामले को म्यांमार की सरकार के साथ उठाया था या नहीं। वे यहां आयें और हमें अभी बतायें। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री यहां हैं उन्हें प्रत्युत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर सवाल है। इस मामले में सदन को विश्वास में लेना चाहिये। आप इस बारे में डायरेक्शन दे सकते हैं। हाउस एडजर्न होने से पहले इस पर मंत्री जी को बयान देना चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त: उन्हें यह सभा को बताना चाहिए। सीमा पर यह हुआ। सेना को वहां होना चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब: मैं सभा के समक्ष आने और वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे

[श्री एम० एम० जैकब]

पहले मुझे यह जानने के लिए दोनों मंत्रालयों से सम्पर्क करना पड़ेगा कि इसके परिणामस्वरूप बाद में उन्होंने क्या कार्यवाही की। अतः मुझे इसके लिए समय चाहिए संभवतः आज या कल तक के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह तो इस देश में पूरी तरह से काम न करने वाली सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया है कि वह अपने साथियों के साथ परामर्श करके कल या आज सभा में आयेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी का और गृह राज्य मंत्री श्री जैकब साहब का एक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

साहित्य अकादमी की ओर से कुछ पुरस्कार दिये जाते हैं। विभिन्न भाषाओं में जो सृजनात्मक ग्रन्थ, कविताएं होते हैं, उनके लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। अभी एक पुरस्कार "चन्ना दी रात" पर पंजाबी भाषा में दिया गया है। उसको लेकर कुछ विवाद खड़ा हुआ है और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में कुछ अनुचित बातें कहीं हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, यह मेरा भी मत है, हम लोगों का भी मत है लेकिन उसमें जो इस प्रकार की क्षोभ पैदा करने वाली पंक्तियां होंगी, उनके बारे में सरकार विचार कर सकती है। इसके सम्बन्ध में साहित्य अकादमी ने भी कुछ बयान दिया है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसमें तथ्य क्या है, वस्तुस्थिति क्या है और इसलिए एक युवक संगठन ने 9 जुलाई को दिल्ली में साहित्य अकादमी के बाहर रविन्द्र भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भी किया जा सकता है लेकिन उस प्रदर्शन में अन्दर आफिस के डिप्टी सैक्रैटरी को पुलिस ने बाहर बुलवाया और पुलिस ने बाहर बुलवाने के बाद पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको केवल मैमोरेण्डम दिया जायेगा और जब वह अधिकारी निवेदन लेने के लिए गये, तब उन पर हमला हुआ, काली स्याही से उनका मुंह बिल्कुल काला कर दिया गया, उनके कपड़े फाड़े गये, उन पर हमला हुआ, खून बह गया और पुलिस ने इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जबकि सीनियर पुलिस आफिसर्स वहां पर उपस्थित थे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आश्वासन भंग होने के बाद पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नौ तारीख की यह घटना है, आज 15 जुलाई है, इसके सम्बन्ध में यहां की पुलिस क्या कर रही है? इस ओर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? साथ ही साथ अकादमी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उनका भंग हुआ है या नहीं हुआ है?

जो पुरस्कार दिया है, वह आप कैन्सिल करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं? यह सारी बातें हैं, जिनके बारे में सदन को जानकारी देनी चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्री को, गृह मंत्री को। यह जो कार्य किया है, वह हमारे युवक कांग्रेस के नेताओं ने किया है। उनकी पहले से प्रसिद्धि है, पब्लिसिटी है, कैसे करना है। ऐसा लगता है कि अब इन्होंने दिल्ली में पुरानी राह पर आना शुरू किया है इसलिए इस प्रकार के किसी भी कृत्य का सारे सदन को निषेध करना चाहिए, कण्डेम करना चाहिए और साथ ही साथ सरकार की इस बारे में क्या राय है, वह बताना चाहिए। हमने अखबार के जरिये सुना है कि वी०एन० गाडगिल साहब ने कुछ कहा है कि यदि यह घटना सही होगी तो हम माफी मांगने को तैयार हैं।

हम सरकार की ओर से यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (ऊलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, साहित्य अकादमी के उप सचिव को उनके

कार्यालय से निकाला गया और उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिये गये और उनका चेहरा काला किया गया। यह और कुछ नहीं, गुंडागर्दी है। अतः मानव संसाधन मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान की इस तरह से छवि नहीं गिर जायेगी और अपराधियों को सजा देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, श्री नाईक ने यह जो मुद्दा उठाया है मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दूंगा।

श्री हाराधन राय (आसनसोल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अधिक चिन्ता का विषय है कि भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों के कारण कोयला उद्योग पर असर पड़ रहा है और इससे राष्ट्रीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

जब भारत सरकार कोयले की कीमत निर्धारित करती है तो यह इस सरकारी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने से इन्कार करती है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन मंडल मजूरी समझौते से उल्लिखित सुविधाओं को वापस ले करके इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है और इस उद्योग में क्षमशक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस उद्योग में कोयला उत्पादन का निजीकरण करने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, 1991 के दौरान इस उद्योग में ठेका श्रमिकों के जरिये लगभग 470 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया और यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोल इंडिया की महंगी मशीनें बेईमान ठेकेदारों को बेची जा रही हैं क्योंकि ठेकेदारों द्वारा कोयला खानों को चलाने के लिए अनुपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है अतः इस उद्योग में चल रही इस घोटाले वाली परंपरा के संबंध में जांच करने की जरूरत है।

कोल इंडिया प्रतिबन्धित श्रेणियों में उत्पादन करके और स्थायी तथ्य निरन्तर चलाने वाले इस कार्य को करके ठेका श्रम (उत्पादन) अधिनियम का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। कोयला विभाग इस सांविधिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की बजाय मूक दर्शक बना हुआ है।

कोयला प्रबंधन मंडल माफिया गिरोहों को संरक्षण प्रदान कर रहा है जो कोयला उद्योग को दिन दहाड़े ही लूट रहे हैं और गुण्डागर्दी के सभी तरीकों से पैसा बना रहे हैं। उन्हें इस कोयला पट्टी में जो राजनैतिक संरक्षण मिलता है उससे वे इस कोयला उद्योग को बर्बाद कर सकते हैं।

दुर्भाग्य से इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं क्योंकि इस माफिया द्वारा लूटे गये धन का कुछ हिस्सा राजनैतिक दलों की तिजोरी में जा रहा है। कुल मिलाकर इस कोयले की चोरी इस हद तक बढ़ रही है कि इससे कोयला उद्योग नष्ट हो रहा है।

सरकार कोयला उद्योग के निजीकरण हेतु कदम उठा रही है जो कि दीर्घ अवधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे।

पिछला कोयला समझौता जून, 1991 में समाप्त हो गया था। नए समझौते के लिए अभी वार्ताएं की जानी है क्योंकि कोयला विभाग समिति के पुनर्गठन में राजनीति खेल रहा है। इंटक को राजनैतिक रूप में और स्थान दिए जा रहे हैं जबकि यूनियनों को वार्ताओं में गुप्त तरीके से लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बी॰सी॰सी॰आई॰ द्वारा तैयार की गई पेंशन योजना लागू नहीं की जा रही है हालांकि भूतपूर्व कोयला मंत्री ने संसद को वचन दिया था।

मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि ऐसे मजाक न करे। अन्यथा यह मुख्य बुनियादी उद्योग निकट भविष्य में औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में गंभीर समस्या का सामना करेगा।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपकी नज़र हमारे ऊपर भी पड़ी है। मैं आपके जरिए सदन के ध्यान में एक बहुत ही वेश्याना हरकत जो हुई है, हरियाणा प्रदेश के अम्बाला जिले में दो रोज बीते हैं कि पुलिस ने मिसटेकन आइडेंटिटी को एक जरिया बनाते हुए तीन निहत्थे लोग, जिसमें एक तीन वर्ष का बच्चा शामिल था उनको यह कह करके कि यह बहुत बड़े टैरेरिस्ट हैं, उनको अम्बाला के नजदीक एक गांव में गोलियों से भून दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस तीन वर्ष के बच्चे को हवा में ऊपर फेंक कर, उसके ऊपर बरस्ट मार कर उस बच्चे के चिथड़े कर दिए गए। मैं आपके जरिए, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब सदन में मौजूद हैं मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आज पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू-कश्मीर में जो स्पेशल पावर्स पुलिस को दे दी गई हैं उनके जरिए 15 हजार टाडा एक्ट के अधीन लोगों को पंजाब में गिरफ्तार किया हुआ है और दिन-दहाड़े लोगों को , मैं उस माता का ब्यान होम मिनिस्टर के कान में डालना चाहता हूं जिनका एक अपना पति चला गया, उनका भाई चला गया और तीन वर्ष का बेटा चला गया और कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया। कोई रूल ऑफ लॉ या किसी प्रकार का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया।

मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पहले पंजाब में एक एसएसपी ने जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस था, एक स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड का आला आफिसर था, एक्सियन, शाम को एक सभा हो रही थी और उस पार्टी में उस एसएसपी ने कहा कि मैं इस एक्सियन की बीबी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। डिप्टी कमिश्नर ने उनको रोका कि आप एसएसपी हैं, जिले के कप्तान हैं, आपको ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उस महिला पर हाथ डाला गया। आतंकवाद का सहारा लेकर आज पुलिस को इतनी स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं, इस बारे में मैं इस सदन का और माननीय होम मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस तरह की कार्यवाहियों से पंजाब में कभी अमन वापिस नहीं आ सकता है। आज वहां पर हो रही उपलब्धियों का जिक्र अखबारों में हो रहा है, लेकिन उनका बिल्कुल उल्टा प्रभाव वहां पर इस तरह की कार्यवाहियों से होगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से विनती करूंगा कि जिन पुलिस वालों ने कार में बैठे हुए 3 इनोसेंट लोगों को मार दिया, जिनका टेरिजम से कोई वास्ता नहीं था, किसी मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, दिन दहाड़े जी टी रोड़ अंबाला पर उनको मार दिया गया, 8 घंटे तक लोगों ने ट्रेफिक जाम रखा, लेकिन आज तक कोई इन्क्वारी नहीं की गई, कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज से 15 दिन पहले सीआरपीएफ के दो जवानों ने उत्तर प्रदेश से आए हुए, कमाई करने के लिए आए हुए, एक गरीब माली की पत्नी को चंडीगढ़ में रेप किया और मैं उस रिक्शा पुलर को बधाई देना चाहता हूं जिसने हथियार लेकर उन दोनों को मार दिया, सीआरपीएफ के दोनों लोग मारे गए, लेकिन आज उस माली, उसकी बीबी, जो कि गरीब रिक्शा चलाने वाले हैं, उन पर पुलिस द्वारा तशद्दत की जा रही है। यही पंजाब के दहला गांव में हुआ जहां पुलिस ने शील्ड बनाकर 2800 आदमियों द्वारा एक गांव पर अटैक किया। इस तरह की ज्यादतियां पुलिस द्वारा हो रही हैं और भारी जुल्म हो रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो एक्स्ट्रा-आर्डनरी पावर्स पुलिस को दिए गए हैं, यह उनका परिणाम है। टाडा जैसे काले कानून का सहारा लेकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और ज्यादतियां की जा रही हैं। इसलिए मेरा होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि इस कानून को विथड्रा किया जाए और पंजाब में पुलिस के बजाए पोलीटिकल इनीशिएटिव लेने की आवश्यकता है। पंजाब का मसला हल किया जाना चाहिए। अखबारों के जरिए बड़ी-बड़ी बातें पढ़ने को मिलती हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, आज सारे पंजाब में आग लग रही है।

इसी तरह से लोगों को कत्ल किया जाता रहा और कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो समस्या का हल नहीं निकलेगा।

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार ने बार-बार कहा है कि पंजाब में अब लोकप्रिय सरकार बन गई है और समस्याओं का निदान शुरू हो गया है। जिस घटना की चर्चा माननीय सदस्य ने की है, हम लोग भी पंजाब जाते रहते हैं, टेररिटों से निपटना चाहिए यह ठीक है, लेकिन नए-नए टेररिस्ट सरकार पैदा करे, प्रशासन पैदा करे, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि टेररिस्ट तो हैं ही, सरकार और प्रशासन की कार्यवाही से नए-नए टेररिस्ट पैदा करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से बताया गया कि 3 साल के बच्चे की हत्या की गई, यदि यह बात सही है तो, इससे ज्यादा जघन्य अपराध और नहीं हो सकता। हरियाणा में यह घटना हुई, वहां भी कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। देश की एकता और अखण्डता को देखते हुए यह बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पंजाब समस्या सुलझे, इसके लिए दिनों-दिन प्रयत्न करना चाहिए न कि उस समस्या को उलझाने का काम करना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे मामलों की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

श्री जगमीत सिंह बरार: होम मिनिस्टर साहब कम से कम यह तो कहें कि केस दर्ज किया जाएगा।

[अनुवाद]

गृहमंत्री यह बैठे हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हिदायतें दी जाएं और मामला दर्ज किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला उठाया गया है, आज पंजाब के अंदर किस तरह से पुलिस का राज चल रहा है, मैं भी इसी विषय को उठा रहा हूं और यह मामला भी इससे मिलता-जुलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 जुलाई को पंजाब के सहकारिता मंत्री श्री सज्जन कुमार जाखड़ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोटकलां, जिला भटिंडा में अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 6 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए और एक जर्नलिस्ट वहीं पर आन दी स्पाट मारा गया।

उपाध्यक्ष जी, मामला यह था कि 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने बिना कारण बताए वहां के बी०जे०पी० के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया और किसी अज्ञात स्थान की ओर ले गयी। पुलिस के उक्त एक्शन के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता कोटकपुरा थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब का काफिला वहां से गुजरा। लोगों ने कहा कि ये मिनिस्टर हैं इनसे अपील कर लें। वे उनसे अपील करने के लिए गए तो सुरक्षा-कर्मियों ने, पुलिस ने नहीं, मिनिस्टर के सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा गार्ड्स ने अन्धाधुंध फायरिंग कर दी। छः लोग जख्मी हो गए और एक की मृत्यु वहां हो गयी। कई केस आपने भी सुने होंगे, इतने दिन हो गए बी०आई०पी० पर आतंकवादियों के हमले होते हैं, एक भी सुरक्षाकर्मी आतंकवादी को गोली नहीं मारता। सुरक्षाकर्मियों द्वारा निहत्थे और शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस तरह से गोली चलायी गयी। यह बहुत गम्भीर मामला है। अभी इन्होंने भी मामला उठाया। इस तरह से अगर पुलिस को, सुरक्षाकर्मियों को, जो कानून के रखवाले हैं, कानून हाथ में लेने दिया जाएगा, कानून के राज को जंगल के राज में बदलने दिया जाएगा तो देश कहां जाएगा?

[श्री मदन लाल खुराना]

मैं जानना चाहता हूं कि फायरिंग का आर्डर किसने दिया? एफ०आई०आर० में जिन-जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उन पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की? वे पत्रकार थे, वहां के पत्रकारों ने फैसला किया है कि जब तक इसके बारे में कार्यवाही नहीं करेंगे, वे सारे सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब, पंजाब में इस तरह के मामले आ रहे हैं जिसमें लॉ एण्ड आर्डर को खुद ही खराब कर रहे हैं लॉ एण्ड आर्डर के रखवाले, इसके बारे में वक्तव्य दें। एक मामला हमारे माननीय सदस्य ने उठाया, एक मामला जो मैंने दिया है, पालिटीकल कार्यकर्ता के ऊपर फायरिंग हुई है, शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है उसकी जांच कर के आप इस सदन के अन्दर वक्तव्य दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री तारा सिंह (कुरूक्षेत्र) : डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार जगमीत सिंह ने जिस केस का जिक्र किया है हम सब को उसका बड़ा दुःख है। पंजाब की पुलिस ने जिस ढंग से अम्बाला में गोली चलायी और तीन बेगुनाह, दो आदमी और एक बच्चे को मारा गया, उसका सारे हरयाणवी लोगों को दुःख है। लेकिन मैं सरदार जगमीत सिंह को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने उसी वक्त मुख्य मंत्री से बात की और सारे के सारे पुलिस अफसर जो पंजाब के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और वे हिरासत में हैं। यह मैं इनको बता देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह बहुत गंभीर मामला है। यह कथित लोकप्रिय सरकार वहां पर स्थिति को और पेचीदा बना रही है। वे अब खुले रूप में राजीव/लोंगोवाल समझौते के विरुद्ध बोल रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा जा रहा है। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पंजाब को श्री बेअंत सिंह और उनके मंत्रियों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। **(व्यवधान)**

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रानिकी विभाग और समुद्र विकास विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): क्या आप शून्य काल के दौरान पंजाब पर चर्चा चाहते हैं? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: जो मुद्दा उठाया जा रहा है बहुत ही गंभीर है। लेकिन आप इसे नहीं सुन रहे हैं। आपको वहा पर गुमराह किया जा रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: यह रवैया दर्शाता है कि पंजाब एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है। क्या हमने निर्णय किया है कि पंजाब अब राष्ट्रीय समस्या नहीं रही है? यह तर्क दिया जा सकता है कि जब तक मंत्रालय है यह उनका कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं कि चुनावों के बाद की वही प्रक्रिया जारी है। न सिर्फ आतंकवादियों बल्कि प्रशासन द्वारा भी राजनैतिक विरोधियों सहित निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए गए हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। क्या केन्द्र को यह नहीं बताना चाहिए कि वह रिपोर्ट दे जिसमें बताए कि यह हुआ है यह दिशा निदेशों के अनुसार है और राज्य सरकार ने ये कदम सुझाए हैं? आप वहां पर सुरक्षा बलों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कर रहे हैं ताकि निर्दोष आतंकवाद की ओर बाध्य न हों और ऐसे कार्य न करें? राज्य सरकार नहीं बल्कि केन्द्र सरकार का यह दायित्व है क्योंकि हम पंजाब, कश्मीर और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अन्य मुद्दों से सम्बद्ध हैं। इसलिए वह जो करना चाहते हैं उस पर तत्काल उत्तर दें। आप उन्हें निदेश दें कि वह सरकार के सम्मुख इस समय किस कार्यवाही का प्रस्ताव रख रहे हैं?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): काफी लम्बे समय से पंजाब की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ रही है और इसमें ऐसा गतिरोध आ गया है जिसे हम सभी ने अभी देखा। फिर, सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो लोगों को भारत-विरोधी बना रहे हैं। काफी लम्बे समय से यह सब चल रहा है तब क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह राजीव-लोंगोवाल समझौते के संबंध में वास्तव में क्या कदम उठाना चाहते हैं? अब आप मुश्किल में

है। आप के पास कोई एकमुश्त योजना नहीं है, आपका कोई प्रशासन नहीं है। आपका कुशासन है। मैं जानना चाहती हूं कि आप पंजाब के मामले में क्या करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रशेखर: इस पक्ष से माननीय सदस्यों और श्री खुराना ने यह प्रश्न किया है, यह बहुत गंभीर मामला है। मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह हुआ कि जैसे ही सरकार सत्ता में आई, उन्होंने उन अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया जो पंजाब में अत्याचारों के लिए विख्यात थे। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता। पंजाब में वास्तव में पुलिस राज है। आप वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकप्रिय सरकार स्थापित करने की बात कहते रहें। यह परलोकप्रिय सरकार है, लोकप्रिय सरकार नहीं है। वहां पर किसी नैतिक अधिकार के बगैर श्री बेअंत सह पंजाब में शासन कर रहे हैं तब ऐसी बातें तो होंगी। मैं उस सरकार से अधिक अपेक्षा नहीं रखता और न ही मैं इस सरकार से अधिक अपेक्षा रखता हूं। इस पक्ष में मेरे मित्रों को अधिक उम्मीदें थी और चुनावों के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने पर सोचा, उन्होंने सोचा कि कुछ आशचर्यजनक होगा। अब उनका पूर्णतः पर्दाफाश हो चुका है और जितनी जल्दी यह काम हो मेरे विचार से देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़): महोदय, निःसन्देह ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये सभा के सम्मुख हैं और हर सदस्य को अपनी चिन्ता व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन आज की कार्य सूची में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। मैं समझता हूं कि अनौपचारिक रूप से तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। हमने बर्मा, मिजोरम पर चर्चा की है और पंजाब का मुद्दा आ रहा है। अन्य मुद्दे भी आएंगे। मैं अध्यक्षपीठ से जानना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से चर्चा कब शुरू होगी। ताकि हम अपने समय को निसमित कर सकें। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक चर्चा कब शुरू होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मध्याह्न भोजन अवकास के बाद

श्री जसवन्त सिंह: मध्याह्न भोजन के लिए दस मिनट बाकि हैं। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय कार्य में सामान्य घटना या कोई दैनिक घटना नहीं है। यह तो सत्तापक्ष पर निर्भर करता है कि जब इस प्रस्ताव को सूची में रखा जाए तो वे सभा से अनुपस्थित रहें या नहीं। लेकिन यह भिन्न मामला है। मैं इस प्रस्ताव को रखने वाले सदस्य की हैसियत से आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव को कब लिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): समयबद्ध परम्परा के अनुरूप हमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रश्नकाल के तुरन्त बाद शुरू कर देनी चाहिए थी। मेरे विचार से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक के बाद एक परम्परा तोड़ रहे हैं। सभी मामले के बाद में आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बहुत अच्छी परम्परा का उल्लंघन न होने दें। यह अच्छी परम्परा बनी रहे। इसलिए मेरे विचार से हमें तुरन्त अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): यह अविश्वास के प्रस्ताव को थोड़ा और गम्भीरता से लेना चाहिए। जसवंतसिंह जी ने पेश किया था, मैंने भी उसका समर्थन किया था, लेकिन हमें इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि मानो रोजमर्रा का क्रम चल रहा है। हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर यह सरकार गिर जाये...(व्यवधान)...यह 377 का मतलब क्या है। प्रश्न काल के तत्काल बाद अविश्वास का प्रस्ताव लिया जाना चाहिए था, बाकी के मामले रूके सकते थे। मगर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार पक्ष गम्भीर नहीं है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): यह सवाल 12 बजे ही उठाया जाना चाहिये था, पचास मिनट तक जीरोऑवर चलने के बाद अब सब लोगों को होश आया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे सदन के वरिष्ठ नेता और सदस्य आदरणीय वाजपेयी जी की फटकार सुनने का हम लोगों को पूरा-पूरा अधिकार है, लेकिन इस समय जो उन्होंने हम लोगों को इंगित करके कहा, शायद आपने पूरी तरह सोच-समझकर बात नहीं कही। हम ने पूरी गम्भीरता से लिया है, हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। लेकिन सदन को संचालित करने की प्रक्रियायें हैं, हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत: महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप अब भी इस परम्परा को बनाए रखेंगे।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य): महोदय मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी करके कालेजों में सी०बी०एस०ई० छात्रों का प्रवेश दो प्रतिशत तक ही रखा जाए। व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिए सी०बी०एस०ई० छात्रों पर दो प्रतिशत का कोटा लगाना राज्य बोर्ड के छात्रों से स्पष्ट भेदभाव है और यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

माननीय शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने एक वक्तव्य दिया कि सी०बी०एस०ई० के अंक अधिक बढ़ा कर दिए हुए होते हैं इसलिए राज्य बोर्ड के हितों की रक्षा हेतु सी०बी०एस०ई० के लिए केवल दो प्रतिशत का कोटा होगा।

यह उचित ही है कि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने इन्कार किया कि सी०बी०एस०ई० छात्रों के अंक बढ़े हुए होते हैं। निदेशक, सी०बी०एस०ई० ने भी तुरन्त स्थिति को स्पष्ट किया। सी०बी०एस०ई० छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं देश में विभिन्न राज्यों में भेजी गई और उनकी जांच करने वाले परीक्षक नहीं जानते थे कि वे किस राज्य के पत्रों को अंक दे रहे हैं क्योंकि सभी उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा के दिन ही संकेत डाले गए थे और विभिन्न राज्यों को भेजी गई थी। सभी पुस्तिकाओं को दिशानिर्देशों के अनुसार सही जांचा गया था। इसलिए कोटा प्रणाली योग्य सी०बी०एस०ई० छात्रों को कालेजों में प्रवेश से वंचित करती है और राज्य बोर्ड के छात्रों को अनुचित लाभ देती है। औसतन, राज्य बोर्ड छात्रों की तुलना में केवल चार से छः प्रतिशत सी०बी०एस०ई० छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। आमतौर पर माता-पिता और जनता यह समझती है कि सी०बी०एस०ई० स्कूलों का स्तर राज्य बोर्ड के स्कूलों से बहुत अच्छा है। इसलिए ज्यादातर माता-पिता अपने छात्रों को सी०बी०एस०ई० स्कूलों में प्रवेश कराना चाहेंगे। इसलिए तमिलनाडु में व्यवसायिक कालेजों में बुद्धिमान छात्रों को प्रवेश प्राप्त करने के अधिकार तथा अवसर पर रोक लगाना स्पष्ट रूप से भेदभाव है, यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

मैं इसलिए भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार पर जोर डाले कि वह तत्काल व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिए सी०बी०एस०ई० छात्रों पर दो प्रतिशत का कोटा लागू करने के आदेश को वापस ले ले। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में इन मुद्दों का कोई अन्त नहीं होता। हर सदस्य अपनी शिकायत बताना चाहता है। लेकिन समय की भी सीमा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपने स्वयं आपत्ति करते हुए कहा कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद हमें अविश्वास प्रस्ताव को लेना चाहिए। अब श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री बोलें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनेकर शास्त्री (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान बनारस की एक बहुत गंभीर समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि रक्षा मंत्री जी के चले जाने के बाद आपने हमें मौका दिया है लेकिन मैं फिर भी अपनी बात कहूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारी बात रक्षा मंत्री तक आप पहुंचा देंगे।

मान्यवर, बनारस कैंट एरिया में एक पंचकोशी मार्ग है जो बनारस का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मिलिट्री एरिया के बीचों-बीच जाता है। यह मार्ग आज से हजारों साल से है, जब मिलिट्री एरिया नहीं था। इस मार्ग पर धार्मिक और अनेक कार्य-कलाप होते थे। यहां तक कि हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में भी इस मार्ग का उल्लेख है। इस मार्ग पर अतिग्रह का कार्य भी होता रहा है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी होते रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां एक ब्रिगेडियर हैं जो लोगों को परेशान करते रहते हैं और अब की बार जब वहां पहुंचे तो इस मार्ग को तुरन्त बन्द कर दिया और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को यह खबर दी है कि इससे मिलिट्री की गोपनीयता भंग होती है जबकि इसके पहले यह मार्ग चालू था। मिलिट्री की गोपनीयता भंग नहीं होती थी। क्योंकि तब मार्ग चालू होने से गोपनीयता भंग होगी। वहां के लोग रक्षा मंत्री से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मार्ग को खोल देंगे लेकिन आश्वासन के बावजूद वह मार्ग आज तक नहीं खुला है।

मान्यवर, इस मार्ग के बंद होने पर बनारस का हर व्यक्ति काफी दुखी है और प्रत्येक नागरिक को कठिनाई हो रही है। इस मार्ग के बन्द हो जाने से हजारों लोगों की रोजी-रोटी का ज़रिया बंद हो गया है। साथ ही ये ब्रिगेडियर गांव के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि भारत सरकार के रक्षा विभाग के बड़े उच्चाधिकारी वहां शराब पिलाकर गुण्डों से जनता पर आक्रमण करवा रहे हैं। वहां की औरतों और पत्रकारों पर आक्रमण करवा रहे हैं। उस ब्रिगेडियर ने इस रास्ते को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। यह भी मालूम हुआ है कि वह छोटे-छोटे बच्चों को भी तंग करते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रक्षामंत्री जी से इस संबंध में एक जांच-समिति का गठन करायें जिससे ब्रिगेडियर द्वारा की जा रही हरकतों की जांच की जाये और जो हजारों साल पुराना मार्ग है, उसे खोले जाने की फिर से व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हरन चन्द्र पटनायक (बोलंगीर): उड़ीसा में हुए हाल के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक धब्बा है। कानून लागू करने वाले प्रशासन के साथ मिलकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा धन, जन और शक्ति का दुरुपयोग करके लोकमत का मखौल उड़ाया है और अपमान किया है। पंचायत चुनावों के दौरान घटनाओं ने राज्य सरकार द्वारा सत्ता का अत्यधिक दुरुपयोग कर ग्राम स्तर पर लोक मत को प्रभावित करने का पर्दाफाश किया है। चुनाव के दौरान अप्रत्याशित स्तर की हिंसा के कारण लगभग बीस लोग मारे गए और एक सौ से अधिक घायल हुए।

बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब है। दो स्थानीय विधायक पूरे निर्वाचन क्षेत्र में हत्या, आगजनी और बड़े स्तर पर गुट झगड़ों में लिप्त बताए गए हैं और कानून लागू करने वाला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा।

लोग आतंकित हैं, राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता पीड़ित हैं और निर्वाचन क्षेत्र में सम्पूर्ण वातावरण दूषित हो गया है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो हो गई है तथा संवैधानिक व्यवस्था टूट गई है।

[श्री शरत चन्द्र पटनायक]

मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोलीबारी की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश दिया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में कोई भी सदस्य एक मिनट में अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: दो दिन पहले शून्य काल दो घंटे, पंद्रह मिनट का हो गया था। इस पर बहुत सी टिप्पणियां की गई थीं, शायद आप उनसे परिचित हैं। दूसरी बात यह है कि सभी बोलना चाहते हैं। अगर वह केवल एक या डेढ़ मिनट तक बोले, तो बहुत से लोग अपनी बात कह सकते हैं।

1.00 म०प०

जैसे ही आपको मौका मिलता है आप बोलना शुरू कर देते हैं और जब तक घंटी नहीं बजती तुम रुकने के लिये तैयार नहीं हो। इसके अतिरिक्त सदस्य इस बात से भी उद्वेलित हैं कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों को जिन्होंने दस बजे से पहले नोटिस दिया, मौका नहीं मिला और दूसरों को मिल गया। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आपसे संयम बरतने का निवेदन करूंगा। हरेक राजनीतिक दल की अपनी सूची होनी चाहिये जिसके अनुसार उन्हे दो या तीन सदस्यों को रोज़ बोलने का मौका देना चाहिये। इसका निर्णय उन्हे करना है। अगर संयोगवश आपके रिशतेदार या कोई और व्यक्ति वहां बैठे हुए हों, तो उनको कैसा लगेगा? पीठासीन अधिकारी को कैसा लगेगा और स्वयं सम्बन्धित माननीय सदस्यों को कैसा लगेगा? यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अब श्री हरिन पाठक।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसी परिस्थिति पर दिलाना चाहता हूं जिससे सारे देश में चिंता है। अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह के पतन के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके कारण अफगानिस्तान में बसने वाले 50 हजार भारतीयों पर जो आपत्ति आई है उस आपत्ति के कारण देश में चिन्ता बनी हुई है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, 30 हज़ार से ज्यादा लोग अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आ गए हैं। उनकी माल-मालकियत का नाश किया गया है, उन पर आक्रमण किया गया है। उनमें हिन्दू भी हैं और सिख भी हैं। दो हज़ार भारतीय पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेन से अटारी पहुंचे और वहां से हिन्दुस्तान आ गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 50 हज़ार भारतीयों की स्थिति जो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हुई है उनकी जान-माल, मान-मर्यादा और उनके जीवन पर जो आफत आई है उसके बारे में देश जानना चाहता है कि सरकार क्या करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को टेलीग्राम द्वारा इसकी पूरी जानकारी दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है। सरकार बताए कि उनकी क्या स्थिति है। मंत्री जी को इस पर स्टेटमेंट भी देना चाहिये। (व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, चालू मौसम में आन्ध्र प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, अगर आप पढ़ने लगेंगे तो, बहुत समय लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ें। आप एक मिनट में इसका सारांश बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: सरकार बताए कि वह टेटमेंट देना चाहती है कि आज वहां पचास हज़ार परिवारों की क्या स्थिति है? **(व्यवधान).....**

उपाध्यक्ष महोदय: आपने बता दिया है। मेरे अज़ीज दोस्त आपने 10.05 पर नोटिस दिया है। वास्तव में आपको कोई भी कानूनी हक नहीं है कि आप मेरी अनुमति के बिना अपनी शिकायत को सदन में प्रस्तुत करें। जब तक आप उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं देंगे आप यह उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि सरकार इसका एकदम उत्तर देगी। यह सम्भव नहीं है। अगर वह कल ठीक से उत्तर नहीं देते तो उन पर जवाबदारी आएगी। आपको उनके दायित्व को जानना चाहिये। श्री रेड्डी अब बोलना जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री बी०एन० रेड्डी: यह वर्षा न होने की वज़ह से है। इसके कारण से, सिंचाई के खास तरीके जैसे कि, नागार्जुन सागर और श्रीराम सागर में पानी की कमी है जिस वजह से कामान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ज़मीन सूख गयी है। इस वज़ह से, उस जगह में किसान बारानी खेती के लिए लाचार हो गए हैं। इस वजह से राज्य के बड़े हिस्से में, पादप रोपण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस वज़ह से किसानों के मन में चिंता और दुख है। इसके अलावा, राज्य में बिगड़ती हुई विद्युत स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। बार-बार बिजली की सप्लाई में कटौती करने और बिजली की अव्यवस्थित सप्लाई की वज़ह से ज्यादातर ट्रांसफार्मर बन्द हो गये हैं। इसके अतिरिक्त किसानों के लाखों आवेदन पत्र, बिजली का कनैक्शन देने के लिए लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं। इन समस्याओं की वज़ह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दुखी हो रहे हैं तथा राज्य सूखे की स्थिति से जूझ रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश की स्थिति की तरफ दिलाना चाहूंगा और इस समस्या के समाधान के लिए अविलम्ब कार्रवाई की मांग करूंगा। केन्द्र सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकार को सलाह दे कि वह जबरदस्ती ऋण की वसूली को रोक दे और जरूरतमंद किसानों को बड़े पैमाने पर फसल ऋण दिलाने का बन्दोबस्त करे ताकि वे अपने नल-कूपों को गहरा कर सकें क्योंकि उनके पास भूमिगत जल ही एकमात्र विकल्प है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे पड़ौसी राज्यों से आन्ध्र प्रदेश को ऊर्जा की सप्लाई के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिये ताकि इस राज्य की कुछ सहायता की जा सके। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जल भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान एक मुख्य सड़क की तरफ दिलाना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय श्री बालयोगी, शायद आप इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे निवेदन नियम 377 के अधीन मामलों के अंतर्गत् किए जा सकते हैं। यह शून्य काल है। इस दौरान सदन में केवल विशेष मामले ही उठाए जा सकते हैं। सामान्य और नित्यक्रम के मामले यहां एक लिखित वक्तव्य के रूप में व्यक्त किये जाने चाहिएं। कोई भी यह कैसे कर सकता है? आप केवल इसका सारांश बता दें। आप इसको मत पढ़िये।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी: जी हां, मैं माननीय जल भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना

[श्री जी० एम० सी० बालयोगी]

चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अन्तर्राजीय सड़क है काकीनाडा से यनम, (पांडीचेरी) बरास्ता तालारेवू यह केन्द्र सरकार के पास बहुत समय से लंबित है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस सड़क की मंजूरी की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। यह ज़रूरी है।

इस सड़क के महत्व को देखते हुए मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय जल भूतल परिवहन मंत्री विशेष मामले के रूप में इस सड़क के सुधार के लिए केंद्रीय सड़क निधि से धन राशि उपलब्ध कराएं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: महोदय मैं एक मिनट में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)** सरकार ने पहले से संकेत दिया है कि वह इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि लोगों के साथ क्या हुआ। मेरी चिंता इस देश के एक महान परिवार के बारे में है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का परिवार समाचार पत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि बोफोर्स मामले में एक इटली का परिवार संलिप्त है और वे इसकी संबंध अन्तर्राष्ट्रीय रूप से *के साथ जोड़ रहे हैं। इस परिवार पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार जिसका देश के प्रति उत्तरदायित्व है इस परिवार के पक्ष का बचाव करे और वस्तुस्थिति पर एक वक्तव्य दें।

* * *

यह एक गंभीर विषय है और इस सम्बन्ध में सरकार इस देश तथा इस सदन के प्रति उत्तरदायी है।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): उन्होंने नाम का जिक्र क्यों किया था? **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। **(व्यवधान)** मैं चाहता हूं कि आप उसका बचाव करें **(व्यवधान)** इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार होता है। **(व्यवधान)** इस वजह से आपको बचाव करना ही होगा **(व्यवधान)** आप बच नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि बचाव आप करें।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम): महोदय, त्रिवेन्द्रम गुवाहाटी एक्सप्रैस दो दिन पहले पटरी पर से उतर गयी थी। चौदह लोग अस्पताल में हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे का कोई भी अधिकारी वहां नहीं गया और उनका ठीक तरह से उपचार नहीं किया गया। चौदह लोग अभी भी अस्पताल में हैं। उनमें से कुछ लोग केरल राज्य से हैं। हमें उनके रिश्तेदारों से कई दूरभाष-संदेश मिल रहे हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तत्काल कदम उठाये जायें जिससे उन्हें अस्पताल में उचित सुविधाएं मिल सकें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री और इस सभा का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले—राष्ट्रीय महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चहता हूं जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुआ है।

जोशिप ग्रे नाम का एक इजराइली अधिकारी एक बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से कालीकट और मालापुरम जिलों में आया 21 जून को वह मुम्बई से कालीकट पहुंचा उसने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तथा अन्यंत्र कई स्थानों का भ्रमण किया और कालीकट हवाई-अड्डे बेपोर बंदरगाह तथा कालीकट रेलवे-स्टेशन की वीडियो-टेपिंग की और फिर अचानक कालीकट से खिसक गया। सभी समाचार पत्रों ने इस घटना का व्यापक प्रचार किया है। मैं उन समाचारों को पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में जो समाचार छपा है, में उसका कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है। आपने मामला सरकार के ध्यान में ला दिया है।

***अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत निकाल दिया गया।

श्री ई० अहमद: ऐसा लगता है कि जैसे वह मोसाद आसूचना अभिकरण का एक एजेन्ट है। उसने राष्ट्रीय महत्व की कुछेक संस्थापनाओं की विडियो-टेपिंग की है। ऐसा कहा जाता है:

"जब वह 22 जून को अचानक तथा रहस्यात्मक ढंग से कोझीकोड़ से गायब हुआ तो उस समय पुलिस तथा आसूचना अधिकारियों ने पूरे देश में हवाई-अड्डों पर 36 आप्रवासन चौकियों को चौकन्ना किया हुआ था।

वह इज़राइली नागरिक 21 जून को हवाई-उड़ान के जरिए मुम्बई से कोझीकोड़ आया था। उसने इस शहर में और मालापुरम जिले के अनके स्थानों का भ्रमण किया।

उसने अपने इस भ्रमण के दौरान हवाई-अड्डे की, इस शहर की और बेपोर जैसे कई स्थानों की वीडियोटेपिंग की थी।"

"उसने हवाई-अड्डे से लेकर कालीकट शहर तक की वीडियो टेपिंग की थी। पुलिस तथा आसूचना अधिकारियों को मुम्बई से उसके आने की सूचना मिली और उन्होंने उसके कार्यकलापों पर निगरानी रखी। 22 जून को सायं 4-बजे के लगभग वह अचानक ही अपने होटल के कमरे से गायब हो गया और उसने होटल वालों को भी अपने चले जाने का आभास नहीं होने दिया।

उसके इस तरह से लुप्त हो जाने की घटना को देखकर, अधिकारियों ने विभिन्न हवाई-अड्डों पर आप्रवासन चौकियों को सतर्क कर दिया और फिर उन्हें यह जानकारी मिली कि वह तो 25 जून को देश को छोड़कर हवाई उड़ान के जरिए कोलम्बो रवाना हो गया है और उसके बारे में कोलम्बो में भी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।"

इस समय तमिलनाडु में जो स्थिति है और श्रीलंका तथा भारत में जो लिट्टे गतिविधियां हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार उत्तर दे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिये जो कि बहुत ही अधिक चिंतित है, यह मामला और भी अधिक महत्व रखता है। यह उनके लिये चिन्ता का विषय है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): महोदय, श्री अन्बारासू ने सभा में भ्रामक तथ्य रखे हैं। इसलिये मैं उनकी बात पर एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इस वर्ष जमा दो के सी०बी०एस०ई० छात्रों को असामान्य रूप से काफी ऊंचे प्रतिशत अंक मिले हैं। 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को सभी विषयों में 95 प्रतिशत अथवा इससे भी ज्यादा अंक मिले हैं। इसलिए, राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के माता-पिता ने इस पर चिंता व्यक्त की है। यदि यह ऐसा ही चलता रहा तो इससे राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। बच्चों के माता पिता को यह डर है कि उनके बच्चों को एम०बीबी०एस० अथवा इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिये हर कोई यह चाहता है कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो... (व्यवधान)... और जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार को इस समस्या का हल ढूंढने के लिये अस्थायी उपाय ही करने चाहिये।

जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार को राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिये। इसलिये उन्होंने सी०बी०एस०ई० तथा राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिये कोटा निर्धारित किया है। अतः इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इस प्रकार सरकार ने सी०बी०एस०ई० विद्यार्थियों और राजय बोर्ड के विद्यार्थियों के लिये कोटा निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। अगर आप लोगों को जीरो ऑवर में बुलवा रहे हैं, तो हम को भी, बुलवाइएगा, नहीं तो जीरो आवर को बन्द कर दीजिए। जिन्होंने प्रॉपर टाइम पर नोटिस नहीं दिया है, उनको आपने बुलवा लिया। जिन्होंने 10-05 बजे नोटिस दिया है, उनको आपने बुलवा लिया और मैंने 10-10 पर नोटिस दिया है, मुझे नहीं बुलवा रहे हैं। कृपया मुझे भी बुलवाइए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नीतीश कुमार जी, मैंने इस सभा में पहले भी कहा था कि जो सदस्य प्रातः 10-00 बजे कार्यालय में आने का कष्ट करते हैं, उनको अवसर नहीं मिला पाता। आपने जो कुछ कहा है, मैंने भी वही बात सभा में कही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा चाहती है कि श्री नीतीश कुमार को बोलने की अनुमति दी जाए?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुमित्रा महाजन अपने क्षेत्र के बारे में एक विषय पर बोलना चाहती हैं उनको तो आप कम से कम समय दे दीजिए, एक महिला सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इधर भी एक महिला सदस्य हैं, उधर भी महिला हैं, सामने भी महिला हैं वे भी बोलना चाहती हैं, अब आप बताइए किसको बोलने का समय दूं। मध्य-प्रदेश का विषय है। महिला श्रमिकों से संबंधित है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

इसे सभा की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। यदि शून्यकाल 1-00 बजे म०प० के बाद भी जारी रहता है, तब मेरे विचार से सभा की कार्यवाही उपयुक्त तरीके से नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अब तो आपने मुझे अलाऊ कर दिया है, अब तो सुन लीजिए। आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बहुत ही खराब होती जा रही है। अगर दिल्ली में राज्य सरकार होती और अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, मान लीजिए खुराना जी मुख्य मंत्री होते, तो वे भी इस बात से चिन्तित होते। अब तो दिल्ली में यह हालत है कि यहां पर किस प्रान्त से कौन आया है, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। खासकर मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि बिहार से कई लाख लोग दिल्ली में आकर बसे गए हैं। बिहार के लोगों पर दिल्ली में अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

अभी दो दिन पहले बिहार की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उस बलात्कार में, जिस मकान में वह रहती थी, उस मकान मालिक का हाथ था। एफ०आई०आर० दर्ज हुई है उसके बावजूद पुलिस कोई कार्यवाही

नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करेंगे, यह मामला चन्द्रावल क्षेत्र का है, कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस देश के कोने-कोने से आकर जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, उन सबको लगे कि न्याय है नहीं तो 20 लाख बिहारवासी उत्तेजित और आन्दोलित हो जाएंगे और इसका परिणाम खराब हो सकता है।

हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

1.16 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

11वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.16½ म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): आज से बीस वर्ष जून 1972 में स्टाकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विश्व का ध्यान पर्यावरण की ओर आकर्षित किया गया था। 1989 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने पर्यावरण एवं विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके इन दो मुद्दों के बीच पारस्परिक निर्भरता को मान्यता देने का निर्णय किया। अन्ततः संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन 3 से 14 जून, 1992 को रियो डि जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन मे 12 से 14 जून तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। माननीय विदेश राज्यमंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो भी इन दिनों उपस्थित रहे। मैं समूचे सम्मेलन के दौरान उपस्थित रहा। हमारे प्रतिनिधि मण्डल में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के 8 विख्यात विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे।

रियो सम्मलेन की तैयारी में हमने देश के भीतर वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (जनवरी 1992) जापान (फरवरी, 1992) और दक्षेस देशों (अप्रैल 1992) के साथ और अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में जून 1991 में बीजिंग में और अप्रैल 1992 में क्वालालाम्पुर में आयोजित विकासशील देशों के सम्मेलन मंचों पर भी विचार-विमर्श किए। 1990 और 1992 के बीच संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की तैयार समिति की चार बैठकें हुई। मैंने मार्च-अप्रैल 1992 में आयोजित इसकी चौथी बैठक में भाग लिया। इन विचार-विमर्शों का उद्देश्य रियो सम्मेलन में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना था।

इस सम्मेलन की ओर इसके लिए की गई तैयारियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसमें गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करने में समय-समय पर गैर-सरकारी

[श्री कमल नाथ]

संगठनों तथा अन्य विशेषज्ञों से भी परामर्श किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय रिपोर्ट पर्यावरण शिक्षा केन्द्र अहमदाबाद द्वारा समन्वित और तैयार की गई। इस रिपोर्ट में भारत में संरक्षण परम्परा की खास विशेषताओं और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के बारे में समग्र चिन्ताओं पर प्रकाश डालने के अलावा, पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने और समग्र पर्यावरण और विकास के बीच असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा, जनता द्वारा और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई कुछ गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में उन समस्याओं के आयामों को भी प्रकाश में लाने की कोशिश की गई है जो भारत के सामने आती है और भविष्य के लिए जिनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की कार्यसूची में विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों की विभिन्न पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ उनके हितों को प्रतिबिम्बित किया गया है। चर्चाओं में उन कार्यक्रम क्षेत्रों को शामिल किया गया जो स्थानीय और विश्वभर की पर्यावरणीय समस्याओं के साथ-साथ उपायों के कार्यान्वयन के लिए क्रियाविधि और तरीकों से संबंधित है। अन्य मामलों के अलावा, विकसित देशों में उत्पादन और उपभोग की पद्धतियों पर भी वार्ताएं की गईं जो विश्व के पर्यावरण में खराबी के प्रमुख कारण हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए विकसित देशों की विशेष जिम्मेदारी पर भी सहमति हुई क्योंकि ये समस्याएं उन्हें देशों में उत्पन्न हुई और इसलिए भी कि विकसित देशों के वित्तीय और प्रौद्योगिकी स्त्रोत बहुत अधिक हैं और उनके विकल्प विस्तृत हैं।

वार्ताओं में विकासशील देशों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं और अड़चनों का भी पता लगाया गया। इस बात पर सहमति हुई की जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए विकास होते रहना चाहिए और पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ काफी हद तक साथ-साथ मिलने चाहिए। हालांकि इस बात पर सहमति हुई थी कि पर्यावरणीय रूप से ठोस विकास का मार्ग तैयार करने के लिए सभी देशों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। किन्तु इन उद्देश्यों के कार्यान्वयन के तरीके के सम्बन्ध में नरमी बरतनी पड़ेगी।

चर्चा के विषयों में प्रचलित कार्य व्यवस्था, व्यापार पद्धतियां, सहायता की शर्तें और स्तर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की कार्य पद्धति की जांच शामिल थे। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने और सभी देशों में पर्यावरणीय रूप से ठोस और स्थाई विकास हासिल करने के एक प्रयास में, सम्मेलन में वातावरण, भूमि संसाधन, मिट्टी की क्षति, जल संसाधन, विषैले रसायन, परिसंकटमय पदार्थ, मानव बस्तियां आदि जैसे क्षेत्रीय मुद्दों और विज्ञान, नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा सम्मेलन में किये गये समझौतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संस्थागत प्रबन्ध जैसे मूलभूत अन्तर क्षेत्रीय मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया। सम्मेलन के सचिवालय द्वारा अपेक्षित प्रयास की लागत 625 बिलियन डालर सालाना आंकी गई है जिसमें 125 बिलियन डालर की विदेशी विकास सहायता शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पर्यावरण अवधारण अब प्रमुख कारक बन गयी हैं। तथा निम्नलिखित बातें पहले ही स्पष्ट हैं:—

> रियो सम्मेलन से पर्यावरण एवं विकास के परस्पर संबंधित विषयों के बारे में और इन दोनों से एक साथ निपटना कैसे और क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जागरुकता पैदा हुई है। गरीबी, पर्यावरण और विकास के मध्य संबंधों की बेहतर व्याख्या की जा सकती है। निर्धन लोग अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं तथा अर्थव्यवस्था में विकास और विविधता न होने के कारण विकल्पों की कमी उन्हें इन संसाधनों का अतिदोहन करने पर विवश करती है। जहां तक राष्ट्रों के मध्य

संबंधों का प्रश्न है, आपसी समझ का क्षेत्र व्यापक हुआ है, जिससे विश्व भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसमें विकासशील देशों के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं की अधिक स्पष्ट जानकारी तथा एक स्पष्ट और न्यायोचित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए विश्व नीतियां बनाने की आवश्यकता भी शामिल है।

"विकास के अधिकार" की पुनः पुष्टि की गई। पर्यावरण के संबंध में इसका आशय थाई विकास के साथ गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देना है।

सभी राष्ट्रों ने प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय प्रभुता का पुनः समर्थन किया। यह एक ऐसी संकल्पना है जिसके बारे में कुछ देश सुझाव दे रहे थे कि विश्वव्यापी पर्यावरणीय अवधारणाओं पर खासकर वनों के संबंध में इसको संशोधित किया जाए।

इस बात पर सहमति हुई कि अनुसंधान एवं विकास तथा पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस प्रौद्योगिकियों का विकासशील देशों को हस्तांतरण स्थाई विकास के लिए पूर्वापेक्षित है। एक कार्यविधि बनाने पर भी सहमति हुई जिसमें विकसित देशों की कम्पनियों से पेटेंट खरीदे जा सकते हैं और फिर विकासशील देशों को दिये जा सकते हैं।

अनुदान तथा रियायती दरों पर विकास सहायता में वृद्धि करने के लिए विकसित देशों ने वचन दिया।

मरूस्थलीकरण पर एक कन्वेंशन के लिए कार्य शुरू करने पर सहमति हुई।

इस बात पर आम सहमति हुई कि पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने में समाज के प्रमुख समूहों अर्थात् गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसाइयों, महिलाओं और युवकों की भूमिका को स्वीकारा जाए और ऐसे कदम उठाए जाएं कि वे पर्यावरण के सुधार में अपना योगदान दे सकें।

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के तहत एक स्थाई विकास आयोग की स्थापना की गई है जो वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण सहित रिपोर्ट प्राप्त करने के साथ-साथ एजेण्डा-21 के कार्यान्वयन का आंकलन और समीक्षा करेगा।

रियो सम्मेलन की विशिष्ट उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी रियो घोषणा जो सरकारों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा के रूप में स्थाई विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

एजेण्डा-21 को स्वीकार किया गया जो पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के साथ इसका तालमेल बिठाने के लिए कार्रवाई करने के व्यापक कार्यक्रमों का एक सैट है।

सभी प्रकार के वनों के प्रबन्ध, संरक्षण और स्थाई विकास पर विश्वव्यापी सहमति के लिए सिद्धान्तों के एक कानूनी रूप से अबाध्यकर आधिकारिक विवरण पर सहमति हुई।

जलवायु परिवर्तन और जैवीय विविधता के संरक्षण संबंधी प्रारूप कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किये गये।

एजेण्डा-21 को छोड़कर इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। एजेण्डा-21 की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन सचिवालय से इसकी पूर्णतः सम्पादित प्रति प्राप्त होते ही संसद पुस्तकालय में रख दी जाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने न केवल एजेण्डा-21 पर विस्तृत वार्ताओं में ही सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि ग्रुप-77 के देशों तथा अन्य देशों के बीच विभिन्न

[श्री कमल नाथ]

महत्वपूर्ण मुद्दों, खासकर पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा और वनों के विवरण के संबंध में जनमत तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप विचारों में व्यापक सहमति हुई।

सरकार द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई की योजना में जन-साधारण में जागरूकता पैदा करने और सुसंगत मुद्दों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का प्रसार करना, प्राथमिकताओं पर सहमति प्राप्त करने के लिए परामर्श करना और सम्मेलन में बताई गई कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में कार्य का समन्वय करना शामिल है।

(दो) 1 जुलाई, 1992 को भिलाई में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, 1 जुलाई, 1992 को भिलाई, मध्य प्रदेश में आन्दोलन कर रहे कामगारों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने की घटना के बारे में, मैं सदन को सूचित करता हूं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लगभग 3,000 पुरुषों तथा 300 से 400 महिलाओं ने 1 जुलाई, 1992 को लगभग 9.15 बजे पूर्वाह्न भिलाई में पावर हाऊस रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर धरना दिया।

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भिलाई क्षेत्र में, एक 9 सूत्रीय मांगपत्र को स्वीकार कराने के लिए "एक कामगार आन्दोलन" का नेतृत्व करता आ रहा है। इन मांगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना, वेतन से संबंधित मुद्दे, बोनस, सेवा-शर्तें, आदि तथा छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांगें शामिल हैं। जून, 1992 में सम्पन्न हुई बैठकों की श्रंखला में, छंटनी किए गए मजदूरों की बहाली के अलावा अन्य मांगों पर समझौता हो गया था। बहाली की मांग पर दिनांक 1 जुलाई, 1992 को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था, जबकि इसी बीच मजदूरों ने यह धरना शुरू कर दिया और यह संकेत दिया कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जातीं।

कामगारों के द्वारा दिए गए धरने के कारण इस रास्ते पर लगभग 8 घन्टे के लिए रेल यातायात बन्द रहा। रेलवे प्राधिकारियों ने यातायात को बहाल करने में मदद करने के लिए प्रशासन से बार-बार अनुरोध किया। जिला प्रशासन के कामगारों को धरना समाप्त करने के लिए राजी कराने के प्रयास कामयाब नहीं हुए। कामगार इस बात पर अड़े रहे कि उनकी मांगें पूरी होने के बाद ही वे रेलवे पटरी से हटेंगे। दिन में पथराव की इक्की-दुक्की घटनाएं हुईं। दं०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र में 2 बजे अपराह्न से निषेधात्मक आदेश लागू कर दिया गया।

पथराव को ध्यान में रखते हुए, घटना स्थल पर उपस्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट ने लगभग 4.45 बजे अपराह्न कामगारों को तितर-बितर होने के लिए चेतावनी जारी की। जब चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो पुलिस बल कामगारों को पटरी से हटाने के लिए आगे बढ़ा। महिला कामगार पटरी से हटने लगी, लेकिन पुरुष कामगारों ने पथराव शुरू कर दिया और उनमें से कुछ ने पुलिस पर लाठियों से भी हमला किया। इस आक्रमण में पुलिस उप निरीक्षक श्री टी० के० सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक (शहर) और अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी घायल हो गए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर भी स्थिति पर नियंत्रण न पाया जा सका। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए उचित चेतावनी देने के बाद गोली चलाने का आदेश दिया गया। गोलीबारी में 15 कामगार मारे गए।

जैसे ही स्थिति पर नियंत्रण पाया गया, वैसे ही रेल की पटरी से घायलों को हटाने और उन्हें

अस्पताल में भर्ती कराने का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद, मृतकों के शवों को भी तुरन्त अस्पताल ले जाया गया।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने घटना की विस्तृत छानबीन के आदेश दिए। प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को 2,000 रुपए और प्रत्येक घायल को 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता का भुगतान करने के आदेश भी दिए गए।

शांति बनाए रखने के लिए छावनी क्षेत्र, जमूल, पुराने भिलाई के औदयोगिक क्षेत्र और "सुपीला" पुलिस स्टेशन के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। भिलाई भट्टी, भिलाई शहर और पुराने भिलाई क्षेत्र में दं० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। मृतकों में से 13 मृतकों की पहचान कर ली गयी है। मृतकों के अंतिम संस्कार दिनांक 3.7.92 को किए गए। घटना के तुरन्त बाद भा०दं०सं० की धारा 151 के अन्तर्गत 89 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लाठीचार्ज, पथराव और पुलिस द्वारा गोली चलाने से 115 आन्दोलनकारी घायल हुए। 63 घायलों को "दुर्ग" अस्पताल में और 9 घायलों को भिलाई अस्पताल में दाखिल कराया गया। घायलों में से 6 महिलाएं भी थीं। राज्य प्रशासन से संबंधित 65 लोग घायल हुए, जिनमें से 9 को अस्पताल में दाखिल कराया गया।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वित्तीय सहायता के लिए दिए गए आदेशों के अलावा प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 10,000 रुपए की दर से और प्रत्येक घायल को 1,000 रुपए की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। प्रधान मंत्री राहत कोष से भी प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 10,000 रुपए की दर से और प्रत्येक घायल को 5,000 रुपए की दर से सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय लिया है।

1.30 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6 (2) के साथ पठित धारा 5 (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6 (2) के साथ पठित धारा 5 (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि

[उपाध्यक्ष महोदय]

अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, तिवेन्द्रम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्रीमती कृष्णा साही, जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति की सदस्य नहीं रही है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रीति से कृष्णा साही, जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर समिति की सदस्य नहीं रही है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.31½ म० प०

कार्य मंत्रालय समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 14 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 14 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी। श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण।

1.32 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और मुम्बई के बीच नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण (कराड): पश्चिम महाराष्ट्र के अंतर्गत कोल्हापुर, सतारा, सांगली, पुणे और रत्नगिरि जिले, जो कि चीनी उद्योग के कारण आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नत हैं वहां इस समय मुम्बई और कोल्हापुर के बीच चल रही रेलगाड़ियां यातायात की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस समय जो सारणी निर्धारित है वह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह कर्नाटक क्षेत्र से उत्तर की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों के अनुरूप ही है, यह सेक्शन दक्षिण मध्य रेलवे के लिए काफी मात्रा में राजस्व अर्जित करता है। इस क्षेत्र के व्यापारी, छात्र तथा निर्वाचित प्रतिनिधि भी केवल इसी क्षेत्र के लिए एक नयी सुपरफास्ट रेलगाड़ी—जोकि कर्नाटक से न जुड़ी हो, चलाये जाने की मांग करते रहे हैं। इस नई रेलगाड़ी के चलने का समय ऐसा होना चाहिए कि वह प्रातः 7 बजे से पहले मुम्बई पहुंच जाये ताकि राज्य सचिवालय में कार्यवश आने जाने वाले लोग उसी दिन घर वापस जा सकें। मेरा रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह रेलगाड़ी तत्काल चलाई जाये और इसका नाम "कृष्णा एक्सप्रैस" रखा जाये।

(दो) रेनी गुंटा विद्युत परियोजना, आन्ध्र प्रदेश को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम०जी० रेड्डी (चित्तूर): आन्ध्र प्रदेश की बिजली संबंधी दैनिक आवश्यकता 62 लाख यूनिट है किन्तु उत्पादन क्षमता केवल 48 लाख यूनिट है। इस प्रकार 14 लाख यूनिट की प्रतिदिन कमी बनी रहती है। इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने ताप, गैस, जल तथा डीजल, आधारित बिजली उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

आन्ध्र प्रदेश में रेनीगुंटा परियोजना जिसके अर्न्तगत लगभग चार सौ करोड़ का उत्पादन किया जाता है इस संबंध में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इसे मंजूरी प्रदान करे क्योंकि रायल सीमा क्षेत्र आर्थिक, औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। सुदूर स्थित होने के कारण चित्तूर जिले को कम वोल्टेज और बार-बार बिजली की आपूर्ति किये जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप मोटर क्वायल और ट्रांसफार्मरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस प्रकार कृषक समुदाय तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्डों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

चित्तूर जिले का सिंचाई के पम्प सेटों की संख्या के मामले में उच्च स्थान है। जब तक उपर्युक्त डीजल आधारित विद्युत केन्द्र काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक चित्तूर जिले के बिजली उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर नहीं की जा सकेंगी।

(तीन) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में 66 हजार के०वी० लाइन को 33 हजार के०वी० लाइन में बदलने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यद्यपि देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य काफी सफलता से चलाए जाने का प्रचार किया जा रहा है किंतु राष्ट्रीय मानक के अनुसार यदि किसी गांव के एक ट्यूबवैल का विद्युतीकरण कर दिया गया है तो उस पूरे गांव का विद्युतीकरण मान लिया जाता है, जबकि उस गांव के निवासी विद्युत आपूर्ति का कोई लाभ नहीं पाते हैं।

[श्री जनार्दन मिश्र]

ठीक इसी प्रकार की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित सीतापुर जनपद की है, जिसका सरकारी आंकड़ों के अनुसार 49.4 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, किन्तु यहां पर वास्तव में मात्र 22.2 प्रतिशत ही ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। इस जनपद के विद्युतीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा 66 हजार के वी की लाइन है। पूरे प्रदेश में 33 हजार के वी की लाइन से विद्युत आपूर्ति की जाती है किंतु यहां पर वही पुरानी 66 हजार के वी की लाइन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण बिगड़े हुए किसी भी संयंत्र का कोई भी उपकरण प्राप्त नहीं होता है और ट्रांस्फार्मरों के जल जाने पर उनका बदलाव भी नहीं हो पाता है। मेरे विचार से 66 हजार के वी लाइन को 33 हजार के वी लाइन में बदलने का कार्य बिना केन्द्रीय सहायता के संभव नहीं है।

अतः मैं केन्द्रीय विद्युत मंत्री जी से मांग करता हूं कि सीतापुर जनपद में 66 हजार के वी लाइन के स्थान पर 33 हजार के वी लाइन की व्यवस्था अविलंब अपने स्तर से कराने की कृपा करें, ताकि प्रदेश के अन्य भागों की भांति सीतापुर जनपद में भी विद्युत आपूर्ति हो सके।

(चार) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के मीरगंज तथा नवाबगंज में चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बरेली उत्तर प्रदेश के मीरगंज व नवाबगंज जैसे स्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चीनी मिल लगाए जाने हेतु मैं पूर्व में भी अवगत करा चुका हूं, उक्त स्थानों पर चीनी मिल स्थापना हेतु प्रदेश सरकार ने भी संस्तुति कर दी है तथा निजी क्षेत्र में मिल लगाने हेतु कई आवेदन-पत्र भी आ चुके हैं और उक्त पार्टियां शीघ्र मिल लगाने की इच्छुक भी हैं। क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता को तथा गन्ने की प्रचुर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि शीघ्र उक्त स्थानों पर मिल लगाए जाने हेतु आवश्यक लायसेंस जारी करें।

(पांच) केरल के मालाबार क्षेत्र में और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ई० अहमद (मंजेरी): दक्षिण रेलवे, पालघाट और मंगलौर के बीच की रेलवे लाईन जो कि केरल राज्य के समस्त मालाबार क्षेत्र को कवर करती है पर, पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। यह लाईन एक शताब्दी पहले बिछाई गयी थी जब दक्षिण भारत रेलवे कम्पनी की स्थापना हुई थी और इस क्षेत्र के लोग इस रेलवे को शुरू से ही देख रहे हैं। लेकिन इस लाईन पर अधिक रेल सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। शोरानूर-मंगलौर मार्ग पर दोहरी लाइनों का बिछाया जाना अभी तक सपना ही है। दक्षिण रेलवे के मालाबार क्षेत्र में टोकन रहित सिंगनल जैसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं है जिसके कारण रेल गाड़ियां हमेशा देर से आती जाती हैं। इस क्षेत्र की रेल गाड़ियों के डिब्बों की हालत बहुत खराब है, और रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षित लम्बाई के शेडों की भी व्यवस्था नहीं है। राजस्व वसूली की दृष्टि से पालघाट मंडल पहले या दूसरे स्थान पर रहता है किन्तु विकास के मामले में दक्षिण रेलवे इस मण्डल को चौथा स्थान देता है जिसके कारण मालाबार क्षेत्र के लोगों में असंतोष व्याप्त है तथा सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने पालघाट मंडल के प्रति दक्षिण रेलवे के सौतेले व्यवहार की निन्दा की है। अतः मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले में समुचित कार्यवाही करे और मालाबार क्षेत्र के लिए अधिक रेल सुविधायें प्रदान करें।

(छः) असम में लीलाबाड़ी तक बोइंग विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रवीन डेका (मंगलदाई): इस समय गोहाटी और लीलाबाड़ी, लखीमपुर के बीच इस समय वायुदूत सेवा उपलब्ध है। किन्तु यह सेवा काफी अनियमित है। कभी-कभी तो यह जारी रहती है और कभी-कभी नहीं चलाई जाती है जिससे आम जनता विशेष रूप से संसद सदस्यों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जब अकसमात बिना किसी पूर्व सूचना के उड़ान रद्द कर दी जाती है तो गोहाटी से कनैक्टिंग उड़ान पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उस क्षेत्र की जनता की आवश्यकता को देखते हुए वहां से बोइंग विमान सेवा का शुरू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लीलाबाड़ी में विमान पत्तन की सुविधाओं में सुधार किया जाये ताकि वहां से बोइंग विमान सेवा शुरू की जा सके। उस क्षेत्र की जनता एक लम्बे असें से यह मांग करती आ रही है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि असम में लीलाबाड़ी से बोइंग विमान सेवा शुरू की जाये।

(सात) देश में अपर्याप्त वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जनवजीत यादव (आजमगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सारे देश में अभी तक वर्षा बहुत कम मात्रा में हुई है। मैसम विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष अपर्याप्त वर्षा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक बरसात न होने के कारण देश के कई राज्यों में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में किसान खरीफ की अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। जमीन के अन्दर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। फलस्वरूप नलकूप और सिंचाई के अन्य साधन भी काम नहीं कर रहे हैं। पशुओं का चारा और पीने के पानी का बहुत बड़ा अभाव हो गया है। कई क्षेत्रों से पशुओं के मरने के समाचार भी आ रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए जिस प्रकार की तैयारी भारत सरकार को और राज्यों की सरकारों को करने चाहिए अभी तक इस संबंध में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारे देश के अनाज के भण्डारों में भी जितनी सुरक्षित अनाज सामग्री होनी चाहिए वह भी नहीं है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि अकाल और अभाव की सम्भावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनाज भण्डार को आवश्यक स्तर तक ले जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, पशुओं के चारे के लिए देश के प्रमुख केन्द्रों पर चारे के भण्डार बनाने और उनके वितरण की आवश्यक व्यवस्था करें। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को और चुस्त बनाया जाए। रेल और सड़क यातायात को खाद्य सामग्री और पशुओं का चारा पहुंचाने के लिए प्राथमिकता से काम करने के लिए संगठित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.45 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.44 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.45 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.45 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और जनवरी 90 से दिसम्बर 90 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): श्रीमती मार्गरिट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 193 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 194 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा०का०नि० 195, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 19 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 587 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) सा०का०नि० 196, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 19 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 588 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 197 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 198 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियम, 1992, जो 9 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 199 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) संशोधन नियम, 1992, जो 22 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 70 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय नामावली) संशोधन नियम, 1992, जो 21 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 135 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०,—220 / 93]

2. (एक) केन्द्रीय सर्तकता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह को स्वीकार न करने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०,—2221 / 92]

कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

3. (1) कॅयर बोर्ड (सेवा) दूसरा संशोधन उप-नियम, 1990, जो 21 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 60(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 30 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 305(अ) में प्रकाशित हुए था।

(2) कॅयर बोर्ड (सेवा) तीसरा संशोधन उप-नियम, 1992, जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 304(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) कॅयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) उप-नियम, 1992, जो 30 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 306(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰-2222/92]

भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा और रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): डा॰ चिन्ता मोहन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

4. भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा और रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰,—2223/92]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब कोई मंत्री किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता और उसे सभा पटल पर पत्र रखने होते हैं तब उन्हें आपको सूचित करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको सूचित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैंने स्वयं मंत्रियों से कहा है कि गैर सूची काल का कार्य लम्बे समय तक जारी रहे तो उन्हें यहां बैठने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे मध्याह्न भोजन अवकाश के बाद लेंगे। उन्हें यथासंभव उपस्थित रहना चाहिए। हम एक या दो दिन में व्यवस्था करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह प्रश्नकाल के तुरन्त बाद रखा गया है।

श्री राम नाईक: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करनी है और यह आवश्यक है कि मंत्री भी यहां रहें।

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्वयं उन्हें सुझाया था कि उन्हें सभा में हर समय मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): आज कहा गया है कि लंच-ऑवर के बाद होगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज ही कहा गया है। अब एक-दो दिन में सैट हो जायेगा।

(व्यवधान)

जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 1990 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर बागवानी उपज विपणन तथा प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०,—2224 / 92]

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 13) (वाणिज्यिक) — संघ सरकार — भारत ओपथलमिक ग्लास लिमिटेड और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन, इत्यादि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही): श्री पी०के० थुंगन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 13) (वाणिज्यक) — संघ सरकार — भारत ओपथलमिक ग्लास लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी०,—2225 / 92]

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०—2226 / 92]

(दो) एन्ड्रू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०—2227 / 92]

(तीन) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०—2228 / 92]

(चार) एच०एम०टी० लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—2229 / 92]

भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2230 / 92]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

श्रम मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—2231 / 92]

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अयोध्या का दौरा करने वाले भारत सरकार के सरकारी दल के निष्कर्षों का सार

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अयोध्या का दौरा करने वाले भारत सरकार के सरकारी दल के निष्कर्षों के सार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2234 / 92]

2.52 मध्य०

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री की 30 जून की प्रैस कान्फ्रेंस की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद इस प्रकार की यह पहली कान्फ्रेंस थी। उन्होंने इसमें एकत्र लोगों और उनके माध्यम से शेष देश के लोगों को सूचित किया कि बुरा वक्त बीत गया है। मैं उनके इस दावे को बहुत अविश्वसनीय मानता हूं और यही इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपयोगी प्रथम मुद्दा मानता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री व्योवृद्ध विद्वान व्यक्ति हैं तथा उन्हें सार्वजनिक जीवन का समृद्ध अनुभव है लेकिन मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 30 जून की उनकी टिप्पणी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः टिप्पणी हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थी लेकिन इससे स्थिति और गम्भीर हो रही है। इससे उसका कोई समाधान नहीं निकलता क्योंकि जब उन्होंने जब यह कहा तब उनके पास अपने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की जून, 1992 की रिपोर्ट थी जो कि आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को भेजी गई थी। इसमें शुरू की टिप्पणी में शुरू के पैराग्राफ में कहा गया है "आर्थिक स्थिति का संक्षेप"। यह मंत्रिमंडलीय दस्तावेज है। इसमें कहा गया है: "मानसून पूर्व की कम वर्षा, कम खाद्यान्न भंडार, खाद्यान्नों की कम वसूली और लदान, कम औद्योगिक उत्पादन, मूल भूत ढांचे और निवेश में मिश्रित संकेत, धन की आपूर्ति में अधिक वृद्धि, मुद्रास्फीतीय दबाव जारी है, निर्यात बहुत कम है और विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी आई है।" यह मेरा निष्कर्ष नहीं है। इस अभिप्राय से यह पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष नहीं है। यह आर्थिक स्थिति पर आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तुत दस्तावेज का निष्कर्ष है और इस पर माननीय प्रधान मंत्री ने देश को बताया कि सर्वाधिक खराब समय व्यतीत हो गया है।

इसलिए मुझे यह अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिये विवश होना पड़ा है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं जब हम यह देखते हैं कि प्रधान मंत्री पर जोकि दल के अध्यक्ष भी हैं, काफी भार है और वह अपने पद ग्रहण करने के एक वर्ष बाद तक भी अपने मंत्री मंडल को पूरा नहीं कर पाये हैं और उनके पास एक निष्क्रिय मंत्रीमंडल है, एक ऐसा मंत्री मंडल है जिसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय जैसे नाजुक मंत्रालयों के मंत्रियों को त्याग-पत्र देने पड़े हैं—एक ऐसा मंत्री मंडल है जिसकी नैतिक सत्ता को रोजमर्रा के एक के बाद दूसरे त्याग-पत्रों के सुझावों के द्वारा क्षीण किया जा रहा है, जहां किस्तों में त्याग-पत्र दिये जाते हैं—वहां पर एक मंत्री आज त्याग-पत्र दे रहा है और कल कितने त्याग-पत्र आने वाले हैं? यह सभी त्याग-पत्र बोफोर्स और बैंक-घोटाला जैसे उन अति-दण्डकारी षड़यंत्रों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं जोकि स्वतंत्रता के पश्चात् हमें देखने को मिले हैं। यह दुर्दान्त, व्यापक और सतत् भ्रष्टाचार की घटना है जिसमें आंकड़ों की बात हजारों, सैकड़ों-हजारों और करोड़ के दशकों में नहीं की जाती जैसा कि बोफोर्स के मामले में की गयी थी इसमें तो कई हजार करोड़ रुपये की बात की गई है जिसमें शायद ही कोई मंत्रालय इसमें संबद्ध होने में बाकी बचा हो। रक्षा मंत्रालय में बोफोर्स घटना हुई, वित्त मंत्रालय में बैंक-घोटाला हुआ है, कृषि मंत्रालय में गेहूं और चावल के निर्यात में घोटाला हुआ है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत — एन०टी०पी०सी० — उपकरणों की खरीद के लिये, ऋण के लिये विश्व-बैंक से सीधा पत्राचार कर रहा है, रेल मंत्रालय में रेल इंजनों के आयात में, स्वास्थ्य मंत्रालय में दवाईयों के मामले में और पैट्रोलियम मंत्रालय में भी घोटाले की घटनायें हैं। पैट्रोलियम मंत्रालय को दुर्गन्धित किया गया है। पैट्रोलियम मंत्रालय की हर चीज में भ्रष्टाचार की गंध आती है। गैस-एजेन्सियों के वितरण से

लेकर कच्चे तेल के आयात आदि सभी बातों में भ्रष्टाचार की गंध आती है। इन सभी बातों की व्याख्या करना एक अति दुखद कार्य है। मुझे इस बात का तनिक भी संदेह नहीं है कि सरकार के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार की घटनायें हो रही हैं, प्रधान मंत्री को उनका पता है और यदि उनको इस बात का पता नहीं है, तो इस अविश्वास-प्रस्ताव को रखने का यह भी एक कारण है। यदि अगर उनको इसका पता है और फिर भी कुछ भी नहीं करते, तब तो इस अविश्वास-प्रस्ताव को रखने का यह और भी अधिक सशक्त कारण है। (व्यवधान) यह सरकार सेन्ट किट्स् मामले से चल कर बैंक प्रत्याभूति घोटाले तक का सफर तय कर हमें यह बताती है कि खराब वक्त बीत गया है। इसके विपरीत मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अभी तो केवल बुरा ही हुआ है, अभी आगे-आगे इससे भी बुरा वक्त आयेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव किसी छोटी-मोटी बात को लेकर नहीं रखा गया। इसका आधार, सही माइनों में, 1991 के चुनाव में निहित है, जिसमें घोर त्रासदी सामने आई और जिसने इस सभा को, संसद को अवधारणागत तौर तथा अंकगणित के हिसाब से चटक कर रख दिया। इस चुनाव में किसी दल की भी जीत नहीं हुई और जैसा कि सुवज्ञ अर्थशास्त्रियों का कहना है, इस चुनाव में विजेता दल दूसरे स्थान पर रहा है।

इस चुनाव के समय देश में राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था। राजनीतिक अनिश्चितता के उस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोच-समझ कर एक सुविचारित निर्णय लिया कि यह जो राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता को पंगु बना रही सतत परिस्थितियां हैं, राष्ट्र को इससे सुरक्षित रखना है। हम उस समय संभवतः एक असाधारण घोर आर्थिक संकट में फंसे हुए थे जोकि शायद ही देश के सामने पहले कभी आया हो। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोच-समझ कर यह निर्णय लिया कि यह पार्टी इस संसद में अथवा इसके बाहर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे अनिश्चितता का वेग और अधिक बढ़ सके और यह पार्टी इस सरकार को ऐसी हरेक कोशिश में, जोकि राष्ट्रीय हित में होगी, समर्थन देगी और इसे कायम रखेगी।

महोदय, उस घटना के एक ही वर्ष बाद हमें अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिये विवश कर दिया गया है और मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि जिस समय आपकी सरकार पथ पर अग्रसर हुई थी, तो उस समय उसके पास संसदीय बहुमत नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपके पास थी — आपके पास जनता की सद्भावना थी, जनता की स्वीकृति और अनुमोदन आपके साथ था। यह जन-सद्भावना, जन-स्वीकृति और अनुमोदन व्यापक तौर पर आपके साथ था—क्योंकि 80 के लम्पटतावादी दशक में देश में जो व्यापक लम्पटता का करिश्मा हुआ था, उससे लोगों को राष्ट्रीय-व्यापक राहत मिली थी—क्योंकि इस सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री ने आम राय और सहमति के मामलों में सभी दलों की सही भागीदारी का रास्ता अपनाया था। इस रास्ते को अपनाने के पश्चात् इसे बीच में ही छोड़ दिया गया और पुराने तौर तरीके और पुरानी कांग्रेस ने अपने आप को दौहराना शुरू किया। महोदय, जैसा कि टिप्पणी की गई है, आम-राय को चालाकी का रूप दे दिया गया। संयुक्त भागीदारी के बजाय, इन लोगों ने अंधेरगर्दी की बात अपनानी चाही। इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को भी विभाजित किया है। यह भी आरोप है कि इन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि जनता दल के कुछ सदस्य टूट जायें जिससे इनकी संसदीय संख्या अधिक सुविधाजनक हो सके। नागालैंड और मिजोरम की घटनाओं पर भी इस सभा में चर्चा हो चुकी है। पंजाब में चुनाव स्थगित करना और आयोजित कराना भी अपने आप में एक अलग कहानी ही है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के पास इस समय संसदीय बहुमत का एक ऐसा गद्दा है जिस पर वह विराजमान हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिये उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुका कर खरीदा हुआ है।

3.00 म०प०

[श्री जसवन्त सिंह]

उन्होंने जनानुमोदन जैसी सम्पदा खो दी है। इसलिये हम इस अविश्वास-प्रस्ताव लाने के लिये विवश हुए हैं। मेरे पास इसके लिए चौगुणे कारण हैं। पहली बात तो आर्थिक क्षेत्र में, आपके इस ध्वजपोत की है जिस पर सवार हो कर आप तेजी से चलते हैं और अधिक बाते करते हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार फैलाने की है जैसाकि बोफोर्स और बैंक घोटाले के उदाहरण दिये गये हैं। तीसरी बात शासन के रबनधन की है, आन्तरिक और इस तरह के बाहरी मामलों की है जिनका हमारी आन्तरिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और चोथी बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पतन की है। महोदय, अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर, इस समय अनुकूल अवसर नहीं है कि अवधारणाओं को लेकर नये सिरे से चर्चा की जाये। यह जो नई आर्थिक नीति अथवा परिवर्तन संबंधी सुधार हैं, इस सरकार ने यह सोचकर सौहार्द के साथ इन्हें अपनाया हैं और कि जैसा कि मुझे याद है, हमने भी चार आवश्यक बातों को रखा था। इस सुधार अथवा परिवर्तन के अन्तर्गत परिवर्तन की विषय-वस्तु, परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की गति और परिवर्तन के लिये प्रबंधन यह चार बातें जुड़ी हैं और परिवर्तन प्रबंधन में आप आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक पहलुओं को ले सकते हैं। महोदय, मैं किसी भी प्रकार विषय-वस्तु अथवा दिशा की बात पर जोर नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं आर्थिक परिवर्तन के प्रबन्धन की बात करना चाहूंगा। आर्थिक परिवर्तन के प्रबंधन की बात कहने के अभी एक शब्द पूर्व मैंने परिवर्तन की गति की बात कही है। मुझे, सरकार की परिवर्तन की गति के पहलू पर इस बात की दुविधा है कि यदि मुझे उचित स्मरण हो रहा है, तो माननीय प्रधान मंत्री ने इसी प्रैस सम्मेलन में यह सूचना दी थी कि हम इस परिवर्तन में उल्ट-फुल्ट नहीं कर सकते। यह तो आप का दृष्टिकोण हो सकता है और इस दृष्टिकोण पर जोरदार बहस हो सकती है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार के साथ सबसे अधिक कठिनाई यह है कि यह सरकार धीरे-धीरे सुधार लाने की कोशिश न करके एकदम सुधार लाने की कोशिश में है। यह अपनी अतीत की गल्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहती जिनको स्वीकार किये बिना आज सही कदम नहीं उठाये जा सकते। आर्थिक परिवर्तन अथवा नई आर्थिक नीति के क्षेत्र में आज तक जो कुछ किया गया है, वे सभी मामूली बातें हैं। ये तो बहुत ही आसान थी और उन्हें भी पूरी तरह से नहीं किया गया। आज भी अफसरशाही का वर्चस्व है, आज भी अफसरशाही का ही नियन्त्रण है। पुरानी पद्धति के शिकंजे से राहत की अनुभूति अभी भी शेष है और यह भी बाकी है कि सरकार हमें आकर यह बताये कि उनकी कोई भी महान सफलता क्या है और क्या वास्तव में बुरा वक्त बीत गया है।

महोदय, मैंने एक प्रलेख से उद्धरण रखे हैं जोकि भारत सरकार की अपनी ही एजेन्सियों का प्रलेख है। आप किन्हीं भी तथ्यों को उठाकर देखिये और ये तथ्य भारत सरकार के पास उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ो पर आधारित मिलेंगे और सरकार के अपने ही सांख्यिकी विभाग द्वारा ही स्थापित किये गये मिलेंगे महोदय, अप्रैल 1991 और फरवरी 1992 के बीच औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि तक 9.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2 प्रतिशत कमी आयी है और यदि आप इस 9.6 प्रतिशत को इस 2 प्रतिशत कमी के साथ जोड़े तो वास्तविक आंकड़े काफी ऊंचे रहेंगे। बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में भी कमी आयी है और सीमेन्ट, उर्वरकों और कच्चे तेलों के उत्पादन में भी कमी आयी है। तेल उत्पादन 8.4 प्रतिशत कम हुआ है। कच्चे तेलों के उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत गिरावट आयी है। निर्यात में 1.9 प्रतिशत गिरावट आयी है। जैसा कि सरकार स्वयं मानती है, थोक मूल्य सूचकांक 12 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भले ही कितना ही सही अथवा गलत क्यों न हो, भारतीय रिजर्व बैंक के मई, 1992 के अपने ही सांख्यिकी अनुमान के अनुसार इसमें लगभग 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुद्रा-आपूर्ति जोकि एम-3 है, का मुद्रा-स्फीति से प्रत्यक्ष संबंध है जोकि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक है। मैं नहीं जानता कि बुरा वक्त कैसे पीछे छूट गया है। आज दिल्ली में आम उपभोग की वस्तुओं की जो कीमतें हैं जरा उन पर भी नजर डालियेगा। घटिया किस्म के गेहूं की कीमत 650 रुपये प्रति क्विंटल है। केवल कीमत की ही बात नहीं, परन्तु क्वालिटी का सवाल भी अहम है। माननीय मंत्री को स्वयं, लाइन में लगकर राशन नहीं खरीदना पड़ता, वह

दूसरों से मंगवाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मैं अभी एक मिनट में अपने विचार अभिव्यक्त करूंगा। जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि घटिया किस्म का गेहूं, 650 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। बासमती चावल-टूटे हुए जो कि निर्यात नहीं किए जाते पचीस रुपये प्रति किलों पर बेचे जा रहे हैं चने की दाल, जो कि सबसे सस्ती दाल है, 18 रुपये प्रति किलो बिक रही है, पोस्टमैन तेल के पांच किलो के डिब्बे की कीमत 300 रुपये है। दिल्ली में सब्जियों की न्यूनतम कीमत, ट्रकों की हड़ताल के बाद भी कीमत नहीं अपितु ट्रकों की हड़ताल के पहले की कीमत—16 रुपये प्रति किलो थी, टमाटर 18—20 रुपये प्रति किलो और आलू 6 रुपये प्रति किलों थे, और अगर आप आम खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आम 18 रुपये प्रति किलो पर बिक रहे हैं। महोदय, किमतों का यह हाल है। मैं नहीं जानता की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ उनका क्या संबंध है परन्तु यह रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं। अगर मुझे इन कीमतों के बारे में गलत सिद्ध किया जाता है, तो मैं बहुत खुश हूंगा। आपको मेरा कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन आम उपभोक्ता यही कहता है, आप आज कृषि को देखिए। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश उसकी स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार में वर्षा की कमी है। राजस्थान के बहुत बड़े भाग में बुआई नहीं हुई। वर्षा के न होने के परिणामस्वरुप एक अन्य समस्या जो पैदा हो जाती है वह है पीने के पानी का अभाव ऐसी स्थिति में, जहां वर्षा की अभी से इतनी कमी है, चावल की प्राप्ति, मई 27, 1992 तक, पिछले साल के 12025 मिलियन टन की तुलना में केवल दस मिलियन टन की प्राप्ति हुई। चावल की वसूली, 18.6 प्रतिशत कम हुई।

इसी परकार महोदय, गेहूं की वसूली पिछले साल के $7^{1/2}$ मिलियन टन की तुलना में मई 1992 तक 6.1 मिलियन टन हुई और उसमें भी $18^{1/2}$प्रतिशत की कमी हुई। दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण रणाली के माध्यम से 18.84 मिलियन टन अनाज दिया गया पिछले साल कि वितरित मात्रा 15.64 मिलियन टन की तुलना में, यह 20.4० प्रतिशत से ज्यादा है। आपकी वसूली कम होती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक वितरण किया जाता है और इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता को दोष नहीं दिया जा सकता। यह अभावों का प्रतीक है। अप्रैल, 1992 के अंत में खाद्यान्न भण्डार, 14.34 मिलियन टन था जोकि पिछले साल के 18.48 मिलियन टन की तुलना में, 22.4 प्रतिशत कम है। शेयर बाज़ार की भांति, खाद्यानों के मामले में भी अटकलें सक्रीय रही हैं। भगवान न करें वर्षा में समय लग जाए। परन्तु अगर ऐसा होगा तो। देश को बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30 जून को प्रैस को कहे गए यह शब्द याद दिलाना चाहता हूं 'बुरा वक्त बीत चुका है।' महोदय, एक मिनट के लिए, इस साल में इस सरकार के बुनियादी ढांचे पर विचार करें, और इस मूलभूत ढांचें के महत्त्वपूर्ण अंग है बिजली, तेल, ईंधन परिवहन इत्यादि जहां तक कच्चे तेल की स्थिति का संबंध है मोटे तौर पर इस दशक में कुल उपभोग—55 मिलियन टन, से बढ़कर अंत तक 77 मिलियन टन होने की संभावना है। यह अतिरिक्त 22 से 25 मिलियन टन तेल कहां से आएगा जब कि हमारे पास डालरों की कमी है, और देश में कच्चे तेल का उत्पादन 1991-92 के 30.4 मिलियन टन, की तुलना 1992-93 में घटकर 28.4 मिलियन टन रह गया है। कच्चे तेल की हमारी बढ़ती हुई मांग और आवश्यकताओं के अनुरूप तेल उत्पादन बजाए बढ़ने के घटता जा रहा है। इस गिरते हुए कच्चे तेल के उत्पादन से मैं क्या सोचूं? आज जब ईंधन की खपत बढ़ रही है और डालर की उपलब्धता उसके अनुरूप नहीं है तो क्या मैं क्या यह स्वीकार कर लूं कि बुरा वक्त बीत चुका है?

महोदय, एक क्षण के लिए आयात आकंड़ों पर एक दृष्टि डालिए और मैंने सदन का ध्यान पहले भी इस ओर आकर्षित किया है। आपके पास एक काबिल और कार्य कुशल वाणिज्य मंत्री थे यह बात मैंने यहां कई बार कही है। प्रधान मंत्री महोदय, उनका फेयरग्रोथ नाम की एक कम्पनी के साथ उनके कारोबारी होने के कारण अनौचित्य के आधार पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हमने मंत्री महोदय द्वारा प्रैस को दी गयी चिट्ठी

[श्री जसवन्त सिंह]

पढ़ी है। उस चिट्ठी से, हम आश्वस्त नहीं हैं कि आपके द्वारा स्वीकार किया गया इस्तीफा, उन कारणों पर आधारित है जो आपने बताए। या तो वह चिट्ठी ही उसके पीछे नहीं थी और अगर ऐसा नहीं था, तो हमें यह जानने का हक है कि उसके पीछे क्या था, क्योंकि वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों को बिना प्रभारी मंत्री के नहीं रखा जा सकता किसी ने माननीय प्रधान मंत्री से पूछा, कि आप कब विदेश मंत्री की नियुक्ति करेंगे तब माननीय परधान मंत्री ने, कहा कि, 'मैं जो हूं, एक अलग मंत्री की क्या जरुरत है, जब कि आपके पास एक उससे बड़ा मंत्री मौजूद है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री इस हैसियत में क्या-क्या करेंगे जहां तक आयात के आंकडों का संबंध है। डालरों में आयात इस साल अप्रैल में 24.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले साल इसी महीने में आयात अप्रैल 1991 के 1.34 बिलियन की तुलना में 1.78 बिलियन था। अवमूल्यन की वजह से रुपयों में आयात का मूल्य और भी अधिक बढ़ जाएगा। परन्तु चिन्ता का विषय यह है कि अप्रैल 1991 की तुलना में, इस वर्ष अप्रैल 1992 में निर्यात में काफी कमी हुई है और इससे भी अधिक चिन्ता का मामला यह है, कि यह कमी सामान्य मुद्रा क्षेत्र और पारंपरिक रुपया भुगतान दोनों ही क्षेत्रों में है। अब आयात में वृद्धि हुई है, परन्तु निर्यात की मात्रा में कमी आई है। सरकारी आंकडों के आधार पर इस साल अप्रैल में, निर्यात में 7.97 प्रतिशत कमी हुई, जी० सी० ए० देशों को इस साल अप्रैल में किया गया निर्यात का मूल्य 1.27 मिलियन डालर था जबकि पिछले साल यह 1.29 मिलियन था और जिन देशों को भुगतान रुपये में किया जाता है उनको किए जाने वाले निर्यात में भी स्पष्ट कारणों की वजह से लगभग 50 प्रतिशत तक कमी हुई है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन अप्रैल में 400 से 500 मिलियन था। इसकी तुलना में, मार्च अप्रैल, 1991-92 में, डालर के संदर्भ में, लगभग एक पूरे साल के लिए, 2 प्रतिशत कमी हुई।

महोदय, विदेशी मुद्रा भण्डार, जो कि कम हो गया उसमें वृद्धि हुई है और यह वृद्धि मुख्यतः तीन कारणों से हुई है। एक यह है कि हमने पैसा उधार लिया है दूसरा हमने आयात में कमी की है। और तीसरा हमने एफ० सी० एन० आर० इत्यादि के माध्यम से इस देश में पैसा आने दिया है। परन्तु फिर भी 1 अप्रैल-मई 1992 में इस भंडार में 254 मिलियन की कमी हुई है, और इस समय यह लगभग 5377 मिलियन है। यह अप्रैल मई 1992 के आंकड़े हैं। मेरे पास इसके अद्यतन आकड़े नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के दिन प्रतिदिन के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना मेरी पहुंच के बाहर है। अप्रवासी भारतीयों के खातों में से प्रतिमाह राशि निकाली जा रही है। अप्रैल, 1992 में एफ० सी० ए० आर० खाते में 188 करोड़ रुपये जमा थे आज सुबह मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एफ० सी० एन० आर० खातों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा ताकि इन खातों से राशि बाहर निकलने को रोका जा सके।

आयात और निर्यात में इस असंतुलन के कारण इस सरकार के एक वर्ष के शासन काल में हमारा ऋण ब्याज अनुपात 30% से अधिक हो गया है। मैं वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमारा आज ऋण ब्याज अनुपात क्या है और अगले तीन से पांच वर्षों तक ऋण भार अनुपात का अनुमान क्या है।

इस चर्चा में मेरे लिए इसका पूर्ण विश्लेषण करना संभव नहीं है। कि आर्थिक सुधारों के प्रबंधन में क्या कमियां हैं। मैं कह सकता था कि प्रबंधन असंतोषजनक है, 'एक्स', 'वाई', 'जेड' मदों में अथवा 'जेड' क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रणाली छोड़कर दूसरी प्रणाली अपनाने से इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। निश्चय ही सरकार यह कह सकती है जैसाकि उसने पहले भी कहा है कि एक वर्ष की अवधि हमारे लिए बहुत कम है। एक साल में हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। परिणाम लाने के लिए कम से कम तीन-चार वर्ष चाहिएं। अगर आपको तीन-चार वर्ष चाहिएं, तो जो कदम आपने उठाए हैं उनके परिणाम

यह संकेत देते हैं कि जो तर्क आपने और अधिक समय मांगने के लिए रखे हैं उनको यह कदम सुदृढ़ करते हैं।

मैंने यह आंकड़े इसलिए बताए हैं क्योंकि आर्थिक प्रबंधन में परिवर्तन करने के प्रारंभिक परिणाम संतोषजनक नहीं थे। अतः आपकी इस बात को मानते हुए कि आप तीन या चार वर्ष में ही अपनी सफलता दर्शा सकते हैं हम आपके द्वारा उठाए गए कदमों की प्रत्याशा करेंगे। मैं उनके महत्व को कम नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता हूं क्योंकि आपने पेय पदार्थों, कपड़े धोने की मशीनों तथा रेफ्रीजरेटरों को महत्व तथा प्राथमिकता दी है।

मेरे पास विद्युत संयंत्रों से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कुछ आंकड़े हैं। विद्युत संयंत्रों तथा बिजली की कमी एक बुनियादी ढांचागत कमी है। आने वाले दशकों में यदि हमने इस ओर ध्यान न दिया तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, सरकार द्वारा संसद में दिए ब्यौरे के अनुसार निजी क्षेत्र में 21 विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह हजारों करोड़ रुपये का निवेश है। मैं और समय नहीं लूंगा। भारत सरकार की अनुमति के लिए 21 विद्युत संयंत्र स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं। इन विद्युत संयंत्रों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रत्येक विद्युत संयंत्र नौकरशाही के नियंत्रणाधीन है। लेकिन इस एक वर्ष के दौरान सरकार क्या कर रही है?

इसने ज़ल्दबाज़ी करके कोका कोला को यहां आने की अनुमति दे दी। किसी भी पेय पदार्थ अथवा कोका कोला को ले लीजिए इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया गया।

अब बात यह है कि निवेश में प्राथमिकता को देखते हुए सरकार ने 21 विद्युत संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में निर्णय लेने के लिए एक वर्ष का समय मिला लेकिन कोका कोला के मामले में शीघ्र स्वीकृति दे दी। इस मुद्दे के दूसरे पहलू को देखिए। इसी कारण मुझे इस बारे में चिंता हो रही है। वैसे मैं यह ब्यौरा नहीं देता। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कोका कोला के माननीय रक्षा मंत्री के जिले में फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि मिल गई है। इसे कहीं-न-कहीं तो स्थापित करना ही था। उन्हें भूमि ढूंढनी ही थी। यह मात्र एक संयोग है कि कंपनी को जो 1000 एकड़ भूमि चाहिए थी वह उसे भारत के बारामती जिले में मिल गई। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यह चिंता की बात है।

एक माननीय सदस्य: यह बारामती में नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह: मुझे प्रसन्नता होती यदि यह बारामती में नहीं होती। मुझे और भी प्रसन्नता होती यदि वह 1,000 एकड़ न होकर 100 एकड़ होती। लेकिन बात कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि यह कोका कोला कौन लेकर आया है? यह व्यक्ति है... मैंने माननीय वित्त मंत्री को भी इस मामले के बारे में लिखा है। एक व्यापारी है जो इस उद्योग को भारत में बढ़ावा दे रहा है। इस व्यापारी के विरुद्ध 70 के दशक के अंत में तथा 80 के दशक के प्रारंभ में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय बैंकों का धन दुरुपयोग करने, उसे सिंगापुर ले जाने का आरोप लगाया गया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला दायर किया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच को लंबित रखा गया क्योंकि बैंकों ने उसके साथ सहयोग नहीं किया। जब संसद में यह मामला उठाया गया तब माननीय वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि "उपभोक्ता तथा बैंकों के बीच लेन-देन की गोपनीयता यह जानकारी देने के लिए हम पर प्रतिबंध लगाती है।"

मैंने शुरू में ही यह कहा था कि मैं इस मामले को महत्वहीन नहीं बनाना चाहता। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि एक वर्ष तक आपने 21 विद्युत संयंत्रों में से एक के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन आपने पेय पदार्थों के बारे में एक माह के भीतर ही निर्णय ले लिया जबकि देश इसके बिना भी चल सकता था। मुझे आर्थिक सुधारों के प्रबंधन के बारे में बहुत चिंता है। मेरे विचार से यह भ्रष्टाचार की ओर जाने का

[श्री जसवन्त सिंह]

एक रास्ता है। मैंने इस सरकार के कार्यकरण के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी और भ्रष्टाचार के कारण ही मुझे इसमें विश्वास नहीं है। मेरे विचार से इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। जहां सरकार में भ्रष्टाचार होता है अथवा होने की आशंका होती है वहां सामान्य विधिशास्त्र के असम्मान विपरीत सिद्धान्त लागू होता है। सभी सरकारों को जब तक कि वह स्वयं को निर्दोष साबित न कर दें दोषी माना जाएगा-अतः मेरा यह कहना है कि सामान्य विधिशास्त्र के असम्मान जिम्मेदारी आप पर है। बोफोर्स और बैंकिंग कांड में जब तक आप इसका खंडन कर स्वयं को निर्दोष साबित न करें... (व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई): कौन सा कानून, किसका कानून।

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व सरकार का ही होता है। यहां विधिशास्त्र के विपरीत कानून लागू होता है। बोफोर्स और बैंकिंग के मामले में आपको जनता के प्रति जवाबदेही के कर्तव्य को निभाते हुए स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा आपको दोषी माना जाएगा।

एक अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि सरकार मीडिया द्वारा अथवा मौखिक आश्वासन देकर इसका खंडन कर स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकती है। इसके लिए कोई उचित कार्यवाही करनी होगी और यही इसका मापदंड है आप बोफोर्स की तरह इस बैंकिंग के मामले में भी असफल हो गए हैं। बोफोर्स के मामले में तो अटल रूप से लेकिन दूसरे मामले में आपके पास अभी भी समय है। अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर बोफोर्स के मामले में केवल चार या पांच पहलू ही उठाऊंगा। बोफोर्स पर हुई अंतिम चर्चा में माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में यह सुझाव दिया था कि वह इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जांच करेंगे। मुझे यह अच्छी तरह याद नहीं कि उन्होंने यह कहा था कि वह इस मामले के संबंध में दिन-प्रतिदिन जानकारी लेंगे लेकिन यह मुझे याद है कि उन्होंने यह बात अवश्य कही थी कि वह इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जांच करेंगे इसीलिए मैंने कहा था कि अत्यंत व्यस्त प्रधान मंत्री स्वयं इस मामले की कैसे जांच करेंगे? वह विदेश, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री हैं। केन्द्रीय जांच विभाग भी उनके पास है और वह अब बोफोर्स मामले की भी जांच करेंगे। इसके देखभाल के क्या परिणाम रहे। इसमें अनेक कठिनाइयां हैं। संसद को यह आश्वासन देने के बाद कि वह व्यक्तिगत तौर पर इसकी जांच करेंगे, उसके क्या परिणाम रहे। व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की जांच करने का प्रदर्शन उस सांठ-गांठ पूर्ण ढंग में हुआ है जिस ढंग से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बिन चड्ढा का मामला चलाया जा रहा है। मैं बिन चड्ढा का नाम लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं आपसे कुछ और नाम लेने की भी अनुमति चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बिन चड्ढा का मामला कैसे चलाया जा रहा है और भारत सरकार तथा बिन चड्ढा के वकील एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बीरभूम): आप उनको ईसाई नाम मत दीजिए केवल चड्ढा ही कहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह: ठीक है, चड्ढा। इस जानकारी को देखिए कि किस प्रकार चड्ढा के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके पासपोर्ट जब्त किये जाने के मामले में आदेश प्राप्त कर लिए। उसका पासपोर्ट जब्त करने के बारे में न्यायालय ने आदेश दिया कि आप 15 दिन के भीतर निर्णय लें। न्यायालय पासपोर्ट के मामले में निर्णय दे सकता है। लेकिन भारत सरकार प्रधान मंत्री के आश्वासन के बावजूद न्यायालय से आदेश नहीं ले सकता है। प्रधान मंत्री द्वारा इस मामले की व्यक्तिगत तौर पर जांच करने का आश्वासन देने के बाद कितने माह का समय बीत चुका है? इसके बाद जहां तक सोलंकी से भेंट करने वाले वकील के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण है, यह वास्तव में बहुत ही विस्मयजनक है क्योंकि यह जो चारण प्रस्तुत की गयी है, वह एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे व्यक्ति, जो कानूनन वकील हैं उसके बारे में श्री सोलंकी कहते हैं कि.....

(व्यवधान) यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। माननीय प्रधानमंत्री देश के समाचार-पत्रों के माध्यम से यह सूचित करते हैं कि "मैं क्या कर सकता हूं? सी० बी० आई० उस वकील का पता नहीं लगा पाई है।" मुझे यह सचमुच आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यह बात अविश्वसनीय है। प्रधानमंत्री के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वयं यह आश्वासन दिया था कि वे इससे सम्बंधित दिन-प्रति-दिन की कार्यवाही पर निगरानी रखेंगे। और दो, तीन महीने बाद ही वह यह कहते हैं कि "मुझे खेद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सी० बी० आई० वकील का पता नहीं लगा सकी है।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसका पता तो लगा ही सकते हैं कि व्यक्ति वस्तुतः वकील है भी अथवा नहीं, और आपके एक भूतपूर्व मंत्री ने इस सभा में जो कुछ कहा है और अन्यत्र जो कुछ कहा है, उन दोनों बयानों के बीच की भारी विसंगति को दूर करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं।

माननीय विदेश मंत्री ने 30 मार्च, 1992 को इस सभा में यह कहा था, "जब मैं दवोस में था तो मैंने... कृपया इस शब्द को ध्यान से सुनियेगा।" मैंने विदेश मंत्री श्री फेलबर से शिष्टाचार के नाते भेंट की थी और उनसे बात-चीत की थी तथा अंत में विदा लेते समय मैंने एक नोट उनके सुपुर्द किया। भारत में जो मुकदमें अभी न्यायालयों के विचाराधीन हैं बकाया हैं, उनकी स्थिति के संबंध में यह नोट एक वकील ने मुझे दिया था।" यहां यह षडयंत्र और जटिल रूप धारण कर लेता है क्योंकि 12 जून को श्री फेलबर के एक साक्षात्कार में यह कहा गया है कि "सोलंकी जी ने केवल एक संक्षिप्त नोट मुझे दिया और संक्षेप में उसके बारे में बताया भी था...। इस शब्द को दोबारा ध्यान से सुनें। और संक्षेप में उसके बारे में बताया भी था तथा पूरी बात में सिर्फ दो ही मिनट लगे।" सोलंकी जी कहते हैं कि उन्होंने एक औपचारिकतावश भेंट करना चाहा था...।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कोई उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: मैं तो सिर्फ किसी बात का हवाला मात्र दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: उद्धरण चिन्हों के बिना ही।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: श्री फेलबर ने यह कहा है कि श्री सोलंकी ने उसके बारे में संक्षेप में बताया भी था.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि मैं किसी बात को सही मानता हूं, तो मैं उसे उद्धृत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह क्या बात है?

श्री जसवंत सिंह: इसका अभिप्राय यह है कि हर सदस्य को किसी बात के अधिप्रमाणन की स्वतन्त्रता प्राप्त है। लेकिन मैं इस समय के बारे में संविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता, (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी: समाचार पत्र द्वारा किए जाने वाले अधिप्रमाण के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री जसवंत सिंह: श्री सोलंकी ने यह बात कही है कि यह बिल्कुल औपचारिक रूप में भेंट हुई थी। उन्होंने भेंट करनी चाही, और भेंट करने के पश्चात् अलविदा कहते समय इन्होंने एक नोट उनके सुपुर्द किया और वे यह कहते हैं कि नोट में क्या लिखा था, उसका उन्हें पता नहीं था। यह घटना किस तरह से घटी इसके बारे में श्री फेलबर ने बताया है। वह एक बैठक में भाग लेने के लिये गलियारे में से जा रहे थे और उस समय श्री सोलंकी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और यह संकेत किया कि वह कुछ कहना चाहते हैं। दवोस सम्मेलन के संयोजकों ने दोनों मंत्रियों को एकान्त में भेंट करने की सुविधा देने की दृष्टि से तत्काल ही समीप के एक कक्ष को खोला और यह सभी कुछ एकदम अचानक ही हुआ। तब यह लिफाफा उनको दिया गया। सोलंकी जी

[श्री जसवन्त सिंह]

कहते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या बात लिखी थी इसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। जबकि फेडरल चांसलर जी का कहना है, "उन्होंने मुझे यह बताया कि यह बोफोर्स मामले से संबंधित है।" सोलंकी जी कहते हैं कि यह एक औपचारिक भेंट मात्र थी लेकिन यह भेंट तो गलियारे में हुई जहां जैसा कि फेलनर ने बताया है कि "मुझे आवाज देकर बुलाया गया, एक कमरा खोला गया और हम सिर्फ दो मिनट तक उस कमरे में रहे।" माननीय प्रधान मंत्री जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि बोफोर्स मामले से निपटने के लिये वे दिन-प्रति-दिन इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं। स्वतः स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से इस चक्रील को ढूंढ निकालने की तनिक भी आशा नहीं करी जा सकती। माननीय प्रधान मंत्री जी अपने भूतपूर्व साथी से यह तो पूछ ही सकते हैं कि उन्होंने इस सदन में जो कुछ कहा है और विदेश में जो कुछ कहा है, उन दोनों वक्तव्यों के बीच विसंगति क्यों है। माननीय प्रधान मंत्री जी सी॰बी॰आई॰ को श्री सोलंकी के दोनों वक्तव्यों तथा स्विटजरलेण्ड में दिये गये उनके बयान की जांच के लिए आदेश तो कम से कम दे ही सकते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। उनकी सरकार चड्ढा के बारे में, जोकि बोफोर्स घोटाले में रिश्वत लेने वालों में से एक माने जाते हैं कुछ नहीं करेगी; उनकी सरकार हिन्दुजा के खिलाफ कुछ नहीं करेगी; उनकी सरकार सोलंकी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी; और उनकी सरकार कुआत्रोची के खिलाफ भी कुछ नहीं करेगी।* के बारे में वर्षों से यह माना जाता रहा है कि उन्होंने भी बोफोर्स घोटाले में रिश्वत ली है और अब तो उनके विरुद्ध प्रत्यक्षतः आरोप लगाया जा रहा है। आरोप के आधार पर तो उनके खिलाफ अवश्य ही.....

अध्यक्ष महोदयः जसवंत सिंह जी, यदि मामला कानूनी अदालत में लंबित है और यदि आप उस मुकदमे से सम्बंधित किसी व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं तो यह अनुचित है अतः उस नाम को तो आपको वापिस लेना ही होगा।

श्री जसवंत सिंहः मेरा संदेह काफी प्रबल है और इसलिये मैं नाम वापिस नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदयः क्या आप दो प्रतिकूल सिद्धान्तों का पालन करना चाहते हैं?

श्री जसवंत सिंहः यदि आप मुझे इस बारे में निर्देश देते हैं, तो मैं नाम वापिस ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदयः मैं तो केवल आप से अनुरोध ही करूंगा कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें और नियमों का अनुसरण करें।

श्री जसवंत सिंहः मैं इसे वापिस लेता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इटली निवासी जोकि खाम प्रोगेटी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और भारत में रहते हैं तथा जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि काफी ऊपर तक पहुंच रखते हैं, अब भी काफी ऊपर तक पहुंच रखे हुए हैं और विगत दशक में इनकी काफी ऊंची पहुंच रही है, इटली के इस भाग्यपुरुष अथवा अभाग्यपुरुष के बारे में यह विश्वास किया जाता रहा है और अब भी विश्वास किया जाता है कि इन्होंने बोफोर्स सौदे में रिश्वत ली है। महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि जब सरकार को इस बात का पता चला है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है, इस इटली निवासी से क्या पूछताछ की गई है? इससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ करने के लिये क्यों नहीं कहा गया? उसे चेतावनी नहीं दी गयी, तो कम से कम आगाह तो किया ही जा सकता था, भ्रष्टाचार के इस चौराहे पर यदि कोई लाल लैम्प नहीं था तो कम से कम पीले लैम्प से ही कोई संकेत क्यों नहीं दिया गया? महोदय, ऐसा क्यों नहीं किया गया। प्रधान मंत्री जी के ऐसा कहने कि वे दिन-प्रतिदिन इस मामले से निपटेंगे, के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं किया गया। महोदय, मैं बोफोर्स मामले पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। जैसाकि मैंने आरंभ में ही कहा है, सरकार को ही स्वयं अपनी सच्चाई

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिद्ध करनी होगी हमें कोई सच्चाई सिद्ध नहीं करनी क्योंकि बोफोर्स के मामले में सरकार ही पूर्णतया दोषी सिद्ध हो रही है।

इस बैंक घोटाले को ही देखिए। इस पर हम एक बार चर्चा तो कर चुके हैं और दूसरी बार चर्चा अभी भी शेष है। इस मामले में मैंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है और उस समय मैंने जो कुछ कहा है, उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल चार बातें संक्षेप में कहना चाहूंगा जोकि मेरे विचार से सरकार की जिम्मेदारियां हैं, और जिनके संदर्भ में मुझे ऐसी आशंका है कि सरकार अपने दायित्वों में असफल रही है।

सरकार का यह दायित्व है कि वह हमारी स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से नुकसान न होने देने के लिए भरसक प्रयास करे। मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूं कि इस मामले में जिस तत्परता से कार्य किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। मैं तो यह मानता हूं कि सरकार का यह दायित्व है कि देश की राजकोषीय, वित्तीय प्रणाली को यथासंभव शीघ्र उसके मौलिक रूप में सुदृढ़ करे इसमें गति लाये और उसका विकास करे ताकि देश के भीतर और देश के बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक हानि न होने पाए। मैं नहीं मानता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस देश में जो सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है इस कार्य में भी सरकार उतनी तत्परता से कार्य कर रही है जितनी कि सरकार से उम्मीद की जानी चाहिये।

तीसरी बात केवल देश के बैंकों अथवा बैंकिंग व्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता को ही यथाशीघ्र पुनः प्राप्त करना नहीं है; क्योंकि इस मामले में केवल बैंक अथवा बैंकिंग व्यवस्था ही शामिल नहीं है; इसमें भारत के नाम पर भी आंच आ रही है। और इसीलिये जब मैंने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो मैंने यही कहा था कि चिंता 3500 करोड़ अथवा 5000 करोड़ रुपये की ही नहीं — भारत 35,000 करोड़ रुपये तक की क्षति झेल सकता है लेकिन प्रश्न तो यह है कि सबसे बड़ी बात तो भारत के नाम पर आंच आने की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि यह सरकार देश की आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

महोदय, अब मैं अंतिम बात रख रहा हूं जोकि मैं दोबारा कह रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें यह सूचना दी है कि बैंक घोटाला प्रमुखतः हमारी आंतरिक विनियामक प्रणाली की असफलता की वजह से हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की भी सीधी जिम्मेदारी है; भारतीय रिजर्व बैंक को भी बहुत सी बातों का उत्तर देना है।

मार्च 1991 में जिस समय इसकी पताका नीचे की ओर झुकने लगी थी, तब जुलाई 1991 में इन्होंने अनुदेश जारी किये और तब जुलाई 1991 से मई 1992 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियंत्रक कार्यों को सन्तोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख द्वारा प्रैस और दूसरे प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से बार-बार इस तरह की सूचना देना अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जोकि उनसे छुटकारा चाहते हैं परन्तु वही लोग अपराधियों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय, असंयत और एक अंहकार पूर्ण टिप्पणी है।

हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित है कि देश के केन्द्रीय विनियामक बैंक की स्थिति को किस प्रकार बेहतर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन भारत के केन्द्रीय विनियामक बैंक की अच्छी स्थिति को अपराधियों की मदद के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करे और यह सरकार तथा वित्त मंत्री भी स्पष्टीकरण दें क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप में इतने बड़े कांड के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री खड़े होकर यह कहें कि आप हम पर यह आरोप लगाकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं तो क्या ऐसा कहना उचित होगा हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने काफी संयम से काम लिया है।

[श्री जसवंत सिंह]

लेकिन रिजर्व बैंक के मुखिया ने इसे बड़े अहंकार से कहा है। मैं यह कहने के लिए विवश हो गया हूं—मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के बाद दुबारा यह कहना नहीं चाहता कि यह विश्वसनीय नहीं है।

मैंने कहा था कि मेरा तीसरा मुद्दा राज्य तन्त्र के प्रबन्ध से संबंधित है। आन्तरिक राज्य तन्त्र के प्रबन्ध पर चर्चा के लिए हमें अनेक अवसर मिले हैं। आंतरिक राज्य तन्त्र के प्रबन्ध के संबंध में मुझे जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, पूर्वोत्तर सीमा और एल-टी-टी-ई० के प्रभाव के परिणाम के बारे में मुझे चार प्रकार की चिन्ताएं हैं। इन सभी के बारे में मेरा निवेदन है कि जब भी मैं भारत सरकार की नीति का परीक्षण करता हूं और शोध करता हूं.....

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके भाषण में व्यवधान डालना नहीं चाहूंगा। मुझे ऐसा करते हुए खेद भी हो रहा है कि आवंटित समय आठ घंटे है। हम आपके समय को सीमित करना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपकी पार्टी को एक घंटा अड़तीस मिनट दिए गए। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, वह एक वाक्य में कहीं जाती तो बेहतर होता।

श्री जसवंत सिंह: मैं मानता हूं कि मुझे बात को दोहराने की थोड़ी बुरी आदत है। मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: एक घंटा पहले ही बीत चुका है। आप जितना चाहे समय ले सकते हैं क्योंकि आपने इस बहस की शुरुआत की थी। हम आपका समय सीमित करना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस सीमा को ध्यान में रखें तो कृपा होगी।

श्री जसवंत सिंह: मैं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, एल टी टी ई इत्यादि मुद्दों के समाधान पर बोल रहा था। मैं जब भी भारत सरकार की इनसे ही सम्बंधित नीति की जांच करता हूं तो पाता हूं कि इसमें द्वैध वृत्ति, दुविधा, असंगति और अस्पष्टता विद्यमान है तथा उनके बारे में अनेक परस्पर विरोधी बयान जारी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर को ही देखिए। हमने कल जम्मू-कश्मीर पर वाद-विवाद किया। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। यह दो परस्पर विरोधी मंत्रियों की दुःखद दास्तान है; जो एक ही सरकार से दो आवाजें बुलंद करते हैं । सरकार के एक माननीय मंत्री श्रीनगर जाते हैं। उनके सुरक्षा कर्मी किसी वजह से आतंकित हो जाते हैं। छः व्यक्ति अकारण ही उनकी गोली के शिकार हो जाते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री श्रीनगर जाते हैं। एक टायर फटने से उनके सुरक्षा कर्मी डर जाते हैं और उनके द्वारा आठ लोग मारे जाते हैं। समस्या के समाधान हेतु जम्मू-कश्मीर में मंत्रियों को भेजने का क्या औचित्य है? वहां पर उनके दौरों से आप श्रीनगर शहर में और हत्याएं कराते हैं। दोनों मंत्री वहां जाने के बावजूद अलग-अलग तरह की बातें कहते हैं। इसीलिए जिन दोनों ने जब वहां का अलग-अलग दौरा किया तो दोनों ही बार भगदड़ मची और सुरक्षा दलों ने नाहक गोलियां चलाईं। मैं यह सब जम्मू-कश्मीर के बारे में कह रहा हूं। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री हमें बताएं कि कल के वाद-विवाद के बावजूद जम्मू-कश्मीर राज्य में वास्तविक स्थिति क्या है क्योंकि एक मंत्री कहते हैं कि वहां चुनाव करवाना सम्भव नहीं है किंतु दूसरे मंत्री कहते हैं कि निकट भविष्य में चुनाव सम्भव हैं। भारत सरकार का क्या रवैया है? सत्ता में आने के एक वर्ष बाद जम्मू-कश्मीर के बारे में अब आपकी क्या नीति है?

पंजाब तो खोए गए अवसरों और चुनावी बयानों की लम्बी दास्तान बन गया है। पंजाब के पांचवें भाग से भी कम मतदाताओं द्वारा मतदान करने और इस पांचवें भाग के दसवें भाग से कम के मत आपकी पार्टी को मिलने से आपने निश्चित रूप से अपनी संसदीय संख्या में वृद्धि की है। लेकिन मैं कहता हूं कि उस विधान सभा, इस राजधानी और पंजाब राज्य के अशांत लोगों के बीच भावनात्मक दूरी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। अब पंजाब राज्य में आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल है वहां पर भी कांग्रेस मंत्रिमंडल है। महोदय, कांग्रेस पार्टी ने गत वर्षों में राहीरों से तथा संत लोंगोवाल जी से जो समझौता किया उस से लेकर अब तक अनेक वचन पंजाब

को दिए हैं अब उनको लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केन्द्र में और पंजाब में दोनों ही स्थान पर आपकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, पंजाब पर अपने वायदों को कार्यान्वित कीजिए। कृपया हमें इसका उत्तर दें क्योंकि आप जिस प्रकार पंजाब के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप इससे कैसे निबट सकते हैं? आप पर 1984 के दंगे करवाने का आरोप है। क्या मैं याद दिलाऊं कि 1984 के दंगों में गृह मंत्री कौन थे? 1984 के अपराधियों को दंडित करने के लिए वास्तविक जांच को कौन रोक रहा है? कृपया इन सभी का उत्तर दें। हमें इनके बारे में बहुत चिन्ता है।

आन्तरिक राज्य तन्त्र पर ये दो आरोपित कारण गलत प्रभाव डालते हैं। इन्हें आपके ध्यान में लाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मुझे याद है, स्वर्गीय श्रीमती गांधी तब प्रधानमंत्री थी और मुझे तब संसद में यह उल्लेख करने का अवसर मिला था कि मुझे आशंका है कि लिट्टे के प्रति भारत का रवैया लिट्टे के प्रति नीति अथवा भारत-श्रीलंका संबंध दिल्ली में तय नहीं होते बल्कि मेरी आशंका है कि इन्हें तमिलनाडु द्वारा जबरन तय किया जा रहा है। हालांकि इस बात का खण्डन किया गया था। लेकिन बाद की घटनाओं ने यही साबित किया है और तब हम यह नहीं चाहते थे कि श्रीलंका के जातीय दंगे का प्रभाव भारत में भी पड़े।

मुझे एक और चिन्ता है और मेरी चिन्ता यह है कि भारत-बांग्लादेश संबंध भी यहां दिल्ली में तय नहीं किए जा रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल में तय किए जा रहे हैं। आपने तीन बीघा के बारे में क्या किया है, मैं इसका उल्लेख अभी एक मिनट बाद करूंगा? इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर तय नहीं किया गया। जिस दिन आप बाहरी तत्वों को आन्तरिक राजनीति पर हावी होने देंगे तब आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और मैं इस बार मैं आपको सावधान करना चाहता हूं।

मैंने कहा था कि मैं व्यवस्थित ढंग से हुई गड़बड़ी पर संक्षेप में बोलूंगे और यह मेरा चौथा मुद्दा है— राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मैं वाकई बहुत चिन्तित हूं, इस बारे में मैं समझता हूं कि यह सरकार बिल्कुल विफल रही है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के गठन के शैक्षिक सिद्धान्तों के पुनः प्रतिपादन के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो इस नीति के संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध की जांच कर रहा हूं।

शून्यकाल में आज सुबह एक घटना का उल्लेख हुआ था कि भारत में बर्मा के सैनिक आए और उन्होंने मिजोरम में हमारे छात्रों को पीटा। मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूंगा यह राजस्थान में जैसलमेर जिले में बीदान गांव में 19 दिसम्बर, 1991 को घटी थी।..तीन पाकिस्तानी आक्रान्ता हमारी सीमा में 50 किलोमीटर तक घुस आए। उन्होंने तीन भारतीयों को मार दिया, उनमें से दो के सिर काट दिए। उन्होंने उनके सिर एक बोरी में रखे और 19 दिसम्बर, 1991 को वापस सिन्ध ले गए। जनवरी में मैंने सरकार को लिखकर पूछा कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है। मैंने जनवरी से जून, 1992 के बीच इस सरकार को पांच पत्र लिखे हैं। मुझे वास्तविक घटना पर संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिला है। सीमा पार से अपराध की यह घटना हुई है जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत में घुसने का साहस किया, हमारे देशवासियों की हत्या की और फिर उनके सिर वापस ले गए दिसम्बर, 1991 से आज तक इतने महीने बाद कोई कार्यवाही करने, पाकिस्तान से विरोध व्यक्त करने की बात तो अलग है, गिरफ्तार करने की बात अलग है, मुझे तो इस घटना पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय से संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिला है। मैंने यह उदाहरण क्यों दिया? मैंने इसे इसलिए उद्धृत किया है क्योंकि यह इस नीति को लागू करने के प्रति आपके रवैये को दर्शाता है कि दो भारतीय मारे जाएं या तीन भारतीय मारे जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है इसे साधारण घटना ही समझा जाए।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान का भाग और संभवतः कच्छ का भाग मैं 'संभवत' शब्द का प्रयोग किसी खास वजह से ही कर रहा हूं — राजस्थान का क्षेत्र, हिन्दुमल कोट के दक्षिण से कच्छ तक हमारे पास संभवतः भारत-पाक सीमा का यह अन्तिम सुदृढ़ क्षेत्र है। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यह सरकार

[श्री जसवंत सिंह]

भारत-पाक सीमा पर राजस्थान क्षेत्र को अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर भारत-पाक सीमा के इस अंतिम क्षेत्र को इस प्रकार लिया गया तो निश्चित रूप से यह सरकार हमारे विश्वास के योग्य नहीं है। भारत-पाक संबंध में संभवतः केवल हमारे दल ने ही आपत्ति की थी क्योंकि हमारे विचार से शिमला समझौते के माध्यम से दूसरे पक्ष को ज्यादा लाभ दिया गया है और शिमला समझौते में वस्तुतः आपने यही किया भी था अब तो लगभग सभी की यही राय है कि हमारा विचार ही सही था।

जहां तक तीन बीघा-जमीन का प्रश्न है, इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि जो बात एक ऊपरी पुल-निर्माण करने से तथा हर-संभव परिवहन-सुविधा प्रदान करने से हासिल की जा सकती थी वह उस भूमि को लम्बी-अवधि के लिए पट्टे पर देकर की गई है। वह लम्बी-अवधि पर पट्टा देते हुए, आपने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि भारत-बंगला देश संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अबाधित अनाधिकृत अप्रवासन पर रोक लगेगी अथवा नहीं। मैं यह कैसे मान लूं कि हमारे देश के सुरक्षा-प्रबंधन में यह सरकार हमारे विश्वास की पात्र है।

मैंने यहां पहले भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि क्या वह हमें बतायेंगे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या वह हमें बतायेंगे कि अफगानिस्तान में हुए परिवर्तनों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रधान मंत्री ने उस समय कहा था; कृपया मुझ से मत पूछिये। वहां परिस्थितियां बदल रही हैं। उस संबंध में कुछ कहना या इसी तरह के कुछ शब्द उन्होंने कहे थे मेरे लिए उलझन पूर्ण होगा।

अब घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। अब हमें केवल अफगानिस्तान में ही इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बल्कि मध्य एशिया गणतंत्रों के समूचे क्षेत्र में भी हमारी स्थिति यही है क्योंकि हममें समय के साथ चलने की क्षमता नहीं है। परिणामस्वरूप, भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरे की संभावना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया है?

इसी प्रकार विभिन्न देशों में हमारे राजनयिकों को वहां से बाहर ले जाने ओर उनकी पिटाई करने की बात भी आम हो गई है। हमें ज्ञात हुआ है कि ईरान की सरकार ने तेहरान स्थित भारतीय राजनयिकों के अपहरण अथवा उन्हें गिरफ्तार करने अथवा उन्हें कहीं ले जाने की योजना थी। हम भारत सरकार से यह जानना चाहते हैं कि तेहरान में कार्यरत भारतीय राजनयिकों को ईरान द्वारा पूछताछ के लिए बाहर ले जाने संबंधी घटना के पीछे तथ्य क्या है?

महोदय, हमारे सशस्त्र-बलों और उनके मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की स्थिति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं रक्षा-मंत्री महोदय के इस विचार से सहमत हूं कि रक्षा मंत्रालय उन मंत्रालयों में से एक है जिसकी बड़ी सरलता से अनदेखी की जाती है। मंत्रालय अपने आप चलता है क्योंकि तीनों सशस्त्र सेनाएं और डी॰आर॰डी॰ओ॰ स्वनियमित संगठन हैं। लेकिन मैं इस सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जब रक्षा-मंत्री महोदय भारतीय वायु सेना से मानार्थ, विंग्ज स्वीकार करते हैं, तो यह औचित्य का घोर उल्लंघन है। क्योंकि किसी के मंत्री होने अथवा नहीं होने के कारण 'विंग्ज' प्रदत्त नहीं किये जाते हैं। मैं कोई सामान्य मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि यह सशस्त्र सेनाओं की वर्तमान स्थिति का द्योतक है। तीनों सेनाओं की रक्षा-तत्परता अथवा मुकाबला करने की तैयारी की दशा के बारे में सिद्धान्ततः दो आधारों पर मुझे परेशानी है। इनमें से एक है मनोबल और दूसरे साजो-सामान की स्थिति। मैंने 'विंग्ज' का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि यह मनोबल के प्रश्न पर प्रकाश डालता है और मुझे विश्वास है कि रक्षा-मंत्री महोदय मेरे कहने का तात्पर्य समझते हैं। सशस्त्र बलों के मनोबल के प्रश्न पर ही मुझे यह भी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों के पद विवादग्रस्त हो गये हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को पहली बार इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि रक्षा मंत्रालय के शीर्षस्थ अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध और अधिकाधिक अपीलें दायर की जा

रही हैं न्यायालयों में अधिकतम केस दायर किये जा रहे हैं और अधिक कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। आप इस बारे में इस सभा में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं, यह कोई बहस करने वाला मुद्दा नहीं है। यह सरकार को ही उद्घाटित करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सशस्त्र सेनाओं की शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में कहां खराबी आ गई है? जब तक आप इन रनों पर विचार करके इनका समाधान नहीं निकालते तब तक आप हमारे विश्वास के पात्र नहीं हो सकते हैं।

भारतीय थल सेना अथवा भारतीय सशस्त्र बलों की महान् शक्ति इसके अधिकारियों और जवानों के बीच मधुर संबंध हुआ करते थे। मैं अत्यन्त नम्रता और चिन्तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अब संबंध वैसे नहीं हैं। अतः सरकार को अत्यंत गम्भीरता से हमारी सशस्त्र सेनाओं के मनोबल की दशा और मुकाबला करने की तैयारी तथा साथ ही, सोवियत-संघ के भंग होने और इसके फलस्वरूप हमारी सशस्त्र-सेनाओं की शस्त्रों की आपूर्ति में आने वाली स्पष्ट बाधाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहियें। लेकिन इस स्थिति का एक और पहलू है, जिसके बारे में सरकार को जांच-पड़ताल करनी चाहिए और मुझे आशा है कि वे हमारे साथ अपने विचारों का विनिमय करेंगे। सोवियत-संघ के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं लेकिन दूसरों के लिए वे खुले हैं। इससे भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? दूसरे, शस्त्र आपूर्ति करने वाले पांच राष्ट्रों ने कम-से-कम सिद्धान्त रूप से, भले ही व्यवहार में सही इसके लिए सहमत हो गए हैं कि वे शस्त्रों के हस्तांतरण का रजिस्टर रखेंगे। क्या सरकार हमें सूचित करेगी कि मुकाबला करने की कारगरता और भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारी के बारे में उससे क्या प्रभाव पड़ा है?

तीसरे, अब अफगानिस्तान में साजों-सामान और शस्त्रों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। अफगानिस्तान में आशांति है। भारत की सुरक्षा पर उसका क्या असर पड़ेगा?

चौथे, अब ईरान केवल प्रौद्योगिकी ही नहीं, बल्कि हथियारों एवं मानव-शक्ति का भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी हमारे साथ अपने दृष्टिकोण की चर्चा करे। हमने पाकिस्तान को परमाणु शस्त्र सज्जित देश माना है। जब तक सरकार पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र सज्जित देश होने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं करती, तब तक हम आसानी से उन पर अपना विश्वास कैसे कायम कर सकते हैं।

महोदय, मैं दो या तीन मिनट और लूंगा। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं देश के तंत्र के योजनाबद्ध दुष्क्रियाओं और संकटपूर्णता के बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता आपके साथ बांटना चाहूंगा।

4.00 म०प०

वर्षों से हम प्रत्येक नये अपराध के लिए नये कानून बनाते आ रहे हैं और प्रत्येक अतिरिक्त अपराधी के लिए एक नये पुलिस बल की स्थापना करते आ रहे हैं। इन बलों ने अब पूर्णतयाः निष्क्रीयता ला दी है क्योंकि ये पूर्णतयाः गैर-जिम्मेदार हो गये हैं। हमारे गणतंत्र को दो अति-गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है—भारत की पुलिस की दशा और भारतीय जांच एजेंसियों की अवस्था। इन दो बातों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन महोदय मेरा निवेदन है कि पुलिस और जांच एजेंसियों की गैर-जिम्मेदार स्वायत्तता और इन दोनों के मेल ने हमारे गणतंत्र के लिए एक गम्भीर कठिनाई और विकट-समस्या खड़ी कर दी है। मैं स्वीकार करता हूं कि आपने इस समस्या को पैदा नहीं किया है, आपको ये विरासत में मिली है। लेकिन, मेरे दिमाग में यह बात स्पष्ट नहीं हुई है कि आपने इसे सही करने अथवा इसका निराकरण करने के लिए उचित योजना बनाई है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की संसदीय-बहस की कुछ अपनी सीमाएं हैं। समय की ऐसी सीमाएं हैं कि इस प्रकार की बहस केवल सांकेतिक हो सकती है और इसमें सब कुछ शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः मैं

[श्री जसवंत सिंह]

इस सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जहां नकल करना और प्रश्न पत्रों का पहले पता लग जाना हर-तरफ व्याप्त है; अथवा जनसंख्या-नियंत्रण, जहां चुप्पी-साध लेना ही नीति माना जाता है; अथवा ऊर्जा, ईंधन, यातायात और दूर-संचार जैसे अत्यावश्यक क्षेत्र, जो कि हमारे भावी विकास के संबल हैं, के बारे में कमियों पर विस्तार में नहीं बोल पाया हूं। इन क्षेत्रों में विफलता भविष्य में सामने आयेगी।

मैं पर्याप्त रूप से सहमत नहीं हुआ हूं कि इस सरकार ने अर्थपूर्ण ढंग से कार्य किया है। मैं यह प्रस्ताव पेश करने को इसलिए राजी हुआ हूं क्योंकि मैं मानता हूं— मैं आरम्भ करता हूं कि यह सच न हो लेकिन मैं मानता हूं कि यह विपत्ति राष्ट्र के सिर पर ही नहीं आ खड़ी हुई है बल्कि उसका प्रवेश आरम्भ भी हो चुका है। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए पेश किया है। क्योंकि मैं मंत्री परिषद के सीमित दृष्टिकोण और उसकी संकुचित जागरूकता के प्रति चिंतित हूं। वर्तमान उच्च नैतिक और अध्यात्मिक मुद्दों पर बेलगाम अपारदर्शिता को देखते हुए मेरे सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि मैं यह प्रस्ताव रखूं कि यह सभा मंत्री-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करती है ....(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था के प्रश्न जैसा है। मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए कितने मिनट का समय अब बकाया रह गया है?

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय मुझे करना है। आपको इसके बारे में चिन्ता नहीं करनी है।

....(व्यवधान)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): माननीय अध्यक्ष, हम सबने माननीय सदस्य का एक बहुत आकर्षक भाषण सुना जो कि विषयवस्तु के मुकाबले वक्तृता की दृष्टि से अधिक आकर्षक है। परन्तु मैं श्री जसवंत सिंह को बधाई दूंगा कि एक चुराये हुए लेख के आधार पर मैं नहीं जानता कि उनको वह कैसे मिला — वह आज भारत में हो रही घटनाओं की एक बहुत भीषण तस्वीर पेश करने की चेष्टा कर रहे है इसके साथ ही, उन्होंने प्रधान मंत्री पर यह व्यंगपूर्ण आक्षेप करना ठीक समझा कि उन्होंने यह कैसे कह दिया कि वह सब कुछ पीछे छूट गया है और वह अब कुछ बेहतरी की आशा करते हैं। श्री जसवंत सिंह ने व्यंग की यही एक बात नहीं कही। जो भी व्यक्ति इतिहास के इस मोड़ पर भारत के प्रधान मंत्री का पद पर संभालेगा, उस पर व्यंग्य किये जायेंगे। उसका उपहास भी होगा। उसकी हंसी उड़ाई जाऐगी। परंतु मुझे विश्वास है कि इतिहास इस समय यह फैसला भी करेगा कि प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव ने केवल उसका सामना ही नहीं किया परंतु इस सबको विगत की चीज भी बना दिया और भविष्य यह दिखाएगा। श्री जसवंत सिंह जी .....(व्यवधान)....

महोदय, मैं अपने सभी दोस्तों से चुप रहने के लिए कहूंगा क्योंकि धैर्य विरोधी दल का गुण नहीं है। हमारे अंदर अपने खिलाफ कही गयी बातों को सुनने की नम्रता और साहस है, और श्री चटर्जी, जहां कहीं हमसे गलती हुई है, हमें उसे मानने में कोई संकोच नहीं है। स्पष्टवादिता एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में होनी चाहिए, स्पष्टवादिता की कमी से लोकतंत्र की क्षति होती है, सरकार की नहीं।

अध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंह जी जैसी वाग्विदग्धता मुझ में नहीं है, एक के बाद एक इल्जाम लगाने का ज्ञान भी मुझे निश्चित रूप से नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि श्री जसवंत सिंह जी ने, बुरे मामले को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का जोरदार प्रयास किया है। और इसकी वजह यह है कि मैंने उनके सारे भाषण में बहुत ध्यान से सुनने पर एक ही बात का बार-बार उल्लेख पाया है कि हम एक साल तक चुप रहे। अब हमें

बोलना है, उन्होंने इसी बात का रोना रोया है कि प्रधान मंत्री ने अपनी पारी की शुरूआत 1991 के चुनावों के नतीज़े के आधार पर अवधारणा एवं अंकगणितीय की दृष्टि से एक कमज़ोर एवं पंगु व्यवस्था के साथ थी। शायद प्रधान मंत्री ने यह कहकर एक बहुत बड़ी गलती की कि आम सहमति वक्त की जरूरत है। अगर अवधारणा एवं राजनीतिक रूप से अंकगणितीय दृष्टि से कमजोर राज्य व्यवस्था को आम सहमति के उपचार की जरूरत थी तो इसमें उनकी गलती नहीं थी। मेरे विचार से, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वही वक्त की जरूरत थी। परंतु आपने किस प्रकार का व्यवहार किया?

आप चुप रहे—मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया—परंतु इस सदन ने और इस देश ने यह बहुत स्पष्ट रूप से समझा लिया है, फिर आपके चुप रहने और हमें एक साल की मौहलत देने के कोई भी कारण रहे हों लेकिन वह आपके कहने पर नहीं किया गया था। इस देश के व्यवस्था संचालन का यह मौका, हमें जनादेश से प्राप्त हुआ है। इसे पूर्ण बहुमत भले ही न मिला हो, परंतु जनादेश तो मिला ही है। हमारी नीतियों, पालिसी और कार्यक्रमों के मामले में जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस पार्टी उसके प्रति वचनबद्ध है। यह हमारा कर्त्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप हमारी राजनीतिक कार्य-सूची बनाऐंगे। अगर यह आप नहीं कर पाये, और एक साल के बाद अपनी सद्भावना वापस ले लेने के पश्चात् इसी बात का रोना है तो मैं तो नहीं कहूंगा कि अच्छा पीछा छूटा। परंतु यह भी स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि अपनी ओर से हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है और न ही हम भविष्य में राष्ट्रीय कार्य-सूची में सम्मिलित ऐसे मुद्दों पर आम सहमति के अपने रास्ते से विचलित होंगे, जिनसे हमारे राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है, जिनका की एक निश्चित दृष्टिकोण से, कोई संबंध नहीं है—परंतु जो कि इस गणतंत्र से संबंधित है—जिस के बारे में मैं श्री जसवंत सिंह जी को याद दिला दूं कि इस सम्मानित सदन से कुछ सौ फुट की दूरी पर, चौदह अगस्त की अर्ध रात्रि को पैदा हुआ था तथा जब पंड़ित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था "राष्ट्र की आत्मा जो बहुत लम्बे समय से दमित रही है, आज उसे वाणी मिल गयी है।"

हमें उसका भान है। महोदय, हम बहुत छोटे लोग हैं तथा उन महान व्यक्तियों जैसी जिम्मेदारियां उठाने की समार्थ्य हम में नहीं है परंतु हमें निश्चय ही उस विरासत पर गर्व है तथा वह महान विरासत हमारी पथप्रदर्शक शक्ति, हमारी ताकत है, शक्ति है और हम भरसक इस बात की कोशिश करेंगे कि इस विरासत को हम अपनी दूसरी पीढ़ी तक उससे अधिक समृद्ध रूप में पहुंचाये जिस रूप में हमने उसे प्राप्त किया था।

अब श्री जसवंत सिंह जी ने कतिपय विशिष्ट मुद्दे उठाये। मैं इस सदन को केवल यह याद दिलाना चाहूंगा कि शायद एक मिनट के लिए उन हालात पर गौर करना उचित होगा जिनमें यह सरकार बनी थी। यह राज्य व्यवस्था केवल अवधारणा के आधार पर गणितीय और राजनीतिक दृष्टि से ही पंगु नहीं है। जब मैं यह कहता हूं कि मैं किसी पर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी राज्य शासन व्यवस्था आर्थिक रूप से भी खण्डित थी। मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। स्थिति जो भी रही हो, लेकिन जब प्रधान मंत्री ने कार्यभार ग्रहण किया स्वभावतः उनका पहला कार्य इस देश का आर्थिक संतुलन कायम रखना था। शायद आप उनके द्वारा उठाये गए कदमों से सहमत न हों आप का सुझाव देने का दूसरा तरीका है। परंतु उस समय, सरकार द्वारा उठाये गये कदमों ने इस देश को एक बहुत ही भयंकर स्थिति से बचाया जिसका हमें उस समय सामना करना पड़ता, अगर हमने अपने अंर्तराष्ट्रीय भुगतान नहीं किये होते और अगर हमारी भी वही स्थिति होती जो कि उन कुछ देशों की हुई है, जिनके नेता उस संकट के समय साहस, विश्वास और दूरदृष्टि से काम नहीं ले सके। मैं जानता हूं कि आप विगत का विवेचन कर के ऐसी सैकड़ों बातों का उल्लेख कर सकते हैं जिनके बारे में गलती हुई। हममें से प्रत्येक को यह विशेषाधिकार है। मुद्दा यह है कि इसका किस तरह से उपयोग होता है। अगर इसका उपयोग इस इरादे से किया जाए कि राष्ट्र के लिए एक बहुत आसान रास्ता निकल जाए, भविष्य के लिए तो उसका प्रयोग यह उचित है। अगर इस विशेषाधिकार का

[श्री अर्जुन सिंह]

प्रयोग इस वजह से किया जा रहा है कि उससे लोगों को और ज्यादा दिग्भ्रमित किया जाए या उसका प्रयोग, मैं यह नहीं कहूंगा कि वित्तीय मामलों पर नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर विरोध करने या राज्य की शासन व्यवस्था के संकल्प को कमजोर करने के लिए किया जाये तो वह मेरे विचार से उस का उचित प्रयोग नहीं है। इसलिए जहां अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस पर बोलना श्री जसवंत सिंह जी का हक है, वहीं मुझे यकीन है कि वह रुक कर यह सोचेंगे कि उन्हें क्या कहना है, और उसका इस देश के संकल्प के ऊपर अंततः क्या असर होगा।

मैं जानता हूं कि कीमतें बढ़ रही हैं। आपने बहुत से आंकड़े उद्धृत किए हैं। मुझे यकीन है कि मेरे माननीय साथी श्री मनमोहन सिंह, जब वह बोलेंगे, आपको वे सब कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? वह आपको बताएंगे कि हम उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और वह आपको यह भी बताएंगे कि निसंदेह हम इस स्थिति पर विजय पा लेंगे।

मुझे ढम्मीद है कि माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि मैं इस सरकार के केवल नाममात्र के बचाव के लिए ही खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि इसलिए भी खड़ा हूं क्योंकि मेरे कुछ विश्वास हैं, और मैं यह देख रहा हूं कि यही वह सरकार है जो कि अंततः इस देश को उसकी विषम परिस्थितियों से बचा सकती है और किसी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कोई इलज़ाम नहीं लगा रहा हूं परंतु सच तो यह है कि किसी को तो इस देश को इस संकट से बचाना है, और मुझे यकीन है कि यह सरकार ही ऐसा करेगी।

श्री जसवंत सिंह ने प्रतिभूति घोटाले और बोफोर्स के बारे में भी कहा है जिसमें न्याय शास्त्र का सिद्धांत ही उलट दिया गया है। मैं वकील नहीं हूं हालांकि मैंने कानून पढ़ा था, परंतु मेरे अध्यापक ने कभी भी मुझे इस सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं बताया जिसको उत्क्रमित न्यायशास्त्र कहा गया है। वास्तव में यह नया न्यायशास्त्र ही व्यवहार में आ गया है, महोदय। जब श्री जसवंत सिंह ने इस शब्द का प्रयोग किया है तो ऐसा शब्द होता होगा।

अतः मैं चाहता हूं कि सदन तथ्यों पर विचार करे। जब प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि जांच द्वारा मामले की तह तक पहुंचा जायेगा, तो उनकी बात पर संशय करने का कोई कारण नहीं है इसके अतिरिक्त उन्होंने इस घोटाले का पता चलते ही तुरंत तथा कड़ी कार्यवाही की। अब, मेरे विचार से उन्होंने लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप, इस सदन से संयुक्त संसदीय समिति का उपयोग तथ्यों को उजागर करने के लिए करने का आग्रह किया है ताकि जो भी कार्यवाही यह सदन उचित समझे, सरकार उस पर अमल कर सके। मैं समझता हूं कि आप उन पर किसी को बचाने का प्रयत्न करने का आरोप नहीं लगा सकते।

श्री जसवंत सिंह जी ने चार बातें कहीं हैं। उन्होंने शासन तंत्र को चलाने के ढंग का उल्लेख किया है। शासन तंत्र प्रबन्धन के संबंध में उन्होंने कश्मीर, पंजाब तथा लिट्टे की समस्या से निपटने के सरकार के तरीके के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा उन्होंने हम पर दुविधा में होने तथा हमारी विदेश नीति पर जातियता हावी होने का आरोप लगाया है। मुझे विश्वास है कि जितनी विद्वत्ता तथा ज्ञान श्री जसवंत सिंह जी के पास है, उसके अनुसार उन्हें इतना तो पता ही होगा कि शासन प्रबन्धन का अर्थ इस बारे में एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाना नहीं हो सकता है क्योंकि इससे सारी वस्तुस्थिति को आप कभी भी उसकी समग्रता में नहीं देख सकते।

आपने कश्मीर का उदाहरण दिया है कि दो मंत्रियों ने अलग-अलग वक्तव्य दिये हैं। यह सत्य नहीं कि दोनों मंत्रियों ने अलग-अलग बात कही हो। दोनों ने ही सरकार की चिंता को व्यक्त किया है। जब स्वयं प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि इस देश की एक इंच भूमि भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दायरे से बाहर नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चुनाव करवाने की बात कहता है तो वह नीति के विरुद्ध बात नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति जो कि कानून व्यवस्था स्थापित करने, आतंकवादी विरोधी अभियान को वास्तव में जारी रखने के लिए जिम्मेदार है, इस संबंध में अपनी चिंता अभिव्यक्त करता है तो वह कोई नीति विरोधी कार्य नहीं कर रहा

है। राष्ट्र के समक्ष मुद्दों और समस्याओं में समन्वय स्थापित करना ही वास्तव में प्रबंध कला है। अगर आप इसे पाप या गलत समझते हैं तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं परंतु मेरे विचार में ऐसा ठीक नहीं है तथा यह सरकार अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हुए बिना तथा सारी स्थिति को इसकी समग्रता में सामने रखते हुए तथा यह मानकर कि मूलतः यह एक लोकतांत्रिक देश है तथा शासन चलाने का कार्य लोकतांत्रिक ताकतों को दिया जाना चाहिये, शासन व्यवस्था करती रहेगी। यही हमारा उद्देश्य है। इस प्रक्रिया को काफी उतार-चढ़ाव से होकर गुजरना होगा इस दुनिया में ऐसा होता ही है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने सुरक्षा को खतरे की बात की है। श्री जसवंत सिंह जी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आये हैं, मैं यह जानता हूं। उन्हें भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर सेवा करने का गौरव प्राप्त है, जिसका हमें गर्व है। हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु क्या आप किसी एक घटना के आधार पर सुरक्षा के खतरे की बात कह सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आप ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा विशेषकर विद्यमान संदर्भ में ऐसा विषय है जिसके दायरे में देश के भीतर होने वाली प्रत्येक घटना आ जाती है। तथा इसका देश के समक्ष बाहरी खतरे से क्या संबंध है? इसलिए जब ऐसा कह कर उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो शायद अनजाने में उनसे ऐसी बात कही गई जो कि वे पहले नहीं कह सके थे तथा यह बात उनके मन में खटक रही थी कि भारतीय गणराज्य के समक्ष यह खतरा बना हुआ है। बेशक आपके विचार से इसके लिए पुलिस तथा गैर जिम्मेदार आसूचना सेवाओं की स्वायत्ता जिम्मेदार है। मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह बात दोहराना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा केवल पुलिस तथा गैर जिम्मेदार आसूचना ऐजेंसियों तक ही सीमित नहीं है; हां, यह उसमें योगदान करने वाली एक बात हो सकती है परंतु मेरी वास्तविक शिकायत यह है जो कि मैं स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर इस देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न हुआ है, अगर देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कोई खतरा है तो इस खतरे का कारण सदन में इस ओर बैठे हुए लोग नहीं हैं बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं।

इस राष्ट्र के बारे में आप की क्या संकल्पना है? मानते हैं? यह राष्ट्र केवल किसी व्यक्ति विशेष, किसी आस्था विशेष वाले लोगों, किसी जाति फायदा वंश का नहीं है बल्कि सबका है तथा यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था की गयी है। इसलिए यदि कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे उसमें देश के राजनैतिक तंत्र को कितना ही खतरा क्यों न हो तो ऐसी स्थिति में हमें बैठकर यह विचार करना होगा कि वास्तव में देश के सुरक्षा वातावरण के लिए खतरा कौन उत्पन्न कर रहा है तथा राष्ट्र के सैद्धांतिक, राजनैतिक तथा सामाजिक ढांचे को तोड़ने में सहायता कौन कर रहा है। इसलिए, मैं श्री जसवंत सिंह तथा उनकी पार्टी से यह अपील करता हूं कि यही अवसर है कि वे इस पर विचार करें कि वे क्या करने जा रहे हैं। दी गई मौहलत वापस लेने के पश्चात् यही अवसर है जब कि आप का यह कर्त्तव्य है कि आप आग में घी डालें तथा उन खतरनाक प्रवृत्तियों को फिर से बढ़ावा दें जिसने सारे राष्ट्र को अपनी आग में लपेट लिया था।

जब तथा कथित अर्द्ध देव ने अपने रथ पर सवार हो कर सारे देश की यात्रा की तो उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे होने वाले रक्तपात में भारी पीड़ा भर दी थी। तथा उसके कान पूरी तरह सत्ता के उस सूर्यनाद से जुड़े हुए थे जिसे वे अपने दिल्ली पहुंचने पर सुनने की आशा लगाये बैठे थे। उनका ध्यान उन हज़ारों स्त्रियों और बच्चों के आर्तक्रन्दन से भी भंग नहीं हुआ जो कि उनके अग्नि रथ के गुजरने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गये थे.....(व्यवधान) यह संभव नहीं।.....(व्यवधान) जिस प्रकार की धर्मान्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आपको उसकी जानकारी है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): महाराष्ट्र में क्यों नहीं पकड़ा?.....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं कि किसने, किसको पकड़ा।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सब एक कड़वी सच्चाई है। परंतु मैं यह सोचता हूं कि किसी न किसी को तो यह कड़वा सच बोलना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा परंतु विनम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह सब खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर यह सांप्रदायिक हिंसा देश में फैल गई तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या आप चारों तरफ के वातावरण के प्रति जागरूक हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की चर्चा कर रहा हूं। देश में चारों तरफ हम धर्मान्ध ताकतों का उत्कर्ष देख रहे हैं। देश में कट्टरवाद की आग को भड़काकर आप देश को उन कट्टरवादी ताकतों के साथ संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। अथवा क्या आप इस देश के लोगों के संकल्प को कमजोर करना चाहेंगे क्योंकि अगर सांप्रदायिकता उनको जकड़े रखेगी तो वे कट्टरवादी ताकतों से संघर्ष कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सारे देश को तैयार करना होगा, लोगों के दिल और दिमाग को तैयार करना होगा। आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री परस्पर विरोधी शक्तियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।....(व्यवधान)। कुछ मुद्दों की वजह से जो सामाजिक असामन्जस्य उन्हें विरासत में मिला उसे वे प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की सहायता से समाप्त करने में सफल रहे तथा आरक्षण नीति के संबंध में उन्होंने अधिक से अधिक सहमति तथा समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात का भरसक प्रयास किया कि बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जिसमें कि राष्ट्रीय सीमायें समाप्त हो रही हैं, जब कि एक उपमहाद्वीप के लोग दूसरे उपमहाद्वीप के लोगों की ओर मित्रता अथवा तोड़फोड़ के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वे भारत को इन सब बातों से मुक्त रखने में सफल रहे हैं। इस एक वर्ष में दिखावे के लिए चाहे हमने कुछ अधिक नहीं किया, परंतु देश की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में एक मौन संकल्प बरकरार रहा।

इसलिए मेरी आपसे यह विनती है तथा आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों की भावनाओं अथवा संस्थाओं के साथ खिलवाड़ के लिए यह उचित अवसर नहीं है। यह उन्हें शक्तिशाली बनाने का समय है। यह समय अपनी निष्ठा और विश्वास को और मज़बूत करने का है।

कुछ पीढ़ियों को अपनी निष्ठा का प्रमाण अपने कर्म से देना पड़ता है, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा निश्चय और विश्वास राजनीति, दलगत राजनीति पर आधारित अथवा क्षणिक नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह राष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश की राजनैतिक एकता बनी रहे, जो सामाजिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उसका मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके के अनुसार किया जाये, तथा हर हालात में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के कमजोर गरीब, तथा पिछड़े हुए वर्गों को उनका हक तुरंत तथा निश्चित रूप से मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ताकतें जो कि लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा सौहार्दपूर्ण शक्तियों के रास्ते में रूकावटें और अड़चनें डालना चाहती हैं, वे किसी भी हालात में सफल न हों।

मेरे पास जितनी अंतर्दृष्टि है उसके आधार पर मैं इस सदन को इस संबंध में सावधान करना चाहता हूं तथा यह निवेदन करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, वह कभी भी न हो।

मैं देख रहा हूं कि फासिस्टवाद की लम्बी छाया इस देश पर मंडरा रही है, तथा हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस छाया को वास्तविकता का रूप न लेने दें। इस संबंध में इस सदन को प्रधान मंत्री महोदय का साथ

देना होगा ताकि हमारी भावी पीढ़ियां यह कह सके कि इस समय जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस छाया को सच्चाई बनने से रोक दिया। डाइलन थॉमस के शब्दों में यह एक दूसरे का विरोध करने का समय नहीं है और कम से कम उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इस देश की धर्मनिपेक्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए यह समय एकजुट होने का है ताकि हम ऐसी स्थिति का विरोध कर सकें और इसके सामने झुके नहीं। मुझे विश्वास है कि श्री नरसिंह राव जी के कुशल नेतृत्व में अच्छी परिस्थितियां आएंगी, जिनकी श्री जसवंत सिंह जी को कोई आशा नहीं है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम देखेंगे कि ऐसी स्थितियां फिर से पैदा न हों।

मैं चाहता हूं कि यह सभा न केवल उसे परिलक्षित करे जो हम कर चुके हैं बल्कि उसे भी परिलक्षित करे जो कार्य करने की आवश्यकता है, और इसके लिए सबको इकट्ठा होना होगा तथा जो देश को विभाजित करना चाहते हैं उन्हें रोका जाए। समय की यही मांग है। भविष्य भी हमसे यही चाहता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरी यह मान्यता है कि इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अभी हमको इस बात का सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन सिंह जी को क्यों बुलाया गया। हमारे बीच में सत्ता पक्ष के एक से एक धुरन्धर लोग हैं, जो जसवन्त सिंह जी के प्रश्नों का जवाब दे सकते थे लेकिन अर्जुन सिंह जी को ही क्यों बुलाया गया और श्री अर्जुन सिंह जी ने जरूरत से ज्यादा प्रधान मंत्री की तारीफ क्यों कर दी?

श्री अर्जुन सिंह: मैं आपकी तारीफ करूं, सवाल ही नहीं उठता है।

श्री रामविलास पासवान: इसलिए यह साबित करता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। यह सरकार एक साल तक टिकी, हम सरकार गिरा पाऐंगे, नहीं गिरा पाऐंगे, यह अलग बात है लेकिन इस सरकार से इस देश का मोहभंग हो गया है, क्योंकि, आपने महंगाई के ऊपर रोक नहीं लगाई, देश की जनता कुछ दिन के लिए क्षमा कर सकती थी, आपने बेरोजगारी के बढ़ने पर रोक नहीं लगाई, देश की जनता आपको कुछ दिन के लिए और माफ कर सकती थी, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक नहीं लगाई, देश की जनता कुछ दिन तक आपको माफ कर सकती थी। पंजाब की समस्या सुलझाने में आप असफल रहे, देश की जनता आपको कुछ दिन तक माफ कर सकती थी, आप दलितों की रक्षा करने में विफल रहे, पूर्णतया विफल रहे, इसके लिए भी देश की जनता आपको कुछ समय दे सकती थी। अल्पसंख्यकों की, माइनोरिटी की रक्षा करने में आप विफल रहे, आप मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने में विफल रहे, आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया लेकिन सबसे बड़ा जो जुर्म आपने किया है, वह संविधान की रक्षा करने में पूर्णतया अपने को असफल साबित किया है और आपने संविधान की धज्जियां उड़ायी हैं, आप संविधान की रक्षा नहीं कर पाये हैं इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

आपने एक-एक बात कही, मैं सोच रहा था कि जसवन्त सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया, हालांकि उन्होंने एक पक्ष मुद्दे का उठाया, जो आर्थिक सवाल था, जिसको इन्होंने रखने का काम किया लेकिन आज मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अर्जुन सिंह जी बोले और एक शब्द भी सामाजिक न्याय के संबंध में आपके मुंह से नहीं निकला एक शब्द भी नहीं कहा।.....**(व्यवधान)**.....

श्री अर्जुन सिंह: आपने सुना नहीं। मैंने सामाजिक न्याय की बात भी कही।.....**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: आपने धर्म-निरपेक्षता की दुहाई दी। मैं किसी और बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं

[श्री रामविलास पासवान]

महंगाई से शुरू करता हूं। आपने कहा, मेरी मोनोपॉली नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरी मोनोपॉली नहीं है। जब आपकी मोनोपॉली थी, तो क्यों आपकी मोनोपॉली खत्म हो गई और कभी इस बारे में आपने सोचने का काम किया है? दलितों की आपकी मोनोपॉली थी, तो आपकी मोनोपॉली क्यों खत्म हो गई।

मैं महंगाई से शुरू करना चाहता हूं। आप अपना मैनीफैस्टो तो कभी पढ़ते नहीं हैं, हम लोगों को ही आपकी मैनीफैस्टो पढ़ना पड़ता है। आपने कीमतों के संबंध में कहा है कि सौ दिनों में मंहगाई को घटायेंगे। घटायेंगे ही नहीं, जुलाई, 1990 के दामों पर वापिस लाने के लिए दृढ़-संकल्प हैं। अर्जुन सिंह जी, हम लोग जुलाई, 1992 में चल रहे हैं, आप महंगाई के बारे में भी तुलना कर सकते हैं। आप जुलाई, 1990 की बात छोड़ दीजिए, जुलाई, 1991 भी जा चुका है—क्या आपने अपना वायदा पूरा किया? महंगाई के बारे में परसों के टाइम्स-आफ-इंडिया के अखबार को पढ़िए, उसमें लिखा है जिस तरह से मंहगाई बढ़ रही है, अगले एक साल में जितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वे तो हैं ही दो करोड़ लोग और गरीबी की रेखा से नीचे चले जायेंगे। यह आपकी महंगाई का आलम है।

बेरोज़गारी के बारे में सरकार द्वारा दिए गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है—1990 में जो लोग बेरोज़गार थे, जिनके नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज थे, उनकी संख्या 3.4631 करोड़ हैं। मैं सरकार द्वारा दिए गए जवाब को ही पढ़ रहा हूं। 1991 में 3.6299 करोड़ पर संख्या पहुंच गई—यानि यह संख्या 3 करोड़ 46 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 62 लाख हो गई। आपने रोज़गार के संबंध में कहा था कि कांग्रेस प्रतिवर्ष एक करोड़ नए रोजगार के अवसर देगी।.....(**व्यवधान**)...,इस शताब्दी के अंत तक दस करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, महंगाई बढ़ रही है बेरोज़गारी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार के बारे में हमारे साथी ने कहा, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात अच्छी है कि नरसिंह राव जी कभी नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार अंर्तराष्ट्रीय फिनोमिना है, लेकिन भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहां कहीं भी जाइए—भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अभी जसवंत सिंह जी ने एक-एक मिनिस्ट्री का नाम ले-लेकर उनकी स्थिति को बतलाने का काम किया है। सोलंकी जी के संबंध में कहा गया तो सोलंकी जी को बली-का-बकरा बनाया गया है। मैंने शुरू से कहा है और वे सज्जन आदमी कभी एक शब्द नहीं बोल पाए। लेकिन सोंलकी जी का यह बयान कि जिस दिन मैं मुंह खोल दूंगा, भूकम्प आ जाएगा, क्या इस बात से साबित नहीं हो रहा है। एक मंत्री गए और तीन-चार मंत्री के जाने की रयुमर हो रही है और कितने मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। यह भी कहा गया कि रोज़ एक मंत्री बेरोज़गार होंगे। सोलंकी जी चिट्ठी देते हैं, एक विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री को चिट्ठी देता है। वह चिट्ठी किसने दिया, इतना तो मालूम है कि वह वकील था, लेकिन उसका चेहरा मालूम नहीं है, फेसलैस था.....(**व्यवधान**) .... हमारे साथी कह रहे हैं कि उनको कैसे मालूम हो गया कि वकील था। उनका चेहरा मालूम नहीं है, उनका ड्रैस मालूम नहीं है और कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़े और वह कोई विदेश का वकील नहीं था। आपके देश का वकील, सारा का सारा आपका प्रशासन तंत्र, शासन तंत्र आपके जिम्मे में है और अभी तक आप उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कौन है।

आर्थिक नीति का सवाल, बोफोर्स का सवाल, बोफोर्स तो एक ऐसा तोप है कि आपने बहुत गाली देने का काम किया था कि बोफोर्स में कोई गोली ही नहीं है लेकिन बोफोर्स के पास में ऐसा गोली है कि बिना चलाए चलता रहता है। 6 महीने चलता है और फिर साफ हो जाता है तो बोफोर्स का मामला अपने स्थान पर है। अभी विस्तार से हमारे साथी ने बताया बैंक स्केम का मामला, बैंक करप्शन का। अभी मैं देख रहा था कल दूसरे सदन में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने सब को क्लिन चिट दे दिया। इन्होंने कहा कि उसमें रिजर्व बैंक का हाथ नहीं है, उसमें भारतीय स्टेट बैंक का हाथ नहीं है, आय कर विभाग का हाथ नहीं है, सब निर्दोष हैं, सब निर्दोष हैं, तो दोषी कौन है? आप हैं। कौन इसके लिए दोषी है, कौन इसके लिए

जिम्मेदार है। अध्यक्ष जी, भारत सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी और क्या यह बात सही नहीं है कि हम लोगों ने अपने समय में जिस-जिस बैंक के चेयरमैन को हटाने का काम किया था, उनको लाने का काम किया गया था इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता यदि नाम कहें....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं-नहीं।

श्री रामविलास पासवान: मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि यू टी आई के चेयरमैन को नेशनल हाउसिंग बैंक का चेयरमैन बनाया गया, क्या यह बात सही नहीं है कि बैंक आफ सौराष्ट्र ने चेयरमैन को यूको बैंक का चेयरमैन बनाया गया और क्या यह बात सही नहीं है जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो यह नेशनल हाउसिंग बैंक है और यूको बैंक है, दोनों मिलाकर के 1271 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। 70 परसेंट सिक्योरिटी का घोटाला, एक साल में 170 परसेंट से ज्यादा फोरेन बैंक ने किया है और यह बैंक किस के जिम्मे है, रिजर्व बैंक के जिम्मे नहीं है, क्या इसके लिए* जिम्मेदार नहीं है?*.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नाम रहने दीजिए।

श्री रामविलास पासवान: छोड़ दें, आप कहते हैं तो छोड़ दिया। अध्यक्ष जी, उसी तरीके से दूसरा सवाल है अभी हमारे साथी ने कहा पंजाब की समस्या के संबंध में सवेरे हमारे साथी जगमीत सिंह जी बोल रहे थे। आज पंजाब की समस्या हो या देश की कहीं भी समस्या हो, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस देश में कानून-व्यवस्था का राज चलेगा या जंगल का राज चलेगा। मैं इसका स्वयं शिकार हूं दो बार दो प्रधान मंत्रियों की हत्या हुई, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था और दोनों बार मेरे घर को जलाया गया। मैं 1984 में 12 जनपथ में था और एक नवम्बर, 1984 को मेरा घर जलाया गया, स्वाहा कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी आज नहीं हैं हम लोग जिस तरीके से बचे थे वह हम लोग ही जानते हैं। हमने एफ आई आर दर्ज किया था लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज के प्रधान मंत्री उस समय देश के गृह मंत्री थे। अभी राजीव गांधी की हत्या के बाद मेरा घर जलाया गया, कहीं मेरा कोई नाम नहीं, कुछ नहीं लेकिन मेरा घर जलाया गया। किस ने घर जलाया, किस के खिलाफ में क्या कार्यवाही हो रही है, इसका आज तक हमको पता नहीं। एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में यदि ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ में क्या होगा।

कानून-व्यवस्था की हालत आज यह है कि हमारे एक तरफ उग्रवादी हैं, एक तरफ उग्रवादी कहते हैं और दूसरी तरफ में उग्रवाद को नया-नया पैदा किया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी, सिक्खों को मारने की घटना घटी थी पीलीभीत में तो हम लोगों ने यह मामला उठाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है उसको तो हम समझ सकते हैं लेकिन भारत की सरकार क्या कहती है यह बात हमारी समझ में कभी नहीं आती है। आपने स्वर में स्वर मिला दिया कि वह भी एक्स्ट्रीमिस्ट थे, जो पूजा करने के लिए गए वह हो गए एक्स्ट्रीमिस्ट और यदि वह एक्स्ट्रीमिस्ट थे तो कोर्ट ने पचास हजार रुपये का उनको क्यों मुआवजा दिया? क्या एक्स्ट्रीमिस्ट को कोर्ट कभी मुआवजा देता है? अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे अर्जुन सिंह जी कह रहे थे, बड़े सामाजिक न्याय की, धर्म-निरपेक्षता की बात कह रहे थे। धर्मनिरपेक्षता की बात कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मसले पर, बजरंग दल का क्या स्टैंड है यह भी समझ सकता हूं, लेकिन आपका क्या स्टैंड है, आपने कभी अपना स्टैंड नहीं बतलाया। यहां पर तमाम लोग थे, मैं 1977 में नया नया चुन कर आया था, अटल जी और आडवाणी जी दोनों मंत्री थे, एक विदेश मंत्री थे और दूसरे सूचना और प्रसारण मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, उस समय इन्होंने कभी राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं उठाया, कभी जिक्र ही नहीं किया,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम विलास पासवान]

पिछली बार क्यों जिक्र कर दिया, हमारे साथ जब थे, इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि आपने शिलान्यास करवा दिया, ताला खुलवा दिया, इसलिए जिक्र कर दिया। (व्यवधान)

आज आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। (व्यवधान)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस दिन जो इन्कार किया, अटल जी ने कहा, मैं समझ रहा था कि कोई जवाब देंगे अटल जी ने जो प्रश्न पूछा था कि फैजाबाद में राम के नाम पर वोट मांगने का काम क्यों शुरू किया था। आज जो घटना घटी है, उस घटना के लिए हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जिसके ऊपर सवारी कर रहे हो, वे ही किसी दिन आपको इरेलिवेंट साबित कर देंगे। (व्यवधान)

हम यह बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको देश की चिंता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि हम लोग उस दिन प्रधान मंत्री जी के यहां गए थे। मैंने प्रधान मंत्री जी से पूछा कि क्या एक महीना पहले कोई साधु आपसे मिलने आए थे, क्या उस साधु ने कहा था कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, आपने उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया, क्यों यह अखबार में आया कि प्रधान मंत्री जी पोजिटिव मूड में थे और प्रधान मंत्री जी ने उनको प्रोत्साहन दिया। मैंने पूछा कि आपने उस साधु को क्या कहा था, प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैंने उसको कहा "डू योर ड्यूटी"। फिर बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डू योर ड्यूटी से मेरा मतलब यह नहीं था कि पोलीटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाए। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि डू योर ड्यूटी, इसलिए अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि आज अर्जुन सिंह जी जो बहुत जोर से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन यह स्वर लगता है कि गले से ऊपर तक ही है। मंडल कमीशन के बारे में धोखा दिया है दक्षिण भारत में तो आपने कह दिया कि मण्डल कमीशन दे दिया है, 70 परसेंट रिजर्वेशन दे दिया है, ये लोग 27 परसेंट की ही मांग कर रहे हैं, तमिलनाडु में 70 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया है, कर्नाटक में 68 प्रतिशत कर दिया है, ये लोग 27 परसेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि हम लोग जो 27 परसेंट की मांग कर रहे हैं वह भारत सरकार के लिए कर रहे हैं और वहां पर जो लागू हुआ है वह केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन उत्तर भारत में जब आपने खुलकर इसका विरोध किया तो वहां आपका सफाया हो गया। अब आपको डर लगा हुआ है कि यह हिन्दू वोट कैसे कब्जे में किया जाए। आपके यहां क्लीयर कट दो लाइन पर लोग चल रहे हैं, सेंट्रल हाल में भी यही होता है, एक तरफ हिन्दूवाद का समर्थन किया जाता है और दूसरी तरफ सेकुलरिजम की बात की जाती है। यह आपकी पार्टी की नहीं, किसी व्यक्ति की लाइन हो सकती है, आज अर्जुन सिंह जी सेकुलरिजम की वकालत कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो उसी दिन एक्शन ले लेते जिस दिन वहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक एक्शन नहीं लिया गया।

आपने क्या कहा था, 8 तारीख को इस पार्लियामेंट में हमारे साथी बहुत गुस्से में थे जब कुम्हेर का मामला उठाया जा रहा था, हमारे साथी कह रहे थे कि अयोध्या का मामला क्यों नहीं उठाते हो, मगर हम लोगों ने कहा कि कल यह मामला आएगा, कल उठाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कल वहां कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेंबर आफ पार्लियामेंट को मालूम है कि 9 तारीख को वहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, संविधान टूटने वाला है, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने वाला है और आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। हमने 9 तारीख को मामला उठाया, जब भी मामला उठाया, तब आपने सीसीपीए—सीसीपीए की बात कही। अध्यक्ष जी, अलग परेशान, हम लोग अलग परेशान। उधर इनका सी॰सी॰पी॰ए॰ चल रहा था और रोज हम लोग लैफ्ट फ्रन्ट और नैशनल फ्रन्ट की बैठक करते थे। हमारा सी॰सी॰पी॰ए॰ अलग चलता था, अध्यक्ष जी का सी॰सी॰पी॰ए॰ अलग चलता था।

श्री अर्जुन सिंह: इधर सी०सी०पी०ए० चलता था, उधर पी०पी०सी०ए० चलता था।

श्री राम विलास पासवान: नतीजा क्या हुआ? आपने इसी सदन में कहा वृहस्पतिवार को कहा कि सी०सी०पी०ए० की बैठक 6 बजे होगी हम यहां आकर बतायेंगे। शुक्रवार को पार्लियामेंट हाउस नहीं चला। आप चाहते थे कि टेक्नीकल ग्राउन्ड पर किसी तरीके से कुछ हमें मौका मिले कि हम सारा का सारा दायित्व फैंक दें दूसरे के माथे पर, कोर्ट के मामले में आड़ लेकर हम अपनी जान बचा लें। आपके मंत्रिमण्डल के एक साथी ने कहा कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोग सिद्धान्त को पहले रखते थे, कुर्सी को बाद में रखते थे, लेकिन हम कुर्सी को पहले रखते हैं सिद्धान्त को बाद में रखते हैं। कुर्सी हमारी सलामत रहे, सिद्धान्त चाहे जाए।....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: मैं पासवान जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो अभी आपने कहा वह इस शताब्दी का क्या है, मैं कह नहीं सकता।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन आप जानते है। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था इतना बड़ा गम्भीर मामला है फिर शनिवार, रविवार बीत गया, सोमवार को आए, आज तक क्या आपकी नीति बनी है। अभी तक कोई आपने नीति बनायी है क्या? होम मिनिस्टर साहब गए। मैं पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर पहले क्यों नहीं गए? होम मिनिस्टर का बनाया हुआ डैलीगेशन था एस०आर० बोम्मई साहब वाला, उनके साथ ये क्यों नहीं गए। पहले ये क्यों नहीं गए? वहां से आने के बाद इन्होंने कहा यह मेरा ओपीनियन है कि कंसट्रक्शन शुरू हो गयी है, कानून का वायलेशन हुआ है। आपने माना कि कानून का वायलेशन हुआ है, संविधान का वायलेशन हुआ है। तीन चीजें हैं—न्याय-पालिका, कार्य-पालिका और विधायिका। हमारे किसी साथी ने ठीक कहा कि न्याय-पालिका के पास तोप और बन्दूक नहीं है, न्याय-पालिका का जो आदेश होता है उसको विधायिका को लागू करवाना होता है। न्याय-पालिका ने आदेश दिया क्या आपने लागू करवाने का काम किया? नहीं, आपने लागू करवाने का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरी समझ से मन्दिर का मामला नहीं है। आप मन्दिर बचाने के लिए नहीं जा रहे हो, हम मस्जिद बचाने के लिए नहीं जा रहे हैं, मामला न मन्दिर का है और न ही मस्जिद का है, मामला कोर्ट का है, संविधान का है। वहां निर्माण कार्य जो चल रहा है वह निर्माण कार्य मन्दिर बनाने के लिए नहीं, मस्जिद को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संविधान को तोड़ने के लिए चल रहा है।

मैं आपका घोषणा-पत्र पढ़ रहा था। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में आपने घोषणा-पत्र में क्या कहा है। इन्होंने इसके संबंध में कहा है कि कांग्रेस मस्जिद को गिराए बिना मन्दिर के निर्माण के पक्ष में है। वही तो हो रहा है। ...(व्यवधान) यह है आपका 1991 का मैनीफैस्टो....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: पासवान जी, आपने कांग्रेस के मैनीफैस्टो का अध्ययन बहुत किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस का सदैव स्टैंड रहा है कि हम भगवान राम के मन्दिर को बनाने के खिलाफ नहीं हैं, परन्तु कभी भी मस्जिद को गिराकर उस स्थान पर मन्दिर नहीं बनना चाहिए। आपको भ्रम है तो आप सुन लीजिए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, जो बात आप कह रहे हैं वह तो मैं कहता हूं कि दोनों बराबर हैं इस मामले में—कांग्रेस और बी०जे०पी०। जो बात आप कह रहे हैं वही बात यहां से आडवाणी जी भी कह रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह: क्या आप मन्दिर नहीं बनाने देना चाहते। आप यह बताईये कि कहीं भी भगवान का मन्दिर न बने, यह आपकी मान्यता है। अगर ऐसी मान्यता है तो साफ-साफ कहिए। ....(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): हम मस्जिद को बचाकर उस जगह को छोड़कर मंदिर

[श्री गुलाम नबी आजाद]

बनाने के पक्ष में हैं। उस जगह जहां मस्जिद है उसको छोड़कर दूसरी जगह के पक्ष में हैं। आप यह बताएं कि मंदिर बनना चाहिए था नहीं। .....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: जहां शिलान्यास स्थान है तो क्या वहां आप मंदिर बनाने की इजाजत दे रहे है। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): श्री राम विलास जी ने एक बहुत सही सवाल उठाया है। वे कहते हैं कि जो आज अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं वही आडवाणी जी कह रहे हैं। आडवाणी जी कह रहे हैं कि तीन बरस तक हम मस्जिद को नहीं गिरायेंगे और उस मंदिर को बनाते रहेंगे। अगर यही कह रहे हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ...(व्यवधान) देखिए, दुनिया के बड़े काम चालाकी से नहीं होते और राष्ट्रीय निर्णय तिकड़म से नहीं हुआ करते। इसलिए, आप यह तय करें कि यदि आपका कहना सही है तो आडवाणी जी जो कह रहे हैं, वह सही है। मैं आडवाणी जी के कहने को सही इसलिए नहीं मानता ...(व्यवधान) आप कहते हैं कि आप हर जगह मंदिर बनाने के खिलाफ हो हर जगह का सवाल नहीं है, सवाल विवाद का है। जो विवाद बरसों से है और जिससे देश में उत्तेजना है। आडवाणी जी या विश्व हिन्दू परिषद के लोग कहते हैं कि हम मस्जिद को नहीं छुएंगे, हमको मंदिर बनाने दो। अंत में देखा जायेगा कि मस्जिद गिरायेंगे या नहीं ...(व्यवधान) मुझे श्री वी०पी० सिंह से कोई मतलब नहीं है। श्री वी०पी० सिंह आपसे कम कन्फयूज़ नहीं थे, वह बात अलग है। कन्फयूजन जितना श्री वी०पी० सिंह में था उतना आपमें है। आज श्री वी०पी० सिंह नहीं हैं बल्कि आज श्री नरसिंह राव जी हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी को अपना दिमाग साफ करना चाहिए, जो वह कह रहे हैं और वह भी आप कह रहे हैं या उससे अलग है। ...(व्यवधान)।

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): बहुत अच्छी बात सुनी। मैं सोच रहा था कि बाद में मुझे कल या परसों कहना पड़ेगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं इस पक्ष में हूं, कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि वहां राम मंदिर बने ...(व्यवधान) सुनिए, और बाबरी मस्जिद कभी भी न टूटे। दो-तीन साल के लिए नहीं ...(व्यवधान) हमारे मेनिफेस्टो का मतलब यही है। जहां का मतलब उस जगह नहीं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम जानना चाहते हैं कि वे देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं। ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, मैं चाहता हूं कि श्री अर्जुन सिंह अपनी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं श्री राम विलास पासवान जी का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का उद्धरण देकर के और इस अविश्वास प्रस्ताव की बहस के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को छेड़ दिया जिसका खुलासा कराने के लिए श्री चन्द्र शेखर जी ने सवाल पूछा और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अच्छा है मुझे मौका मिला है और मैं उसका खुलासा करता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को सत्ता पक्ष कभी न भूले कि शिलान्यास का स्थान इस कारण चुना गया क्योंकि जिस मंदिर की रचना करने की कल्पना विश्व हिन्दू परिषद ने की है वह सिंह द्वार शिलान्यास का स्थान है और सिंह द्वार से रचना आरंभ हो करके ...(व्यवधान) यह सारा विवाद राम मंदिर का नहीं है। यह विवाद का मुख्य मुद्दा है और देश के लोगों की यह धारणा है कि राम जन्म स्थान यह है इसीलिए यहां पर मंदिर बनना चाहिए। वह राम जन्म स्थान है ही नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं, इस विवाद के विषय का समय नहीं है ...(व्यवधान) लेकिन इसके आधार पर और वह सारी बहस शुरू हुई है इसी में से आपकी सरकार ने

राम जन्म स्थान को मानकर एक प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद् को शिलान्यास की अनुमति दी थी। ...(व्यवधान)... राजीव सरकार ने उस समय इसकी अनुमति दी जब मेरी जानकारी में वह अविवादास्पद नहीं था, वह स्थान भी विवादास्पद था, तो भी शिलान्यास की अनुमति दी। आज मुझे इस बात का खेद है कि आपका यह घोषणा पत्र होते हुए भी जिस समय वहां पर रचना हो रही है, निर्माण हो रहा है उस समय भी आप विरोध कर रहे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई बाधा पैदा कर रहे हैं। अध्यक्षजी, इस लड़ाई में इनके साथ लड़ाई न करें, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं...

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैं किसी के साथ नहीं लड़ रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इनको कहने का अधिकार है। चन्द्रशेखर जी अपनी दृष्टि से सही कहते हैं और मैं सार्वजनिक रूप से संसद में कहूंगा कि अगर किसी प्रधान मंत्री ने प्रमाणिकता से इस समस्या को हल करने की कोशिश की तो अकेले चन्द्रशेखर जी ने की और किसी ने नहीं की...

श्री पी० वी० नरसिंह राव: ठीक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप भी इस समस्या का हल करवा सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य मत रोकिये और वह निर्माण कार्य करने वाले लोग आज भी कई बार कह चुके हैं कि हम इस मस्जिद ढांचे को स्पर्श नहीं करेंगे और किसी को करने की अनुमति भी नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मन्दिर का नक्शा क्या है। आडवाणी जी से पूछता हूं कि मंदिर के हिस्से में मस्जिद शामिल है या नहीं, मैं नरसिंह राव जी से भी यही पूछता हूं, दोनों से पूछ रहा हूं। क्या नक्शा है, आप कैसे मस्जिद की हिफाजत करेंगे?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। प्रधान मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री पी० वी० नरसिंह राव: यह तो बिल्कुल साफ है जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है हम उसे कभी गिरने नहीं देंगे और गिराने भी नहीं देंगे। यह हमारा मैनिफेस्टो है और उसका संकल्प भी है। अब रही बात मन्दिर के निर्माण की, शिलान्यास की जो जगह थी जिस वक्त शिलान्यास किया गया था वह अन-डिस्प्यूटेड बताई गई थी इसलिए शिलान्यास वहां हुआ था। शिलान्यास कभी सिंहद्वार का नहीं होता, शिलान्यास होता है मन्दिर का...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इस पद्धति में वहीं शिलान्यास होता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: जहां मन्दिर का निर्माण हुआ था, जहां से मन्दिर शुरू होने वाला था उसको आपने सिंहद्वार बना दिया ताकि आपका मन्दिर सीधे चला जाये बाबरी मस्जिद में। ....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: मैं श्री चन्द्रशेखर की बात का उत्तर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उस ढांचे को प्रधान मंत्री जी ने बाबरी

[श्री राजवीर सिंह]

मस्जिद कहा, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, विवाद कोर्ट में चल रहा है उसको आपको राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद कहना चाहिए था। वहां पचास साल से पूजा हो रही है, वहां मस्जिद कैसे हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: इस मुद्दे पर माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद इस सरकार तथा दल की नीति के बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जबकि यह प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है लेकिन मैं अपनी ओर से यह उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्रश्न यह है कि मुद्दा यह नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रधान मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मंदिर का निर्माण तथा मस्जिद गिराना एक विवादास्पद मुद्दा है। जिसके बारे में राष्ट्र के स्पष्ट विचार हैं जो आपके हमारे तथा उनके विचारों में झलकते हैं।

श्री चन्द्रशेखर आपके और मेरे विचार एक जैसे नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह: ठीक है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रशेखर: यदि आप अपने दल के विचार प्रकट कर रहे हैं तब आपके और मेरे विचार समान नहीं है। क्या आप अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह: मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं इसमें कोई व्यक्तिगत विचार नहीं हैं।

श्री चन्द्रशेखर: हां, ऐसा ही है।

श्री अर्जुन सिंह: दल के विचारों को न देखते हुए भी मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं और जहां तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का संबंध है यह दल उसे किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुंचने देगा चाहे वे इसके लिए कितना ही प्रयास क्यों न करें। यह हमारी प्राथमिकता है। (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। जहां तक राम मंदिर का संबंध है हम अयोध्या में किसी भी स्थान पर मंदिर का निर्माण करने के विरुद्ध नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य: विवादित स्थल पर नहीं।

श्री अर्जुन सिंह: मैंने कहा है कि विवादित स्थल पर नहीं मैं इस माननीय सभा तथा विशेष रूप से विपक्ष के माननीय नेता से यह अनुरोध करता हूं कि मुद्दा केवल यही नहीं है। बात यह भी है कि क्या हम इस मुद्दे को लंबा खींचकर उन भावनाओं को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि जब तनाव बढ़ेगा तब परिस्थितियां और खराब होगीं जिससे देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यदि श्री लाल कृष्ण आडवाणी देश के बारे में पूर्ण ईमानदार हैं तब उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए तथा राष्ट्र को आश्वासन देना चाहिए कि अगले पांच वर्ष तक वे इन सब कार्यों को रोक देंगे। इस देश की जनता को एकत्रित होने दें। जो व्यक्ति न्याय तथा निष्पक्षता से संबद्ध हैं उन्हें एकत्रित होने दें और श्री चन्द्रशेखर जी द्वारा उठाए गए कदमों को कार्य रूप लेने दें। अन्यथा यह स्पष्ट है कि सत्ता के मोह में हम सभी संविधान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान न रखते हुए जनता की भावनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि इनकी नीयत सिंसियर नहीं है जो भारत सरकार की होनी चाहिए। मैं बार-बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की कमी नहीं है परन्तु नीयत की कमी है। चूंकि आपके पास नीयत नहीं है, इस लिए आप

एक्शन नहीं लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यही बात शुरू से बतलाना चाहता था कि बी०जे०पी० का इस मामले में जो स्टैंड है, वही कांग्रेस (आई) का है। यह आज साबित हो रहा है और कल भी यही होगा, वह समय दूर नहीं है।

अध्यक्ष जी, एक दूसरा मामला है जिस पर मैं सोच रहा था कि हमारे साथी श्री जसवन्त सिंह जी, अर्जुन सिंह जी बोलते कि इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनायें घट रही हैं और उनकी संख्या में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में मेरे पास पार्लियामेंट के एक क्वश्चन का जवाब है जो श्री भगवान शंकर रावत ने उठाया था। यह प्रश्न 9 जुलाई, 92 का है। इस 9 जुलाई के प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि पिछले एक साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोगों की हत्या हुई, कितने रेप हुए हैं, कितने अदर ऑफिन्सेज़ हुए हैं। अध्यक्ष जी, यदि आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट की जो हत्याएं हैं वह 610 हैं एक साल के अंदर और शेड्यूल ट्राइब्ज की हत्याएं 102 हैं। किसके राज्य में कितनी हत्याएं हुई हैं यह मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 293 हत्याएं हुई हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। यह पिछले एक साल के आंकड़े हैं। इसमें लिखा हुआ है कि —

[अनुवाद]

[हिन्दी]

वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के कितने मामले हैं। मैं सबको पढ़ लेता हूं। आन्ध्र प्रदेश में 28, बिहार में 22, गुजरात में 28, कर्नाटक में 22, मध्य प्रदेश में, 95 महाराष्ट्र में 26 और राजस्थान में 52, उत्तर प्रदेश में 293 हत्याएं हुई हैं। मतलब तीनों बीजेपी की स्टेट फर्स्ट नंबर पर हैं और कांग्रेस रुल्ड स्टेट दूसरे नंबर पर हैं।...

एक माननीय सदस्य: बिहार के बारे में बताइए। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: बिहार में बताया कि 22 हत्याएं हुई हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): बिहार में एक साल में 312 हत्याएं हुई हैं। उसको भी तो पढ़ें। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हत्या 10 हों या 1000, लेकिन सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है यह मुख्य बात है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी कुम्हेर में घटना घटी है वह उसी प्रकार की घटना है जैसे चुण्डूर में घटी थी। चुण्डूर की घटना में एक व्यक्ति को भी सजा नहीं हुई। कुम्हेर का मामला जिस तरह से चल रहा है उसमें किसी को सजा मिलने वाली नहीं है। थाने में दलितों को मार दिया जाता है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज देश कहां जा रहा है? मैं प्रधान मंत्री जी से मिला था और मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा था कि देश को चलाने के लिए दिल और दिमाग दो चीज़ों की आवश्यकता होती है और आपके पास दिमाग की कमी नहीं है। आप भारत के प्रधान मंत्री हैं। आप विदेश मंत्री रहे हैं, आप गृह मंत्री रहे हैं, राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। आपके पास दिमाग की कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके पास दिल की भी कमी नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग के रहने के बावजूद भी जो हत्यारे हैं उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? कोई यह कह सकता है कि हत्या हमारे बस की बात नहीं है लेकिन हत्या होने के बाद हत्यारे को सज़ा क्यों नहीं मिल पाती है? आज जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, आप इस बारे में किसी भी पार्टी से पूछिए, सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हमारे जो अधिकार हैं, उनका अतिक्रमण हो रहा है। मार्ग्रेट अल्वा जी यहां बैठी हैं। आपके पास हमारा प्रिविलेज मोशन मौजूद है। कल आपने टाइम दिया है। 104 अफसरों का प्रमोशन 6 दिसंबर को

[श्री रामविलास पासवान]

होता है जो शेड्यूल कास्टस और ट्राइब्ज़ के अफसर हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनका प्रमोशन होता है और गांधी जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनका डीमोशन होता है। 104 अफसरों को प्रमोशन देकर 30 जनवरी को उनका प्रमोशन खत्म कर दिया गया और उनको सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया। अब इस बारे में सदन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? याद रखिए, जब अहिंसा का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इस देश में नकसलाइट तत्व उभरते हैं, उनकी ऐक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। गरीबों का विश्वास कानून-व्यवस्था से उठ गया है लेकिन रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं। मंडल कमीशन का मामला था। उसकी सिफारिश पर आपने कहा कि हम इकनॉमिक क्राइटीरिया लागू करेंगे। एक साल गुज़र गया। केसरी जी यहां बैठे हुए हैं लेकिन एक साल के बाद भी इकनॉमिक क्राइटीरिया क्या है, आपने अभी तक साबित नहीं किया। आपने मंडल कमीशन रूपी बच्चे को जेल की कोठरी में बंद कर दिया। आप बताते नहीं कि आपका इकनॉमिक क्राइटीरिया क्या है। आप क्या समझते हैं कि इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं, क्या वह इस बात को समझ नहीं रहे हैं? यह आपकी दोहरी चाल है। कृषि नीति का सवाल है। आपकी सरकार ने कोई कृषि नीति नहीं बनाई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि यह सरकार आर्थिक मामले परं विफल रही है। यह सरकार सामाजिक नीति के मामले पर विफल रही है। यह सरकार धर्मनिरपेक्षता से पीछे हट गई है। यह सरकार संविधान की रक्षा करने में विफल रही है और यह सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने में विफल रही है। इसलिए इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि इस देश को चलाए। जो सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, उसको देश की गद्दी पर एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार में अगर कुछ नैतिक ज़िम्मेदारी हो तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए बजाय इसके कि इसके उपर वोटिंग हो।

इन्हीं शब्दों के साथ जहां मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, वहीं मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं प्रधान मंत्री जी से एक बात जान सकता हूं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मुकदमे थे, क्या वहां कोई फैसला हुआ और उसकी कोई सूचना उनके पास आयी है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अभी मैं थोड़े में बता सकता हूं।

लखनऊ खंडपीठ ने अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण करने से राज्य सरकार को रोक दिया है और यदि भूमि के उपभोक्ता के लिए कुछ करना आवश्यक है तो उसे न्यायालय की पूर्व अमुमति लेनी होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यही निर्णय है।

पहले से निर्मित ढांचे को गिराने तथा अवमानना के लिए आवेदन हेतु प्रति-हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को तीन दिन का समय दिया गया है। इसके तीन दिन के बाद प्रत्युतर होगा। इसके तत्काल बाद मामले पर सुनवाई होगी। इसी बीच कल से रोज़ मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी। यह इलाहाबाद न्यायालय का निर्णय है। राज्य सरकार कल उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक मुझे जानकारी है राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय से बल देकर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि मूल याचिका पर तत्काल निर्णय लिया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: इसीलिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस पर सुनवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री चिदम्बरम बोलेंगे।

श्री पी॰ चिदम्बरम (शिवगंगा): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्या यह वहस्में हस्तक्षेप है अथवा यह उनके त्यागपत्र के बारे में एक वक्तव्य है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): वह सरकार की ओर से बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर): इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा को भी यह बताया जाना चाहिए कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और नये मंत्री महोदय का परिचय करवाया जाए। अतः या तो प्रधान मंत्री अथवा वह मंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया है स्वंम हमें इस बात की जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय: यह 'चाहिए' नहीं बल्कि 'बताया जाए' है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: वह ठीक है। इसीलिए मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्थाक का नहीं।

श्री राम नाईक: इस सभा का इतना सम्मान तो दिया जाना चाहिए कि या तो प्रधान मंत्री अथवा मंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया है.....

अध्यक्ष महोदय: इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे पर निर्णय हो गया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: महोदय, क्या वह यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया? उन्हें अपने त्यागपत्र के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पहले उन्हे यह स्पष्ट करने दिया जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चिदम्बरम जी, आप अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहते हुए बोलिए।

श्री पी॰ चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने और पिछले बारह महीनों में इस सरकार के कार्यों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और शिष्टाचारों को महसूस करता हूं। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता श्री आडवाणी और श्री चन्द्रशेखर के साथ बात करते समय मैंने शिष्टाचार का पालन किया है तथा मैं समझता हूं कि इस सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का हक है। मेरे बारे में श्री चन्द्रशेखर और आडवाणी द्वारा जो शब्द व्यक्त किये गये हैं, उनसे मुझे बहुत राहत तथा प्रोत्साहन मिला है और मैं समझता हूं कि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

महोदय, श्री जसवंत सिंह ने जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, भारत में जो कुछ हो रहा है उस संबंध में अत्यधिक उत्तरदायित्व के साथ और गंभीरतापूर्वक आज चर्चा शुरू की और मैंने सोचा था कि पूरे वाद-विवाद में वही स्तर बना रहेगा। महोदय, पिछले 20 या 25 मिनटों में हमने क्या देखा?

[श्री पी० चिदम्बरम]

भारत की त्रासदी यह है कि एक ओर तो आज हम जो कुछ कर रहे हैं पूरे विश्व को उसमें विश्वास है परन्तु दूसरी ओर भारत में ही एक वर्ग को जो हम कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है। ऐसे मुद्दों जिनका हमारे देश के लिए कोई महत्व नहीं है, के कारण हमारा ध्यान बांटा जा रहा है और जिन्हें सामने लाया भी नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि श्री अर्जुन सिंह ने श्री आडवाणी से जो आग्रह किया था कि "हमें इन मुद्दों को पांच वर्ष तक सामने नहीं लाना चाहिए और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है, हमें एक आम सहमति तैयार करनी चाहिए।" वह कोई निरर्थक आग्रह था।

आज हमारी मुख्य चिन्ता क्या होनी चाहिए? हमें मुख्य रूप से अपनी अर्थव्यवस्था की चिन्ता होनी चाहिए और इस देश को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के बारे में चिन्ता होनी चाहिए। जून, 1991 में जब श्री नरसिंह राव ने प्रधान मंत्री का पदभार संभाला था, उन्होंने इस देश को गंभीर संकट से उबारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी।

महोदय, चार महीने तक श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री थे और उससे पहले लगभग ग्यारह महीने तक श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री थे। महोदय, मेरा विश्वास कीजिए मेरा उन पर दोष लगाने का इरादा नहीं है मैं उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। हमें दोष का भागीदार बनना चाहिए। हम सब लोग उस सरकार को निर्वाचित करने के दोषी हैं। हम सब उस सरकार का समर्थन करने के दोषी हैं। यदि श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने गलती की है तो हमें उस सरकार का समर्थन करने का दोष अपने ऊपर लेना चाहिए। परन्तु हम सब को दोष में भागीदार बनना चाहिए। परन्तु अल्पमत सरकार, कमजोर सरकार, डरपोक सरकार और किसी समय कठोर सरकार के 16 महीने के शासन के अन्त में हमारी सरकार को विरासत में क्या मिला? हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें केवल 15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा का भण्डार था, हमें ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसमें शाख दर कम हो गई थी और विश्व के किसी भी भाग से धन नहीं आ रहा था। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जिसमें अगस्त, 1990 से ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट कम हो गई थी। हमें विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें मार्च 1990 से ही निर्यात में कमी होने लगी थी। हमें विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें आयात पर जबर्दस्त दबाव बना हुआ था और भारत में किसी भी चीज का आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली।

अतः जब श्री जसवन्त सिंह ने आंकड़े पढ़े तो उन्हें खुद से यह पूछना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण का कार्य हम कहां से शुरू करें और पिछले बारह महीने में हमने क्या किया है? महोदय, पहली बात यह है कि मुझे यह विश्वास है कि प्रधान मंत्री ने इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने की कोशिश की है। यह दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व नेता श्री राजीव गांधी ने 16 अप्रैल को जारी किए गए घोषणा पत्र में शामिल किया था जिसमें हमने साफ शब्दों में इस बात का वायदा किया था और जो कुछ उन्होंने कहा था उसकी श्री जसवन्त सिंह भी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहे सके। उन्होंने मुख्य रूप से नीति प्रारूप, इसकी दिशा और ध्येय के बारे में बताया। हमारे उद्देश्य और दिशा का समर्थन करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप किसी भी आर्थिक दर्शन के प्रति देर से उन्मुख होते हैं। वास्तव में आपकी केवल आर्थिक प्रतिक्रिया होती है आपका कोई आर्थिक दर्शन नहीं है। मैं कुछ क्षण बाद इस पर बोलूंगा। मैंने आपके घोषणा पत्र का प्रत्येक शब्द पढ़ा है। क्या कोई भी अध्याय सुसंगत दर्शन दर्शाता है।

प्रधान मंत्री ने अपने कार्य के संबंध में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डा० मनमोहन सिंह ने अपने कार्य के बारे में एक रूपरेखा बतलायी। उन सिद्धान्तों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि किस दिशा में जाना चाहिए और किस गति से चलना है। मैं इन दोनों दृष्टिकोणों की प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। जिस ओर प्रधान मंत्री और डा० मनमोहन सिंह इस देश को ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

जेना जी, ये गंभीर मुद्दे हैं। आप को इसका समर्थन करना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या यह है कि हमने अनेक वर्षों तक संरक्षण और विनियमन की नीति अपनाकर स्वयं को विश्व से पृथक कर लिया है। हमारे पास पूंजी तथा प्रौद्योगिकी की कमी है हमारी अर्थव्यवस्था अरुक्षम, अनुत्पादक बन गई और इसलिए हम विश्व में व्यापार नहीं कर सके; हमारे उत्पाद विश्व में अन्य उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। हम अनेक वर्षों तक आज भी काफी हद तक प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करने वाला देश है। हम केवल कुछ ही मूल्य वर्द्धित (वैल्यू एडेड) वस्तुओं का निर्यात करते हैं इनमें कपड़े की वस्तुएं, रत्न और जवाहरात, समुद्री उत्पाद शामिल हैं। हम कुछ इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करते हैं। लेकिन संरक्षणवाद, हमारे विनियमन की नीति, आयात प्रतिस्थापना की नीति अपनाने के कारण हमने स्वयं को विश्व की आर्थिक मुख्य धारा से अलग कर लिया था। भारत से गरीब देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम थी और जिनके श्रम संसाधन भारत की तुलना में बहुत कम थे, ऐसे देश हमसे प्रगति के दौर में आगे निकल गये। हमें अमेरिका और यूरोप जाने की जरूरत नहीं; हमारे महाद्वीप को ही लें—इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, थाईलैंड और लैटिन अमेरिका के देश हमें पीछे छोड़ गए हैं। इसलिए हमें नए सिद्धान्त तय करने पड़े और एक नए भारत का निर्माण करना पड़ा। मैं ऐसे विचार भी सुन रहा हूं जो कहते हैं कि हम नेहरू के मार्ग का त्याग कर रहे हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू का कथन पढ़ता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:

> "यह याद रखिए कि मार्क्स एक जर्मन था और उनके सम्मुख विश्व एक सौ वर्ष पूर्व का विश्व था। आज हमें यह याद रखना है कि मार्क्स के बाद, एक सौ वर्ष बाद विश्व में बहुत बदलाव आया है। मुझे विश्वास है कि अगर आज मार्क्स जीवित होते तो भिन्न तरीके से सोचते और एक अलग ही पुस्तक लिखते। लेकिन समाजवादी जीवन पद्धति से हमारा क्या तात्पर्य है। हमारा अभिप्राय होता है कि ऐसा समाज जिसमें समान अवसर हों और प्रत्येक को अच्छा जीवन जीने की संभावना मौजूद हो। निःसन्देह इसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हम अच्छे जीवन के मानक रखने के साधन तैयार नहीं करते। इसलिए हमें समानता और असमानता दूर करने पर बहुत जोर देना है और यह याद रखना है कि समाजवाद गरीबी बढ़ाना नहीं है; मुख्य बात है धन और उत्पादन होना चाहिए।"

हमने गत बारह मास में यह किया है कि भारत में उत्पादक शक्तियों को स्वतन्त्र किया है खामियां दूर की हैं भारतीय लोगों की रचनात्मक शक्ति को स्वतन्त्र किया है ताकि भारतीय लोग धन अर्जित कर सकें। **(व्यवधान)** महोदय, आज उत्पादन, उत्पत्ति की शक्तियों पर से बन्धन हटा लिए गए हैं। हम आज नौकरियां आय उत्पन्न कर रहे है। मैं पुनः पहले मुद्दे पर आता हूं और श्री जसवन्त सिंह द्वारा उद्धृत आंकड़ों का उत्तर देता हूं। **(व्यवधान)** श्री जसवन्त सिंह ने आंकड़े दिए। उनकी आर्थिक विचारधारा की भांति उनके आंकड़े भी पुराने हैं। आपको आज के आंकड़ों, 1991-92 के पूरे वर्ष के आंकड़ों पर बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके आंकड़े उनके पुनरीक्षण यन्त्र अथवा उनके स्थानीय अर्थशास्त्री द्वारा उप-संपादित किए गए थे। मैं यह नहीं जानता। लेकिन मुद्दा यह है हम आज के आंकड़ों पर गौर करें। मैंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन पर गौर करें। मैंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट अगस्त, 1990 में शुरू हुई और निर्यात में गिरावट मार्च 1991 में शुरू हुई। इस प्रकार हम जिस स्थिति में थे उसकी अपेक्षा वर्ष 1991-92 औद्योगिक उत्पादन में केवल -0.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ समाप्त हुआ। हम प्रत्येक तिमाही का अवलोकन करेंगे। दूसरी तिमाही पहली तिमाही से बेहतर थी; तीसरी तिमाही दूसरी से तथा चौथी तिमाही तीसरी तिमाही से बेहतर थी। इस प्रकार वर्ष -0.4 प्रतिशत के साथ समाप्त हुआ। खनन कार्य शून्य प्रतिशत पर समाप्त हुआ, विद्युत में +8.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। केवल विनिर्माण में दो प्रतिशत की गिरावट आई यह 1991-92 में अत्याधिक आयात दबाव के कारण हुआ। आयात दबाव डालर में 20 प्रतिशत था। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, श्री जसवन्त सिंह जी मैं इस बारे में

[श्री पी० चिदम्बरम]

आपको चुनौती देता हूं कि आप विश्व में एक भी देश बताएं जहां पर डालर के तहत 20 प्रतिशत आयात दबाव था। फिर भी, हमें यहीं निर्यात स्तर कायम रखना पड़ा और हमने पिछले वर्ष का औद्योगिक उत्पादन स्तर भी कायम रखा। हम कोई उदाहरण उद्धृत नहीं कर सकते; विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसने गत कुछ वर्षों में ऐसा कार्य किया है।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े दिये। मेरे पास विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े है। मेरे पास अप्रैल मार्च 1991-92 तथा अप्रैल-मार्च 1990-91 के आंकड़े हैं और तुलना हेतु ये सही आंकड़े हैं। 1991-92 के आंकड़े 1990-91 की तुलना में कैसे है? 1991-92 में भी हम प्रथम तिमाही के लिए उत्तरदायी नहीं थे। मैं प्रथम तिमाही के लिए इस सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों को जिम्मेदार मानता हूं। हम बाद की तीन तिमाहियों के लिए उत्तरदायी है। हम इन आंकड़ों को देखें। 1991-92 में कोयला उत्पादन .....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: उत्तर देना कठिन होगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैं केवल आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: मैं आपकी दुखती रग को दबाना नहीं चाहता। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: लेकिन यहां पर आपका मुद्दा बहुत कमजोर है। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैं केवल आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: आपके आंकड़ों से लोगों की दशा में बदलाव नहीं होगा। लोग जो अनुभव कर रहे है वह अधिक महत्वपूर्ण है। इन आंकड़ों से ही आप इस समस्या में फंसे हैं। आप वास्तविक स्थिति को समझे बगैर केवल आंकड़े उद्धृत कर रहे हैं यह आपका दुर्भाग्य है। **(व्यवधान)** आप हमें नेहरू को उद्धृत कर रहे हैं। आप नेहरू का कथन पढ़ रहे हैं। हमने नेहरू को सुना है। हमने नेहरू के साथ काम किया है। कृपया हमें नेहरू को उद्धृत मत कीजिए। आप कम से कम बुश, मेजर या विश्व बैंक अध्यक्ष या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अध्यक्ष को उद्धृत कर सकते हैं। हमें नेहरू और गांधी को उद्धृत न करें। आप कार्लाहिल्स को उद्धृत कर सकते है, पंडित नेहरू को नहीं। आप कार्ला हिल्स के बराबर हैं, पंडित नेहरू के नहीं। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: श्री चन्द्र शेखर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं आपसे वाक्युद्ध करना नहीं चाहता चाहे आप मेरे विरूद्ध सख्त शब्दों का प्रयोग करें। मैं आपसे जिरह नहीं करूंगा। मैं आपके प्रति बहुत सम्मान करता हूं और मैंने अनेक अवसरों पर कहा ....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: आप 1984 और 1989 के बीच के आंकड़े उद्धृत क्यों नहीं करते? आपने कैसे अपनी सरकार और लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: आपने इस देश के भविष्य को नष्ट भ्रष्ट, गिरवी रख दिया है। जिन लोगों ने इस देश को बेचा है ...**(व्यवधान)** ठीक है। मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि उन्होंने देश को बेच दिया है ...**(व्यवधान)**... आप कुछ कर सकते हैं? ...**(व्यवधान)**...आपको गलतफहमी है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं हूं। मैं उत्तर देना जानता हूं। ...**(व्यवधान)**... वे मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे है। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी० चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे श्री चन्द्रशेखर व्यक्तिगत रूप से मुझसे नाराज हों। **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनें। **(व्यवधान)** वास्तव में मैंने

यह बार बार कहा है कि मैं श्री चन्द्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूं। मैं लोगों के प्रति उनकी चिन्ता की कद्र करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री अर्जुन सिंह इस सब से अलग रहे। .....(**व्यवधान**).....

श्री पी॰ चिदम्बरम: मैंने पुनः कहा कि हम इस देश के लोगों के प्रति उनकी चिन्ता की प्रशंसा करते हैं और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने जो कदम उठाए उनकी प्रशंसा करते हैं। हमने यह इस सभा में बार बार कहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्हें मेरी प्रति व्यक्तिगत रूप से क्रुध करें।

मैं केवल आंकड़े दोहरा रहा हूं। मैं केवल श्री जसवन्त सिंह के आंकड़ों पर पर उत्तर दे रहा हूं। मुझे आशा है कि श्री चन्द्र शेखर मुझे सुनेंगे।

1991-92 में कोयला उत्पादन 1990-91 की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक हुआ। विद्युत उत्पादन 1990-91 की तुलना में 10.2 प्रतिशत अधिक हुआ। बिक्री योग्य इस्पात पर आपने मुझे आंकड़े दिए मुझे आशंका है कि वह गलत है, इसमें 8.1 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई। सीमेंट में 10.3 प्रतिशत तथा उर्वरकों में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व अर्जित करने वाले माल की ढुलाई में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आधारभूत उद्योगों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है।

एक माननीय सदस्य: कीमत?

श्री पी॰ चिदम्बरम: मैं इन समस्याओं से परिचित हूं .....(**व्यवधान**)..... प्रत्येक क्षेत्र में, पिछले बारह महीने में उठाये गये कदमों से उत्पादकता बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों में बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। आपने पैट्रोलियम का ठीक ही उल्लेख किया है। इसके उत्पादन में कमी आई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। पैट्रोलियम उत्पादन में गिरावट आई है। आपने ठीक कहा है कि मूल्यों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। किन्तु हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जिसमें मुद्रास्फीति की दर 16.7 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति आज 12 प्रतिशत है। इस वजह से जब हम अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात करते है, तो उसका अभिप्राय है कि हम अर्थव्यवस्था निर्माण कर रहे है। हम अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। मैं विपक्षी दलों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह हमारा साथ दें। जिस स्थिति में हम थे, और जो कदम हमने उठाए हैं और जितनी प्रगति हुई है वह कोई कम उपलब्धि नहीं है और इस सरकार द्वारा उठाए गये कदम कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा रास्ता तय किया है

श्री जसवंत सिंह ने निर्यात का जिक्र किया था। मुझे अहसास है कि निर्यात के क्षेत्र में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? निर्यात की क्या स्थिति थी? 1990-91 में निर्यात 18 बिलयन डालर मूल्य का निर्यात किया गया और आयात 24 बिलयन डालर मूल्य का हुआ। 1991-92 में, आयात में 20 प्रतिशत की अत्यधिक कमी के साथ निर्यात अभी भी उसी स्तर पर 17.8 प्रतिशत है।

सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों के निर्यात में 6.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैंने जिन कारणों का उल्लेख किया है उससे रुपये भुगतान वाले क्षेत्र के देशों के निर्यात में 42.27% की कमी आई है। आप इन दोनों चीजों को मिला नहीं सकते। यह उस व्यक्ति की भांति है जिसने कहा कि "मैं छह फुट लंबा हूं, और इस नदी की औसत गहराई केवल पांच फुट है। नदी के किनारे पर गहराई एक फुट है और बीच में नौ फुट है और उसकी औसत गहराई पांच फुट है और मैं नदी पार करने की चेष्ट करूंगा।" "वह डूब जाएगा।" सामान्य मुद्रा क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों एक समान और निर्यात नहीं कर सकते। मैंने यह बात पहले भी अनेक अवसरों पर कही है। मैं यहां भी इस सदन में भी यही बात कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष हमारे निर्यातकों ने काफी अच्छा कार्य किया है। हमारे व्यापारियों निर्यातकों की बहुत अच्छी उपलब्धियां रही। सामान्य मुद्रा क्षेत्र

[श्री पी० चिदम्बरम]

तथा रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों को किये निर्यात का अनुपात 1:5 रहा। इस वर्ष वह अनुपात 1:9 है। रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों को भेजे गए हरेक डालर के लिए किये गये निर्यात की तुलना में हमने सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को नौ डालर का निर्यात किया। एक वर्ष में हमारे व्यापारियों ने अत्यन्त रचनाशीलता और लचीलेपन का परिचय दिया है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किये गये निर्यात में 6.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप कुल निर्यात को देखें। पहली तिमाही में सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों के निर्यात में 5.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही में, यह वृद्धि 5.81 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत, तथा चौथी तिमाही में 7.13 प्रतिशत थी। आप सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों को किये गये कुल निर्यात को देखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने वह आंकड़े कहां से लिए हैं? क्या वह मंत्री होने के नाते अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता। यह आंकड़े कहां पर उपलब्ध है? मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम: आपने एक प्रश्न पूछा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह आंकड़े, भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, को जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में दिये गये हैं, और इसे 3 जुलाई को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिनमें वह समाचार पत्र भी है जो मेरे माननीय मित्र को प्राप्त होता है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम तो यह सब को दाग दिया है, पढ़ेगा-पढ़ेगा।.....**(व्यवधान)**.....

श्री पी० चिदम्बरम: महोदय, सामान्य मुद्रा क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों में कुल निर्यात को देखते हुए, पहली तिमाही के आंकड़े 6.57 प्रतिशत है और इसमें मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। यह आयात दबाव और बुरे परिमाणों की वजह से था। दूसरी तिमाही में .....**(व्यवधान)**.....

श्री नीतिश कुमार: आप यह बताइए कि आप हटाए क्यों गए? आप इतनी काबलियत बता रहे हैं कि वॉलर्स मिनिस्टर के रूप में इतना अच्छा काम किया है, तो आप हटाए क्यों गए? .....**(व्यवधान)**..... हम लोग यह ज्यादा जानने में इन्टरैस्टेड है कि आप हटाए क्यों गए ? .....**(व्यवधान)**.....

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर): उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र अपनी नैतिक जिम्मेदारी की वजह से दिया है। उनकी सच्चाई सिद्ध हो जायेगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसे प्रमाणित करेगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: महोदय, प्रथम तिमाही में, कुल निर्यात -6.57 प्रतिशत था, दूसरी तिमाही में -5.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में +1.2 प्रतिशत और चौथी तिमाही में, +3.64 प्रतिशत था। इस वजह से, जसवंत सिंह जी मैं बहुत सम्मान से कहना चाहूंगा कि कठिन आर्थिक स्थिति थी, परन्तु अर्थव्यवस्था उस स्थिति से निकल रही है। अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अभी भी बहुत सी कठिनाइयां है। परन्तु हर तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और अगर हम इस रास्ते पर चलें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित हो जाएगी और हमारा देश और ज्यादा शक्तिशाली बन जायेगा।

महोदय, हम विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करते हैं। जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला तो विदेशी मुद्रा भंडार बिलियन डालर से भी कम था। आज यह छः बिलियन डालर से भी अधिक है। यह छः बिलियन डालर कैसे बनाए गए? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः विश्वास स्थापित किया गया। हमने अपनी नीतियों को दृढ़ निश्चय से लागू कर अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास स्थापित किया है, और विश्व के देशों में जाकर अपनी नीतियों के बारे में समझाया है, जिसमें केवल ऋण अपितु प्रत्यक्ष विदेश पूंजी-निवेश भी प्राप्त हुआ है। आज विश्व को हममें विश्वास है। एक नजर एड इंडिया कंसोर्टियम पर डालिये। पिछले वर्ष एड इंडिया कंसोर्टियम ने 6.7 बिलियन डालर दिए थे। इस वर्ष, उसने 7 प्रतिशत अधिक धनराशि दी। अब यह 7.2 बिलियन डालर है। ऐसा भारत सरकार में विश्वास के कारण ही हो सका है। अगर आप भारत सरकार में विश्वास नहीं भी प्रकट करेंगे, संसार भारत सरकार में विश्वास प्रकट करने को तैयार है। जापान ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा की

और उन्होंने वहां के प्रधान मंत्री से बातचीत की। जापान भारत को 830 मिलियन डालर देने को तैयार है। अर्थात 6 प्रतिशत अधिक राशि देने को तैयार है। संसार को हमारे काम में विश्वास है। कृपया हमारे इस विश्वास को कम मत आंको।

मैं पूंजी निवेश के बारे में कहना चाहता हूं। महोदय, 30 जून, 1992 तक हमने पूंजी निवेश में क्या सिद्ध किया है? इस पूंजी निवेश के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस पूंजी निवेश से आय में वृद्धि होगी। धन अर्जन में कोई शर्म नहीं है। इस देश के निवासियों को धन पैदा करने को महत्व देना चाहिये। .....(व्यवधान)..... 30 जून, 1992 को स्वतः अनुमोदन योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने 542 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एस०आई०ए० ने पूर्वानुमति अपेक्षित प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एफ०आई०पी०बी० ने भारत में उद्योगों की स्थापना के लिये 366 मिलियन डालर से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। निर्यातोन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत 799 प्रस्तावों में से भारत सरकार ने 412 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रीय योजना में 196 प्रस्तावों में से सरकार ने 158 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। और इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योगों के क्षेत्र में आत्मविश्वास और परिपक्वता आई है, जो कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होती है। विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 71 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गैर-लाइसेंस शुदा क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के लिये 5558 ज्ञापन पंजीकृत किये गये हैं। लाइसेंस शुदा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये 495 आशय पत्र और 101 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। महोदय, इस सब का क्या तात्पर्य है? इस सब का यह तात्पर्य है कि लोग इस समय भूमि का अधिग्रहण कर रहे है, लोग कारखाने स्थापित कर रहें हैं मशीनरी लगा रहे है, कारीगर नियुक्त कर रहे है और उत्पादन कर रहे है।

महोदय, तमिल में एक कहावत है। तमिल में एक सामान्य विश्वास है और मुझे यकीन है कि एक ऐसी ही कहावत भारत की दूसरी भाषाओं में भी होगी क्योंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एक भाषा में एक कहावत है दूसरी भाषाओं में भी समानार्थी कहावत सदैव होती है। यह विश्वास ऐसा है। अधिकांश हिन्दू मन्दिरों में एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है। मैं इसका तमिल शब्द जानता हूं अरासा माराम। मुझे यकीन है कि इसका एक वनस्पतिक शब्द भी होगा। अगर एक विवाहित लड़की, शादी के कुछ वर्ष बाद, गर्भवती नहीं बनती, तो लोगों में यह विश्वास है कि अगर वह उस पेड़ के इर्द-गिर्द एक दिन में कई बार चक्कर काटे तो वह अंततः गर्भवती हो जाएगी। कहावत इस प्रकार है कि अगर आप ने गर्भधारण नहीं किया है तो एक बार वृक्ष का चक्कर लगा कर फिर अपने पेट पर हाथ फेर कर यह मत कहिए "क्या मैंने गर्भ धारण कर लिया है"?

हमने पिछले 12 महीने में जो कुछ भी किया है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता तथा विश्वास को बहाल करने के लिए किया है। 12 महीने में ही परिणाम प्राप्त करने की बात मत कीजिए। परिणाम सामने आने में समय लगेगा। परिणाम दूसरे वर्ष में भी सामने आ सकते है तीसरे वर्ष में भी सामने आ सकते है .....(व्यवधान).....

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): तो इसी प्रकार घोटालों के माध्यम से आप अपनी अर्थव्यवस्था संभालेंगे।

एक माननीय सदस्य: तथा इस प्रकार आपने हर्षद मेहता को पैदा किया। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम: धैर्य अथवा विश्वास खोने से कुछ नहीं होगा। हम आंख मूंद कर कुऐं में नहीं कूद सकते। हमें अपना धैर्य खोये बिना दृढ़ निश्चय से एक रास्ते पर आगे बढ़ना है। इन सभी मामलों में पहले कुछ महीने तथा पहले कुछ कदम हमेशा मुश्किल होते हैं।

उदाहरणार्थ, हमारे द्वारा उठाये गये कुछ और कदमों को लीजिए। हमने 'एक्सिम सिस्टम' की प्रणाली आरम्भ की तत्पश्चात्, हमने आंशिक परिवर्तनशीलता की प्रणाली आरम्भ की। मैंने यह आग्रह किया था कि

[श्री पी० चिदम्बरम]

वाणिज्यिक खातों में पूर्ण परिवर्तनशीलता आरम्भ की जानी चाहिए, परन्तु तत्पश्चात् समझौता किया गया तथा मुझे वित्त मंत्री महोदय के तर्क के समक्ष झुकना पड़ा। समझौता यह हुआ था कि हम चालू खातों में आंशिक परिवर्तनशीलता देंगे। आम राय यह थी कि यदि हमने आंशिक परिवर्तनशीलता को अपनाया तो रुपया का मूल्य बहुत कम हो जायेगा। यह सोचा जा रहा था कि रुपए का मूल्य बिल्कुल नीचे चला जायेगा तथा इसका हमें अवमूल्यन करना पड़ेगा। हमने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा। आंशिक परिवर्तनशीलता के कारण निर्यात तथा निर्यात अभियान को और बल मिलेगा तथा रुपए का मूल्य कम होने के बजाय बढ़ेगा। पहले तीन चार महीनों में इसका प्रभाव हमारे सामने आया। डालर के मुकाबले हमने 20 प्रतिशत प्रीमियम के साथ यह प्रक्रिया आरम्भ की थी तथा 15-16 पर आ कर यह स्थिर हो गई है। मुझे विश्वास है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो जायेगी तथा हमारा निर्यात गति पकड़ लेगा तो हम यथाशीघ्र पूर्ण परिवर्तनशीलता आरम्भ कर देंगे तथा इससे अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी बल्कि और सुदृढ़ होगी। हमने जो कदम उठाये हैं उन पर आपको विश्वास होना चाहिए। जो कुछ हमने किया है, उस पर दृष्टिपात कीजिए । आज हमने इस्पात क्षेत्र से नियन्त्रण हटा लिया है। क्या यह अच्छा है अथवा बुरा? जाइए, यह बात जा कर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूछिए। लोग आपको बतायेंगे कि यह एक अच्छा कदम है। हमने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को भी विनियमित कर दिया है। क्या यह अच्छा कार्य किया गया है अथवा बुरा? आप यह देखेंगे कि दो या तीन वर्षों में परिणाम सामने आने आरम्भ हो जायेंगे जब खोज, दोहन, तेल शोधन, अनुषंगी परियोजनाओं का कार्य गति पकड़ेगा। तब आपको लगेगा कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से नियंत्रण हटा लेने के परिणाम सामने आने आरम्भ हो गये हैं। अब हमने ऊर्जा के क्षेत्र में भी इक्विटी सहभागिता आमन्त्रित की है। हमने विदेशी इक्विटी तथा घरेलू भागेदारी दोनों आमन्त्रित की है। श्री जसवंत सिंह जी, जिन परियोजनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, जब अगले दो तीन वर्षों में उनको स्वीकृति मिलेगी तथा उन पर कार्य आरम्भ होगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारे उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों में सुधार आया है।

चाहे आप इसे अच्छा कहें या बुरा परन्तु तथ्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज तक अति-नियन्त्रित रही है। हमें इसे नियन्त्रण मुक्त करना होगा, इसे अफसरशाही से मुक्त करना होगा। तथा हमें उत्पादनशील ताकतों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करनी होगी। हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये जो धन में वृद्धि करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा सेवाएं प्रदान करते हैं। उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने का हमें प्रयत्न करना होगा। ऐसा ही इस सरकार ने किया है। मुझे विश्वास है कि गत बारह महीनों में अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। किन्तु इतना काफी नहीं है। इस संबंध में कीमतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मैंने हमेशा यह कहा है कि मुद्रास्फीति कराधान का सबसे क्रूर रूप है। क्योंकि मुद्रास्फीति गरीब और अमीर दोनों को प्रभावित करती है चाहे वे इसे वहन कर सकें या नहीं। पहले मुद्रास्फीति की दर 16 प्रतिशत थी अब यह घट कर 11.34 प्रतिशत हो गई है। हम मांग कम करने, आपूर्ति बढ़ाने तथा खर्च कम करने जैसे कदम उठा रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि खर्च में कटौती में हम पर्याप्त रूप से सफल नहीं रहे हैं। सरकारी खर्च अभी भी नियन्त्रण से बाहर है, मांग को कम करने में भी हम पर्याप्त कदम नहीं उठा पाए हैं। अगर हम मांग को अधिक कम करेंगे तो लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी कोई विशेष कदम नहीं उठा पाए हैं। मुद्रास्फीति को कम करने का एकमात्र तरीका मांग कम करना, आपूर्ति में सुधार लाना तथा खर्च में कटौती करना है। आप हमें बताइए हम कहां पर मांग को कम करें और किन क्षेत्रों में खर्च में कटौती की जाए। वे क्षेत्र बताइए जहां आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है।

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा तैयार वैकल्पिक कार्यक्रम मेरे पास है। अगर मैं इसे सदन के समक्ष रखूं तो मैं जानता हूं कि इसके विरुद्ध आवाज उठेगी कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वैकल्पिक कार्यक्रम में

कहा गया है कि "रक्षा खर्च में कटौती करो" क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वैकल्पिक कार्यक्रम की बातों को मैं एक-एक करके आपको बताता हूं। इस वैकल्पिक कार्यक्रम पर क्या कोई आम राय है? इस कार्यक्रम पर कोई सर्वसम्मत राय नहीं बनी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी: आम सहमति की क्या जरूरत है? आप हमारा प्रस्ताव क्यों नहीं मानते? **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैं वैकल्पिक कार्यक्रम के कुछ उदाहरण देता हूं क्योंकि श्री जसवन्त सिंह ने मुद्रास्फीति कम करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार: सदन का समय क्यों जाया किया जा रहा है .....**(व्यवधान)**.....यह किस का प्रयोजन है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद])

श्री पी० चिदम्बरम: वैकल्पिक कार्यक्रम की एक दो बातों का मुझे उल्लेख करने दीजिए। पहला मुद्दा रक्षा खर्च में कटौती का है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

श्री राम नाईक: क्या आपकी पार्टी इसके लिए तैयार है?

श्री पी० चिदम्बरम: यह मेरा कार्यक्रम नहीं है। यह एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक कार्यक्रम है। मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं?

श्री राम नाईक: आप पहले इस संबंध में अपनी पार्टी में आम राय स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रस्ताव रखिए।

श्री पी० चिदम्बरम: हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर हमारी पार्टी में आम राय है। जो उदारीकरण का कार्यक्रम हमने शुरू किया है उस पर हमारी पार्टी में आम राय है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हम जब इस चर्चा में आर्थिक सुधारों और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में सदन से इस संबंध में राय लेनी चाहिए ताकि ये जाना जा सके कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। प्रस्तावित कार्यक्रम में रक्षा खर्च की कटौती की बात की गई है। क्या हम इस पर सहमत हैं?

श्रीमती गीता मुखर्जी: विमान भाड़े के बारे में आपकी क्या राय है? एयर इंडिया की कितनी उड़ाने आपने शुरू की है?

श्री पी० चिदम्बरम: प्रस्तुत कार्यक्रम मे रक्षा खर्च में कटौती, परमाणु उर्जा पर खर्च में कटौती, पैट्रोल राशनिंग शुरू करने, हवाई यात्रा सुविधा में भारी कटौती करने, नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि न करने, अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की मांग के पुनर्निधारण की बात कही गई है। क्या इस कार्यक्रम पर कोई आम राय है? हमारे कार्यक्रम के अनुसार मांग पर नियंत्रण करके, खर्च में कटौती करके तथा आपूर्ति बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। उस कार्यक्रम में क्या त्रुटि है? अगर इस कार्यक्रम के द्वारा मुद्रास्फीति की दर को 16 प्रतिशत से घटा कर 11.34 प्रतिशत किया जा सकता है तो हमें विश्वास है कि अगर हम कार्यक्रम पर चलते रहे तो इस दर को और भी कम किया जा सकता है।

महोदय, अन्त में मुझे एक बात कहनी है। यह एक आम मान्यता बन गई है कि सरकार की भागेदारी समाप्त हो रही है। सरकार की भागेदारी समाप्त नहीं हो रही है। हम सरकार की भागेदारी समाप्त नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में सरकार की भूमिका समाप्त हो ही नहीं सकती है। सरकार उन्हीं क्षेत्रों से पीछे हट रही है

[श्री पी० चिदम्बरम]

जहां पर कि निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र काम को सुचारू रूप से चलाने की स्थिति में हैं। परन्तु सरकार की भूमिका बनी रहेगी। हमने तिरूपति अधिवेशन में भी यही कहा था तथा यही बात यहां भी दोहरा रहे हैं। सरकार देश के गरीब लोगों के हितों की, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, महिलाओं तथा बच्चों के हित चिन्तन, जनसंख्या नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ओर विशेष ध्यान देगी। इन क्षेत्रों में सरकार अपनी भूमिका कैसे समाप्त कर सकती है?

इन क्षेत्रों से सरकार कभी भी पीछे नहीं हट सकती है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए हमने इस वर्ष एक राशि रखी है। मुझे स्मरण है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि अगर आवश्यकता हुई तो गरीबी उन्मूलन के लिए रखी गई राशि में बढ़ोत्तरी की जायेगी तथा अगर आवश्यकता हुई तो वे राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध करवायेंगे। आज हमारी नीति यह है कि उदारीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस सदन में जो उदारीकरण की नीति में विश्वास रखते हैं, उन्हें, हमारा समर्थन करना चाहिए। जो लोग यह मानते हैं कि हमें विनियमों तथा विनियंत्रण के अंकुश को ढीला करने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिये; गरीबों के प्रति अपनी वचनबद्धता को हमें दोहराना होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए और अधिक धन खर्च करने तथा इस ओर और अधिक ध्यान देने की ओर अपनी वचनबद्धता को हमें दोहराना होगा। महोदय, हमें विश्वास है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, अगर हम आज धैर्य और विश्वास खो देंगे तो हम अपने रास्ते से भटक जायेंगे तथा दो या तीन वर्ष पश्चात् आपको उसी रास्ते पर वहीं से पुनः आरम्भ करना होगा, जहां से आप रास्ता भटके थे। हम यह सांप और सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते। हमें केवल आगे बढ़ना है। हमें अधिक गति से आगे बढ़ना है। मैंने सुधारों की गति बढ़ाने की चेष्टा की है। परन्तु सुधारों की गति को केवल देश तथा प्रणाली ही वहन कर सकती है। परन्तु मेरा विश्वास है कि हमें इसकी गति बढ़ानी चाहिए। हमारी दिशा ठीक है, गति ठीक है। हमें इस देश के भविष्य तथा लोगों पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अभी अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। हम सदस्यों को दिया गया समय कम नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से कल भी हम बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। यदि हम और सदस्यों को समय देना चाहते हैं तो हमें आज भी कम से कम दो घंटे तक बैठना होगा। अन्यथा कल भी हम समय नहीं दे पाएंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इस संबंध में अलग-अलग राय है। हम आज ही इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा, हमें कल भी समय देना होगा। हमारी यही समस्या है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कल शून्य काल नहीं होने दीजिए। प्रश्न काल के तत्काल बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): कल शून्य काल न होने दे जब तक कि कोई सनसनी घटना न घटे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): कल प्रश्न काल के तत्काल बाद इस पर चर्चा होने दें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम यह निर्णय कर लें कि हम और एक घंटे तक कार्य करेंगे। कल हम कार्य सूची में शामिल कार्य नहीं लेंगे और तब समय बचा लेंगे। अन्यथा, हमारे लिए समय देना कठिन होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, श्री चिदम्बरम, जो दुर्भाग्यवश आज सरकार में नहीं हैं, का भाषण सुनने के बाद ही हमने इस प्रस्ताव पर बल देने का विचार बनाया।

महोदय, श्री चिदम्बरम सरकार की असफलताओं के प्रति अज्ञानता प्रकट करने वाला तथा घमंडपूर्ण रवैये से यह पता चलता है कि वह बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपने दल के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते। हमने श्री अर्जुन सिंह को भी सुना है। उनके लिए श्री आडवाणी अर्धदेवता के समान हैं।

6.00 म०प०

लेकिन वह हाल तक भगवान थे अर्धदेवता नहीं थे। श्री चिदम्बरम ने कहा कि श्री चन्द्र शेखर की सरकार कमज़ोर थी, अल्पमत की सरकार थी। आपने यह बात कब अनुभव की थी? आपने श्री चन्द्रशेखर सरकार से इसलिए समर्थन वापिस नहीं लिया क्योंकि वह एक निर्मम और कमज़ोर सरकार थी। कांग्रेस दल ने श्री चन्द्रशेखर सरकार से समर्थन वापिस लिया था .....**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैंने ऐसा नहीं कहा था। मेरी बातों की गलत व्याख्या नहीं करें। मैंने कहा था कि आपने श्री चन्द्रशेखर के कार्यों का समर्थन किया था **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: कांग्रेस दल को उत्तर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि पिछले एक वर्ष से मैं कुछ भी कहने से स्वयं को रोक रहा हूं.....**(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मैंने उनकी सरकार के कार्यों का समर्थन किया था **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: पिछले एक वर्ष से मैं कुछ भी कहने से स्वयं को रोक रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति उस सरकार का नेतृत्व कर रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए और वह* जो केवल राजनीतिक* है इस प्रकार इस सभा में मुझे चुनौती नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने स्वयं को बहुत रोका है।

अध्यक्ष महोदय: वह शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पी० चिदम्बरम: मैंने कहा था कि सरकार कमज़ोर थी, अल्पमत की थी और मैंने श्री चन्द्रशेखर की सरकार का उल्लेख नहीं किया था। मैंने कहा था कि हमने चन्द्रशेखर सरकार का समर्थन किया था। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: कांग्रेस दल श्री चन्द्रशेखर की सरकार को समर्थन दे रहा था लेकिन एक कांस्टेबल द्वारा दस जनपथ के अंदर झांकने पर और उसके अनधिकृत तौर पर वहां मौजूद होने के कारण आपने अपना समर्थन वापिस ले लिया। आज तो आप उपदेश दे रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: मेरी बात की गलत व्याख्या न करें और न ही ऐसी व्याख्या श्री चन्द्रशेखर को दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप क्या बात कर रहे हैं? हम आधे घंटे से आपके उपदेश सुन रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: आप बैठ जाइए। श्री चिदम्बरम जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम: कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैंने श्री चन्द्रशेखर की सरकार को सक्षम सरकार नहीं कहा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० चिदम्बरम]

था, यदि उन्हें ऐसा आभास हुआ है तब इस बात के लिए मुझे खेद है। मैंने उनकी सरकार को सख्त सरकार नहीं कहा था। इसके विपरीत मैंने उनकी गरीबों के लिए चिंता करने वाला होने के कारण सराहना की थी और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष जी, मैं प्वांइट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्वाइंट आफ आर्डर प्रोसीजर पर होता है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: एक घंटे तक हम लोग श्री चिदम्बरम जी का भाषण सुनते रहे, जो ज्यादातर* था.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री नीतीश कुमार: सोमनाथ जी बोल रहे हैं तो वे बार-बार सफाई देने के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनको बोलने के लिए कुछ और इजाजत दीजिए लेकिन वे भी शांतिपूर्वक दूसरों की बातों को सुने। यह प्वाइंट आफ आर्डर था।

अध्यक्ष महोदय: नीतीश कुमार जी, आपका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं था, वह प्वांइट आफ आर्डर डिसआर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, चर्चा में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े गंभीर मसले पर बहस कर रहे है। बहस का स्तर अगर ऊंचा नहीं रहा तो हम यही बैठे-बैठे लोकतंत्र की हत्या कर देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमने श्री अर्जुन सिंह को सुना है। उन्होंने स्वीकार किया था कि कीमतें बढ़ रही हैं और बोफोर्स तथा प्रतिभूति घोटाले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं।

लेकिन श्री चिदम्बरम का कहना है कि इस राष्ट्र में सब कुछ ठीक है। कोई समस्याएं नहीं हैं। सरकार की भव्य आर्थिक नीतियों के कारण लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। लोगों को तंगहाली और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति की यह अच्छी उपलब्धियां है। उन्होंने कहा कि यदि इन लोगों के लिए अभी भी कुछ बचा है तो उसे भी कम कर दिया जाए। आपको दो या तीन वर्षों में इसके परिणाम मिल जाएंगे। यदि यह देश और यहां की जनता बची तो उनके भाषण का कोई महत्व होगा।

हमने सत्यनिष्ठा और गंभीरता से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हमने जिस बारे में निर्णय लिया था वह महत्वहीन मुद्दा नहीं था। हमें विश्वास था कि इस अल्पमत की सरकार को हटाने से इस देश का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मान-सम्मान तथा आत्म सम्मान वापिस आ सकता है और कुछ साम्राज्यवादी वित्तीय लुटेरों के पंजों से देश को छुड़ाना आवश्यक था।

इस देश की जनता, मेहनतकश तथा श्रमिक वर्ग, 16 जून, 1992 को अपने एकत्रित संघर्ष को दर्शा कर इस जनता विरोधी निरंकुश शासन में अविश्वास की घोषणा कर चुकी है।

अब सभा में हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है और हमें आर्थिक विश्वासघात तथा राष्ट्रीय अपमान की नीति से छुटकारा पाकर अपना कर्तव्य निभाना है।

हमें इस देश में कांग्रेस की कार्य करने की नीति का पूर्ण ज्ञान है। हमने इस देश में अनेक कांग्रेस सरकारें देखी हैं। वे इन सोलह महीनों के बारे में ही कहते रहते हैं। उनके पास अपने गलत क्रियों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बहुत वर्षों से आम आदमी की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। इस देश के गरीब लोगों पर भार डाला जा रहा है तथा बहुराष्ट्रीय एकाधिकारियों और कालाबाज़ारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। तीन वर्षों से देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और यह इतना अधिक बढ़ गया है कि हम इसकी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं।

प्रतिभूति घोटाले से इस देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था लड़खड़ा गई है। यह सरकार इस बात से बिल्कुल अपमानित महसूस नहीं करती है कि जनता के 4000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब-किताब नहीं है, देश का करोड़ों रुपया बाहर चला गया है, हज़ारों आम निवेशकर्त्ताओं, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों ने भविष्य निधि से पैसा निकलवाकर शेयर खरीदे और अब यह मंत्री शेयर बाज़ार के इतने अधिक बढ़ने की बात करते हैं, वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने जनता को सावधान करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। सरकार की यही उपलब्धि है।

देश में अब ऐसी सरकार है जो न केवल कांग्रेस का पुराना कुप्रशासन चला रही है और वही नीतियां अपना रही है जिससे हमारी आर्थिक संप्रभुता समाप्त हो गई है बल्कि इसने हमारे स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से भी समझौता किया है तथा आज हमारी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भेजे गए व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं। वे यहां बड़े होटलों में बैठे रहते हैं। मुझे यह बात बहुत शर्मनाक प्रतीत होती है कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ अधिकारियों द्वारा दिल्ली के होटल में बैठकर हमारी आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं और हमारी सरकार को केवल तुलन पत्र देना होता है और उन्हें अपने कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें उत्तर देना होता है तथा संसद में उत्तर वह बाद में देते हैं जिसके प्रति वह उत्तरदायी हैं। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं (व्यवधान)

हमने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया है और आज यह महान भारत इस स्थिति में आ गया है। वे जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करते हैं। कम से कम एक सुदृढ़, प्रगतिशील भारत का उनका एक सपना तो था और अब वही भारत कुछ लोगों की दया पर निर्भर हो गया है और अब हम किस ओर जा रहे हैं?

हम किनके पास जा रहे हैं? हम इन शोषणकारी विदेश वित्तीय संस्थाओं और एजेंसियों के पास जा रहे हैं। यह इस सरकार की महान सफलता है। इसी वजह से मुझे दुख होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद हमारा देश एक बार फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। यह एक अति अनिष्टकारी दासतां है। इससे राष्ट्र का महत्व नष्ट प्रायः हो जाता है। इससे विश्व में हमारे देश का मान-सम्मान नहीं रहता।

चिदम्बरम जी अति प्रसन्न हैं और उन्होंने कहा है: "विश्व हम पर भरोसा करता है। केवल कुछ भारतीयों को ही हम पर भरोसा नहीं है।" क्या आपने स्वयं से प्रश्न किया है। भारतीयों को भरोसा क्यों नहीं है? आप लोगों पर किसको भरोसा है? एफ०आई०सी०सी०आई०, ए०एस०एम०ओ०सी०एच०ए०एम० (ऐसोचैम), बड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं और कर्मचारियों को आप लोगों पर भरोसा है.....(व्यवधान) स्टाक एक्सचेंजों को बेशक आप पर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

भरोसा हो सकता है। क्या वे लोग आप पर यकीन करते हैं जो इस देश में फुटपाथों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं? आज रहन-सहन की कीमत क्या है? मैं नहीं जनता कि क्या इस सरकार के पास और इस राजनैतिक दल के पास किसी तरह की शर्म बाकी बची है।

श्री जसवंत सिंह ने समाचार पत्र में प्रकाशित भारत सरकार की एक रिपोर्ट को ही यहां पर पढ़ा है जिसमें उन्होंने देश की निराशाजनक आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। हमें किसी अन्यत्र स्रोत से यह रिपोर्ट नहीं मिली है। यह रिपोर्ट किसने तैयार की है? यह वित्त मंत्रालय में डा० मनमोहन सिंह द्वारा तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है? हमारे लिये नहीं बल्कि यह तो आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के लिए तैयार की गई है ताकि केबीनेट आर्थिक समिति के बारे में और इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों की दिशा में निर्णय ले सके। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। कुछ समाचारों और पत्रकारों ने इसकी एक प्रति प्राप्त कर ही ली है और उसे प्रकाशित कर उन्होंने अच्छा ही किया है। आज स्थिति क्या है? चिदम्बरम जी ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि समाचार पत्र ने इसे छापा है। क्या मैं आपकी अनुमति से इस रिपोर्ट का कुछ अंश अपनी बात के रूप में पढ़ सकता हूं? रिपोर्ट में कहा गया है:

".....औद्योगिक उत्पादन में वास्तव में गिरावट आयी या अधिकतर स्थिर रहा।

रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अप्रैल 1991 और फरवरी 1992 के बीच देश में औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 2 प्रतिशत की गिरावट आयी जब कि गत वर्ष इसी अवधि में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि खान तथा उत्खनन के क्षेत्र में स्थिरता रही...।

औद्योगिक क्षेत्र में जैसी परिस्थितियां हैं, वे उदारीकरण के सिद्धान्तों का ढोंग करने वालों के प्रतिकूल दिखाई देती हैं जोकि यह दोष देते हैं कि भारत में औद्योगिक स्थिरता का कारण बुनियादी संरचनागत क्षेत्र द्वारा अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया जाना है...।"

महोदय, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में केवल एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कार्य निष्पादन कुछ ठीक हुआ है। विद्युत के क्षेत्र में, श्री कल्पनाथ राय के मंत्रालय के अंतर्गत विद्युत उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ताप विद्युत उत्पादन में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है:—

> "विद्युत के क्षेत्र में हुई वृद्धि इस बात की द्योतक है कि कोई विद्युत अवरोध पैदा नहीं हुआ। रेलवे के अंतर्गत माल-भाड़े में 6 प्रतिशत की आय वृद्धि इस बात का संकेत करती है कि कोई यातायात अवरोध पैदा नहीं हुआ..."।

लेकिन फिर भी स्थिति क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है:—

> "फिर भी, कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। विक्रय किये जाने वाले इस्पात के उत्पादन में भी 1.4 प्रतिशत की गिरावट आयी..."। कृषि के क्षेत्र में, चावल की सरकारी खरीद 18.6 प्रतिशत कम हुई; गेहूं की सरकारी खरीद 18.5 प्रतिशत कम हुई; खाद्यान्नों का सरकारी भंडार 22.4 प्रतिशत कम हुआ क्योंकि जमाखोरी जारी है।

मानसून के अपर्याप्त होने के संकट के कारण, इस देश में जिन लोगों के पास काफी धन है, वे खाद्यान्नों की जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार खाद्यान्नों की खरीद नहीं कर पायी। इस देश में क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिन-प्रति-दिन निष्क्रिय बनाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों का वितरण कम से कम मात्र में किया जा रहा है। इससे कष्ट किसको हो रहा है? हमें यह कहकर बचने का प्रयास नहीं करना चाहिये कि हर कोई राशन के लिये, खाद्यान्नों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

पास जाता है हमारे समाज का अति कमजोर वर्ग इन अनिवार्य वस्तुओं की खरीद के लिये राशन की दुकानों पर जाने के लिये विवश है।

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि कार्यकुशलता को आठवीं योजना के निर्यात लक्ष्यों में 13 प्रतिशत की वृद्धि की सापेक्षता में आंका जाना चाहिये क्योंकि वर्ष 1991-92 में निर्यात में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आयी थी।

मैं रिपोर्ट के अन्य अंशों को नहीं पढ़ना चाहता बल्कि यह कहना चाहता हूं कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई है। श्री चिदम्बरम ने इसका हवाला नहीं दिया।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): उन्होंने हवाला दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने ऐसा किया है। मेरी गलतफ़हमी दूर हो गई है। मुद्रा आपूर्ति में तेजी से हो रही वृद्धि से नहीं लगता कि मुद्रा-स्फीति में कमी होगी। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि प्रथम मई, 1992 को मुद्रा-स्फीति गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 18.5 प्रतिशत अधिक थी। कृपया आप देखें कि देश में आम लोगों की क्या हालत है। अनिवार्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के अलावा रोजगार का बाजार पिछले एक साल में ठण्डा हुआ है। रोजगार ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि अधिसूचित नौकरियों और नियुक्तियों की संख्या में कमी आयी है। फरवरी, 1992 के अंत में रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर में दर्ज रोजगार की तलाश करने वाले उम्मीदवारों की संख्या गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 5.2 प्रतिशत अधिक थी। जिन लोगों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मिला, उनकी संख्या में 8.2 प्रतिशत की कमी आयी और रोजगार कार्यालयों द्वारा अधिसूचित की गयी रिक्तियों की संख्या 15.8 प्रतिशत कम हुई। यह तो उनकी आर्थिक नीति का परिणाम है। बाजार में कोई काम ही नहीं मिलता और श्री थुंगन यों प्रसन्न हैं जैसे कि वह किसी को स्वर्ण लुटा रहे हों। व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि उन लोगों में शर्म की कुछ न कुछ भावना तो पैदा की ही जानी चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये 'गोल्डन हैण्ड-शेक' योजना को अंतिम रूप दिया गया। श्री थुंगन ने कहा कि हम और भी अधिक धनराशि देंगे। हम कामगारों को प्रलोभन देंगे ताकि वे सेवा से बाहर हो जायें। कौन सेवा से बाहर जायेगा? केवल वे लोग ही सेवा से बाहर जायेंगे जिनकी आयु 40 वर्ष की हो जायेगी क्योंकि उन्होंने काफी समय तक काम कर लिया होगा। 40 वर्ष की आयु होने पर भी वह जिन्दा क्यों है। उसे तो 40 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही मर जाना चाहिये। यह एक हास्यास्पद स्थिति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 23 लाख कर्मचारियों में से 4.5 लाख कर्मचारियों को अतिरिक्त पाया गया है और अब वे सेवा से बाहर हो जाएं। श्री थुंगन अब पुर्नप्रशिक्षण और वैकल्पिक नौकरी देने की बात नहीं करते।

श्री चन्द्रशेखर: बेचारे थुंगन जी क्या करेंगे? यहां तो कई थुंगन हैं। बेचारे थुंगन जी पर ही क्यों आक्षेप किया जाये?

श्री सोमनाथ चटर्जी: बड़े थुंगन जी तो यहां से खिसक गये हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं। थुंगन जी, आखिरकार मेरी नजर में आप एक मंत्री है। इसलिये मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। (व्यवधान)। इस काबिल सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गोल्डन हैण्ड-शेक योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट राशि आबंटित की है। श्री रामविलास पासवान जी ने उनके चुनाव-घोषणा में पढ़ा था कि प्रति वर्ष एक करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मूल्य वृद्धि रोकने के मज़ाक पर मैं और अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। घोषणा पत्र में तो यह भी कहा गया था कि वे प्रथम वर्ष के 365 दिनों में ही एक हजार मिलियन कार्य दिवस गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करायेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसमें एक शून्य कहीं छूट न गया

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हो। इसमें यह भी कहा गया है कि वे हर वर्ष 10 मिलियन नये रोजगार पैदा करेंगे जिससे 2000 इस्वी के अंत तक नये रोजगारों की संख्या 100 मिलियन तक हो जायेगी।

घोषणा पत्र की एक ओर बात बहुत ही दिलचस्प है। निःसंदेह उसे तैयार करने में डा० मनमोहन सिंह का कोई हाथ नहीं रहा। इसका मुझे यकीन है। यदि आपका हाथ रहा हो तो उसका मुझे पता नहीं है। जब वह साऊथ-साऊथ कमीशन के अयक्ष थे तो उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था, इसके बारे में मुझे पता है। कांग्रेस दल ने इस देश के लोगों के साथ वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने के पहले 365 दिनों के भीतर ही कामगारों को, छोटे और मझौले विनियोजकों को तथा आम जनता को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्टाक भेंट करेगी। अब यह भेंट किन लोगों को दी गई है।? इस बात को बिल्कुल नकार दिया गया है।

आज हम देखते हैं कि बुश, केमडीसस और प्रेसटन इस देश का मार्ग-दर्शन का रहे हैं। ये लोग हमारे राष्ट्र के मध्यस्थ बने हुए हैं।

श्री चिदम्बरम इस बात से प्रसन्न है कि उन्हें विश्व आर्थिक समुदाय का समर्थन मिला है। इस सरकार को साम्राज्यवादी वित्तीय एजेंसियों की वाह-वाह लूटने की अधिक चिंता है जबकि देश के उन लाखों लोगों के अनुमोदन की चिंता कम है जिनकी दरिद्रता और कंगाली की स्थिति में आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। इसने सहनशीलता की तमाम सीमाओं को पार कर डाला है।

जब मैं इस घोषणा-पत्र को पढ़ रहा था—कभी कभी इसके बावजूद आपको पढ़ना पड़ता है....(व्यवधान) आप ऐसा नहीं चाहते कि हम उसे पढ़ें। स्वाभाविक तौर पर मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आज केन्द्र में जो सरकार शासन कर रही है, वह सदन से बाहर और सदन के अंदर अल्पमत में है, और उसने श्री पैराम्बदूर की दूखद घटना के बावजूद भी प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में सभ्य सरकार के संभी नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे जनता का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया है जिनका उन्होंने घोषणा-पत्र में कहीं भी वर्णन नहीं किया और न ही कभी किसी अवसर पर किसी कार्यक्रम की घोषणा करने अथवा इसे लागू करने से पूर्व जनता का, संसद का अनुमोदन प्राप्त किया। इन लोगों ने अपने इस घोषणा पत्र का व्यापक तौर पर और जान बूझ कर उल्लंघन किया है जोकि बड़े जोर-शोर से जारी किया गया था और यह दस्तावेज़ धोखाधड़ी के चर्मपत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

मुझे घोषणा-पात्र के अन्य भागों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें उनके बारे में बताया गया है और हमें सब कुछ पता है। लेकिन इस देश की क्या स्थिति है? आर्थिक स्थिति तो हमने देख ही ली है और उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। मैं इस पर और अधिक समय नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरे बोलने का समय सीमित है और हमारी पार्टी के अन्य साथियों ने भी बोलना है। आज हम देखते है कि कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, आम तौर पर मन्दी है और सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों में होने वाले व्यय में भारी कटौती कर दी जिसके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी और भी अधिक प्रबल हो गई है। मैं सुविख्यात पत्रकार द्वारा लिखित एक लेख की एक या दो पंक्तियां यहां रखने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं, इसमें कहा गया है:—

> "संरचनागत समायोजन गरीबों को इस बात के लिये विवश कर रहा है कि पहले से पिचके हुए अपने पेट को और भी अधिक पिचका लें। अब ये लोग कम खाते है और घटिया चीजें खाते है, अति आवश्यक कपड़ों और जूतों आदि को खरीदने के अपने निर्णयों को भी टाल जाते हैं और किराये के मकानों को छोड़ कर अनधिकृत क्षेत्र में अनुचित रूप से रहते हैं। वे अपने बच्चों को विद्यालयों से

निकाल लेते हैं और उन्हें कमरतोड़ मेहनत करने वाले ऐसे कार्यों की बलि चढ़ा देते हैं जिनसे वे स्वयं भी घृणा करते हैं......"।

"केवल पिछले साल में ही जो आर्थिक गतिविधियां हुई हैं उनके कारण 22 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गये हैं...." **(व्यवधान)**

"ग्रामीण लोगों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा है..." **(व्यवधान)**

निःसंदेह इस सरकार पर मुझे कोई यकीन नहीं है। यदि मंत्रियों से इस तरह के हस्तक्षेप की घटनायें जारी रहती हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?.....**(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): उन्हें अवश्य बताना चाहिये कि किसने ऐसा लिखा है...**(व्यवधान)**।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं अपनी बात पर अडिग हूं। महोदय, लेख में आगे कहा गया है:

"ग्रामीण निर्धन लोगों पर इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन शहरी निर्धन लोगों की दशा भी कोई अच्छी नहीं है।"

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सातवें और आठवें दशक के अंत में अनाज की खपत में वास्तव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 14 ग्राम की कमी हुई है"।

अब उस में और भी कमी आई है।

"प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालों की खपत में बहुत अधिक कमी हुई है। लोग हरी सब्जियों, दूध, प्रोटीन कंद-मूल और अण्डों, मांस और मछली का सेवन कम मात्रा में कर रहे हैं।".....**(व्यवधान)**.... क्या आप पत्रकार का नाम जानना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी: पत्रकार का नाम प्रफुल बिदवई है। एक रिपोर्ट यह भी है कि कसाई मांस नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है और सब्जी बेचने वाले के पास सब्जियां खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। उसे अपने आप को और अपने परिवार को जीवित रखने के लिए [illegible] [illegible] रोटी खानी पड़ती है, ऐसी स्थिति है इस देश में, लेख में आगे कहा गया है:

"सामान्य मूल्य स्तर में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों के कारण यह वृद्धि हुई है। आज खाद्यान्नों की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक हैं।"

मैं फिर उद्धृत करता हूं:

"अर्थशास्त्रियों ने खुशहाली के सूचकांक में तेजी से कमी आने और शिशु मृत्यु दर में। वृद्धि साधारण अस्वस्थता-दर (बीमारियों की व्यप्ति) और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर में भी अत्यधिक वृद्धि होने की भविष्यवाणी की है। नुकशानदायक सामाजिक परिणाम अर्थात अधिक असंतुलित आय वितरण, गरीब के प्रति घोर सामाजिक भेदभाव और उनके मानवाधिकारों का और अधिक उल्लंघन शसक्त रूप से इन प्रवृतियों के साथ जुड़े हुए हैं।

मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलने जा रहा हूं। यह स्थिति है इस देश की। क्या इससे इनकार किया जा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति सच्चाई के साथ इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में ऐसी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

स्थिति नहीं है? समाचार पत्रों की एक रिपोर्ट का जो मैंने पहले पढ कर सुनाई है, सरकार ने खण्डन नहीं किया है। दूसरी तरफ श्री चिदम्बरम ने उस रिपोर्ट को सही बताया है। संक्षेप में यह इस देश की आर्थिक स्थिति है।

मैं प्रतिभूति घोटाले को नहीं ले रहा हूं क्योंकि उस पर सदन में चर्चा की जाएगी, मैं बोफोर्स मुद्दे को भी विस्तार में नहीं उठाना चाहूंगा क्योंकि हमें यह आशा है कि इस मुद्दे पर इसी सत्र में हीं चर्चा होगी, मुझे आशा है कि वह इसके लिए समय निर्धारित करेंगे। महोदय परन्तु आर्थिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक सभी दृष्टियों से देश एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इस समय राष्ट्र की एकता, अखण्डता लोकतांत्रिक अधिकारों और हमारी आर्थिक संरभुता को खतरा है; साथ ही भारत की गुटनिर्पेक्षता की विदेश नीति भी क्षीण हुई है। प्रधान मंत्री ने पदभार ग्रहण करते समय आम राय से चलने की बात की थी। परन्तु इन महीनों हमने देखा कि उनके अनुसार आम राय का मतलब है कि आपको उनसे सहमत होना पड़ेगा। अन्यथा आम राय बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जब इन आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था और इनकी घोषणा की गई थी। तब भी आम राय बनाने का प्रयास नहीं किया गया था। सदन की पहली बैठक होने से पहले ही इनकी घोषणा कर दी गई थी। जिस अयोध्या मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर क्या हुआ, यह हम सब देख चुके हैं। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधान मंत्री ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विवादित स्थल पर निर्माण कार्य की अनुमति देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने मना नहीं किया है सरकार यह कैसे सोचती है कि निर्माण केवल शिलान्यास स्थल पर ही किया जाएगा? सम्भवतः यह छह फुट लम्बा और छह फुट चौड़ा क्षेत्र है। केवल शिलान्यास स्थल पर ही मंदिर नहीं बन सकता है। आप यह कैसे कह सकते हैं? बिना हमसे पूछे ही हमारा समर्थन मान लिया गया है? श्री रामविलास पासवान ने ठीक ही कहा है कि कई दिनों तक साथ-साथ बैठने के बाद सरकार ने पूछा कि हमारा विचार क्या है और जब हमने बार-बार अपने दृष्टिकोण स्पष्ट किया तो इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया यह थी कि सी॰सी॰पी॰ए॰ की प्रतीक्षा करें। यह एक मजाक बन गया। हम आपके कक्ष में आपके साथ बैठे हमने इस मामले पर चर्चा की। हमने इस पर बाहर चर्चा की हम कार्रवाई की आवश्यकता के लिए प्रधान मंत्री से मिले। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वे केवल न्यायालय के आदेश पर निर्भर करते हैं इस सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है और इसका अपना कोई विचार नहीं है। वह एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकते जिससे पूरे देश के विभाजित होने की संभावना है और जिससे इस देश में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

महोदय, हम लोगों में एकता चाहते हैं। परन्तु इस सरकार की अनिर्णय और भटकती स्थिति तथा इस मामले पर इसकी जानबूझ कर निष्क्रिय रहने के कारण साम्प्रदायिक हिंसा के फैलने की आशंका है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती खत्म नहीं की है।....**(व्यवधान)**...श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि यह एक अच्छा छुटकारा है। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि "यह एक अच्छा छुटकारा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें समर्थन नहीं दे रही है। परन्तु वह उनकी आर्थिक नीतियों और उनकी विदेश नीतियों का समर्थन कर रही है। केवल मंदिर नीति के कारण फिलहाल कुछ सतही गलतफहमियां उत्पन्न हो रही हैं और अब प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से स्थिति स्पष्ट हो गई है। वे लोग बहुत उत्सुक हैं। प्रधान मंत्री विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वह बहुत खुश हैं।

अतः मैं यह आरोप लगाता हूं कि इस सरकार ने इस देश में धर्मनिर्पेक्षता के सिद्धान्त कर लिया है जो कि हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं में से एक है, के साथ समझौता कर लिया है। महोदय, यदि सरकार

अब भी ईमानदारी और विश्वास से काम करने में असफल रहती है तो उसके देश में गंभीर परिणाम होंगे और मैं यह मांग करता हूं कि इस सरकार को अपनी दिशा हीनता की नीति और सम्प्रदायिक ताकतों से समझौते की नीति छोड़ देनी चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय एकता परिषद ने एक निर्णय लिया इसकी स्थाई समिति ने एक निर्णय लिया, सभी धर्मनिरपेक्ष दल इस विषय पर सहमत हैं और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा, हमने तनाव को कम करना चाहा ताकि कोई भी स्थिति का फायदा न उठा सके। हम कहते रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभी पक्षों से वार्तालाप करके निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि वार्तालाप से सामाधान संभव नहीं है तो न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारा हमेशा ही यह दृष्टि कोण रहा है। महोदय अब हम देख रहे हैं कि सरकार बहुसंख्यक संप्रदायवाद को राजी करने, धर्मनिरपेक्षवाद के मूलभूत सिद्धान्तों की कुर्बानी देने और सदन में मुख्य विपक्षी दल से सहयोग और मेल-मिलाप बनाए रखने में अधिक चिंतित है।

महोदय, कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है? यह मुद्दे हैं जो राष्ट्र के मूलभूत ताने-बाने को राष्ट्र की एकता और अखण्डता को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं निपटाया जा रहा है। उन्हें केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति समझा जा रहा है। उन्हें अधिक से अधिक जटिल बनाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में वहां के लोगों की आकांक्षाओं को नहीं सोचा जा रहा है या उन पर विचार नहीं किया जा रहा है, स्वायतत्ता की उनकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है, किस प्रकार एक के बाद एक विधिवत रूप से चुनी गई सरकारों को हटाया गया है और कैसे वहां चुनावों में हेराफेरी की गई। वहां की जनता का दिल्ली ब्रांड लोकतंत्र के कार्यकरण से कांग्रेसी ब्रांड लोकतंत्र विश्वास उठ गया है।

अतः लोग अलग-थलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भविष्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं। महोदय, इसीलिए उन्हें मुख्य धारा में वापस नहीं लाया जा रहा है और कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलायी जा रही है। केवल सेना और अर्द्ध सैनिक बलों पर निर्भर रह कर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

महोदय, हम यह कहते रहे हैं कि यह आवश्यक है कि केन्द्र-राज्य संबंधों की बहुत गहराई से समीक्षा करनी होगी। सरकारिया आयोग की अपर्याप्त सिफारिशें भी कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। केन्द्र सरकार के पास शक्तियों का अधिक केन्द्रीयकरण होने से देश के अनेक भागों में लोग अलग-थलग पड़ रहे हैं। कश्मीर, पंजाब और असम इसके दृष्टांत है। केन्द्र सरकार के पास शक्तियों का केन्द्रीयकरण होने के कारण जातीय अल्पसंख्यक और जनजातीय लोग इस देश में आज विमुख हो रहे हैं, केन्द्र सरकार इन क्षेत्रों की समस्याओं और विकास के प्रति पूरी तरह से कठोर हृदय बनी हुई है। इसी लिए वह लोग स्वयं को हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग समझते हैं। सरकार जब तक इन मामलों पर विचार नहीं करती है, तब तक वह भारत के लिए उत्पन्न हो गए खतरे की मूल प्रकृति को नहीं समझेंगे।

अब वह कश्मीर में क्या करना चाहती है? वह वहां पर चुनाव कराने की कोशिश कर रही है। श्री जसवंत सिंह ने मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न वक्तव्यों का उल्लेख किया है। पंजाब के अनुभव से उसे इतना बढ़ावा मिला है कि उसने इस सभा में छह और सदस्य अपनी संख्या में जोड़कर कांग्रेस दल की स्थिति को मजबूत कर लिया है जैसे कि उनका एकमात्र लक्ष्य किसी तरह अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने का है भले ही यह काम तेलगूदेशम पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों में से विभाजन करके ही क्यों न किया जाए अथवा देश में झूठे चुनाव करवाकर ही क्यों न किया जाए। पंजाब में क्या हुआ? हमने कहा कि कुछ राजनीतिक एक मुक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा करेंगे। अन्ततः उन्होंने यह नहीं किया क्योंकि

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

उन्हें केवल इस सदन में कुछ लोगों को निर्वाचित करवाने की चिन्ता थी। चुनाव के नाम पर जो मजाक हुआ मैं उसके आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं श्री चन्द्रशेखर जी की इस बात से सहमत हूं कि इस सरकार को "लोकप्रिय सरकार" कहना ठीक नहीं होगा यही कारण है कि इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। बेगुनाह लोगों को रोज़ाना मारा जा रहा है। आज सुबह ही पंजाब से हमारे मित्र ने उल्लेख किया था कि किस प्रकार पुलिस द्वारा अत्याचार और क्रूरता की जा रही है और कैसे अधिकाधिक लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है वहां क्या घटित हो रहा है? पंजाब में कांग्रेस के मुख्य मंत्री कहते हैं कि अब राजीव लोंगोवाल समझौता संगत नहीं रह गया है और कोई एकमुश्त-प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। वह कहते हैं कि समझौते पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या सरकार उससे सहमत है? क्या प्रधान मंत्री उस बात से सहमत हैं? वह वहां की स्थिति से निबटने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर हरियाणा के मुख्य मंत्री उल्टे संकेत दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समस्या के हल करने का क्या यही तरीका है? प्रधान मंत्री और वर्तमान सरकार द्वारा दिया जा रहा क्या यही नेतृत्व है?

महोदय, यह देश एक कैसे रह सकेगा और इसकी एकता की कैसे रक्षा की जा सकेगी? यह अनिवार्य है कि कश्मीर और पंजाब दोनों ही के बारे में केन्द्र-राज्य संबंधों को पुनर्निर्माण करना है और एक पूर्ण-भागीदारी तथा केन्द्र में सही अर्थों में एक संघीय सरकार स्थापित करने की जरूरत है। अतः हम महसूस करते हैं कि अगर यह सरकार इससे परवर्ती कांग्रेस सरकारों की नीति का अनुसरण करना जारी रखती है और सभी शक्तियां केन्द्र के हाथों में रखना जारी रखती है, तो जहां तक इन प्रयासों का संबंध है, विरोध ज़ारी रहेगा। केन्द्र-राज्य-संबंधों में एक परिवर्तन लाना होगा और राज्य को अपेक्षित-स्वायत्तता प्रदान करने को उचित महत्व देना होगा, ताकि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें और उन्हें इस देश की मुख्य धारा में वापिस लाया जा सके।

महोदय, इस देश में पंजाब की एक गौरवमय परम्परा है। चाहे हमारा स्वतंत्रता-संग्राम हो अथवा उसके बाद पंजाब के योगदान को कौन नहीं जानता? आज पंजाब के ये लोग भगत सिंह के उत्तराधिकारी, जलियांवाला बाग के नायक और गदर-पार्टी के सदस्य आज भारत से विलय महसूस क्यों करते हैं? वहां ऐसी आतंकवादी गतिविधियां क्यों जारी हैं? इस देश में पृथकतावाद के लिए मांग क्यों हैं। पुलिस और सेना को वहां रखने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा इसलिये कोई आत्म-मंथन कीजिये। हम जानते हैं कि पिछले चुनावों के दौरान अकालियों को कैसे अलग रखा गया था। अगर कुछ एकमुश्त-प्रस्तावों को लागू कर दिया जाता तो अकाली चुनावों में शामिल हो गये होते। यह आश्वासन दिया गया था और फिर अन्तिम-क्षणों में इसे वापिस ले लिया गया। अतः, अकालियों ने चुनावों में भाग नहीं लिया और परिणाम हम सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता कि अकाली सरकार बरनाला सरकार को कैसे बर्खास्त किया गया था? राजीव-लौंगोवाल समझौते, जिसका इस देश में हरेक ने प्रशंसा की थी, को कैसे जानबूझ कर लागू नहीं किया गया? वह समझौता एक अच्छा और ईमानदार प्रयास था और हमने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को भी वह समझौता करने के लिए बधाई दी थी। इसे लागू क्यों नहीं किया था? चण्डीगढ़ पंजाब को क्यों नहीं दिया गया था? नदी-जल के बारे में कुछ भी निर्णय क्यों नहीं किया गया था? वे इसे आपस में हल क्यों नहीं कर लेते अथवा इस मामले को उच्चतम न्यायालय को निर्णय के लिए क्यों नहीं भेज देते? इन महत्वपूर्ण मामलों को लटकाये रखा गया है और केवल भाषण दिये जाते हैं। गृह मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिया था और अब इन मामलों में सरकार की क्षमा-याचना ही मिली है, जिसने स्थिति को उलझाया ही है। अतः ये ऐसे मामले हैं, जिन पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना है। इनका एक राजनैतिक हल ढूढ़ना है। लोग अभी भी पंजाब अथवा काश्मीर की साधारण, रोजमर्रा और सामान्य गतिविधियों में भाग लेने के भी सक्षम नहीं हुए हैं। आप वहां की इन समस्याओं को जादू से, यहां पर अपने भाषण द्वारा अथवा पुलिस अथवा सेना द्वारा कैसे करेंगे? हमें बतायें, हम इस सरकार से

जानना चाहते हैं। क्या आपने एक भी ऐसा नया कदम उठाया है, जिसका कि इस देश में इससे पूर्व कांग्रेस सरकार ने अनुसरण न किया हो?

आदिवासी स्वयं को अलग-थलग पा रहे हैं यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। असम की समस्या भी है। इससे निपटना है। इस देश के लोग मुख्य धारा से अलग-थलग क्यों महसूस कर रहे हैं? वे अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं?

कुछ लोग स्वतंत्रता अथवा कुछ अन्य लोग विशेष अधिकारों की मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस कारण है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय अथवा कुछ क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली से न्याय नहीं मिल रहा है; उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अतः, ये बातें ऐसी हैं जिन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना है। लोगों की पहचान का सम्मान करना है; उनकी संस्कृति कार्य सम्मान करना है; उनकी भाषा का सम्मान करना है; और आकांक्षाओं को नोट करना है और उस भारतीयों को इस प्रकार से उपखंडित नहीं किया जा सकता और उसे कुछ सम्मान देना है। हमारा महान् लोकाचार विविधता में एकता है। हम उसे बनाये रखना चाहते हैं। अगर विविधता को मिटाया जाना है तो इस तरह से आप बल द्वारा इस देश में एकता नहीं ला सकते।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी विदेश-नीति के बारे में है। हमारी विदेश नीति के संबंध में पूर्णतयः उभयमुखता और अनिश्चतता है। इजराईल को मान्यता प्रदान करना कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र का सुविचारित नकारना है। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस उस क्षेत्र के देशों, अर्थात पश्चिम-एशिया-क्षेत्र, के साथ नजदीकी संपर्क कायम कर इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता, तीव्र आर्थिक विकास, आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप और दखल-देने से इस क्षेत्र को स्वमुक्त रखने; इज़राईल द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित अरब-क्षेत्र को खाली करने और फिलिस्तीनी-भूमि समेत पश्चिम-एशिया में व्यापक और निश्चित हल के लिए कार्य करेगी।

लेकिन अब बिना कोई शांति स्थापित करवाये अथवा इज़राईल द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित क्षेत्र को खाली करवाये बिना इज़राईल को मान्यता प्रदान कर दी गई है। उसके लिए केवल एक ही दलील दी गई थी कि पश्चिमी-एशिया शांति प्रयासों में हस्तक्षेप करने में हमें इससे सहायता मिलेगी। पश्चिमी-एशिया शांति प्रयासों में, हम उस प्रक्रिया में कहीं भी नहीं लिये जाते। हमारी कोई भी परवाह नहीं करता। दूसरी ओर, हम देखते हैं कि सरकार अमेरिकन-साम्राज्यवाद के साथ निकट से सहयोग कर रह रही है। आज तक हम यह नहीं समझ पाये हैं कि सांझा नौसेनिक-अभ्यास के लिए क्या कारण है। हम आरम्भ से ही यह मांग करते रहे हैं और मैं रक्ष-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—उन्हें रक्षा-मंत्रालय में हाल ही में शामिल किया गया है—उनकी क्या अवधारणा है? जबकि कोई भी सामान्य शत्रु नहीं है, क्या देशों द्वारा एक सांझा-नौसेनिक—अभ्यास किया जा सकता है? क्या किसी ने कभी ऐसा सोचा है? किसी उद्देश्य के लिए ऐसा किया जा सकता है? जब तक आप यह अनुभव नहीं कर लेते कि एक सामान्य शत्रु है, तब तक आप सांझा-सैनिक-अभ्यास करने का मेल नहीं कर सकते।

आज हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को संसार में एक मात्र महाशक्ति समझता है। वे अपना बाहुबल कैसे मोड़ रहे हैं, वे भारत जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों को कैसे धमकी दे रहे हैं? इसरो, सुपर-301 और डंकल प्रस्ताव की धमकियां हमें हररोज़ दी जाती रही हैं। मुझे विदित नहीं है कि इस डंकल प्रारूप का आखिरकार क्या होगा? हम सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? गैर-वार्ता पर आपका क्या रवैया होगा? वे हम पर दबाव डाल रहे हैं। आज हमें अपनी आगे की कार्रवाई श्री बुश के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए न कि इस देश की जनता के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए तय करनी पड़ती है।

गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त आज कहां हैं? गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त इस देश के लोगों का औपनिवेशिक-शासन के विरुद्ध एक आंदोलन के संघर्ष का परिणाम है, जोकि मुख्यतः साम्राज्यवाद-विरोध पर

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आधारित है। लेकिन आज बिना किसी साम्राज्यवाद-विरोधी विषय-वस्तु के, गुट-निरपेक्षता अपना प्रभाव खो बैठी है। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन को मात्र एक शब्दाडम्बर के रूप में उल्लिखित न करें। इसे हमारी विदेश-नीति का मूलभूत आधार होना चाहिये। और हम उससे दूर जा रहे हैं। आज, संसार में गुट-निरपेक्षता बिल्कुल संगत नहीं रहा है। गुट-निरपेक्ष संसार में प्रत्येक देश भारत से नेतृत्व प्रदान करने की अपेक्षा करता है। आज कोई वैसा नहीं कर रहा है। गुट-निरपेक्ष-संसार में कहां है? उन लोगों की आंखों में, जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो साम्राज्यवाद और दमन के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम कहां स्थित हैं? भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। हम सभी को गर्व है कि यह इस देश की सामान्य विदेश-नीती थी और आपने इसका परित्याग कर दिया है। गुट-निरपेक्ष के बारे में अब आप कोई बात नहीं करते हैं।

इस देश में यह एक गम्भीर समस्या उभरी है। यह सरकार अपने अस्तित्व को उचित नहीं ठहरा पाती।

जहां तक घपलों का संबंध है, उनकी कोई कमी नहीं है। संविदाओं और अन्य बातों से संबद्ध लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालय अथवा कोई मंत्रालय संकट में हैं। समाचार-पत्रों में अनेकों रिपोर्ट आ रही हैं। उन रिपोर्टों का किसी ने भी खण्डन नहीं किया। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मंत्री कहते हैं "कृपया दबाव न डालें" आज ऐसी स्थिति का हम सामना कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री को विपक्ष के माननीय नेता से अत्यधिक अनुशंसा मिली है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद वह श्रेष्ठ प्रधान मंत्री हैं। मुझे विदित नहीं है कि क्या उनका भी ऐसा ही मत है। सम्भवतः अयोध्या के मामले पर उनके हस्तक्षेप के पश्चात् वह प्रथम स्थान पर आ गये हैं।

श्री जन्नजीत यादव (आजमगढ़): उनके मन में परिवर्तन आया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमारी यह अवधारणा है कि इस सरकार ने साम्प्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करने की अपनी नीति छोड़ी नहीं है और जब भी बने रहने का समय आता है, वह श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास जायेंगे तथा अर्ध देव एक पूर्ण देव बन जायेगा। **(व्यवधान)** यहां तक कि श्री पी० चिदम्बरम ने कहा है कि भा०ज०पा० की कोई आर्थिक नीति नहीं है। इसका उत्तर भा०जा०पा० नेताओं को देना है। लेकिन वे बहुत खुश थे भा०ज०पा० कह रही थी कि कांग्रेस ने उनकी आर्थिक नीति अपनाई है। वे बहुत खुश हैं। आपने कभी भी इन्कार नहीं किया कि जब आपने उनकी विदेश नीति को अपनाया आप बहुत प्रसन्न थे। अतः यह गठजोड़ है और इस गठजोड़ के कारण तथा जनता विरोधी नीतियों एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय सभी मुद्दों पर आपकी विफलता के कारण आपको एक दिन और एक क्षण के लिये भी सत्ता में नहीं रहना चाहिये।

मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता, श्री जसवंत सिंह को और उसके बाद श्री राम विलास पासवान, श्री सोमनाथ चटर्जी आदि को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना है।

महोदय, मैं दूसरे रूप में अपना विचार रखूंगा। मैं समझता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो आज बहस चल रही है वह कल भी 8.30 या 9.00 म०प० बजे तक जारी रहेगी। अगर श्री जसंवत सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इस देश का परिदृश्य कैसा होगा। देश के सामने जो स्थिति होगी वह इस प्रकार की होगी कि श्री पी० वी० नरसिंह राव राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे।। उनके साथ साठ सदस्यों वाला यह मंत्रिमंडल भी चला जायेगा और हम लोग बेरोजगार हो जायेंगे। देश का परिदृश्य ऐसा होगा। कोई देवात्मा कहता है, कोई रामजी कहता है और कोई भगवान कहता है। चाहे कोई भी नाम से क्यों न पुकारें, लोगों ने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया है।

आगे फिर हमारे जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिये फिर से चुनाव शीघ्र ही करवा लिया जायेगा। राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम में विभिन्न दलों के स्थिति का आकलन करें तो पायेंगे कि हमारे पास मुश्किल से 10 प्रतिशत अधिक वोट है। इन परिणामों से श्री पी० वी० नरसिंह राव को बल मिलेगा। मैं लखनऊ गया था। वहां की स्थिति का मैंने जायजा लिया। मैं एक होटल में था। कई राम भक्त रात में आकर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उन्हें उनका नाम निर्देशित करने का आश्वासन दूं तो वह अपना वोट मेरे पक्ष में देंगे। मैंने उन राम भक्तों से कहा कि हम देश के दूसरे भाग से आते है और वहां हमने जीत हासिल की है। श्री पी० वी० नरसिंह राव को लोगों ने अपना समर्थन दिया है। क्यों दिया है समर्थन?

सी०पी०एम० के हमारे विद्वान दोस्त, श्री सोमनाथ चटर्जी को यह समझना चाहिये कि अगर केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी वह प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे। श्री ज्योति बसु प्रधान मंत्री बन सकेंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी तो वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री ही बन सकेंगे क्योंकि वाणिज्यिक विषयों के वह एक अच्छे ज्ञाता है। लेकिन क्या उन्हें भा०ज०पा० का समर्थन मिलेगा? नहीं। यद्यपि हमारे देश में सी०पी०एम० एक राष्ट्रीय पार्टी है जबकि पूरे विश्व में से उसका सफाया हो चुका है। इस पार्टी का अस्तित्व सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, कभी-कभी यह केरल और त्रिपुरा में भी आ जाती है। भाजपा का क्या हुआ? (व्यवधान)। मैंने आपको बाधित नहीं किया है। कृपया मुझे कहने दीजिये। अगर मैं कोई असंसदीय चीज बोलता हूं तो उसे आप रिकार्ड से हटा देना। मेरे भाषण के बाद आप मुझे बुला लेना, मैं बिना शर्त्त माफी मांग लूंगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने दें। अगर मैं कुछ भी असत्य बोलूंगा तो मैं बिना शर्त्त माफी मांग लूंगा। मुझे बोलने दें।

1947 के बाद हमारी कितनी सरकारें बनी? पहले, 15.8.47 से 24.3.77 तक पहले कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रहीं। तत्पश्चात 24.3.77 से 28.7.79 तक जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही। फिर 28.7.79 से 14.1.80 तक श्री चरण सिंह की सरकार सत्ता में थी। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार 14.1.80 को सत्ता में आयी और 2.12.89 तक बरकरार रही। उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार 2.12.89 से 10.11.90 तक सत्ता में रही। श्री चन्द्रशेखर की सरकार 10.11.90 से 21.6.91 तक सत्ता में रही। हमें आजादी प्राप्त किये 44 वर्ष हो चुके हैं। इन 44 वर्षों के दौरान देश में हमने कितने प्रधान मंत्री बनाये हैं। हमने पहला प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को बनाया था। उनके निधन हो जाने के बाद, श्री जी० एल० नंदा को 13 दिनों के लिये प्रधान मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री बने। उनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं जिन्होंने पन्द्रह वर्ष और कुछ महिने तक देश में शासन किया। उसके बाद जनता पार्टी के श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने। फिर आयी चौधरी चरण सिंह की काम चलाऊ सरकार। उसके बाद 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने और उन्होंने 1989 के अन्त तक शासन संभाला। उनके द्वारा चुनाव करवाने के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आये जिन्होंने 11 महीनों तक देश का शासन संभाला। उसके बाद हमारे समर्थन से श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री बने जिन्होंने छः-सात महीने तक शासन किया।

जब ये जनादेश मांगने फिर से जायेंगे तो क्या होगा? इस देश के 44 वर्ष से अधिक के शासन में इन्होंने सिर्फ चार वर्षों तक ही शासन किया है जिनमें इनके चार प्रधान मंत्री बने हैं। एक उप प्रधान मंत्री को बर्खास्त भी किया जा चुका है। एक दिन सवेरे-सवेरे हमने अखबार में पढ़ा कि श्री देवीलाल को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि हमारी पार्टी के शासन में प्रधान मंत्री के निधन हो जाने बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधान मंत्री मनोनीत किया गया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद दूसरा प्रधान मंत्री..(व्यवधान)।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): श्री गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु नहीं हुई है।

श्री संतोष मोहन देव: श्री गुलजारी लाल नंदा की मृत्यु नहीं हुई। वह तो बीच में ..**(व्यवधान)**। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आयीं। उनके बाद ..**(व्यवधान)** मैं सदन का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे दल के प्रत्येक नेता के निधन पर कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेताओं ने यह टिप्पणी की थी जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी या श्री जसवंत सिंह या श्री राम विलास पासवान ने भी की है कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है; इसमें से अब नेतृत्व उभरना संभव नहीं होगा; इसमें संकट पैदा हो जायेगा और यह सरकार नहीं चल पायेगी। 44 वर्षों में इस पार्टी ने सिर्फ चार प्रधान मंत्री दिये हैं जबकि इन्होंने साढ़े चार वर्षों की अवधि में ही इनके चार प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वे अपने आपको प्रधान मंत्री से कम नहीं समझते हैं। यह सब क्या है? कुछ राज्यों में इन दलों की सरकार जनादेश से शासन कर रही है। भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है। मैं लखनऊ गया था। वहां चाय और दूसरे दुकानों पर लोगों ने खुले आम कहना शुरू कर दिया है कि यह सरकार "जय राम" कहते हुये जायेगी। भगवान राम स्वर्ग से सब कुछ देख रहे हैं। अपने जन्म-स्थान को विवदास्पद बना दिये जाने से वह बहुत ही दुखी हैं। अगर राजनीति से जोड़कर राम मंदिर का निर्माण किया जाता है तो मैं समझता हूं कि भारत के लोग इस बात को सहन नहीं कर पायेंगे। अगर इस अविश्वास को पारित करके ये अगर चुनाव करवाते हैं तो इनकी संख्या से 111 से घटकर आठ हो जायेगी। देश परिदृश्य यही होगा।

अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने श्री चिदम्बरम द्वारा कही गयी बात को दुहराया भी है। उन्होंने उन पर ताना कसा है। कुछ ही दिन पूर्व लांबी में कई लोग उनके पीछे भागते हुये और यह कहते हुये पाये जाते थे कि वह देश के सबसे अच्छे मंत्री हैं। आज इनके इस्तीफा देने के बाद वही लोग यह कहते हुये हिचकिचा नहीं रहे हैं। छः महीने के बाद अगर वह फिर मंत्री बन जायें तो कई लोग उनके पीछे पुनः भागते देखें जायेंगे। मैं यह सब इस समय नहीं कह रहा हूं। आज क्या हो रहा है ....

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह सब व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। क्या हम इस तरह की भाषण की उम्मीद करते हैं।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी जब कुर्सी से हट जाता है तो शोक-संवेदना तो होती ही है, चाहे खराब आदमी हो चाहे अच्छा आदमी हो **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने उनसे कहा था कि मुझे लगता है कि वाणिज्य मंत्री के रूप में गैर-वाणिज्य गतिविधियों में काफी संलग्न रहें। उन्होंने "थैंक यू" कहा। यही बात है जो मैंने कही थी **(व्यवधान)**।

श्री संतोष मोहन देव: श्री पासवान ने हमारे एक मंत्री के बारे में एक टिप्पणी की थी जिसे मैं बता सकता हूं। वह इससे इंकार करें। विपक्षी दलों की बैठक में एक खास दल के वामपंथी नेता ने इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया था और उस पर वहां बहस भी हुई थी। कुछ देर के बाद श्री पासवान उठकर कहा कि "हम जानते हैं कि यह सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन श्री पी० वी० नरसिंह राव की देश में पकड़ बन रही है" उनकी छवि बहुत ही अच्छी है। उनकी छवि को हमें धूमिल करना है इसलिये हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं।" इस बात से वह इंकार नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**।

श्री राम विलास पासवान: यह पूर्णतया असत्य है। **(व्यवधान)**।

श्री संतोष मोहन देव: अगर यह पूर्णयता असत्य है और अगर वह सदस्य भी **(व्यवधान)** मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: एक दसरे को चुनौती न दें। कृपया आप विषयवस्तु पर आइये।

(व्यवधान)

7.00 म०प०

श्री संतोष मोहन देव: वह जब हम पर प्रहार करते हैं तो वह नहीं जानते कि हमें कैसा लगता है। जब हम भी वैसा करने का प्रयास करता हूं तो वे लोग उत्तेजित हो जाते हैं। राजनीति में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर वह मुझे पर पत्थर फेंकते हैं तो मैं कोई गांधी जी का चेला नहीं हूं, मैं नेताजी का चेला हूं और मैं भी वापस पत्थर मारने में विश्वास करता हूं। महोदय मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या आप हम लोग पर लोहे का गेंद फेंकेगे।

श्री संतोष मोहन देव: नहीं, मैं तो आपको लोहा भेंट करूँगा क्योंकि आप लघु उद्योग के अध्यक्ष है। श्री सोमनाथ चटर्जी पश्चिमी बंगाल में पिछले पन्द्रह वर्षों से शासन कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं नहीं बल्कि मेरी पार्टी वहां सरकार चला रही है।

श्री संतोष मोहन देव: वहां बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है। यह 50 लाख के करीब है। पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक रूगणता और बंद पड़े उद्योगों की संख्या देश के अन्य राज्यों से अधिक है। 2,29,000 से अधिक लघु उद्योग वहां बंद पड़े हैं और वहां सिर्फ एक उद्योग चल रही है और वह उद्योग....

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव का भाषण समाप्त होने के बाद ही हम लोग उठेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या?

अध्यक्ष महोदय: मैं समय के बारे बता रहा हूं। करीब 7 बज चुके हैं।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, आप मेरे भाषण से असंसदीय अंशों को निकाल सकते हैं। आप निकाल दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह तय हुआ कि हम 7 बजे तक बैठेंगे। अतः मैंने समय बढ़ा दिया है।

श्री संतोष मोहन देव: लेकिन आपने तो दो घंटे कहा था।

अध्यक्ष महोदय: आप आज ही जारी रखना चाहते हैं या कल इस पर बोलना चाहेंगे?

श्री संतोष मोहन देव: इन अंशों को प्रेस में आ जाने दें। मैं आगे फिर कल बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब अभा कल 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित होती है।

7.01 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 16 जुलाई, 1992/25 आषाढ़, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/16/7/92 (एच०)

250—1993—DSK—III

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अधीन प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय (पी०एल०यू०) द्वारा मुद्रित।